राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या 11

सोमवार,

दिनांक 25 अगस्त, 1969

विधान सभा की बैठक म० पू० 11:01 बजे को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

[सिंचाई, अकाल सहायता, वित्त, यातायात, शिक्षा, वन, खाद्य, पंचायत एवं देवस्थान विभाग]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री नाथूराम (बागीडोरा), (प्रश्न संख्या 339) ऑर्डर, ऑर्डर। चूंकि माननीय सदस्य ने एक अन्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर जो वक्तव्य होगा, यह प्रश्न उसी से संबंधित है। इसलिये उसीं में शामिल कर लिया जाता है। अलग नहीं ले सकते हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, गये साल भी यह दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : विषय वही है, अलग से पूछना उचित नहीं होगा।

ऑर्डर, ऑर्डर। श्री दौलतराम सारण।

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्य और मजदूरी का भुगतान

340. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत विधान सभा अधिवेशन में बीकानेर जिले के गत अकाल सहायता कार्यों में काम करने वाले मजदूरों को निर्धारित मजदूरी के स्थान पर जो 5, 10, 15, 20, 25, 30 50, पैसे प्रतिदिन चुकाये जाने के संबंध में प्रश्नोत्तर काल में जिलाधीश, बीकानेर को जांच अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की गई थी और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही करने का जो आश्वासन दिया गया था, उस संबंध में जिलाधीश द्वारा जांच कब की गई ? क्या जांच में शिकायतकर्त्ताओं को सुना गया ? नहीं तो क्यों नहीं ? उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यह भी बतलावें ? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों ?

(2) अकाल पीड़ित मजदूरों की काटी गई मजदूरी की क्या व्यवस्था की गई है ? कुल कितने मजदूरों की कितनी मजदूरी काटी गई थी ?

उप-मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जिलाधीश द्वारा अभी तक जांच

Page No 2

(श्री गंगाराम चौधरी)

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट शीघ्र भेजने का निवेदन किया गया है।

(2) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : जांच अभी तक क्यों नहीं की गई है?

श्री गंगाराम चौधरी : जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी होने पर भेज दी जाएगी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर की इन्होंने नियुक्ति की है। दो साल हो गये हैं। कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट ही नहीं दी है। फिर कब करेंगे?

श्री गंगाराम चौधरी : यह कलेक्टर को जांच के लिए तभी भेज दिया गया था। अब उन कलेक्टर का स्थानान्तरण हो गया है। नये कलेक्टर जो आये हैं, वह इसकी जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार इस सदन में इस प्रश्न पर काफी उत्तेजना हुई थी। तो कहा गया था कि कलेक्टर से हम जांच करायेंगे। वह कलेक्टर बदल गये है। पुरानी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। 7,10 और 20 से तक मजदूरों को दिये गये हैं। आखिरकार जांच में डिले करने से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इतनी डिले क्यों बरती गई है?

मंत्री, अकाल सहायता (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, 68 में ही कलेक्टर को जांच करने को लिख दिया गया था। कलेक्टर को दो महीने की अवधि में रिपोर्ट पेश करने के लिख दिया गया था। जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य जानते हैं, अकाल बराबर चलता रहा। वह उसकी सहायता में बराबर लग रहे थे। बीच में मैं बीकानेर गया था तो मैंने उनको रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि मैं इतना व्यस्त हूं कि समय ही नहीं मिलता है। डिले जांच का कारण यह है कि कई अलग अलग कैम्पों पर कटौती की गई है। 3-4 बिन्दू ऐसे टर्म्स आफ रेफरेंस के हैं। इसलिए जो समय निर्धारित किया गया था। किन्तु राजस्थान में दूसरा व्यापक अकाल पड़ गया है। कलेक्टर बराबर व्यवस्था में व्यस्त रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं जब कलेक्टर महोदय अकाल सहायता में व्यस्त रहे। सरकार जांच कराने जा रही है तो क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि वह किसी और अधिकारी को नियुक्त करती जो निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण करता।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करना उचित नहीं समझा। जिस समय का मामला है, उस समय के जिलाधीश एडीशनल कलेक्टर बीकानेर ने इसकी प्रिलिमनरी जांच की थी। कटौतियां क्यों हुई हैं? कलेक्टर ने एस०डी०ओ० को भेजा था। जहां जहां से शिकायत आयी थी। इसलिए यही जरूरी समझा गया कि इसकी कलेक्टर से जांच कराई जाये।

Page No 3

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री नत्थीसिंह : एक कलेक्टर की बदली हो गई और अभी तक जांच नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसका अकाल मजदूरों से सम्बन्ध है, 5,10,15 और 20 पैसे मजदूरों को मजदूरी के दिये गये है । वह भी इतने दिनों बाद दी गई है । बाकी मजदूरी नहीं दी गई है । सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि कलेक्टर को नियुक्त करके जांच कराई जायगी । लेकिन अब कहते हैं कि जांच नहीं हो सकी । अगर इस जांच में विलम्ब दिखाई दिया तो दूसरे अधिकारी को नियुक्त करके जांच करवाते । अब भी अध्यक्ष महोदय यही स्थिति है । दूसरे सैशन में भी यही उत्तर देने वाले हैं । अकाल दुबारा फिर पड़ गया है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे सैशन तक रिपोर्ट आ जायेगी ।

श्री परसराम मदेरणा : अकाल का पड़ना न पड़ना तो मेरे वश में नहीं है । कलेक्टर ओवरआल रेस्पोंसिबिल है फेमिन आपरेशन्स का । उसकी भी मजबूरी है । मैंने कल रात को बात करने की कोशिश की है । लेकिन वह दिल्ली गये हुये हैं । उनको यह लिख कर भेजा गया है कि अविलम्ब जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

श्री दौलतराम सारण : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह सारे राजस्थान का प्रश्न है । मेरे खयाल से सरकार बराबर मजदूरी नहीं दे पायी है । 15 दिन में साढ़े 22 रुपये होते हैं । किन्तु 11 से 17 तक दिये जाते हैं । एक न्यू फेज क्वाइन किया गया है । कि यह लेप्स फार्म हो गया है ? यह इस प्रकार से लाखों रुपयों की रिश्वत लोग खा रहे हैं । कभी कहते हैं कि कलेक्टर चला गया है, जांच नहीं हो पाई है । यह बहुत असन्तोषजनक व्यवस्था सरकार की है । कुछ न कुछ ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए । जो दो चार आदमी दोषी हों उनको निकालना चाहिए । यह जनहित का प्रश्न है, इसके अन्दर संकीर्णता को बरतना, एक फाल्स सेंस ऑफ प्रेस्टिज को कायम रख कर हठधर्मी रखना आपके लिए अशोभनीय है ।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के लिए क्या अशोभनीय है, क्या शोभनीय है—यह स्वयं राज्य सरकार जानती है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेप्स फार्म हो गया है, यह क्या है । यह क्या अशोभनीय नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप दूसरी बात कहते जा रहे थे । यह प्रश्न है, यह बीकानेर में वेजेज के अन्दर कटौती का प्रश्न है । आप इस क्वेश्चन को पढ़िये, यह क्वेश्चन कुछ और है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बीकानेर से सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, लेप्स फार्म और वेजेज और दूसरे प्रश्न का यह सवाल नहीं है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

जो कटौती की गई है, उसके लिए माननीय सदस्य ने कहा था कि यहां पर टास्क लागू नहीं किया, जब टास्क लागू नहीं किया तो कटौती करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इस मद्दे को बना कर कि टास्क लागू किया गया या नहीं, कितना टास्क लागू किया गया, किन प्रावधानों के अन्तर्गत टास्क फिक्स किया गया था, उसके अनुसार किस तरह से मेजरमेंट किया, क्या कटौती की गई-यह प्रश्न था। इसकी जांच करके रिपोर्ट बीकानेर के कलेक्टर को की जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं कर सके। अब उनको हिदायत दी गई है कि जल्दी से जल्दी जांच करें।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार अन्य किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने को तैयार है?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार इसको उचित नहीं समझती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट! चिकित्सा मंत्री।

श्री नत्थीसिंह : राज्य सरकार इसको उचित नहीं समझती है तो यदि यह कलेक्टर भी बदल जाय तो क्या जांच नहीं होगी जबकि विधान सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि जल्दी कर दी जायगी। लेकिन अब तक नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि विधान सभा में इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : 341। चिकित्सा मंत्री।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है इसके ऊपर मुझ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : घोर आपत्ति है और मेरे खयाल में यह सरकार की भर्त्सना करने के योग्य सरकार का रुख है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर!

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मजदूरों का है....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण लाल : मजदूरों को पूरी रोजी नहीं मिले और ऐसे मसले पर माननीय मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसी प्रश्न को दूसरे माननीय सदस्य उठा चुके हैं। आर्डर प्लीज! यही प्रश्न अन्य माननीय सदस्य ने उठाया है।

चिकित्सा मंत्री!

रतनगढ़ अस्पताल की एक्सरे मशीन

341. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला अन्तर्गत रतनगढ़ शहर के होस्पिटल में एक्सरे मशीनें खराब है? अगर हां, तो कब से?

(2) राजस्थान में इसके साथ की कितनी एक्सरे मशीनें कहां कहां हैं और उनकी स्थिति क्या है?

(3) रतनगढ़ होस्पिटल में मौजूदा

Page No 5

(श्री लाभचन्द वैद)

एक्सरे मशीन कब आई तथा कौन सी तारीख को रेलवे डिलीवरी ली गई ? क्या यह मशीन एक साथ ही आई थी या अलग अलग पार्ट के रूप में अलग अलग समय में आई ? इस मशीन के पार्ट्स के बिल्टी नम्बर व तारीख क्या हैं ?

(4) इस मशीन की कीमत का रुपया चूरू ट्रेजरी से किस तारीख को उठाया गया और कम्पनी को कब और कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(5) इस मशीन को रतनगढ़ भेजने का प्रयोजन किसका था ? और क्यों था ? क्या रतनगढ़ में पहले से एक्सरे मशीन थी और बराबर काम कर रही थी ?

(6) इस मशीन की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च हुई ? जो राशि खर्च हुई वह कम्पनी की गारन्टी के दरम्यान हुई या बाद में ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधान सभा में आश्वासन दिया जाय कि इस प्रश्न की जांच करके विधान सभा को अवगत कराया जायगा । उसके बाद में एक अधिवेशन निकल गया लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आयी । अध्यक्ष महोदय, म चाहूंगा, कि ऐसे मसले पर, जिसमें पांच पांच पैसे मजदूरी मजदूरों को दी जाय, मंत्री महोदय कहें कि वह जांच करायेंगे लेकिन इस विधान सभा का एक सत्र निकल जाने के बाद में भी दूसरा सत्र भी खत्म होने जा रहा है, तब भी रिपोर्ट प्रस्तुत न की जाय । मैं चाहूंगा कि ऐसे मसले पर शिथिलता नहीं बरती जाय । इसलिए राज्य सरकार को पाबन्द किया जाय, उसको प्रताड़ित किया जाना चाहिए, कि आखिर ऐसे मसले पर वह शिथिलता क्यों बरतती है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । चिकित्सा मंत्री !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (1) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आई० जी० ई० सी० द्वारा निर्मित एक्सरे प्लान्ट रतनगढ़ के अलावा दो गंगानगर में एवं एक झालावाड़ में काम में आ रहे हैं । फिर भी और प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय में जानकारी पूछी गई है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर आपने कोई निर्णय नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का वह प्रश्न नहीं था ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इस प्रश्न को भी टाल देना चाहते हैं ।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट-सु०) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मजदूरों की मजदूरी खा गये उसकी जांच रिपोर्ट आज तक पेश नहीं हो रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री विट्ठल भाई : यह क्या बात है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रश्न को दबाया जा रहा है। दरअसल इस प्रश्न की जांच कराने की नीयत नहीं है। इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने के बाद भी आपने उस पर अपना निर्णय नहीं दिया ?....

श्री अध्यक्ष : वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था।

श्री रामचन्द्र आर्य : जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है और जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया....

श्री अध्यक्ष : ताड़ना देने का प्रश्न व्यवस्था देने के प्रश्न में नहीं आता है, इसलिए मैं मौन रहा।

श्री विट्ठल भाई : इस सम्बन्ध में आपका कोई निर्णय होना चाहिए कि इसकी जांच करायेंगे और...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री विट्ठल भाई : ऐसा ही आज सब जगह पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री विट्ठल भाई : मजदूरों का पैसा दूसरे लोग खा गये हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर। मुझे दूसरे प्रश्न भी लेने हैं। माननीय सदस्य !

श्री विट्ठल भाई : व्यवस्था के प्रश्न पर तो आपको कोई निर्णय करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बाकी के प्रश्न नहीं आने से माननीय सदस्यों को परेशानी होगी आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे प्रश्न करने से हमको क्या फायदा है। जबकि हम आश्वासन ही नहीं मिले कि कब तक जांच रिपोर्ट हो जायगी, तब ऐसे प्रश्न करने से क्या फायदा है।

श्री विट्ठल भाई : इस विधान सभा में इस प्रश्न पर अभी तक भी कोई फैसला नहीं हो........

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री विट्ठल भाई : फिर भी आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

श्री नरबोसिंह : जब आपने पहले का नतीजा देख लिया तो आप सरकार को पाबन्द करें कि कब तक इसकी जांच करा कर दे देगी।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। चिकित्सा मंत्री।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (3) दिनांक 23-3-65 को रेलवे रसीद संख्या 63488 दिनांक 25-3-65 के द्वारा बम्बई से बुक

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

किया गया था। सम्पूर्ण प्लान्ट एक साथ ही प्राप्त किया गया।

(4) दिनांक 31-3-65 को उठाया गया। मैसर्स इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को निम्न प्रकार भुगतान किया गया :

रुपये 22,774.66 पै. 90 प्रतिशत भुगतान किया।

ड्राफ्ट संख्या 533141 दि० 31-3-65।

रुपये 2,530.52 पै. 10 प्रतिशत भुगतान किया गया।

ड्राफ्ट संख्या 549328 दिनांक 8-10-65।

(5) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ के आवेदन के अनुसार उक्त अस्पताल में केवल 30 एम० ए० की पुरानी मशीन वहां के कार्य को चलाने के लिये अपर्याप्त थी एवं सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रही थी। अतः एक नई 100 एम० ए० एक्सरे मशीन दिलायी गई।

(6) नई एक्सरे मशीन की मरम्मत पर अब तक कुल 4,554.40 रुपये खर्च हुए। एक्सरे मशीन में मैन्युफक्चरिंग डिफेक्ट हो तो वह सप्लाई के एक साल की अवधि तक बिना चार्जेज रिपेअर की जाती है। अन्य डिफेक्ट के लिये कोई गारन्टी नहीं होती है।

श्री लाभचन्द वैद : जो प्रथम प्रश्न का उत्तर है वह एकदम गलत है। वह एक्सरे मशीन आज भी खराब पड़ी हुई है। जब उसकी मरम्मत की जाती है तो दस पांच दिन के अलावा वह ज्यादा दिन काम नहीं देती। मंत्री महोदय को मालूम है कि इस एक्सरे मशीन के खराब होने के कारण प्राइवेट फर्म ने एक्सरे मशीन मंगवा कर लगाई है वहां।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानकारी हासिल कर ली थी कि कब कब यह मशीन खराब हुई है, दिनांक 10-1-66 से 4-2-66 तक, खराब हुई, तब इसकी कम्पनी द्वारा सेवा मुफ्त की गई। उसके बाद में 10-10-66 से 6-11-66 तक और 19-12-66 से 15-4-67 तक खराब हुई। इन तीनों अवधि में कम्पनी ने इसकी रिपेअर की है। इसके बाद 27-6-67 से 2-12-67 तक और फिर 8-2-68 से 4-5-68 तक खराब हुई, इसमें रुपये 2,468.20 एच० वी० केवल चार्जेज तथा रुपये 200.85 केवल फिटिंग एवं रिपेयरिंग चार्जेज दिये गये। इसके बाद 9-7-68 से 1-4-69 तक खराब हुई, जिसका कम्पनी का बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद 22-5-69 से 10-8-69 तक खराब हुई है, जिसके रुपये 1,357.85 केवल होते हैं।

श्री लाभचन्द वैद : आपने प्रश्न 1 के उत्तर में फर्माया, जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। तो क्या मशीन अभी चालू है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां, मशीन चालू है।

श्री लाभचन्द वैद : आपकी सूचना गलत है। वह कतई चालू नहीं है। मैं पांच दिन पहले ही वहां से आया हूं।

Page No 8

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपको तारीख बता दूं, जब से वह चालू हुई है। यह मशीन 22-5-69 को खराब हुई और 10-8-69 को ठीक हुई ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि एक्सरे मशीन की रिपेअर का पैसा उठा लिया गया है लेकिन रिपेअर नहीं की गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रिपेअर करने के बाद ही बिल का भुगतान हुआ है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह बतायेंगे कि इसके साथ ही एक मशीन और आई थी वह बराबर काम कर रही है? आपने कहा है कि खबर मंगाई है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने सिर्फ यह पूछा है, राजस्थान में इस साथ की कितनी एक्सरे मशीनें कहां कहां हैं और उनकी स्थिति क्या है ? आपने यह नहीं पूछा है कि कब खराब हुई और कैसी चल रही हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि चूरू जिले में जितनी मशीनें हैं वह सब खराब पड़ी हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो आप सूचना दे रहे हैं। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार की यह मान्यता है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): प्रश्न दो के उत्तर में लिखा हुआ है, राजस्थान में इस साथ की कितनी एक्सरे मशीनें कहां कहां हैं और उनकी क्या स्थिति है ? दूसरा प्रश्न भी यही है, वह इससे मिलता जुलता प्रश्न है, वह किशनगढ़ के सम्बन्ध में है। आज भी अस्पतालों में, मुझे जानकारी विश्वस्त सूत्र से है, एक्सरे मशीन ठीक हालत में नहीं है । उनका ठीक हालत होना परमावश्यक है, क्योंकि यह जन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण प्रश्न है मंत्री महोदय को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जो एक्सरे मशीन खराब हैं उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने का, मंत्री महोदय का पुनीत कर्त्तव्य मैं समझता हूं , अध्यक्ष महोदय ।

श्री लाभचन्द वैद : प्रश्न दो मैंने पूछा है कि उन मशीनों की स्थिति क्या है । तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन मशीनों की हालत क्या है ? आपने कहा, कि मैंने पूछा नहीं है। मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके अनुसार दो मशीनें गंगानगर में और एक झालावाड़ में काम कर रही है।

श्री लाभचन्द वैद: उनकी क्या स्थिति है, कैसा काम कर रही है ? आप कहते हैं, रतनगढ़......

श्री अध्यक्ष : काम करने से अर्थ है स्थिति अच्छी है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न का उत्तर दे दें कि राज्य सरकार का इन मशीनों के सम्बन्ध में, जो यह जिन कम्पनी से खरीदी है, क्या अनुभव रहा है अब तक ? यह मशीनें ठीक रही हैं या इनका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें ऐसा हुआ कि एक साल की गारन्टी कम्पनी की होती है, तो एक साल तो उनको **फ्री** रिपेअर करनी पड़ती है, एक साल के बाद में कोई डिफेक्ट

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

होता है तो उसकी रिपेअर करानी पड़ेगी। एक साल में इन मशीनों ने काम किया है, इनकी कम्पनी ने रिपेअर की थी और उसमें चार हजार से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ज्यादा विशेष खराबी नहीं आई।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि यह मशीनें इसलिये खराब होती हैं क्योंकि प्राइवेट लोगों ने अपनी मशीनें लगा ली हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग से सवाल।

श्री दौलतराम सारण : अलग से नहीं। चूरू जिले की सारी मशीनें काम नहीं करती है और उनके खराब होने का कारण बताते हैं कि कम्पनी ने वहां दूसरी मशीनें लगाई हैं। इसलिये ही इनकी खराब हालत है। इसको आप देखते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता!

श्री लाभचन्द वैद : यह मशीनें जिस कम्पनी से खरीदी हैं क्या वह ख्यातिप्राप्त कम्पनी है बाजार में?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस इन्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी को तो सभी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

पोंग बांध

342. **श्री हंसराज आर्य** : (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पोंग बान्ध कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और राजस्थान को अपने कोटे का पानी कब तक देने लगेगा?

(2) पोंग बान्ध के निर्माण में राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से की कुल कितनी धनराशि दी है?

(3) पोंग बांध के पानी में राजस्थान के हिस्से का कितना पानी है?

(4) पोंग बान्ध से राजस्थान को पानी का जो हिस्सा मिलेगा उसमें से गंग कैनाल में कितना, भाखरा नहर में कितना और राजस्थान कैनाल में कितना कितना क्यूसेक दिया जावेगा?

(5) क्या यह सच है कि पोंग बान्ध से पानी मिलने पर नोहर व भादरा तहसील में अमरसिंह तथा जसाना नहरों पर सेंतीस हजार एकड़ भूमि जो कमान्ड से अनकमान्ड घोषित कर दी गई थी, उसे फिर कमान्ड घोषित कर दिया जावेगा?

(6) क्या इस 37 हजार एकड़ अनकमान्ड भूमि पर इस वर्ष बेटरमेंट लेवी वसूल होगी? यदि हां, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) पोंग बांध का कार्य सन् 1972-73 में पूरा होने का अनुमान है। इसके बाद ही राजस्थान को कोटे का पूरा पानी मिलने लगेगा।

(2) पोंग बांध के निर्माण पर वर्ष 1968-69 तक हुए खर्चे में राजस्थान का हिस्सा तदर्थ तौर पर (एड हॉक बेसिस पर) 44.91 करोड़ रुपये है।

(3) पोंग बांध में जो पानी जमा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

होगा उसमें राजस्थान का हिस्सा 53.2 प्रतिशत है।

(4) इस पानी में गंग कैनाल व भाखरा कैनाल का कोई हिस्सा तो नहीं है, परन्तु इन नहरों को कुल पानी में से कुछ पानी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(5) अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता।

(6) फिलहाल यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हंसराज आर्य : क्या जो भूमि कमांड है वहां बेटरमेंट लेवी इस हिसाब से लगेगी या पूरी लगेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिसको अनफिट करते हैं, अनकमांड करते हैं, उसको कमांड से बाहर घोषित करते हैं। उसको जब भी कॉलोनी से बाहर घोषित कर दिया गया, तो जो जमीन कॉलोनी से बाहर घोषित कर दी जाती है उस पर बेटरमेंट लेवी नहीं लगती है!

श्री हंसराज आर्य : जो भूमि 33 एकड़ की दस साल से कमांड मानकर चल रहे थे और अब अनकमांड मानी गई, उसको वापिस कमांड कब घोषित कर दिया जायेगा? क्या उसको सिंचाई नहर की योजना से कमांड एरिया घोषित करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अंडर कन्सीडरेशन है। जब काम तामीर पूरा हो जायेगा तो उस एरिया का कुछ भाग सिंचित हो सकेगा।

श्री दौलतराम सारण : इसका निर्णय होने में क्या बाधा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अन्तर-राज्यीय प्रोजेक्ट है और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच आता है, इसलिये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसकस होता है। इसके बारे में कुछ निर्णय लिया गया था लेकिन पंजाब सरकार उससे पीछे हट रही है, इसलिये केन्द्रीय मंत्री इसके लिये मीटिंग बुलाकर दोनों राज्यों के बीच में समझौता करवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री हंसराज आर्य : पोंग डैम का पानी मिलने के बाद नोहर और भादरा दोनों तहसीलों को अनकमांड घोषित किया गया है उसको कमांड घोषित करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नोहर भादरा भाखरा कमांड या अनकमांड क्षेत्र है, राजस्थान नहर का क्षेत्र नहीं है। लेकिन हमारा विचार है, हालांकि पक्की तौर से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कि जब पोंग डैम का निर्माण पूरा हो जायेगा और पानी कितना उपलब्ध है, कितना स्पेयर कर सकते हैं उसके हिसाब से जो भी कमांड में आ सकता है, सिंचित हो सकता है, उस क्षेत्र के लिये उस समय विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री हंसराज आर्य : सरकार की इसके लिये तैयारी है कि पोंग डैम से जो पानी मिलेगा वह कहां पर खर्च किया जायेगा?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि पोंग डैम बन जायेगा

(श्री दौलतराम सारण)

लेकिन राजस्थान नहर पोंग डैम के साथ नहीं बन पायेगी इसलिय भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान और पांच छः साल तक लेता रहेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह बहुत अहमियत का प्रश्न है, इसलिये राज्य सरकार का हमेशा यही रुख रहा है कि पोंग डैम का निर्माण और राजस्थान नहर का निर्माण दोनों को शामिल लिया जाये और शामिल लिये जाने में अगर कोई रुकावट हो तो कम से कम इन दोनों के निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के बीच समय का फासला ज्यादा नहीं रहे, कम से कम अर्सा रहे ताकि हम उन का लाभ उठा सकें, यही बात हम प्लानिंग कमिशन, प्राइम मिनिस्टर और फाईनेन्स मिनिस्टर के पास प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में हमने प्लानिंग कमिशन और उनसे कहा है उस सम्बन्ध में अभी चर्चा होनी है और हम वहां इस बात को रख रहे हैं कि अधिक से अधिक धनराशि दी जाये ताकि पोंग डैम से हमारे हिस्से में जो पानी मिलने वाला है उसका हम इस्तेमाल कर सकें, और दूसरे उस पानी का इस्तेमाल करके कोई हक क्रीएट न कर लें और बाद में हमारे लिये समस्या पैदा कर लें। इसका हम ध्यान रख रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण: वर्तमान बजट प्रोवीजन के अनुसार पोंग डैम कब पूरा हो जायेगा और राजस्थान नहर कब पूरी हो जायेगी ?

यह प्रश्न बहुत गम्भीर है, तीन साल म पोंग डैम तयार हो जायगा और उससे इतना पानी आयेगा कि लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है लेकिन सरकार उस पानी का उपयोग करने के लिये तैयार नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सरकार जागरूक है और हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक धनराशि राजस्थान कैनाल के लिये मिले। अभी राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिये 130 करोड़ चाहिये, और यहधन राशि हमको अधिक से अधिक मिले इसके लिये हम सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लानिंग कमिशन से कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री देवीलाल।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, नैक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान और भारत वर्ष के लिये। पोंग डैम और राजस्थान नहर वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): तीन साल में पोंग डैम तैयार हो जायेगा यह आपने फर्माया और पानी आपको मिल जायेगा। मैं पूछता हूं कि उस पानी को यूज करने के लिये आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो तीन साल के बाद क्या करेंगे ?

श्री केदारनाथ: एक प्रश्न और है। क्या आज जो पानी का शेअर हमको पंजाब से मिल रहा है, भाखरा, गंग कैनाल और राजस्थान नहर में, वह शेअर उतना ही है

Page No 12

(श्री केदारनाथ)
जितना मिलना चाहिये ? यह डिस्ट्रीब्युशन किस तरह का है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिये जितना धन हमको चाहिये उससे कुछ ही कम राशि पोंग डैम को पूरा करने के लिए चाहिये । अब कितनी धनराशि राजस्थान कैनाल और पोंग डैम के लिये हमको मिलती है, इस पर ही यह निर्भर करता है कि कितना पूरा हो सकेगा। प्लान के अनुसार 1972-73 तक पोंग डम का कार्य पूरा हो जाना चाहिये, लेकिन यह कहना मुमकिन नहीं है कि 1972-73 तक काम पूरा हो ही जायेगा । राजस्थान कैनाल को कम्पलीट करने के लिये भी हम प्रयत्नशील हैं लेकिन धन की कमी रही है, इसलिय हम फस्ट स्टेज को पूरा नहीं कर पाये हैं । हम इसी कोशिश में हैं कि अधिक से अधिक धन मिल जाये तो काम पूरा हो सके।

नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि तीन साल के बाद पानी मिलने लग जायेगा तो पानी का इस्तेमाल क्या होगा । तीन साल के बाद पानी मिलने लग जायेगा यह तहकीक तौर से नहीं कहा जा सकता । लेकिन राजस्थान सरकार अपने प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट करने की पूरी कोशिश कर रही है । हमारी यही मन्शा है कि हम अधिक से अधिक एरिया सिंचित कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

सेवा निवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को बीमा व जी० पी०एफ० का भुगतान

343. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 55 साला रिटायरमेंट आदेश के तहत बीमा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा बीमा व जी० पी० एफ० का जुदा जुदागाना असर कितने कर्मचारियों पर हुआ ?

(2) सालाना जमा का हिसाब पूर्ण नहीं होने से कर्मचारियों के अथोरिटी लेटर में कटौतियां की जाकर अधूरा भुगतान कितने कर्मचारयों को दिया गया ? बीमा व जी० पी० एफ० का अलग अलग बतावें ।

(3) कितने कर्मचारियों का भुगतान बीमा व जी० पी० एफ० में अथोरिटी द्वारा मुकम्मिल किया जा चुका है ? दोनों की तफसील सदन की मेज पर रखें ।

(4) कितने कर्मचारी अब बीमा व जी० पी० एफ० के भुगतान से बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या कारण था कि कर्मचारियों के हिसाब सालाना कटौतियों का ब्यौरा नहीं दिया गया ?

श्री विश्म्बरनाथ जोशी (राज्यमंत्री, वित्त):
(1) 55 साला सेवा निवृत्ति के आदेश के तहत बीमा व जी०पी०एफ० में कर्मचारियों पर निम्न प्रकार असर हुआ है:-

(क) बीमा- 19 कर्मचारी

(ख) जी०पी०एफ० 1184 कर्मचारी

(2) कटौतियों का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण अधूरा भुगतान किया गया।

(क) बीमा 2 कर्मचारी

(ख) जी०पी०एफ० 50 कर्मचारी

(श्री विशंभरनाथ जोशी)

(3) मुकम्मिल भुगतान किया गया:

(क) बीमा 13 कर्मचारी

(ख) जी०पी०एफ० 984 कर्मचारी

(4) कर्मचारियों का भगतान करना बाकी है —

(क) बीमा 4 कर्मचारी

(ख) जी०पी०एफ० 150 कर्मचारी

(5) सामान्य प्रावधायी निधि नियमों में सालाना कटौतियों की रसीद भेजने का प्रावधान है। अतः प्रावधायी निधि के खातों की सालाना रसीदें सालों साल भेजी जाती है। परंन्तु बीमा संबंधी नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 1962-63 तक सालाना कटौतियों की रसीदें नहीं भेजी गई हैं। वर्ष 1963 में वरिष्ट अधिकारी सम्मेलन की सिफारिश पर सरकार ने इस विभाग के बीमादारों को सालाना कटौतियों की रसीदें भेजने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार सालाना कटौतियों की रसीदें वित्तीय वर्ष 1963-64 से भेजी जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 1967-68 तक की सालाना कटौतियों की रसीदें सबंधित विभागों के कर्मचारियों को वितरित करने हेतु भेजी गई हैं और वित्तीय वर्ष 1968-69 की रसीदें तैयार हो रही हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना): क्या यह सही है कि कर्मचारियों को एक साथ रकम नहीं मिलती हैं। कर्मचारियों को जो बराबर रकम काटी गई, उनको एक साथ देने में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री बी० एन० जोशी: किसी के फार्म्स कम्पलीट नहीं थे। किसी के प्रपत्र फार्म्स अधूरे थे। इसलिये उन केसेज में भगतान पूरा नहीं हुआ। इस तरह बाकी जो केसेज रह गए हैं, जल्दी से जल्दी कमी की पूर्ति करके भगतान करेंगे।

श्री देवीलाल बुरासिया: जो बाकी रह गए हैं उनमें क्या बाधायें हैं।

श्री बी० एन० जोशी: मेरी समझ में नहीं आया।

श्री देवीलाल बुरासिया: आपने प्रश्न 4 के उत्तर में कहा है कि बाकी बीमा के 4 व जी० पी० एफ० में 150 कर्मचारियों का भुगतान करना बाकी है। बाकी रहने के क्या कारण हैं और कब से पेंडिंग हैं ?

श्री बी० एन० जोशी: बीमे के 53 मामले हैं जिनमें कर्मचारियों को भुगतान करना बाकी है, उनको भुगतान न करने के कारण निम्नलिखित है :

स्वत्व प्रपत्र बकाया	43
विमुक्ति पत्र बकाया	1

कुछ विवरण विभागों से मांगे गए

लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुए:— 9। इस प्रकार 53 मामले हैं।

श्री अध्यक्ष — नेक्स्ट।

अकाल राहत कार्य शुरू करने का आधार

344. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांवों को अभाव ग्रस्त व अकाल

Page No 14

(श्री मेघराज पंवार)

ग्रस्त मानने व न मानने अथवा वहां राहत कार्य चालू कराने एवं अन्य सुविधायें प्रदान कराने का फैसला करने के लिए सरकार ने क्या क्या माप दंड तय कर रखे हैं ?

(2) जिला व तहसील फैमिन रिलीफ कमेटीज का गठन करने का अभिप्राय क्या है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पैदावार के इलाकों में उस क्षेत्र के अभाव ग्रस्त घोषित होने से महीनों पूर्व बिला राय जिला राहत कमेटी दूसरे जिले से मजदूर प्रक्योर करके राहत कार्य खोले गए और उससे कुछ कम पैदावार के इलाकों में उनका अभावग्रस्त घोषित करने के एक या दो माह बाद राहत कार्य चालू किए गए अथवा सब से कम पैदावार के क्षेत्रों में जहां पिछले चार वर्षों से निरंतर अकाल की स्थिति बनी हुई है, आज भी कोई राहत कार्य चालू नहीं हुआ है ?

अकाल सहायता उप-मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) गांवों को अभावग्रस्त या अकाल ग्रस्त मानने या न मानने तथा ऐसे क्षेत्रों में राहत कार्य चालू कराने व अन्य सुविधायें प्रदान करने का निर्णय होने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए हुए हैं :

(1) फसलों और चारे में खराबी व उसकी मात्रा ।

(2) कुओं और तालाबों में पानी की कमी की मात्रा ।

(3) पशुओं का आकस्मिक निष्क्रमण ।

(4) मुनष्यों का नगरों, कस्बों और अच्छे क्षेत्रों में आकस्मिक निष्क्रमण ।

(5) खाद्यान्न और चारे के मूल्यों में आकस्मिक तेजी ।

(6) पशुओं, विशेषकर खेतीहर पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट ।

(7) उधार सुविधाओं में कमी ।

(8) व्यक्तिगत दान की मात्रा में कमी ।

(9) अपराधों की मात्रा में आकस्मिक वृद्धि ।

(10) भीख मांगने की मात्रा में आकस्मिक वृद्धि ।

(11) श्रमिकों की मजदूरी की दर में आवश्यक गिरावट ।

(12) दिवानी मुकदमों में कमी ।

(2) जिले में तहसील अकाल राहत सलाहकार समितियों के गठन करने का अभिप्राय यह है कि अकाल राहत कार्यक्रम तैयार करने में वहां के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जा सके एवं इसमें उनको समुचित सहयोग दिया जा सके ।

(3) जी नहीं, यह सत्य नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि आपने जो आधार बतायें हैं उन आधारों को चूरू जिले में नहीं रखा गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : सभी जिलों में रक्खें गए, उसमें चूरू जिला भी शामिल है ।

Page No 15

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : प्रश्न दो के जवाब में आपने फरमाया कि तहसील राहत सलाहकार समितियां बनाई गई थीं, ताकि अकाल राहत कार्यक्रम तैयार करने में वहां के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जा सके? क्या यह सही है कि ऐसा नहीं हुआ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यह सही नहीं है। यह अवश्य है कि जहां पर पिछले संवत 2024 में कार्य चल रहे थे उनको चालू रखा था और कहीं कहीं टेस्ट वर्क्स आरंभ किये गये थे वहां जिला या तहसील राहत कार्यों में सलाह नहीं ली थी अन्य सभी कार्यों में सलाह ली थी।

श्री आईदानसिंह : जैसा कि उपमंत्री ने फर्माया जिला जालोर की राहत कमेटी ने जितनी सिफारिशें की और जिला परिषद् ने प्रस्ताव किए राज्य सरकार ने उनको बुलाकर उनका समय बरबाद किया है, अपने मनमाने ढंग से राहत कार्य शुरु करवाया और उनकी सिफारिशों को कतई मद्देनजर नहीं रखा गया, क्या यह सही नहीं है?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : राज्य सरकार जिलाधीश, तहसील व जिला सलाहकार समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखती है। जिलाधीश के लिये यह जरुरी नहीं है कि जिला सलाहकार समिति की सिफारिशों को वह माने ही। वह अपना दृष्टिकोण रखकर अलग से प्रस्ताव राज्य सरकार को पेश कर सकता है। इन कमेटियों का अभिप्राय तहसील लेविल पर जहां एस० डी० ओ० या तहसीलदार चेयरमेन था, उनको जो राहत कार्य करने थे उनकी सिफारिशों पर जो कार्यक्रम जिला लेविल पर सलाहकार कमेटियां तैयार करती थी उनको सलाह देने का था और जिलाधीश को जो सलाह देनी थी फिर जिलाधीश राज्य सरकार के सामने एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में था। इसलिये कई जगह कमेटियों के प्रस्ताव माने भी गए हैं और कई जगह जिलाधीशों के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने नहीं भी माना है।

श्री आईदानसिंह : जहां जिला राहत कार्य समिति ने जिलाधीश को टॉप प्रायोरिटी पर रखा 10-10-15-15 मील की एरिया में जहां काम नहीं चल रहा है। ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें सरकार ने छोड़ी हैं? क्या यह सही नहीं है?

श्री परसराम मदेरणा : हाइपोथेटीकल सवाल है लेकिन जिलाधीश जिला सलाहकार समिति के प्रस्ताव को मानने के लिये बाध्य नहीं है तो इसी प्रकार राज्य सरकार भी जिलाधीशों की सलाह मानने को बाध्य नहीं है।

श्री आईदानसिंह : 15-15 माईल की एरिया में काम नहीं हुए और जिलाधीशों ने इसकी सिफारिश कर दी और उसके बाद में भी राज्य सरकार अगर काम शुरु नहीं करे तो उस एरिया का दुर्भाग्य है।

श्री दौलतराम सारण : जहां सबसे अधिक खराबा होता है वहां पहले कार्य चालू होते थे, यह आधार आपने दिया। क्या यह सही नहीं है कि लाखाऊ, दांदू, शीशला इत्यादि इन गांवों के अंदर 5-6 वर्षों से काफी अच्छी फसल रही है केवल एक साल को छोड़कर और इस वर्ष इन गांवों का एवरेज अच्छा है, खराबा कम है उसके बाद में यहां सबसे पहले अकाल का काम चालू किया गया।

Page No 16

(श्री दौलतराम सारण)
बिना तहसील राहत कमेटी की सलाह से और जहां पिछले चार वर्ष से लगातार अकाल है, बिल्कुल खराबा है, उन गावों के अंदर आपने दो महीने तक कोई कार्य चालू नहीं किया और कई जगह 4 महीने तक नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अलग अलग गांवों में कहां कहां काम प्रारंभ नहीं किए गए, मेरे पास चूरू जिले का नक्शा नहीं है लेकिन जहां कहीं कार्य प्रारंभ किया गया जैसे कि पार्ट तीन में कहा है जो क्षेत्र अभाव ग्रस्त घोषित किए गए हैं उनमें ही चालू किये गए हैं और दूसरों में नहीं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां इन्टेन्सिटी कम थी और जिन गांवों में ज्यादा इन्टेन्सिटी थी वहां नहीं खुले लेकिन पास वाले में ज्यादा थी।

जहां स्केयरसिटी से अफेक्टेड थे वहां पर ही खोले हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो आधार बताये उनसे बहुत स्पष्ट है कि जहां पर अभावग्रस्त स्थिति रहती आयी है वहां पर प्राथमिकता दें। दस इस प्रकार के अन्य कारण बतायें हैं। मैंने निवेदन किया कि चूरू जिले में उन आधारों को ध्यान में न रख कर काम शुरु किय गय। गांव वालों ने मंत्रीमहोदय, कलेक्टर और प्रधानों को चिट्ठियां लिखी हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। जो क्षेत्र पिछले चार वर्षों से अकाल ग्रस्त रहते आये हैं उनमें चार महीने तक काम चालू नहीं किये गये। बीस बीस मील तक काम चालू नहीं किये गये लेकिन जहां पिछले बीस वर्षों में अच्छी काश्त रही है और साधारण खराबा रहा है वहां पर काम शुरु किये गये, न तहसील और न जिला कमेटी की मिटिंग बुलायी गयी।

श्री परसराम मदेरणा : स्केयरसिटी की इन्टेन्सिटी क्या है, राज्य सरकार के पास कई चिट्ठियां आयी हैं, राज्य सरकार के ध्यान में आया कि ऐसे इलाके हैं जहां पर टैस्ट वर्क्स खोलते समय कलेक्टर ने ध्यान नहीं दिया है तो राज्य सरकार ने उन जगहों पर टैस्ट वर्क्स और राहत कार्य भी खोले है।

श्री दौलतराम सारण : चूरू और डूंगरगढ़ में अकाल था वहां पर काम नहीं खोले गये और जहां पर कम अकाल था तो वहां पर काम खोले गये तो वहां पर मजदूर नहीं आये और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से मजदूर लाये गये।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : यह तो प्रश्न ही में लिखा हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सत्य है बिदासर या कौनसा गांव था वहां की सड़क का यह सम्बन्ध है। दीपावली के आस पास वहां पर काम खोले गये। वहां पर मजदूर नहीं गये। स्केयरसिटी डिक्लेयर करने से पूर्व टैस्ट वर्क चालू करने की मंजूरी थी, एक जगह ऐसी थी कि मजदूर नहीं आये और अकाल की विषम स्थिति पैदा हुई तो टैस्ट वर्क्स लागू नहीं किये और रेगुलर काम शुरु कर दिये।

श्री दौलतराम सारण : लाखाऊ की सड़क पर झुंझुनू के मजदूर लगाये गये, राज्य सरकार ने टेलीफोन करके वहां के मजदूरों को लगाया। उस क्षेत्र के कोई मजदूर नहीं गये।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास ऐसी शिकायत नहीं आयी थी।

(श्री परसराम मदेरणा)

शिकायत यह आयी थी कि एक डिस्ट्रिक्ट की बाउन्डरी पर काम चल रहा है और दूसरी बाउन्डरी पर लोग काम न कर सके हिन्दुस्तान पाकिस्तान नहीं है, कन्टीन्युअस एरिया है, काम कर सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को डाइवर्ट कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। मेरा यह है कि निर्धारित आधार थे उनको नहीं अपनाया और गलत काम खोले। जहां पर ताकीद नहीं थी वहां पर खोले और जहां लगातार स्केयरसिटी की वजह से ताकीद थी वहां पर दो दो, चार चार छः छः महीने तक भी काम नहीं खोले। यह प्रश्न है और उसको आप टाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने एक सप्लीमेन्टरी पूछा उसका जवाब दिया। इस प्रकार की शिकायतें आयी थीं। झुंझुनू की शिकायत थी। उनको इसलिये नहीं रख रहे हैं कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं। झुंझुनू के पास कोई काम खोला जा सकता है। स्केयरसिटी डिक्लेयर करने के आधार बताये हैं। जहां पर फेमीन की इन्टेन्सिटी ज्यादा है तो राज्य सरकार ने खुद ने इनिशियेटिव लेकर काम खोले हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह टैस्ट वर्क्स खोलने के सिद्धान्त हैं उनके खिलाफ नहीं खोले गये हैं, गलत जगह खोले गये और मजदूर नहीं थे तो दूसरी जगह से बुलाये गये ?

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानने के लिये तैयार हूं कि जिलाधीश को बाध्य नहीं किया जा सकता कि अमुक काम कराया जाय या नहीं कराया जाय लेकिन उसके साथ साथ यह भी अनुभव करता हूं कि यह रिलिफ कमेटी नहीं महज मखौल है। मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि फलसूंद, रातड़िया, पोकरण सब डिविजन पर क्या जिलाधीश ने इस सड़क के निर्माण का काम प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी और मंत्री महोदय ने काम बन्द कराया और जब लोग हाहाकार करने लगे तो फिर जिलाधीश ने आदेश दिये कि सड़क पर काम प्रारम्भ करावें और फिर मंत्री महोदय ने राजनैतिक कारणों को लेकर काम बन्द करा दिये ? तीन दफा ऐसी कशमकश पेश नहीं हुई कि जिलाधीश ने काम शुरू कराये मंत्री महोदय ने बन्द कराये, जिलाधीश ने काम शुरू कराया और फिर मंत्री महोदय ने काम बन्द कराया ? तीन दफा क्या ऐसा नहीं हुआ ? आपसे निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच्ची घटना नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह घटना तो सच्ची हो सकती है लेकिन मुझे उन फैक्ट्स की मालूम नहीं है। लेकिन यह बात कतई सत्य नहीं है और सत्य का एक कतरा भी नहीं कि राजनैतिक कारणों से खोले गये। यह हो सकता है कि जिलाधीश को पहले आदेश थे लेकिन मंत्रिमण्डल के आदेश थे जिलाधीश को काम शुरू करने

(श्री परसराम मदेरणा)

से पहले राज्य सरकार के आदेश ले। खर्चे पर पाबन्दी करने का काम मेरा था कि कितने काम खोले जायें और कितने नहीं। ऐसे प्रस्ताव आये हों और इन एन्टीसिपेशन में काम चल रहे हों और वेज एन्ड मीन्स को देखते हुए स्वीकृति न दी हो इसलिये दुबारा लिख दिया हो कि वह आवश्यक काम है तो शुरू किया जाय। डूंगरपुर के काम प्रारम्भ करने के पहले कोई राजनैतिक पार्टी का व्यक्ति मेरे पास नहीं आया और उस नजरिया से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं किये।

श्री दौलतराम सारण : चूरू तहसील..

श्री बालसिंह सोढा (जसलमेर):..

(व्यवधान) (एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बात सही है। मंत्री महोदय जरा शान्ति से बात सुनें। सरकमस्टान्शियल एविडेन्स ओवरव्हेलमिंग हैं। क्लेक्टर आॅन दी स्पॉट जाता ह अमुक स्थान की क्या समस्या है, जनता के साधन क्या अपर्याप्त हैं वह आदेश देता है कि राहत कार्य प्रारम्भ किये जायं। मंत्री महोदय यहां प्रेटी, प्रेटी विराजमान हैं, मौके की स्थिति का ज्ञान नहीं है, यह काम बन्द कराया जाय एक तरह से हिटलर की तरह का आदेश जाता है काम बन्द कर दो। जिलाधीश यह फिर निवेदन करता है कि वाकई यहां काम प्रारम्भ करना आवश्यक है, डिस्ट्रेस है, भूखमरी है, लोग विलकुल तंग हो रहे हैं और इन कारणों से जिलाधीश फिर काम प्रारम्भ करता है और फिर मंत्री महोदय का आदेश होता है बन्द कर दो, बन्द कर दिया। तीन दफा आप यह कहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि सिवाय राजनैतिक कारण के और क्या कारण हो सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जबाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि सरकमस्टान्शियल एविडेन्स ओवरव्हेलमिंग तो यह एक्स पार्टी है क्योंकि मेरे पास इस समय फक्ट्स नहीं हैं। वे एप्रिशियेट कर सकते हैं। डूंगरपुर जिलाधीश के....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने डूंगरपुर का प्रश्न ही नहीं पूछा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

माननीय मंत्री महोदय। यह प्रश्न डूंगरगढ का है डूंगरपुर का नहीं। (विराम) पोकरण का है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फलसूंद-रातड़िया सड़क, पोकरण सब डिविजन।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय! इस सम्बन्ध में चूंकि अकाल पर बहस होने वाली है आप इसको ले लें संकेत रूप में। मेरे ख्याल से आपके पास फैक्ट्स नहीं है। बहस के समय इसको स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : चूरू तहसील के पिण्डावा, खतीसर, महरवनीर, करनीसर आदि ऐसे गांव हैं, जहां पर संवत् 2022 से अकाल है और तीन आना, छ: आना, आठ आना, फसल रही है, खतीसर

(श्री दौलतराम सारण)
में 6 आना, 5।। आना, और गांव में 6 आना, 5 आना फसल रही है। ये गांव वहां से 22 मील दूरी पर पड़ते हैं। यहां खारा पानी है। इन गांवों में अभी तक काम नहीं हुआ है। ये उदाहरण के रूप में मैंने गांव बताये हैं। इसके आस पास के गांवों की भी यही हालत है। वही स्थिति डूंगरगढ़ के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों की है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न
(12-8-69)
प्रश्न संख्या 12

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न
(12-8-69)
प्रश्न संख्या 19

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य।

स्थगित प्रश्न
(16-8-69)

सरपंचों एवं प्रधानों के विरुद्ध गबन के मामले

113. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने सरपंच और प्रधानों पर गबन के केस अदालतों में चल रहे हैं तथा कितने सरपंच और प्रधान मौअत्तिल हैं?

(2) क्या पंचायत समितियों के प्रधानों के खिलाफ जो केस चले हैं उनमें से किसी को सजा भी हुई है? जिनको सजा हो चुकी है उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे?

उप-मंत्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) राजस्थान में 95 सरपंचो पर गबन के मामले अदालतों में चल रहे हैं? वर्तमान में प्रधानों के विरुद्ध गबन का कोई मामला न्यायालय में नहीं चल रहा है। 46 सरपंच तथा 1 प्रधान मौअत्तिल हैं।

(2) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: इसको जरा जोर से बोलिये।

(दुबारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री रघनाथ विश्नोई।

स्थगित प्रश्न
(16-8-69)

तहसील सांचोर में चारे की व्यवस्था

117. **श्री रघनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में पर्याप्त मात्रा में अभी तक चारा नहीं पहुंचा है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि चारे के अभाव में कांकरेज प्रसिद्ध नस्ल की मवेशी मर रही है? अगर हां तो इस बारे में सम्पूर्ण व्यवस्था कब तक करदी जावेगी?

Page No 20

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचोर के तमाम चारा डिपोज पर अभी तक बिल्कुल चारा नहीं पहुंचा है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? अगर नहीं तो किस किस डिपो पर कितना कितना चारा कब कब पहुंचा है ?

(4) किस किस डिपो पर अब तक कितना चारा पहुंच गया है ? सब डिपोज पर कब तक पर्याप्त चारे की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व अकाल (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। यह बात सत्य नहीं है कि तहसील सांचोर में पर्याप्त मात्रा में चारा अभी तक नहीं पहुंचा है। अलबत्ता माह फरवरी व जून में चारा तहसील सांचोर में कम मात्रा में पहुंच पाया है क्योंकि माह जनवरी में चारे के ठेकेदार का ठेका असफल हो जाने से और नवीन ठेका करने में सप्लाई की व्यवस्था में बाधा पड़ी है।

(2) जी नहीं। यथासम्भव व्यवस्था की गई है।

(3) जी नहीं। यह बात सत्य नहीं है कि तहसील सांचोर में चारा डिपोज पर अभी तक बिलकुल चारा नहीं पहुंचा है। जिस प्रकार प्रत्येक मास में चारा पहुंचाया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) डिपोवाइज जितना चारा पहुंचाया जा चुका है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माह मार्च में कितना चारा पहुंचाया ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने सूची सदन की मेज पर रख दी है !

श्री रघुनाथ विश्नोई : माह फरवरी के अन्दर कितना कितना चारा और किस किस डिपोज पर पहुंचाया गया है, यह इस सूची के अंदर स्पष्ट नहीं है। जितने डिपोज हैं वहां चारा नहीं पहुंचा है फिर आप कैसे कहते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : फरवरी में 77 क्विन्टल। मार्च में 3630 क्विन्टल पहुंचा है। डिपो वाईज सूची में यह दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुल कितने डिपोज खोले गये हैं और उनमें कितना कितना चारा पहुंचाया गया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने सूची में बताया है कि मार्च में चारा कम पहुंच पाया है। जनवरी, फरवरी में भी कम पहुंचा है। मार्च, अप्रेल, मई में काफी तादाद में चारा पहुंचा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चारे की जो मात्रा बतायी है, वह दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में कम पहुंचा है। एक जालोर स्टेशन पर उतरा, भीनमाल, रानीवाड़ा स्टेशन पर चारा पहुंचा परन्तु उसकी मात्रा कमथी और इस कारण मवेशी मरी हैं, क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मवेशी मरने की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या आपने यह सूचना प्राप्त की है कि मवेशी कितनी मरी हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी कोई सूचना नहीं है राज्य सरकार को ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने पता किया है ? एक भी मवेशी नहीं मरी है।

श्री गंगाराम चौधरी : प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने प्राप्त करने का प्रयत्न किया हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : सूची वैसे जिलावार प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कितनी मवेशी मरी हैं, यह पता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह पहले भी सदन में आ चुका है। पिछले सत्र में बार-बार कहा है। अकाल के वर्षों में भी मवेशी मरने की सूचना राज्य सरकार नहीं रखती है इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या सोचा है ? क्या इसका कोई आधार नहीं है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि यथासम्भव सूचना एकत्रित की जा रही है। अभी तक प्रत्येक माह में कितनी मवेशी मरी है, इसको एकत्रित करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि बहुत सी मवेशी बाहर जा चुकी हैं इसलिये पूरे आंकड़े अभी तक राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, चार महीने पहले यह सवाल दिया था अब अगस्त चल रहा है। अभी तक यह सूचना नहीं है और राज्य सरकार इस पर गंभीरता से सोच नहीं रही है। यह क्या बात है ?

श्री गंगाराम चौधरी : गंभीरता से सोच रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में राज्य सरकार ने क्या सोचा है ? क्या सूचना प्राप्त नहीं करना चाहते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्राप्त करने में जो कठिनाईयां सामने आ रही हैं, वह पहले ही सदन के सामने रख दी हैं। अब प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह काश्तकार का महत्वपूर्ण धन है और उसके धन का 50 पर्सेन्ट मात्र तो यह है। इसके अन्दर सरकार ने उपेक्षापूर्ण रवैया प्रस्तुत किया है, यह साफ है।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है राजस्थान के कुछ इलाकों में 5 साल से, 7 साल से लगातार अभाव और अकाल की स्थिति बनी है। सांचोर की ऐसी स्थिति नहीं थी। वहां पिछले साल ही अकाल पड़ा है। इसके पहले वहां बम्पर क्रॉप हुई है। सारे जोधपुर डिवीजन में कहीं कोई ऐसा एरिया है तो वह सांचोर है, जहां गेहूं की बम्पर क्रौप गत साल में हुई थी और जब क्राप हुई तो चारा और कुट्टी की समस्या इतनी नहीं होनी चाहिये। यह सोचते हुए कि पिछले साल के अंदर सांचोर ही एक ऐसी तहसील थी जिसने सारे डिवीजन को गेहूं सप्लाई किया था। 13 हजार क्विन्टल

(श्री परसराम मदेरणा)

के करीब चारा सांचोर तहसील में पहुंचा है। रेल लिंक रानीवाड़ा है। रानीवाड़ा के बाद कोशिश की कि सांचोर में पहुंचाया जावे। जब चारा रानीवाड़ा पहुंचता था, वहां के लोग घेर लेते थे और डिमान्ड करते थे। इसलिये पहले उन लोगों की चारे की डिमान्ड को पूरी करने के बाद सांचोर भेजा। उनकी मांग की पूर्ति करते हुए 13 हजार क्विन्टल चारा भेजा है। यह चारा 96 के संवत् में जो अकाल जोधपुर डिवीजन में पड़ा था और उस अकाल में सारे जोधपुर डिवीजन में जितना चारा सप्लाई किया गया था, उसके अकेले के मुकाबले में सांचोर में उतना चारा भेजा गया है। इस तहसील में उस अकाल से ज्यादा चारा पर्याप्त मात्रा में भेजा गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: मैंने मवेशियों के मरने की सूचना पूछी है। सदन में कई बार यह सवाल आया है। इस वर्ष कितनी मवेशी किस-किस माह में मरी है, इसके बारे में मैंने यहां पूछा है यह नहीं पूछा कि कितना चारा पहुंचाया है।

श्री परसराम मदेरणा: इसकी सूचना एकत्रित नहीं कर पाये हैं। जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं, वे जल्दी से जल्दी इसकी सूचना एकत्रित करके हमारे पास भेजें।

एक माननीय सदस्य: पर्याप्त मात्रा में चारा पहुंचाया गया है यह मंत्री महोदय ने कहा है। तो मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि पर्याप्त मात्रा में कितना चारा कितनी जगह पहुंचा?

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना भी हो सकता था, राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर, जो पिछले कई सालों से इफेक्टेड थे, उसको देखते हुए, हम यही समझते हैं कि दूसरे हिस्सों के कम्पेरिजन में वह पर्याप्त था। मैं यह दावा तो नहीं कर रहा हूं कि जितनी डिमान्ड थी, उस क्षेत्र की जितनी मांग थी, उतना ही चारा हम पहुंचा पाये हों। मैंने इस सदन में पहले भी कहा है कि चारा सप्लाई करने का जो मामला है, वह एक गंभीर मामला है। परन्तु सरकार इसको पहुंचाने में जितने साधन जुटा पायेगी जुटाकर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि चारा बरसात में भींग गया। चारा इतना दान में दिया गया कि सरकार उसे गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पायी। चारा सड़ गया और वह पहुंचाया नहीं जा सका जहां उसकी जरुरत थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई: एक तिनका जो सड़ा हुआ था वह भी उठ गया। यह आप कैसे कहते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): राजस्थान के वन विभाग के पास हजारों मन चारा पड़ा है?

श्री परसराम मदेरणा: यह अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बादूदार: आज तो आपने 12 बजे पहले ही स्थगित प्रश्न ले लिये मेरा प्रश्न ले लिया जाय।

Page No 23

श्री अध्यक्षः ऑर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

अनुपूर्वक अनुदानों की मांगों के विवरण की प्रस्तुति

श्री मथुरादास माथुर ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : मैं बैठूं तब आप व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर दीजिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है, जब से यह सेशन चालू हुआ है हमेशा 30 के करीब प्रश्न लिये जाते हैं तारांकित प्रश्नों में अब तक मेरा एक ही प्रश्न आया है। इससे बेहतर यह होता हम अतारांकित प्रश्न भेजकर उसका उत्तर प्राप्त कर लेते । यह बड़ा गम्भीर मामला है इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है ।

श्री अध्यक्ष : मैं बार-बार ध्यान आकर्षित करता रहा हूं प्रतिदिन अधिक से अधिक प्रश्न लिय जायें । लेकिन प्रथम चार पांच प्रश्न में ही सदन के माननीय सदस्य अधिक समय ले लेते हैं । मैं भी संघर्ष करता रहता हूं जल्दी से जल्दी प्रश्न लिये जांय, और माननीय सदस्यों का भी यह कर्त्तव्य है वे प्रयत्न करें कि प्रश्न अधिक से अधिक आयें यह तभी संभव हो सकता है जब स्वयं माननीय सदस्य भी सीमित रूप से प्रश्न पूछें ।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार ठीक से जवाब नहीं देती ।

श्री अध्यक्ष : यह भी कारण हो सकता है । मैं चाहूंगा भविष्य में जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है कि उनका एक ही प्रश्न आया है, इसी तरह से अन्य माननीय सदस्यों के भी प्रश्न रह जाते हैं । यह सहयोग का प्रश्न है । प्रारम्भ में ही समय सीमा के अन्तर्गत ही पूछे जायं और स्वयं माननीय सदस्य अपने पर नियन्त्रण करें तो अधिक से अधिक प्रश्न आ सकते हैं ।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न नहीं है कि अधिक से अधिक प्रश्न अतारांकित किये जा सकते हैं । तारांकित और अतारांकित प्रश्न कितने हो सकते हैं कितने नहीं यह अलग से प्रश्न है ।

प्रश्न समाप्त हुये ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(12-8-69)

तेन्दू व गोंद के ठेके

12. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा पत्ता तेंदू व गोंद के ठेके नीलाम होकर फाइनल होने पर उन ठेकों के पेटे 10 पर्सेन्ट अर्नेस्ट मनी रखी जाती है ?

(2) यदि हां, तो 1 जनवरी, सन् 64 से 1 जनवरी, 69 तक कितनी-कितनी रकम ठेकेदारान को दी जा चुकी है, और कितनी रकम शेष है ? जो रकम शेष है वह किस-किस ठेकेदार को देनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। अर्नेस्ट मनी 10 प्रतिशत नहीं रखी जाती किन्तु ठेके नीलाम होकर ठके का काम पूरा होने तक 10 प्रतिशत रकम प्रतिभूति के रूप में अमानत रखी जाती है।

(2) 7,48,961 रु० सिक्यूरिटी की रकम ठेकेदारों को लौटा दी गई है और 2,73,469 रु० लौटाना शेष है। जिन 2 ठकेदारों की रकम शेष है उनकी सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(12-8-69)

मेडिकल रिएम्बर्समेंट पर व्यय

19 **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में मेडकल रिएम्बर्समेंट का कितना व्यय सरकार को अपने कर्मचारियों पर करना पड़ा है ? प्रति वर्ष का अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त गत तीन वर्षों में इस संबंध में झूठे दावे भी पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इस प्रकार झूठे दावे पेश करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) गलत दवाओं के मामलों में महालेखाकार ने राजपत्रांकित अधिकारीगण अथवा मंत्रिगण के विरुद्ध कितने रिट्रेन्चमेंट स्लिप जारी किये ? ऐसे गलत दावों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अफीम की खेती

514. **श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा व झालावाड जिले की किस-किस तहसील में अफीम की खेती होती है ?

(2) प्रत्येक तहसील का कितना-कितना रकबा अफीम की पैदावार के काम में लिया जाता है ?

(3) उक्त दोनों जिलों में कुल कितनी अफीम गत 3 वर्षों में पैदा की गई है ?

(4) भारत सरकार उक्त अफीम को किस भाव से क्रय करती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

लाडनूं में टायरों के व्यापारियों द्वारा सेल्स टैक्स की चोरी

515. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं, जिला नागौर के कुछ टायरों के व्यापारी सेल्स टैक्स की चोरी में पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से व्यापारी कब-कब पकड़े गये और उन्होंने कितने-कितने सेल्स टैक्स

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की चोरी कब–कब की ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त टैक्स की चोरी का पता सरकार को किस प्रकार से और किसके जरिये लगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि लाडनूं, जिला नागौर के पांच टायरों के व्यापारियों के बही खाते सेल्स टैक्स की चोरी का संदेह होने पर पकड़े गये थे। निम्नलिखित व्यापारियों के बही खाते दिनांक 1-8-68 को पकड़े गये थे:—

नाम व्यापारी

1. मैं० खूबचन्द नन्दलाल, लाडनूं।
2. मैं० रामनिवास लादूराम, लाडनूं।
3. मैं० देवीदत्त विमलकुमार, लाडनूं।
4. मैं० खूबचन्द लच्छीराम, लाडनूं।
5. मैं० रंगलाल अग्रवाल, लाडनूं।

क्रम संख्या 1 तथा 2 के कुछ बहीखाते दिनांक 22-8-68 को भी हस्तगत किये गये थे।

(2) जांच अभी अपूर्ण है पूर्ण होने पर मालूम हो सकेगा कि कितने कर की चोरी की गई। उपरोक्त टैक्स की चोरी का पता एक मुखबिर के जरिये हुआ था।

जागीर पेन्शनरों को भुगतान

516. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर ज़िले की केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में कितने जागीर पेन्शनरों को कितनी पेन्शन दी जाती है ? ठिकानेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सब पेन्शनरों को राजस्थान सरकार के पत्र संख्या एफ० 1 (29) एफ०डी०(व्यय नियम)66 दिनांक 16-1-67 के तहत पेन्शन दी जाती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त आदेश के तहत सब पेन्शनरों को न्यूनतम पेन्शन का भुगतान करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

जिला नागौर के शराब के ठेकेदारों पर गारन्टी की बकाया रकम

517. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ज़िला नागौर में शराब के ठेकेदारों में गारन्टी की रकम बकाया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ठेकेदार में किस किस-ठेके की कितनी कितनी रकम कब-कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ठेकेदारों में उक्त ठेके देते समय पहिले की रकम बकाया थी ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) बकाया वसूली किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) विभाग द्वारा वसूली नहीं होने की दशा में राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

जिला नागौर में अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत कुओं की खुदाई

518. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में इस वर्ष अकाल सहायता कार्यों में किन-किन कुओं की खुदाई व मरम्मत के लिये कितने-कितने रुपये मन्जूर किये गये और उनमें किन-किन पर मंजूरी होने के कितने-कितने दिन बाद कार्य शुरू हुआ, और कितने-कितने रुपये खर्च हुए ? सूची तहसीलवाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य मन्जूरी होने के बावजूद भी शुरू नहीं किये गये ? सूची तहसीलवाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) मन्जूरी होने के बाद कार्य शुरू करवाने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी और उन्होंने कार्य क्यों नहीं शुरू करवाया ?

उत्तर

(1) तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) कार्य शुरू न किये जा सकने का कारण सूची में अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अकाल सहायता कार्य पर व्यय

519. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इस वर्ष अकाल सहायता के रूप में किस-किस जिले में किस-किस मद से कितने-कितने रुपये खर्च किये गये तथा कितनी-कितनी जनसंख्या व क्षेत्रफल अकाल पीड़ित था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत कार्य

520. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट-सु०): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत कमेटी बनी हुई है? यदि हां, तो अकाल राहत कार्य चला तब से अब तक कितनी बैठकें कब कब बुलाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री विट्ठल भाई)

(2) क्या यह भी सही है कि कई कार्य बिना राहत कमेटी की स्वीकृति के खोले गये हैं ?

(3) यदि हां, तो ऐसे कितने कार्य खोले गये और कितनों में राहत कमेटी की मन्जूरी दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत सलाहकार समिति बनी हुई है । जबसे सहायता कार्य आरम्भ किये गये तबसे इस समिति की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई :—

1. दिनांक 10-10-1968.
2. दिनांक 2-12-1968.
3. दिनांक 17-12-1968.
4. दिनांक 29-1-1969.
5. दिनांक 24-6-1969.

(2) जी नहीं । समस्त कार्य जिला राहत समिति की अनुमति से ही खोले गये ।

(3) इस जिले में केवल 430 सहायता कार्य स्वीकृत किये गये हैं । इन समस्त कार्यों का अनुमोदन उक्त समिति द्वारा किया जा चुका है । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पिड़ावा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

521. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की पिड़ावा पंचायत समिति में कितने ग्राम अकालग्रस्त थे ?

(2) इस तहसील में अकाल सहायतार्थ कितने-कितने काम किस-किस राशि के प्रारम्भ किये गये तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) ग्राम सालोदिया के निकट बनाये जाने वाले एनीकट की लागत राशि क्या है एवं उससे कितनी भूमि सिंचित होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की पिड़ावा पंचायत समिति में केवल 71 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये थे ।

(2) इस तहसील में अकाल सहायतार्थ जो कार्य स्वीकृत हुए, और जितनी धनराशि उन पर व्यय की गई, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) ग्राम सालोदिया के निकट मानिया खड़ी एनीकट बनाया जा रहा है । इसकी लागत 40,633 रु० है, व उससे 200 एकड़ भूमि सिंचित होने का अनुमान है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

Page No 28

जैसलमेर जिले में कुओं तथा टांका निर्माण कार्य

522. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि इस वर्ष जैसलमेर जिले में एक भी कुआ एवं टांका विभाग द्वारा तैयार नहीं कराया गया ?

अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या जैसलमेर जिले में सरकार इनकी आवश्यकता नहीं समझती है ?

उत्तर

जी नहीं । इस वर्ष जैसलमेर जिले में 26 टांके व एक नल-कूप होद का निर्माण कार्य करवाया गया है । इनमें से नल-कूप होद का कार्य पूरा हो चुका है । व शेष 20 टांकों के कार्य प्रगति पर हैं ।

पुराने कार्य समाप्त होने के बाद ही नया कार्य किया जाना उचित था । इस कारण कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं किया गया ।.

तहसील बोंली एवं खण्डार के ग्रामों में अकाल सहायता कार्य

523. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) . क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बोंली, सवाई माधोपुर, एवं खण्डार के किन-किन गांवों को इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित किया गया ? कृपया इन गांवों की सूची विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या इन अकालग्रस्त घोषित गांवों में राहत कार्य चलाने हेतु कोई प्रस्ताव जिलाधीश महोदय के कार्यालय में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो तहसीलदार, बोंली, सवाई माधोपुर एवं खण्डार से अथवा संबंधित अन्य अधिकारियों से यह प्रस्ताव जिलाधीश कार्यालय में कब प्राप्त हुए ? कृपया जिस-जिस विधान सभाई क्षेत्र के जिस-जिस गांव में जो जो काम चलाने के प्रस्ताव जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त हुए उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) जिलाधीश महोदय द्वारा इन तीनों तहसीलों को किस-किस विधान सभाई क्षेत्र के किस-किस गांव में क्या-क्या काम चलाने की स्वीकृति किस-किस तारीख को दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) उक्त तहसीलों में किस-किस विधान सभाई क्षेत्र के किस-किस गांव का कौन सा काम कब चालू हुआ और उस पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर की अन्य तहसीलों में भी इस वर्ष, अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विधान सभाई क्षेत्र के कितने कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) इन विधान सभाई क्षेत्रों में से किस–किस क्षेत्र में कितने कितने राहत कार्य चले अथवा चल रहे हैं और उन पर अब तक

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या जिलाधीश महोदय ने राहत कार्य चलाने के विचार-विमर्श हेतु जन-प्रतिनिधियों की भी कभी कोई जिला स्तरीय मीटिंग बुलवाई ? यदि हां, तो यह मीटिंग कब बुलाई गई और इसमें किन-किन को आमंत्रित किया गया ?

उत्तर

(1) तहसील बौंली, सवाई माधोपुर एवं खण्डार के जिन-जिन गांवों को इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किया गया है उनकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। इन अकालग्रस्त घोषित गांवों में राहत कार्य चलाने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त हुए थे। जिन-जिन कामों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जिलाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा इन तीन तहसीलों के जिस-जिस विधान सभाई क्षेत्र के जिस-जिस गांव के जो-जो कार्य चलाने की स्वीकृति जिस-जिस तारीख को दी गई, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर, तहसील बौंली में सड़क कार्य पर 3,027) रु० व्यय हुआ। बौंली से भाडोली सड़क का कार्य दिनांक 22-5-69 को चालू हुआ जिस पर 15,766) रु० व्यय हुआ। दतवास-पीपल्दा सड़क कार्य दिनांक 18-6-69 को चालू किया गया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भू-संरक्षण कार्य भी स्वीकृत किये गये :--

नाम कार्य	दिनांक	व्यय
1. कोणाली	24-6-69	9,136)
2. आलूदा	12-7-69	596)
3. खिरनी	5-7-69	1,569)

(5) अन्य तहसीलों में भी इस वर्ष जो गांव अभावग्रस्त घोषित हुए हैं, उनकी विधान सभाई क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(6) इन विधान सभाई क्षेत्रों में जो कार्य चल रहे हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(7) जी हां। जिलाधीश ने राहत कार्य चलाने में विचार-विमर्श हेतु एक मीटिंग दिनांक 28-1-69 को जिला मुख्यावास, सवाई माधोपुर में बुलाई गयी थी, इसमें सभी तहसीलदारगण आमन्त्रित किये गये थे। दूसरी दिनांक 28-6-69 को बुलाई गई, इसमें समस्त संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, मण्डल वन अधिकारी, जिला पशु-पालन अधिकारी, जिला प्रमुख तथा दो गैर सरकारी मनोनीत सदस्य, तथा परगना अधिकारी आमन्त्रित किये गये।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

Page No 30

अकाल राहत कार्य और भ्रष्टाचार के मामले

524. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1968-69 एवं 1969-70 वर्ष में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितने भ्रष्टाचार के मामले राज्य सरकार के समक्ष आये ? राज्य सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

पाली जिले में अकाल राहत कार्य

525. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष पाली जिले में कुल कितने अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये और उन पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य चालू किये गये और कितनी-कितनी धनराशि लगाई गई, जिनमें कितने कार्य सम्पूर्ण होगये ? अधूरे कार्यों को पूरा करवाने हेतु सरकार के पास क्या योजना है ?

(3) इस वर्ष से पूर्व के कितने अकाल राहत कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और उन्हें पूरा करवाने की क्या योजना है ?

(स्थगित किया गया)

अकाल सहायता कार्यों के लिये जिलेवार आवंटित धनराशि

526. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1968-69 में अकाल सहायता के लिये जिलेवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि जिलेवार व्यय की गई ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) जिलेवार व्यय की गई राशि में से कितनी-कितनी, किन-किन कामों में व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक जिले में अकाल राहत कार्य

527. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक में अकाल राहत कार्यों में सिंचाई विभाग द्वारा कुल कितने कार्य कराये गये ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जिले में ऐसे कितने तालाबों पर कार्य चलाया गया जिनसे सिंचाई बिल्कुल

(श्री दिग्विजयसिंह)

नहीं होती है ? यदि होती है, तो कुल रकबा कितना है ? कृपया पृथक पृथक तालाबों का रकबा मय नाम तालाब सूची के साथ सदन में रखें ।

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, झुंझुनूं की स्थाई कृषि समिति की बैठक

528. **श्री सूरजमल** (सूरजगढ़-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है दिनांक 26-6-69 को पंचायत समिति, झुन्झुनुं की कृषि स्थाई समिति की बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उस बैठक में काश्तकारों को धोरे बनाने के लिये किस किस को कितनी राशि स्वीकार की गई थी ?

(2) क्या उपरोक्त प्रकार से स्वीकार की गई धनराशि का भुगतान संबंधित काश्तकारों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 26-6-69 को पंचायत समिति, झुन्झुनूं की कृषि स्थाई समिति की बैठक नहीं हुई ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सवाई माधोपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत स्कूल

529. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, सवाई माधोपुर के अन्तर्गत कितने स्कूल कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक स्कूल में कितने-कितने छात्र हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त समिति क्षेत्र में नये स्कूल खोल रही है ?

(3) क्या प्रधानजी उक्त पंचायत समिति ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । इस वर्ष नये प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है तो प्रधान, पंचायत समिति द्वारा रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रधान, पंचायत समिति, सुमेरपुर की रूस यात्रा

530. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, सुमेरपुर के प्रधान श्री बंशीलाल बालदिया को राज्य सरकार ने रूस यात्रा के लिये भेजा था ? यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य था ?

(2) क्या श्री बालदिया ने अपनी रूस यात्रा का यात्रा भत्ता पंचायत समिति, सुमेरपुर से उठाया है ?

(श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा)

(3) यदि हां, तो पंचायत समिति ने किस तारीख के प्रस्ताव द्वारा प्रधान को रूस यात्रा की स्वीकृति दी और किस तारीख के प्रस्ताव द्वारा उनका यात्रा भत्ता स्वीकृत किया गया ? कृपया इस यात्रा भत्ते का विवरण व पंचायत समिति के प्रस्ताव सदन की मेज पर रखें ।

(4) यह यात्रा भत्ता किस मद से स्वीकृत किया गया, और किन प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया ? क्या भविष्य में भी ऐसी यात्रायें आयोजित की जावेंगी, और पूर्व में ऐसी कितनी यात्रायें आयोजित की गई थीं ?

उत्तर

(1) जी हां। यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करना था ।

(2) यात्रा व्यय के 900)रु० राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पंचायत समिति की निजी आय से व्यय किये गये ।

(3) यात्रा की स्वीकृति एवं यात्रा व्यय की अग्रिम राशि उठाने का निर्णय पंचायत समिति की बैठक दिनांक 17-10-68 को लिया गया । इस यात्रा का विमान का किराया 1,800)रु० के लगभग हुवा जिसकी आधी राशि पंचायत समिति की निजी आय से उठाई गई व आधी राशि प्रधान ने स्वयं दी। प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) यात्रा का कोई भत्ता नहीं लिया गया । विमान किराये की राशि का आधा भाग पंचायत समिति की निजी आय से राज्य सरकार के निदेशानुसार दिया गया भविष्य में ऐसी यात्राओं के आयोजन का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । पूर्व में ऐसी विदेश यात्रा का आयोजन नहीं किया गया ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

प्रधान, पंचायत समिति, सुमेरपुर द्वारा यात्रायें

531. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, सुमेरपुर के प्रधान के लिये 1-4-65 से 31-3-69 तक वर्ष वार यात्रा भत्ता का क्या क्या प्रावधान रखा गया था ?

(2) उक्त वर्षों में प्रधान द्वारा कितना कितना यात्रा भत्ता काम में लिया गया ? कृपया माहवारी विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त भत्ते में से विमान द्वारा कितनी यात्राएं की गईं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) राज्य सरकार की निगाह में इन में से कौन-कौनसी यात्राएं अनजस्टीफाइड हैं, और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) प्रधान एवं पंचायत समिति के सदस्यों के यात्रा व्यय के लिये पंचायत समिति की निजी आय के मद में वर्षवार जो प्रावधान रखा गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(पंचायत मंत्री)

(2) विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में दिया गया है।

(3) विमान द्वारा की गई यात्राओं का उल्लेख भी सूची में किया गया है किन्तु विमान यात्रा का किराया प्रधान द्वारा चार्ज नहीं किया गया केवल प्रथम श्रेणी का रेल किराया ही चार्ज किया गया है।

(4) प्रधान द्वारा की गई कोई यात्रायें अनियमित नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

चिकित्सा व्यय की राशि

532. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर, मुख्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनके चिकित्सा व्यय पर राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रेल, सन् 1967 से अब तक कितनी कितनी धनराशि प्रति वर्ष खर्च की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अवधि में जिन कर्मचारियों ने चिकित्सा व्यय के रुपये उठाये हैं उनके नाम, पद, मासिक वेतन और चिकित्सा व्यय पर माहवारी दी गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर की आबहवा माफिक नहीं होने के कारण उक्त कर्मचारी बीमार होते हैं ? यदि हां, तो उनको अन्यत्र तबादला क्यों नहीं किया जाता है ? यदि नहीं तो लम्बे अर्से तक बीमार रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। बीमारी का कारण स्वयं कर्मचारी का अस्वस्थ होना है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

पंचायत समिति केकड़ी का ट्रैक्टर

533. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या केकड़ी पंचायत समिति में कोई ट्रैक्टर है ? यदि हां, तो यह किस फर्म से किस वर्ष कितने रुपयों में क्रय किया गया है ?

(2) इस ट्रैक्टर पर कृषि विभाग ने कितना ऋण दिया था उसकी कितनी राशि जमा हो चुकी है ?

(3) ट्रैक्टर से आज तक कुल कितनी लाभ-हानि पंचायत समिति को रही ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) ट्रैक्टर खरीदने के पश्चात् इसके लिये क्या क्या सामान खरीदा गया और कब-कब इसकी मरम्मत की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। रु० 26,718·90 पै० में दिनांक 7-10-66 को ट्रैक्टर मैसर्स

(पंचायत मंत्री)

अजमेर डीजल एण्ड ट्रैक्टर्स, उदयपुर से खरीदा गया।

(2) कोई ऋण कृषि विभाग से नहीं दिया गया इसलिये ऋण की राशि वापिस जमा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) मार्च, 1969 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(4) ट्रैक्टर की मरम्मत के लिये जो सामान खरीदा गया उसकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में व्यापारियों से जब्त वैजीटेबिल

534. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चरू जिले में पिछले दिनों कुछ व्यापारियों के यहां से वैजीटेबिल घृत पकड़ कर जब्त किया गया ? यदि हां, तो किस-किस व्यापारियों का कितना-कितना वेजीटेविल घी किस-किस स्थान पर कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा किस नियम के अन्तर्गत पकड़ा गया ?

(2) पकड़ा गया माल कितने समय के बाद किस अधिकारी के आदेश से किस नियम के अन्तर्गत किस मूल्य पर बेचा गया, और बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? रकम क्या राज्य के महकमे में जब्त करली गई अथवा उसमें से पार्टीज को लौटाई गई है ? यदि हां, तो किस-किसको कितनी-कितनी राशि लौटाई गई और किस-किस की कितनी-कितनी राशि बाकी है ?

(3) क्या यह सही है कि वैजीटेबिल घृत कृत्रिम अभाव पैदा कर वेजीटेबल के भाव बढ़ाने की गर्ज से यह सारी कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विस्तृत सूचना की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर का कार्य

535. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये 1968-69 के लिये क्या केन्द्र सरकार द्वारा 350 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस नहर को जैसलमेर की ओर ले जाया जा रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) इस नहर पर लिफ्ट ईरिगेशन के साधन लगा कर किस ओर पानी ले जाने की योजना है ?

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(4) राजस्थान नहर पर कितने मजदूर कार्य पर लग रहे हैं और इनको मजदूरी क्या दी जा रही है ?

(5) इस नहर का कार्य कब तक पूरा होने का सरकार का अनुमान है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 में राजस्थान नहर परियोजना के लिए शुरू में 2.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो कि बाद में भारत सरकार से 3.50 करोड़ अतिरिक्त धनराशि मिलने पर 5.75 करोड़ रुपये हो गया। बाद में राज्य सरकार ने इस धनराशि को बढ़ा कर 6.50 करोड़ कर दिया।

(2) अभी तो कार्य मुख्य नहर पर मील 60 से 110 के बीच चल रहा है। धन की उपलब्धि होने पर आगे कार्य चलेगा। जिसके पूर्ण होने पर जैसलमेर जिले को भी लाभ होगा।

(3) फिलहाल लिफ्ट इरिगेशन से लूणकरनसर, बीकानेर की ओर ही पानी पहुंचाने की योजना हाथ में ली गई है।

(4) राजस्थान नहर पर अनुमानतः 10,000 मजदूर कार्य कर रहे हैं। चूंकि नहर का कार्य ठेके पर दिया जाता है अतः ज्यादातर मजदूर ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए हैं जिनकी मजदूरी मजदूरों द्वारा किए गए काम के मुताबिक नाप कर दी जाती है। उपरोक्त संख्या में 25 प्रतिशत मजदूर विभाग द्वारा भी रखे गए हैं जिनकी मजदूरी Basic Schedule of Rates के अनुसार दी जाती है।

(5) नहर का कार्य दो वर्षों में पूरा होना है। प्रथम चरण वर्ष 1968-69 व द्वितीय चरण वर्ष 1977-78 तक पूरा होने का लक्ष्य था पर निर्माण कार्यों के लिए उचित धनराशि उपलब्ध नहीं होने की वजह से लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो सका। आगे भी कार्य की प्रगति धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

चम्बल लिफ्ट योजना

536. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, सांगोद में प्रस्तावित चम्बल लिफ्ट योजना से किन किन गांवों में कितना कितना रकबा सिंचित किये जाने की योजना है ? अलग अलग गांव की मय रकबे के सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) सरकारी डीजल एंजिनों द्वारा उजाड नदी से किन स्थानों पर कितना कितना रकबा सिंचित किये जाने का प्रावधान है और मौजूदा व्यवस्था के कारण कितना कितना रकबा सिंचित किया जा रहा है ?

(3) अंडर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की सिफारिश से चालू की गई इन्टेसिव लिफ्ट व वैल योजना के तहत किन किन गावों में सिंचाई का प्रावधान, कितनी लागत से किया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि एक ही स्थान पर तीनों योजनाओं का कार्यक्षेत्र, होने व तीनों में आपसी तालमेल नहीं

(श्री जुझारसिंह)

होने के कारण बहुत से गांवो में काश्तकारों को अनावश्यक तौर पर खर्चा करना पड़ सकता है ? यदि हां, तो क्या सबसे सस्ती व अधिक लाभ देने वाली एक ही योजना को ऐसे क्षेत्रों में लागू करने पर सरकार विचार करेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति ?सांगोद में चम्बल लिफ्ट योजना के तहत निम्न ग्रामों में सिंचाई होने का अनुमान है:——

1. गुणावदा, 2. थूनपुरा, 3. भंडीला, 4. ख्यावदा, 5. पालक्या, 6. कराडिया 7. कुन्दनपुर, 8. अडसा, 9. हरीपुरा 10. चरडावदा, 11. मोरपाहड़ी, 12. 13. ढोटी केथोडी,

चूंकि अभी विस्तृत रूप से सर्वे नहीं हो पाई 10 है। अतः इनका सिंचाई 'योग्य क्षेत्र अभी बताना असंभव है।

(2) उजाड नदी पर निम्नलिखित पंम्पिग सेट सरकार द्वारा लगाये गये हैं जिनकी सिंचाई का लक्ष्य व मौजूदा में हो रही सिंचाई उनके सामने अंकित है:—

	लक्ष्य (एकड़ों में)	वास्तविक सिंचाई (एकड़ों में)
1. अतरालिया	310	43
2. कुन्दनपुर	200	49
3. हिंगी	246	30

(3) यह प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(4) तालमेल सभी विभागों का लाभदायक है।

एनीकटों पर व्यय

537. **श्री महेन्द्र कुमार** (पीपलखूंट-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में विगत दो वर्षों में कितने एनीकट बनवाये गये ? उन पर कितना रुपया खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिले के एनीकटों के ठेकेदारों के काम की एम० बी० में एन्ट्री हो जाने पर भी अब तक उनको चुकारा नहीं किया गया है। यदि हां, तो किस किसको और क्यों ? यदि नहीं, तो किस किस ठेकेदार को कितना कितना चुकारा कब कब किया गया ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा विगत दो साल में कोई एनीकट नहीं बनाये गये।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

छापर माईनर की टेल पर पानी

538. **श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा की छापोल माइनर की टेल पर डिफेक्ट आ जाने के कारण आज तक पानी नहीं पहुंच पाया है ?

(2) यदि हां, तो क्या विभाग उस डिफेक्ट को ठीक कर उस माइनर की टेल पर पानी नहीं पहुंचाना चाहता ? यदि हां,

Page No 37

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

तो क्यों ? यदि नहीं तो आज तक उसे ठीक नहीं करने का कारण क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ककरावदा माइनर से पानी

539. **श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में ककरावदा माइनर, जो ककरावदा माइनर से निकली है, इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई नहीं कर सकी ?

(2) क्या यह सही है कि पानी के अभाव में इस नहर पर सैंकड़ों बीघा जमीन में फसलों की क्षति हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस डिफेक्ट को विभाग ने अभी तक ठीक नहीं कराया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग की लापरवाही के कारण आगामी वर्ष में भी फसलों को क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।
(2) जी नहीं ।
(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।
(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अयाना ब्रांच द्वारा पानी की सप्लाई न होने से फसलों को क्षति

540. **श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष चम्बल प्रोजेक्ट की बांई मुख्य नहर की अयाना ब्रान्च में सिल्ट जम जाने के कारण अयाना सब-ब्रांच और लक्ष्मीपुरा सब-ब्रांच की सहायक माइनर्स में पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई नहीं हो सका ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके कारण इस ब्रांच की टेल की प्रत्येक माइनर की टेल पर पानी के अभाव में सैंकड़ो बीघा फसलों की क्षति हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार आगामी वर्ष में भी फसलों की पानी के अभाव में क्षति होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसी आशा नहीं की जा सकती है ।

सूखनी साईफन से सीपेज

541. **श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा क्षेत्र की इटावा ब्रांच में सूखनी साईफन से टेल तक भयंकर रूप से सीपेज होता है ?

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

(2) क्या यह सही है कि इस सीपेज के कारण काफी मात्रामें फसलों को क्षति होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस केनाल के सीपेज के पानी को ड्रेन द्वारा बहुत कम खर्चे में निकाला जा सकता है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस ओर कदम न उठाया जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) इटावा ब्रांच में सूखनी साईफन से टेल तक कहीं कहीं पर मामूली सीपेज होता है ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह सही है कि नहर के सीपेज को सीपेज ड्रेन द्वारा निकाला जा सकता है किन्तु प्रश्न नं० 1 व 2 की स्थिति को देखते हुए फिलहाल उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

राणा प्रताप सागर के विस्थापित कृषक परिवारों को बसाने की योजना

542. **श्री जुझारसिंह**(रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मंडी तहसील के किन किन गांवों में कितनी कितनी भूमि पर राणा प्रताप सागर के कितने विस्थापित कृषक परिवारों को बसाने की योजना है और कितनों को अब तक बसाया जा चुका है ? कृपया गांववार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) विस्थापित कृषकों के लिए ईयर मार्क्ड किये गये ओरिजनल प्रस्तावित रकबे में से क्या कदनपुरिया देवली व दूसरे गांवों में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रकबा कम या ज्यादा किया गया है ? यदि हां, तो किन किन स्थानों पर कितना कितना ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम कदनपुरिया में उन परिवारों के लिये जो सन् 1962 से पूर्व से इस ग्राम की बंजड़ भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे, विस्थापितों की ईयर मार्क्ड भूमि में से भूमि अलग की गई थी यदि हां, तो कितनी और कितने परिवारों के लिये ?

(4) क्या इस जमीन को बंजारों के नाम रजिस्टर्ड कर दिया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील रामगंज मंडी में 34 गांवों की 7571.1 बीघा भूमि पर राणा प्रताप सागर बान्ध के कारण विस्थापित हुए 629 कृषक परिवारों को बसाने की योजना है । सूची संलग्न है । इनमें से 450 विस्थापित परिवारों को बसाया जा चुका है । केवल 179 परिवार बसाने शेष हैं ।

(2) नहीं ।

(3) नहीं ।

(4) नहीं । चूंकि बंजारों का कब्जा काश्त नहीं है अतः इनके नाम रजिस्टर्ड करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

मान सागर से सिंचाई

543. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में अरण्या ग्राम में मान सागर को कब बनाया गया था और इससे कितने बीघे जमीन सिंचित होती है ?

(2) क्या यह सही है कि अरण्या बांध (मान सागर) की नहर अजमेर जिले की सरहद पर जाकर बन्द कर दी जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि यदि इस नहर को आगे बढ़ा दिया जावे तो अजमेर जिले के बोगला ग्राम की कम से कम 500 एकड़ भूमि की पिलाई हो सकती है जो अभी बेकार पड़ी है ?

(4) क्या सरकार इस नहर को बढ़ा कर बोगला ग्राम की जमीन को पिलाई के लिए पानी देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह एक पुराना तालाब है जो क्षीण अवस्था में पड़ा है। जीर्णोद्धार के बाद लगभग 300 एकड़ भूमि में सिंचाई सम्भव है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

कोटा बांध की डूब में आई जमीन और मकान

544. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चंबल सिंचाई योजना के तहत बनाए गए कोटा बांध के कारण कोटा में कितने मकान व जमीन डूब में आ गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यह भी बताव कि यह जमीन मकान किन किन व्यक्तियों के हैं और उनका क्या मुआवजा बनता है व कितना चुका दिया गया है ? बाकी का नहीं चुकाने का क्या कारण है ?

(2) चंबल नहर से की जाने वाली सिंचाई से कोटा के कितने क्षेत्र में "वाटर लोगिंग" व सीपेज के कारण काश्तकारों की जमीन बिगड़ गई हैं और उनका क्या मुआवजा आंका गया है ? कृपया यह भी बतावें कि इस जमीन में से कितने क्षेत्र में कितने बगीचे उक्त कारणों से खराब हुए हैं और उनका औसत नुकसान कितना है ?

(3) सीपेज व वाटर लोगिंग को रोकने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और सरकार द्वारा किए गए उपायों का क्या व्यवहारिक नतीजा सामने आया है ?

उत्तर

(1) कोटा बराज के निर्माण में डूब में आने वाले मकानों व जमीन की सूची सदन की मेज पर रखदी है। 45 व्यक्तियों को मुआवजा चुका दिया गया है। तथा 32 को चुकाना शेष है। मुआवजा नहीं चुकानें

(सिचाई मंत्री)

का कारण यह है कि इस विषय में अवाप्ति कार्यवाही अभी शेष है तथा कुछ मामलों में मिल्यियत आदि के प्रश्न अभी तय नहीं हो पाये हैं।

(2) सीपेज व वाटर लोगिंग द्वारा कोटा क्षेत्र में बिगड़ने वाली बगीचों की विस्तृत सूची साथ में संलग्न है। सीपेज से कास्तकारों की 53 बीघा 12 बिस्वा भूमि खराब हुई है जिसमें से 26 बीघा 12 बिस्वा भूमि 11484) का अप्रेल, 1969 तक मुआवजा चुका दिया गया है। बाकी भूमि के किसान मुआवजा लेना नहीं चाहते और स्वयं भूमि को ठीक करना चाहते हैं।

(3) सीपेज व वाटर लोगिंग की समस्या में सुधार करने के लिये एक कम्प्रीहेन्सिव योजना पूरे चम्बल क्षेत्र के लिये तैयार की गई है जिसकी कि लागत लगभग 9.46 करोड़ रुपया है। अब तक लगभग 13000 एकड़ क्षतिग्रस्त क्षेत्र में जलोत्सारण योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। और जून, 69 तक लगभग 43.01 लाख रुपया खर्च हो चुके हैं। सरकार द्वारा अब तक किये गये उपयोगों के परिणाम-स्वरूप क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में क्रमशः सुधार होता जा रहा है तथा लगभग सारे ही खेतों में अच्छी फसल होने लगी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल राहत कार्यों के लिए स्कूटरों का आवंटन

545. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में रिलीफ के कामों के लिए स्कूटर बांटे गए हैं ? यदि हां, तो कितने और इन स्कूटरों का आवंटन किनको किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं। जिन्हें इस तिमाही में स्कूटर्स आवंटन किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रानीवाड़ा-रेवधर मार्ग पर चलने वाली बसों का मोडल

546. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर०जे० एन० 145 नं० की गाड़ी को रानीवाड़ा से रेवधर व धानोल तक का परमिट दिया गया है ? यदि हां तो क्या यह गाड़ी धानोल तक जाती है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं व इस रूट पर किन गाड़ियों को परमिट दिये हैं और इस रूट पर किस मोडल की गाड़ियां चलनी चाहिये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस रूट पर जिस मोडल की गाड़ियां चलनी चाहिये वह नहीं हैं और बहुत पुराने मोडल की गाड़ियें चलती हैं जिसके कारण समय पर सवारियों को नहीं पहुंचाया जाता है;

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इसके बाबत शिकायतें भी आई हैं ? यदि हां, तो इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह गाड़ी धानौल तक नहीं जाती है क्योंकि इसको सवारियें उपलब्ध नहीं होती हैं।

इस रूट पर दो वाहन आरजेएन 280 एवं आरजेएन 145 को परमिट दिये हुये हैं। चूंकि यह 'सी' क्लास रूट है अतः इस मार्ग पर मोडल कन्डीशन की पाबन्दी नहीं है।

(2) जी। यह सत्य नहीं है।

भीनमाल-भंडार चलने वाली गाड़ी का परमिट

547. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले में भीनमाल से भंडार चलने वाली डोज गाड़ी का परमिट सस्पेन्ड किया हुआ है ? यदि हां, तो कबसे व इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि परमिट सस्पेन्ड होते हुये भी मोटर मालिक अपनी गाड़ी चला कर किराया वसूल करता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं व उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब परमिट ही सस्पेन्ड नहीं है तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं

548. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत जो जो संस्थायें, मंदिर, धर्मस्थान एवं अन्य विभिन्न संस्थान पंजीकृत हुए हैं उनकी सूची प्रत्येक के जिलेवार उनके प्रत्येक के नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन संस्थाओं का नियमानुसार पंजीयन होना चाहिए उनको नोटिस देने की कार्यवाही यदि सरकार द्वारा की गई है तो उनकी सूची प्रत्येक के जिलेवार उनके प्रत्येक के नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? नोटिस देने की कार्यवाही का क्या फल निकला ?

(स्थगित किया गया)

जिला बूंदी के मंदिरों पर व्यय

549. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(i) जिला बूंदी के देवस्थान इन्सपेक्टर के पास ऐसे कौन कौनसे मंदिर हैं जिन पर देवस्थान विभाग के बजट के अन्तर्गत खर्चा किया जाता है ?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(2) इन मंदिरों का सन् 46-47 से 1967-68 तक सालाना बजट क्या था और उसमें से प्रति वर्ष कितना खर्च हुआ और कितनी बचत ?

(3) क्या गढ़ में श्री रंगनाथजी के मंदिर में 46-47 में चारों वेदों का पाठ होता था ?

(4) क्या यह सत्य है कि पंडितों को वेतन तो अब तक मिलता रहा है पर पाठ करें या न करें इस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है ?

(5) क्या बूंदी राज्य के राजस्थान के विलय के समय श्री रंगनाथजी, गोपाललालजी व केशोरायजी पाटन के मंदिरों का खर्चा 34,553/- रु० का था ? इसके बाद में हर सालइन मंदिरों का क्या बजट रहा है ?

(6) जिन मंदिरों को जो रकम सन् 1947 में दी जा रही थी वही आज भी दी जा रही है, क्या मंहगाई को देखते हुए सरकार उसमें वृद्धि करना न्याययुक्त नहीं समझती ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) मानचित्र संलग्न है ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं । अब न तो पाठ ही होता है और न चुकारा ही किया जाता है। अतः नियंत्रण का प्रश्न नहीं उठता ।

(5) जी नहीं, 33,799) रु० का बजट था । इसके बाद क्या बजट रहा मानचित्र संलग्न है ।

(6) वित्तीय स्थिति को देख कर आवश्यकतानुसार कमी बेशी होती रहती है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के अन्तर्गत मेटर्निटी बेनिफिट्स

550. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राजस्थान शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 के अन्तर्गत मेटर्निटी बेनिफिट्स की सुविधा राजस्थान में सभी संस्थानों में दी जा रही है ? यदि नहीं, तो किन संस्थानों को नहीं दी जा रही है व किन कारणों से ?

उत्तर

जी हां, केवल जीवन बीमा निगम को छोड़ कर ।

जीवन बीमा निगम की महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में कि क्या वर्तमान नियम सुविधायें अतिरिक्त लाभ देय हैं या नहीं, विचाराधीन हैं ।

मलेरिया विभाग, अलवर के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

551. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सतर्कता आयोग ने मेडिकल ऑफिसर इन्चार्ज, मलेरिया विभाग, अलवर, श्री रूपनारायण शुक्ला के विरुद्ध भ्रष्टाचार

(श्री गंगासहाय) :

सम्बन्धी मामले में एक केस 1965 में रजिस्टर किया था, जिसकी जांच भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग द्वारा की गई जिसमें श्री शुक्ला के द्वारा 600) रु० फर्जी रसीद देकर मकान किराये की भुगतान का मामला सिद्ध हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हीं श्री शुक्ला के मकान की भी उक्त विभाग द्वारा इसलिये तलाशी ली गई जिसमें काफी सामान सरकारी इनके घर से बरामद हुआ था ? इस जांच रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सन् 1965 में ही जब इनका स्थानान्तरण मलेरिया विभाग से अन्यत्र किया गया था, शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा फाइल पर यह टिप्पणी लिखी थी कि यह अधिकारी (श्री शुक्ला) प्रशासनिक कार्यों को सम्भालने के योग्य नहीं हैं अतः भविष्य में इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य का पद न दिया जावे ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध गवाही देने के कारण श्री श्यामलाल जायसवाल, एस० एफ० डब्लू०, मलेरिया यूनिट, अलवर को बिना किसी कारण नोटिस देकर राज्य सेवा से पृथक् कर दिया गया जिसकी सुनवाई आज तक भी उच्च अधिकारियों ने नहीं की है ?

(5) क्या यह भी सही है कि शिकायत-कर्त्ता श्री भीमसिंह हांडा व महावीर प्रस. गुप्ता का स्थानान्तर कर दिया गया ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त भ्रष्ट अधिकारी (श्री आर० एन० शुक्ला) को दंडित करने के बजाय सरकार ने पदोन्नत करके जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर बना दिया जबकि इनकी योग्यता इस पद के लिये पर्याप्त नहीं थी अर्थात् इस पद के लिये सीनियर सर्जन होना आवश्यक है जिसमें श्री शुक्ला तो केवल एल० एम० पी० ही हैं ?

(7) क्या यह भी सही है कि पुनः राजस्थान सतर्कता आयोग ने एक नया केस भ्रष्टाचार सम्बन्धी उक्त श्री रूपनारायण शुक्ला के विरुद्ध दर्ज किया है जिसकी जांच डिप्टी एस० पी० (ए०सी०डी०) द्वारा दिनांक 3-5-68 से 4-6-68 तक की गई ?

(8) क्या यह भी सही है कि डी०एफ० पी० ओ०, डॉ० शुक्ला ने गवाहों (अधीनस्थ स्टाफ) को लिखित आदेश देकर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से रोक दिया तथा डिप्टी एस०पी० (ए० सी० डी०) को भी लिखित में दिया कि स्टाफ को जांच में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता ?

(9) क्या यह भी सही है कि डिप्टी एस० पी० ने भी लिखित में पेश किया कि जब तक श्री शुक्ला डी० एफ० पी० ओ० के पद पर हैं तब तक स्टाफ गवाही देने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि जिन कर्मचारियों ने अब तक इनके विरुद्ध गवाही दी है सभी को यातनाएं दी जा रही हैं ?

(10) क्या यह भी सही है कि भू० प० स्वास्थ्य मंत्री. श्री दामोदर लाल व्यास ने इन्हीं श्री शुक्ला को निलंबित करने के आदेश दिये थ जिनकी आज तक पालना नहीं की गई ?

(श्री गंगासहाय)

(11) क्या यह भी सही है कि उप-शासन सचिव, परिवार नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 15-7-68 को इन्हीं श्री शुक्ला को पदोन्नत किया गया तथा तुरन्त अपना चार्ज देने के आदेश दिये गये? क्या उन आदेशों की पालना आज तक हुई है?

(12) क्या यह भी सही है कि जांच के प्रार्थना-पत्र में 9 आरोप लगाये गये हैं जिनमें से दो की जांच आरम्भ हुई जिसमें निम्न बातें प्रमाणित हुई:-

(1) (क) पी० एच० सी०, किशनगढ़ बास में लूप व नसबन्दी प्रोत्साहन धनराशि की 12 रसीदों की जांच की गई जो सभी फर्जी पाई गई।

(ख) पी० एस सी०, तिजारा में भी इस तरह की 13 रसीदों की जांच हुई जो फर्जी पाई गई।

(2) (क) फर्म टार्जेट रेडियो सेन्टर से 2,629) रुपये का सामान खरीदा गया जिसमें 325) रुपये डॉ० शुक्ला को बतौर कमीशन दिये गये।

(ख) श्री शुक्ला के मकान की तलाशी ली गई जिसमें काफी मात्रा में सरकारी सामान बरामद हुआ। इनके स्टोर में करीबन दस हजार रुपये का माल कम मिला।

(ग) सामान की खरीद के सम्बन्ध में एक कमीशन के हिसाब का पर्चा जो इनके (श्री शुक्ला) व लेखालिपिक के हस्तलिखित है जिसमें 260) रुपये फर्म से लेना जाहिर है डिप्टी एस० पी० द्वारा पकड़ा गया?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। फर्जी रसीद देकर मकान किराये का भुगतान का मामला अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में सतर्कता आयोग से पत्र व्यवहार जारी है।

(2) जी हां। डॉ० शुक्ला के तार व पत्र दिनांक 8-5-68 से इस विभाग को यह जानकारी मिली थी कि भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग द्वारा दिनांक 4-5-68 व 5-5-68 को उनके कार्यालय व मकान की तलाशी ली गई थी। क्या 2 सरकारी सामान उनके घर से बरामद हुआ इसकी सूचना भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग से प्राप्त नहीं हुई है उनके लिखे अनुसार इस सम्बन्ध में तफतीश जारी है। जी नहीं। ऐसी टिप्पणी अंकित नहीं की गई।

(3) जी नहीं। श्री श्यामलाल जायसवाल, मलेरिया सर्वेलेन्स वर्कर को, उनका कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय उन्मूलन योजना इकाई, अलवर के कार्यालय आदेश संख्या 2660, दिनांक 6-7-65 द्वारा एक माह का नोटिस देकर राज्य सेवा से पृथक् किया गया था तथा उनको राज्य सेवा से पृथक् किया जाना नियमानुसार था।

(4) जी हां। श्री भीमसिंह हांडा, सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर, एन० एम० ई० पी० यूनिट, अलवर का स्थानान्तरण, सचिव, राजस्थान सतर्कता आयोग, जयपुर के अ० शा० पत्रांक एफ 8 (4) आर० वी०/सी०/65, दिनांक 12-11-68 तथा अतिरिक्त इन्सपेक्टर जनरल, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पत्रांक 11786, दिनांक 27-10-65 के द्वारा चाहा जाने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(स्वास्थ्य मंत्री)

निदेशालय के आदेश संख्या 3436, दिनांक 29-11-65 के द्वारा किया गया था। श्री महावीर प्रसाद गुप्ता, मलेरिया निरीक्षक, एन० एम० ई० पी० यूनिट, अलवर का स्थानान्तरण उनके कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के आदेश संख्या ई० 32/एच० वी० एम०आई० 2289, दिनांक 26-8-65 द्वारा किया गया था। परन्तु इन दोनों के स्थानान्तरण शुक्ला के खिलाफ शिकायत करने के कारण नहीं किये गये।

(5) जिला परिवार नियोजन अधिकारी के पद के लिये सीनियर सर्जन होना आवश्यक नहीं है इस पद के लिये एल० एम० पी० की योग्यता भी वैध है। अतः इनकी पदोन्नति भी तदर्थ रूप से की गई थी यदि दोषी साबित होंगे तो इनको उचित दण्ड भी दिया जावेगा।

(6) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर इस सम्बन्ध में एक मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) (2) के अन्तर्गत दिनांक 9-5-68 को दर्ज किया गया है जिसकी तफतीश उक्त विभाग द्वारा जारी है।

(8) भ्रष्टाचार निरोधक की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा मालूम हुआ है कि अनुसन्धान-कर्त्ता अधिकारी ने जब डॉ० शुक्ला के अधीनस्थ कर्मचारियों के बयान कलमबन्द करने चाहे तो डा० शुक्ला ने उन गवाहों को बिना संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति प्राप्त किये बयान देने के लिये मना किया।

(9) जी हां। डिप्टी एस० पी०, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने राजस्थान सतर्कता आयोग को डॉ० शुक्ला के स्थानान्तर करने हेतु निवेदन किया बताया। किन कर्मचारियों ने डॉ० शुक्ला के विरुद्ध गवाही दी है और किनको उक्त अधिकारी द्वारा क्या यातनायें दी गयीं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(10) भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री दामोदरलालजी व्यास द्वारा डॉ० शुक्ला को निलम्बित करने के कोई आदेश नहीं दिये गये थे अतः पालना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(11) जी हां। इन्हें पदावनत किया गया था। आदेशों की पालना अब हो चुकी है।

(12) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद में कई आरोप हैं जिनमें से कुछ की जांच हो चुकी है तथा शेष की जांच की जा रही हैं। जब तक सभी आरोपों की जांच पूर्ण न हो जाये तब तक आरोपों के प्रमाणित हो चुकने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, कापरेन

552. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कापरेन में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनने के बाद यहां पर किस किस की नई नियुक्ति की गई और किस पद पर ?

(2) क्या यह सत्य है कि कम्पाउन्डर श्री गजानन्द शुक्ला का स्थानान्तरण कर

(श्री केशरीसिंह हाडा)
दिया गया है ? यदि हां, तो इसके आदेश कब दिये गये थे ?

(3) क्या इसकी नियुक्ति पुनः यहीं पर कर दी गई है ? यदि हां, तो किस पद पर ? पुनः नियुक्ति के आदेश किस के द्वारा दिय गये और स्थानान्तरण और पुनर्नियुक्ति के आदेशों में कितना समय का अन्तर है ?

(4) क्या यह सत्य है कि पुनःनियुक्ति पर श्री शुक्ला को जूनियर कम्पाउन्डर की हैसियत से रखा गया ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि जूनियर होने के नाते इसने उस स्थान पर कार्य नहीं किया और वह अवकाश पर है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(6) कापरेन पी०एच०सी० की इमारत अब तक क्यों नहीं बनी और ग्रामवासियों की रकम कितनी है और किस किस के पास जमा है ?

(7) सालाना दवाइयों का कितना बजट है और कितनी आती हैं ?

(8) पी०एच०सी० बनने के बाद मरीजों की वार्षिक संख्या क्या रही ? जिसमें इनडोर मरीज कितने रहे और आउटडोर कितने ? पहले के अनुपात से मरीजों की संख्या बढी है या गिरी है ?

(9) क्या सरकार पी० एच०सी० की इमारत को नहीं बनाना चाहती? ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(6) धनाभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। ग्रामवासियों की रकम का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

दिनांक	कार्यालय जिसमें रकम जमा है	धनराशि
17-264	जिला परिषद् बूंदी	2,000/-
13-3-64	,, ,,	505/-
31-3-64	,, ,,	1,995/-
26-2-65	विकास अधिकारी	1,000/-
8-2-65	,, ,,	200/-
31-3-65	कोऑपरेटिव बैंक, बूंदी	4,300/-
	कुल योग	10,000/-

(7) सन् 1968-69 में दवाइयों के मद में रुपये 1,400/- की धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे विपरीत रुपये 2,717 की दवाइयां दी गई हैं। सन् 1969-70 में दवाइयों के मद में रु० 1,400/- की धन राशि स्वीकृत की गई एवं अब तक पांच माह में 1,488/- रुपयों की दवाइयां दी जा चुकी हैं ।

Page No 47

(स्वास्थ्य मंत्री)

(8) पी० एच० सी० बनने के बाद 1968 में आउटडोर मरीजों की वार्षिक संख्या 24,643 थी इससे पूर्व आउटडोर मरीजों की संख्या 5,000 थी। भवन के अभाव में कोई इन्डोर मरीज नहीं रखा गया है।

(9) धनाभाव के कारण प्रा० स्वा० केन्द्र की इमारत का निर्माण नहीं हो सका है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बाड़मेर में जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य

553. श्री बृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर सीमावर्ती बाड़मेर जिले का हैडक्वार्टर है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगर में जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय नहीं है?

(3) क्या चिकित्सा विभाग बाड़मेर जिले की जनता की इस आवश्यक मांग को वाजिब समझता है कि इस विस्तृत क्षेत्र में तुरन्त ही उक्त कार्यालय की स्थापना की जाय?

(4) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक आवश्यक कार्यवाही की जायगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, परन्तु बाड़मेर व जालोर जिलों के लिये एक ही जिला चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत है, जिसका मुख्यालय जालोर में है।

(3) जी हां।

(4) नई योजना सरकार के विचाराधीन है।

लाडनूं अस्पताल में दानदाता द्वारा वार्ड बनवाने का प्रस्ताव

554. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सेठ गनपत राय सरावगी सरकारी अस्पताल, लाडनूं में 23 शय्या का एक वार्ड बनाकर देने का प्रस्ताव दानदाता द्वारा सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अत्यन्त आवश्यक बताया था और सरकार को इस दान को स्वीकार करने के लिए अपनी रिपोर्ट भेजी थी? यदि हां, तो इस दान को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है?

(3) स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए इस अस्पताल में और क्या सुधार किये जायेंगे?

(4) उपरोक्त दान कब तक स्वीकार किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्ताव दिनांक 14-6-68 को भेजा गया था तथा राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

(3) स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए लाडनूं में वर्तमान चिकित्सा सुविधायें पर्याप्त हैं। परन्तु अन्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना संभव हो सकता है।

(4) मामला सरकार के विचाराधीन है।

अस्पतालों में एक्सरे मशीन

555. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एक्सरे मशीनें किन किन अस्पतालों में हैं और कितनी कितनी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल की समस्त मशीनें इस वर्ष के प्रारम्भ में करीब 3-4 महीनों तक खराब पड़ी रहीं?

(3) इस अस्पताल में बीकानेर कॉलेज अस्पताल में व जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में नवम्बर, 1967 से फरवरी, 1968 व नवम्बर, 1968 से फरवरी, 1969 तक कितने एक्सरे लिये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऐसी मशीनों (इलेक्ट्रोमैगनेटिक मशीन) की मरम्मत के लिये राजस्थान में कोई साधन हैं?

(5) क्या यह सही है कि ऐसे इलेक्ट्रोमैगनेटिक इन्सट्रूमेन्ट जैसे एक्सरे मशीन, डाइथर्मी इलेक्ट्रिक-शा० इ० जी० इत्यादि सामान इस प्रदेश के अस्पतालों में करोड़ों रुपये के मूल्य का है?

(6) क्या सरकार इनकी मरम्मत के लिये राजस्थान में एक कारखाना खोलने का विचार रखती है जिससे कि इनकी मरम्मत समय पर तुरन्त हो सके?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मांडलगढ़ क्षेत्र की डिस्पेन्सरीज में डॉक्टरों की नियुक्ति

556. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मांडलगढ़ क्षेत्र में कितनी एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज कहां कहां पर हैं?

Page No 49

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(2) कितनी डिस्पेन्सरीज में डॉक्टर नहीं हैं?

(3) जिन जिन डिस्पेन्सरीज में डॉक्टर नहीं हैं उनमें कब तक डॉक्टर पहुंचने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) मांडलगढ़ क्षेत्र में 3 ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरीज हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

1. मांडलगढ़ ।
2. बीजोलिया।
3. बीगोद।

(2) केवल बीगोद डिस्पेन्सरी में डॉक्टर नहीं है।

(3) ज्योंही डॉक्टर उपलब्ध होगा प्राथमिकता के अनुसार लगा दिया जावेगा।

बिजोलिया डिस्पेन्सरी

557. **श्री मनोरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बिजोलिया कस्बे में कितने वर्षों से एलोपथिक डिस्पेन्सरी चल रही है?

(2) इस डिस्पेन्सरी में रोगियों के लिए पहले कितने पलंग स्वीकृत थे और अब कितने बढ़ाये गये ह?

उत्तर

(1) बिज़ोलिया कस्बे में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी (दिनांक 14-11-1946) पिछले 23 वर्षों से ही चल रही हैं?

(2) इस डिस्पेन्सरी में रोगी स्वीकृत शय्या दो हैं जो डिस्पेन्सरी खुलने के समय से ही चली आ रही है तथा अब तक शैय्याओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

ऑक्जीलरी हैल्थ सेन्टर, जयपर के छात्रों की कॉशन मनी

558. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ऑक्जीलरी हैल्थ सेन्टर, जयपुर में, 1965 से लेकर आज तक कितने छात्रों द्वारा और कब कब कॉशन मनी जमा कराई गई? क्या उक्त कॉशन मनी में से वापसी के समय कोई कटौती की गई ? यदि हां, तो उसकी वापसी का विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि निदेशक ने कभी जांच की ? यदि हां, तो कब व क्या उक्त काशन मनी नियमानुसार वापिस नहीं की पाई गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सन् 1965 से अगस्त, 1968 तक किसी भी प्रशिक्षणार्थी द्वारा कॉशन मनी जमा कराने के आदेश नहीं थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रतनगढ़ अस्पताल में रात्रि को डाक्टर की ड्यूटी

559. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या रतनगढ के दोनों होस्पिटल में रात्रि में कोई डाॅक्टर की ड्यूटी रहती हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सामूहिक चिकित्सालय रतनगढ में 24 घन्टे के लिये डाॅक्टर अस्पताल की परिधि में उपस्थित रहता है।

टी० बी० चिकित्सा केन्द्र के कर्मचारियों का रिस्क अलाउन्स

560. **श्री लाभ चन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सच है कि रतनगढ टी० बी० चिकित्सा केन्द्र के कर्मचारियों का रिस्क अलाउन्स बन्द कर दिया गया है? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 2 (बी) (20) एफडी/ईआर 66 दिनांक 9-3-66 के द्वारा सभी टी० बी० क्लीनिक में कार्य करने वाले कर्मचारियों का रिस्क अलाउन्स बंद कर दिया गया था किन्तु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 2 (बी) (28) एफ डी/ई-आर/69 दिनांक 23-7-69 के द्वारा पुनः समस्त टी० बी० क्लीनिक्स में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यह भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

561. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने के क्या आधार हैं?

(2) एक पंचायत समिति में कितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर होने चाहिये?

(3) केकड़ी पंचायत समिति में कितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं?

(4) क्या यह सही है कि केकड़ी पंचायत समिति की जुनियों, देवगांव, प्रान्हेडा, पिपलाज और अन्य कई ग्राम पंचायतों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने के प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, प्रान्हेडा में तत्कालीन व वर्तमान चिकित्सा मंत्री ने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने की घोषणा की थी? अगर हां, तो अब तक नहीं खोलने का क्या कारण है?

(6) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का देवगांव आखिर ग्राम है, वहां की जनसंख्या लगभग 3 हजार के है और वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर होना अनिवार्य है?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत समिति द्वारा चयन प्रस्ताव के आधार पर निर्णीत स्थान पर खोला जाता है।

(2) नियमानुसार एक पंचायत

(चिकित्सा मंत्री)

समिति क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है।

(3) केकड़ी पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम कादेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ह ?

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां। परन्तु ग्राम पंचायत, प्रान्हेडा की जनता ने उन शर्तों को पूरी नहीं की और कादेड़ा की जनता ने उन शर्तों को पूरी करदी। कादेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(6) जी हां । देवगांव में प्राथमिक केन्द्र, कादेड़ा का उपकेन्द्र है । फिलहाल इस उप-केन्द्र को प्रा० स्वा० केन्द्र बनाने का कोई विचार नहीं है ।

मेडिकल ऑफिसर्स का स्थानान्तरण

562. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मेडिकल ऑफिसर्स का स्थानान्तरण करने का समय निर्धारित है? अगर हां, तो कितने समय पश्चात् किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि कोई मेडिकल ऑफिसर जब अपना स्थानान्तरण करवाना चाहता है तो उसे कह दिया जाता है कि दो साल पहले स्थानान्तरण नहीं किया जाता?

(3) क्या यह सही है कि किसी मेडिकल ऑफिसर का दो माह में स्थानान्तरण कर दिया जाता है ?

(4) यदि हां, तो इस प्रकार उक्त स्थानान्तरण किस दृष्टि से किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां । मेडिकल ऑफिसर का स्थानान्तरण सामान्यतः दो वर्ष बाद ही किया जाता है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) प्रशासनिक कारणों से जिसके लिये निदेशक द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करली जाती है ।

किशनगंज तहसील के ग्रामों में कृषि कार्य के लिये दी गई भूमि

563. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम गोगची गीवपटा के निकट की वन विभाग की भूमि को अनुसूचित जाति के चमार आदि को कृषि कार्य के लिये दी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितने बीघा भूमि दी ? कितने परिवारों को दी ? सूची संदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चमारों के नाम से कोई सहकारी समिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस समय उसके किस किस जाति के कौन कौन सदस्य और पदाधिकारी थे और अब कौन कौन सदस्य व पदाधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर पेड़ खड़े थे ? यदि हां, तो उन पेड़ों की कटाई किसने की और उससे कितनी आय हुई ?

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1963 में 689 बीघा 15 बिस्वा वन विभाग की भूमि राजस्व विभाग को स्थानान्तर की गई थी। भूमि के आवंटन सम्बन्धी सूचना का संबंध राजस्व विभाग से है।

(2) भाग (1) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न का संबंध राजस्व विभाग से है।

(3) जी हां, उन पेड़ों की कटाई राजस्व विभाग के जरिये से ग्राम सेवा सहकारी समिति, गीवटा ने 1963-64 में की जिससे 3,500/- की आय हुई।

बंबूल व खेजड़े की राड़ियां

564. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा व झालावाड़ जिलों में बंबूल व खेजड़े की कितनी राड़ियां किन किन स्थानों पर हैं और उनका रकबा कितना कितना है?

(2) अलग अलग स्थानों की राड़ियों पर वन विभाग द्वारा सालाना कितना खर्चा किया जाता है और राड़ियों की लकड़ियों से कितनी आमदनी हो जाती है?

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग की राड़ियां अब करीब करीब कट चुकी हैं? यदि हां, तो इन्हें पुनर्जीवित करने व लोगों के लिये उपयोगी बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिये गये हैं?

उत्तर

(1) 16 राड़ियां निम्नानुसार हैं:—

जिला	रेन्ज	राडी का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
कोटा	लाडपुरा	1. देवड़ी	97
		2. घघटाना	147
		3. मदाना	80
	मोडक	4. मायला कदयला	61
	कनवास	5. मोई खुर्द	480
		6. खन्ड गांव	628
		7. गाडरवाड़ा	80
		8. मंडीता	60
		9. राजगढ़	130
	इन्द्रगढ़	10. बूढ़ादीत	487
		11. धनवा	632
	छीपाबड़ोद	12. फूलबड़ौद	422
	किशनगंज	13. सीरसन	640
	खानपुर	14. कमोलर	126.48
		15. खड़िया	168.46
झालावाड़		16. जरगा	452.62

(2) (क) **व्यय**:—इन राड़ियों पर विभाग द्वारा कोई अलग से वार्षिक व्यय नहीं किया जाता। जो स्टाफ इस पूरे वन क्षेत्र पर तनात है वे इन राड़ियों की भी निगरानी रखते हैं। केवल कोटा जिला की वन खण्ड राड़ी में कुछ क्षेत्र में पौधारोपण 1964-65 में 11,891 रु० व्यय किया गया था जिसकी सुरक्षा एवं संधारण पर अब तक 2,896) रु० व्यय हुए हैं।

(वन मंत्री)

(ख) कोटा जिले की खंडगांव राड़ी के नाकारा वृक्षों को 1964-65 तथा 1966-67 में बेचा गया था जिससे 12,001) रु० तथा 15,005) रु० क्रमशः आय हुई। अन्य राड़ियों से लकड़ी की विशेष आय नहीं होती। छीपा-बड़ौद एवं किशनगंज की 2 राड़ियों से पातड़ा बंबूल एवं घास की औसतन 262) रु० वार्षिक, खानपुर की रेन्ज की दोनों राड़ियों से 3,207) रु० औसतन वार्षिक तथा झालावाड़ जिले की जरगा राड़ी से औसतन 1,388) रु० आय होती हैं।

(3) जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठता राड़ियों में आवश्यकता होने पर बेकार व पुराने वृक्षों के स्थान पर नए वन लगाये जाते हैं ताकि राड़ियों की उपयोगिता बनी रहे।

शूटिंग ब्लॉक का रिजर्वेशन

565. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के अधीन शूटिंग रूल्स के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फीस जमा कराने के बाद एक ब्लॉक को तीन वर्ष के लिये रिजर्व करा सकता है? यदि नहीं, तो कितनी अवधि तक के लिये रिजर्व करा सकता है?

(2) क्या यह सत्य है कि ब्लॉकों सपोटरा, रेन्ज सपोटरा, डी० एफ० ओ०, भरतपुर के अधीन आता है जिसको किसी ने तीन वर्षों के लिये रिजर्व करवा रखा है? यदि हां, तो कब से और किसके नाम से रिजर्व है?

(3) उक्त रिजर्वेशन के बाद उस ब्लॉक में आज दिन तक क्या क्या शिकार हो चुका है और कितना कितना?

(4) क्या यह सत्य है कि शिकार नियमानुसार ब्लॉक सिर्फ एक ही वर्ष के लिये रिजर्व हो सकता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पन्द्रह दिन अथवा एक वर्ष के लिये।

(2) जी हां, ब्लॉक सपोटरा मंडल वन अधिकारी, भरतपुर के अधीन आता है। किन्तु इसे किसी ने तीन वर्ष के लिये रिजर्व नहीं करवा रखा है अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न पदा नहीं होता है।

(4) किसी व्यक्ति के लिए शिकार हेतु शूटिंग ब्लॉक नियमानुसार 15 दिन या एक वर्ष के लिए रिजर्व करने का प्रावधान है। साथ ही विदेशी पर्यटकों को आमंत्रित करने वाली शिकार एजेन्सी को तीन वर्ष के लिए कोई शूटिंग ब्लॉक एक वन मंडल में रिजर्व कराया जा सकता है।

अलवर में सामान की खरीद में हुआ भ्रष्टाचार

566. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि विधान सभा के गत सत्र में दि० 19-3-69 को प्रश्न सं० 385 (136/शि० मं०) का उत्तर देते समय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग, अलवर में सामान की खरीद में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में यह कहा था कि "शिकायत पर संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जांच करवाई गई" जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, वह सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है फिर भी क्योंकि इस पर निदेशक जी ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, इसलिये शिकायत की गम्भीरता को देखते हुये यह निश्चय किया गया कि निदेशकजी निश्चित रिपोर्ट भिजवायें कि क्या परचेज कमेटी ने किसी प्रकार वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया है तथा दुबारा टेन्डर प्राप्त किये जाने से विभाग को कितनी क्षति हुई, उनका उत्तर अपेक्षित है।

सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ के छात्रों को छात्रवृति

567. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में जो छात्र पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति राज्य सरकार की ओर से दी जाती है? यदि हां, तो किस किस को व कितनी कितनी? छात्रवृत्ति सन् 1962-63 से लगाकर सन् 1966-67 तक व 1968-69 में क्या प्रावधान रखा गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि छात्रों को चाय व स्पेशल डाइट के लिये कन्ट्रोल की शक्कर भी दी जाती है? यदि हां, तो कितनी बोरी शक्कर माहवार का प्रावधान है व कितनी शक्कर माहवार की दी जाती है?

(3) क्या यह सही है कि जो शक्कर दी जाती है वह छात्रों व स्टॉफ की संख्या के आधार पर दी जाती है? यदि हां, तो कितने छात्र हैं और कितने स्टॉफ के सदस्य हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि सैनिक स्कूल का भवन आदि बनाने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है? यदि हां, तो क्या भवन पर्याप्त बन चुका है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 67 छात्रवृत्तियां मंजूर करती है उनमें से 25 को पूरी, 15 को तीन बटा चार 1 को आधी व 13 को चौथाई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं सन् 1961 से 1969 तक इस स्कूल में छात्रों को जो छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है उसकी तालिका संलग्न है।

(2) स्कूल को चार बोरी शक्कर प्रति माह दी जाती है।

(3) जी हां। छात्रों व स्टॉफ की संख्या क्रमशः 442 व 32 है।

(4) जी हां। जी नहीं। 67-68 व 68-69 में भवन निर्माण की प्रगति में धनाभाव के कारण कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़

568. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में आर्ट फैकल्टी, साइन्स फैकल्टी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र के अलावा अन्य कोई फकल्टी है ? यदि हां, तो क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि महाविद्यालय में कॉमर्स विषय नहीं है ? यदि हां, तो यह विषय नहीं खोलने का क्या कारण रहा है ? क्या सरकार इस विषय को खोलने का इरादा रखती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कामर्स विषय है ? क्या यह भी सही है कि फिर उन्हें आगे विद्या प्राप्त करने के लिये भीलवाड़ा या उदयपुर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो फिर चित्तौडगढ़ में ही यह विषय क्यों नहीं खोला जाता है ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ़ में कला व विज्ञान के अलावा अन्य फैकल्टी नहीं है।

(2) जी हां। इसके नजदीक भीलवाड़ा जो करीब 34 माइल है तथा उदयपुर जो करीब 70 मील है में कॉमर्स में स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन तक की सुविधा है।

(3) जी हां । धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं हैं।

राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति

569. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में कितने कितने राजपत्रित अधिकारी हैं ?

(2) इन अधिकारियों की नियुक्ति कब, किस प्रक्रिया से और किस वेतन श्रृंखला में कितने कितने समय के बाद हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के संचालक, श्री सत्य प्रकाश ने राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति में अधिकांश रूप में कायस्थों को रक्खा है ? यदि नहीं, तो कृपया बतायें कि इन राजपत्रित अधिकारियों की जाति क्या है ?

उत्तर

(1) कुल 19 राजपत्रित अधिकारी हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं। इन अधिकारियों की जाति भी प्रश्न भाग 2 के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

महिला प्रौढ़ शिक्षा संस्थाएं

570. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस किस जिले के किस किस स्थान पर राजकीय महिला प्रौढ़ शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं और उन स्कूलों

Page No 56

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

से अब तक कितनी महिलाओं को प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन महिलाओं ने परीक्षा पास की है उन्हें पंचायत समिति क्षेत्र की या निरीक्षक, शिक्षा विभाग के अधीन चलने वाली प्राथमिक शालाओं में नौकरी के लिये इंटरव्यू में जाने के बाद भी उनको नौकरी में नहीं लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो अब तक कितनी महिलाओं को नौकरी में लिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि प्रौढ़ शिक्षण संस्था की निरीक्षिका महोदया द्वारा या उप-संचालिका द्वारा ऐसा आदेश जारी किया हुआ है कि प्रौढ़ शिक्षा पास महिलाओं को नौकरी दी जानी चाहिए?

(4) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) राजकीय महिला प्रौढ़ संस्थाएं (कन्डेन्स कोर्स) वर्तमान में निम्न तीन स्थानों पर चल रही हैं।

1. राजकीय महिला प्रौढ़ शाला, नीम का थाना (सीकर)।

2 राजकीय महिला प्रौढ़ शाला, पीसांगन (अजमेर)।

3 राजकीय महिला प्रौढ़ शाला, बारां (कोटा) प्रमाण-पत्र दिये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है मंगवाई जा रही है, आने पर भेज दी जायेगी।

(2) कन्डेंस कोर्स पास महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी पर लगाने हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में नहीं, विभाग के सामने भी यह प्रश्न आया कि इन महिलाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, उस पर विभाग द्वारा सचिव, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग, जयपुर से निवेदन किया गया कि इन महिलाओं को नौकरी पर लगाने हेतु विचार करें। कितनी महिलाओं को नौकरी में लिया गया इस संबंध में सूचना मंगवाई जा रही है प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(3) ग्रामीण क्षत्रों में ऐसी अध्यापिकाओं को लगाये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(4) सरकार की इच्छा है कि इस प्रकार के मिडिल स्तर तक शिक्षा प्राप्त एवं प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कार्य के लिये मैट्रिक एवं बी० एस० टी० सी० पास न होने पर भी नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगी।

कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर निर्णय

571. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोठारी कमीशन सरकार द्वारा कब नियुक्त किया गया था? और रिपोर्ट कब सरकार को दी गई?

(2) इस रिपोर्ट पर सरकार ने कब निर्णय लिया और वह निर्णय क्या है?

(3) आयोग की कौन 2 सी सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई और कौन 2

(श्री केशरी सिंह हाडा)
सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई और किन कारणों से?

(4) इस संबंध में सरकार का आखिरी निर्णय क्या है, और उस पर कब से अमल किया अथवा अभी तक नहीं किया है और क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 14-7-64 को भारत सरकार ने शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को 29-7-66 को दिया गया।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया से भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) आयोग की जो सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई व जो नहीं की गई, उसके प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) कोठारी आयोग प्रतिवेदन का कार्य उसके प्रकाशन होने के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर प्रारम्भ कर दिया गया था तथा उसकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख उत्तर के भाग (3) में उल्लिखित प्रतिवेदन में निहित है। आयोग के वे सुझाव जो अभी तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं उनकी कार्यान्विति भारत सरकार द्वारा आर्थिक साधन उपलब्ध करने के प्रश्न पर निर्णय लेने के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगी।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

बून्दी स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति

572. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बूंदी के एस० टी० सी० स्कूल में गत तीन वर्षों में कितने अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनमें से किस किस की कहां कहां पर नियुक्तियां की गई हैं?

उत्तर

बूंदी के एस० टी० सी० स्कूल में गत तीन वर्षों में निम्नलिखित अध्यापक व अध्यापिकाऐं उत्तीर्ण हुईं:-

वर्ष	अध्यापक	अध्यापिकाएं
1967	154	96
1968	155	86
1969	57	93

इनमें से 1967 में पास अध्यापकों में से बूंदी में 19 को, 1968 के पास अध्यापकों में से बूंदी में 9 को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। ये अध्यापक व अध्यापिकाएं अन्य स्थानों पर भी नियुक्त हो सकती हैं उसकी सूचना न तो रखी जाती व न उपलब्ध करना सम्भव है।

खेल-कूद परिषद्

573. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान खेल-कूद परिषद् के कौन कौन सदस्य हैं और इस परिषद् का वार्षिक व्यय क्या है?

(2) क्या परिषद् वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देती है?

Page No 58

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(3) प्रशिक्षकों का चयन किस के द्वारा किया जाता है और उसका माप दंड क्या होता है ?

(4) क्या माउन्ट आबू में 20 मई, 1968 से खेल-कूद प्रशिक्षण शिविर में 225 खिलाड़ियों को 18 प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे थे ?

(5) उपरोक्त प्रशिक्षण शिविर का क्या खर्चा आया और किस किस मद में, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) प्रशिक्षण किस किस खेल का दिया गया और कितनी अवधि तक के लिये?

(7) ऐथलेटिक्स, बैडमिन्टन और बासकेटबॉल के प्रशिक्षक कौन थे, इनका चयन किस विशेषता को लक्ष्य में रख कर किया गया था ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। गत वर्ष करीब 5,70,000 रु० खर्च हुआ है।

(2) जी हां।

(3) प्रशिक्षकों का चयन परिषद् की प्रशिक्षण चयन समिति द्वारा किया जाता है। जो भी प्रशिक्षक नियुक्त किया जाता है वह साधारणतया राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला से प्रशिक्षित होता है और उनकी खेल के प्रति रुचि, प्रशिक्षणार्थियों के प्रति व्यवहार व प्रशिक्षण का तरीका आदि अनुभव को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(4) 246 प्रशिक्षणार्थियों को 16 प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया।

(5) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(6) प्रशिक्षण निम्न खेलों में 20-5-68 से 9-6-68 तक दिया गया :-

1. एथेलेटिक्स
2. बैडमिन्टन
3. वास्केटबॉल
4. क्रिकेट
5. फुटबॉल
6. हाकी (पुरुष)
7. हाकी (महिला)
8. वॉलीबॉल
9. जम्नास्टिक (प्रत्येक विद्यार्थी को दिया गया)।

(7) एथेलेटिक्स-श्रीमती भूपेन्द्र होरा,
श्री भरपुर सिंह रोमान
श्री सुखमिन्दर सिंह
श्री हिम्मत सिंह

बैडमिन्टन—श्री अमृत लाल दीवान (अवैतनिक)

बास्केटबॉल—श्री प्रीतपाल सिंह। इनका चयन प्रशिक्षकों की योग्यता, उनका गत प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षार्थियों के अनुकूल व्यवहार को देखते हुये उप-समिति द्वारा किया गया ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

जिला नागौर में अधिकारियों एवं अध्यापकों के विरुद्ध मामले

574. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला शिक्षणालय, नागौर में किन किन अधिकारियों व अध्यापकों तथा कर्मचारियों के खिलाफ कौन कौन सी कार्यवाहियां कब कब से चल रही हैं और उन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई तथा क्या क्या कार्यवाही करनी शेष रही है तथा वह कब तक पूर्ण होगी? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कार्यवाहियों में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जिन जिन अध्यापकों तथा कर्मचारियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) विलम्ब के कारण भी उपरोक्त सूची में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(12-8-69)

खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद

22. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खाद्य निगम द्वारा राज्य भर में कितना कितना और क्या क्या अनाज कितनी कितनी कीमत का अब तक खरीदा गया है?

(2) इसमें से कितना और कितनी कीमत का अनाज बेच दिया गया? इस बेचान में अनुमानतः कितना मुनाफा हुआ है?

(3) खाद्य निगम की स्थापना से लेकर अब तक इस पर कुल कितना खर्च हो चुका है?

(4) क्या यह सही है कि खाद्य निगम द्वारा खरीद फरोख्त में घोटाले की जांच की गई थी? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(12-8-69)

वर्ष 68-69 में अकाल राहत कार्य

23. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अकाल राहत कार्यों पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है? कृपया सूची वर्ष व जिलेवार देने का कष्ट करें।

(2) वर्ष 68 व 69 में कितने ग्राम (जिलेवार) अकालग्रस्त व अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं? सूची देने का कष्ट करें।

(3) वर्ष 68 व 69 में कितने राहत कार्य खोले गए व उन पर कितने मजदूरों ने कार्य किया? सूची कृपया जिला व माहवार देने का कष्ट करें।

(4) वर्ष 68 व 69 में कितने सहायता शिविर खोले गए व उनमें कितने व्यक्तियों ने शरण ली? सूची जिलावार व माहवार देने का कष्ट करें।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(5) इस वर्ष 68 व 69 में इस दृष्टि से स्थायी कार्य कौन कौन से करवाए जायेंगे व उन पर कितना व्यय हुआ व होगा ?

(6) अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 68-69 में अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु (भूख अथवा बीमारी से) हुई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) लगभग सभी कार्य स्थायी लाभ के करवाये गये हैं।

(5) वर्ष 68-69, 69-70 में कोई ऐसे सहायता शिविर नहीं खोले गये जहां लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता हो इसलिये व्यक्तियों के शरण लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 68-69 में भूख से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। बीमारी से होने वाली मृत्यु का सम्बन्ध इस विभाग से न होकर चिकित्सा विभाग से है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(12-8-69)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में सड़कों का कार्य

26. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अब तक किन किन सड़कों का कार्य सरकार ने हाथ में लिया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सड़कों पर कितना मील मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ ? प्रत्येक सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त सड़कों के निर्माण पर क्या खर्चा हुआ ?

(4) उक्त सड़कों में से किन किन सड़कों पर मजदूरों की मजदूरी में कब कब कितनी कितनी कटौती की गई और वह किस आधार पर की गई ? विस्तृत सूचना देने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(12-8-69)

पंचायत समिति के अध्यापकों का बकाया वेतन

30. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में पंचायत समितियों के द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बकाया हैं ? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति में किस किस अध्यापक का कितना कितना कब कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रवणलाल)

(2) उपरोक्त बकाया रहने के क्या कारण हैं और उनको कब तक चुकारा किये जाने का विचार है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है?

(2) बकाया रहने का मुख्य कारण शिक्षा विभाग से पर्याप्त राशि का आवंटन नहीं होना है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। धनराशि का आवंटन होने पर बकाया का शीघ्र चुकारा किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न
(12-8-69)

ग्राम पंचायतों के सचिवों का बकाया वेतन

31. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरियों के वेतन बकाया चले आ रहे हैं?

(2) यदि हां, तो किन पंचायत समितियों में किस किस सेक्रेटरी की कितनी कितनी कब कब से बकाया चली आ रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त बकाया का चुकारा करने के लिये सरकार क्या विचार रखती है और कब तक इसका चुकारा कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ पंचायतों के सचिवों के वेतन बकाया हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायतों के सचिव पंचायतों द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं और सचिवों के वेतन का चुकारा करने का दायित्व भी उन्हीं का है। राज्य सरकार प्रशासनिक व्यय के लिये प्रत्येक पंचायत को प्रति वर्ष 20 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान देती है। पंचायतों को चाहिये कि अपनी आय से अधिक व्यय पंचायत सचिव के वेतन पर नहीं करें। बकाया रकम का चुकारा पंचायत की आय होने पर ही किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न
(12-8-69)

पंचायत समिति जिला बीकानेर में डेरी फार्मों के लिये ऋण व अनुदान

36. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समितियां जिला, बीकानेर का गठन कब हुआ व गठन के बाद डेरी फार्मों के लिए कितने रूपये ऋण व अनुदान के रूप में दिये गये व किस किसको? नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि डेरी फार्मों में गायें किसी ने नहीं लीं व ऋण व अनुदान की रकम भी अभी तक वापस जमा नहीं कराई?

(श्री चुन्नीलाल इन्दालिया)

यदि हां, तो नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे। यदि रकम जमा करवाई गई तो किस किसने कितनी कितनी ? बकाया की वसूली के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों का गठन दिनांक 2-10-59 को हुआ था। डेरी फार्म के लिए दिये गये ऋण व अनुदान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में राशि के उपयोग करने व वसूली के बारे की सचना भी दे दी गई है। वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(क) जिसने ऋण। अनुदान का सही उपयोग किया उनसे किश्तों की रकम तहसील द्वारा वसूल करायी जा रही है।

(ख) जिसने ऋण। अनुदान का सही उपयोग नहीं किया उससे कुल रकम मय दण्डनीय ब्याज सहित वसूली के लिए डिमान्ड तहसील में भेजी गयी है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

सीकर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

105. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़-सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कितनी सक्रिय हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारियों द्वारा चीनी, अनाज का कोटा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को न देकर अलग से डीलर नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले में बहुत सी जगह आधा कोटा ग्राम सेवा सहकारी समिति को और आधा कोटा अलग से डीलर नियुक्त कर दिया जा रहा है ?

(4) यदि सरकार सहकारिता को प्राथमिकता दे रही है, तो यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है ?

(5) क्या सरकार इस दोहरी नीति को समाप्त कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने और अलग से डीलर नियुक्त कर चीनी व अनाज वितरण कार्य उनको न देकर सहकारी समितियों को ही देने का विचार रखती है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 245 ग्राम सेवा सहकारी समितियां सक्रिय हैं।

(2) यह सही नहीं है। केवल 51 ग्रामों में चीनी व अनाज का कोटा न देकर अलग से डीलर नियुक्त कर रखे हैं। कारण इन ग्रामों में कार्य कर रही सहकारी समितियां धनाभाव या अन्य कारणों से समय पर चीनी का कोटा उठाने में असमर्थ पाई गई।

(3) जी नहीं, केवल 15 ग्रामों में इस प्रकार की व्यवस्था गांव वालों में दलबन्दी

(खाद्य मंत्री)

होने के कारण करनी पड़ी है ताकि सबको चीनी व अनाज सहूलियत से मिले।

(4) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(5) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ही प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि विशष परिस्थिति में कहीं कहीं समितियों एवं अन्य डीलरों को नियुक्त किया गया है। दोहरी नीति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

जिला बूंदी में लेवी के गल्ले की खरीद का ठेका

127. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बून्दी में गल्ला की खरीद का ठेका किस किस को दिया गया?

(2) ठेके की शरायत क्या है? ठेकेदार को क्या कमीशन दिया जायगा?

(3) क्या सरकार हानि-लाभ राहत आधार पर गल्ला जनता को देना चाहती है यदि हां, तो खर्चे का फी क्विन्टल क्या अनुमान लगाया गया है?

(4) जनता को किस दर से गेहूं दिये जायेंगे?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

कोटड़ा तहसील पर व्यय की गई धनराशि

133. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटड़ा तहसील को सरकार ने शिडयूल्ड ट्राइब्स एरिया माना है? यदि हां, तो इस क्षेत्र को राजस्थान सरकार व भारत सरकार की तरफ से सालाना कितनी धनराशि दी जाती है?

(2) सन् 1968 में कितना रुपया खर्च किया तथा कितनी रकम लेप्स मानी गई?

(3) इन रुपयों को खर्च करने में किसका अधिकार है तथा किस मद में खर्च किया जाता है?

(4) सन् 1967-68 में कुए, तालाबों पर कहां कहां रुपया खर्च किया उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कोटड़ा तहसील, दो आदिवासी विकास खण्डों में विभक्त हैं। स्वीकृत पेटर्न के अनुसार प्रति वर्ष दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

(2) वर्ष 1967-68 में दोनों विकास खण्डों में क्रमशः 227960)24 पै० व 359736)86 पै० खर्च हुए तथा क्रमशः 63,639)09 पैसे व 27,863)81 पै० की बचत रही। बचत की रकम निजी लेखें में बचत होकर वर्ष 1968-69 में खर्च हुई।

(3) समाज कल्याण विभाग के

Page No 64

(पंचायत मंत्री):

नियम व शर्तों के अनुसार पंचायत समिति की स्वीकृति से अनुदान उत्पादन, तथा सामाजिक सेवाओं के कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। निर्माण कार्यों में प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

अकाल राहत समिति

134. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अक्टूबर, 1968 से अब तक किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य खोले गए और इनमें प्रत्येक पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(2) इस अवधि में किस किस जिले में जिला अकाल राहत समिति की कब कब बैठकें हुई ?

(3) किस किस जिले में किस किस प्रकार के कितने कितने अकाल राहत कार्य ऐसे हैं जिनकी जिला अकाल राहत समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई? कृपया ऐसे कार्यों की तहसीलवार तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ?

(4) किस किस जिले में किस किस प्रकार के ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जिनको जिला अकाल राहत समिति की सिफारिश के बावजूद नहीं खोला गया और क्यों?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

राज्य में अकाल राहत कार्य

138. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के किन किन जिलों से कितने कितने पशु अकाल के कारण राज्य के बाहर चले गये और कितने कितने पशु हर जिले में इस अवधि में मौत के शिकार हुए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार द्वारा अब तक कितना चारा अकालग्रस्त क्षेत्रों में बिलकुल मुफ्त बांटा गया है ? और कितने रुपये के मूल्य का आगे आठ महीनों में बांटने का विचार है ?

(3) सरकार द्वारा कुल कितने कैम्प खोले गये हैं जहां पर इन मवेशियों को रखा जा सकता है ?

(4) अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूख के कारण मनुष्यों के मरने के जो समाचार सामने आये हैं क्या सरकार ने उनकी कोई विधिवत जांच करवाई है ? यदि हां, तो किन किन के द्वारा और उससे क्या तथ्य सामने आये ?

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

(1) राज्य के जिन जिन जिलों से जितने जितने पशु अकाल के कारण राज्य के बाहर चले गये उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। कितने पशु मौत के शिकार हुए, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) सरकार द्वारा 2,30,374 रु० के मूल्य का चारा सरकार द्वारा चलाये गये पशुशिविरों में बिल्कुल मुफ्त दिया गया है। आगे आठ महीनों में जैसी स्थिति होगी कार्यवाही की जायेगी।

(3) सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों के मवेशियों के लिये केवल तीन केम्प गंगानगर में खोले गये थे स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 53 कैम्प विभिन्न जिलों में खोले गये हैं, जहां पर इन मवेशियों को रखा जा सकता है। इन कैम्पों पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत जो 62 पै० से अधिक न हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है।

(4) अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूख के कारण कोई मनुष्य नहीं मरा है। अतः भूख के कारण मनुष्य के मरने की विधिवत जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

राज्य में अकाल राहत कार्य

140. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में इस वक्त कितने जोहड़ तलाइयों के राहत कार्य रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये चल रहे हैं व किस किस जिले में किस किस तहसील में कबसे खोले गये? चालू करने की तारीख मजदूर संख्या व कैम्प के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान में किस किस अकालग्रस्त जिलों में कितनी कितनी विदेशी सहायता किस किस रूप में खर्च की गई है व की जा रही है व कितने फैमीन कैम्प विदेशी सहायता से द्वारा चल रहे हैं? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व बीकानेर में विदेशी सहायता से प्राप्त कपड़े, कोट, कम्बल, स्वेटर, गिफ्ट, व्हीट व दूध, तेल इत्यादि पौष्टिक भोजन वितरण किये गये हैं? यदि हां, तो किस किस जिलों में किस तहसील में कितने 2 वितरण किये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में इस वक्त जो जोहड़ तलाईयों के कार्य रेवन्यू एजन्सियों के तहत चल रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर जिलों में केयर को सहायता से प्राप्त सी० एण्ड एम० व विदेशी सहायता से प्राप्त दुग्ध चूर्ण के अतिरिक्त और कोई विदेशी सहायता राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है न राज्य सरकार के द्वारा किसी विदेशी

(अकाल सहायता मंत्री)

सहायता के सहयोग से कोई कैम्प चलाया जा रहा है ।

(3) जी हां, जो सी० एस० एम० व तेल वितरित किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(16-8-69)

बीकानेर स्थित दाऊजी के मन्दिर की चल व अचल सम्पत्ति

173. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर स्थित दाऊजी के मन्दिर का ट्रस्ट कब बना और उसके कौन कौन सदस्य थे ? किन किन सदस्यों का स्थान कितने कितने समय के लिये खाली रहा और क्यों ?

(2) सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत इसका पंजीकरण कब हुआ ? पंजीकरण के समय चल व अचल सम्पत्ति के मूल्य का क्या विवरण दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस मन्दिर की काफी मात्रा में चल सम्पत्ति गायब है ? यदि हां, तो क्या क्या, किस किस मूल्य की और कबसे ? –

उत्तर

1. ट्रस्ट दिनांक 24-1-41 को बना इसके निम्न सदस्य थे :

1. श्री किस्तुरचन्द पुत्र सदासुख कोठारी, बीकानेर ।

2. श्री सुरजरतनदास पुत्र बृजरतनदास बागड़ी, बीकानेर ।

3. श्री चान्द दास पुत्र मानदास दाम्भडी, बीकानेर ।

4. मु० जडावबाई दुख्तर सदासुख कोठारी

5. श्री दाऊदयाल वल्द रामचन्द्र कोठारी, बीकानेर ।

(2) इनमें से श्री चान्ददास, किस्तुरचन्द तथा मु० जडाव की मृत्यू 5-6 वर्ष पहले हो चुकी है और तब ही से यह स्थान रिक्त है । क्योंकि श्री दाऊदयाल की ओर से रिक्त स्थान भरने की कोई कार्यवाही नहीं की गई इसका पंजियन दिनांक 2-8-68 को हुआ । श्री दाऊदयाल की ओर से चल व अचल सम्पत्ति का विवरण यह कहते हुए नहीं दिया गया कि रेकार्ड कलकत्ता में है ।

(3) जब तक सेठ दाऊदयाल की ओर से सम्पत्ति की प्रमाणित सूची प्रस्तुत नहीं करदी जाती है तब तक यह कहना सम्भव नही है कि क्या 2 सम्पत्ति किस 2 मूल्य की कबसे गायब है ।

(12 मध्यान्ह)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण की प्रस्तुति

राज्य मंत्री, वित्त (श्री बिशम्भरनाथ जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों, 1969-70 (प्रथम खण्ड) का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मथुरादास जी माथुर आजकल चुप क्यों हैं ?

Page No 67

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोक्सी कैसे चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे सवाल उठाते हैं, जो उठाने नहीं चाहिए।

प्रतिवेदन का उपस्थापन ! श्री भैरोंसिंह !

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य होटल निगम से संबंधित समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर के सरदारपुरा स्थित एकमात्र सार्वजनिक स्थान गांधी मैदान से कोयले के डिपो (टाल) को हटाने से संबंधित याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम भारणी, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर म पानी की व्यवस्था से संबंधित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : मैं ग्राम बाजीसर, ग्राम पंचायत, मेहरादासी में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने संबंधी पांच याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

बिसाऊ कस्बे की जल प्रदाय योजना आरम्भ करवाने संबंधी हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अलसीसर व मलसीसर में स्ट्रीट लाइट व बिजली कनेक्शन देने संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं कालीबंगा व पीलीबंगा के बीच पड़े अधूरे पुल को पूरा कराने संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं गांव ढढेला किलराली व बिरकाली, के काश्तकारों के खालसे की जमीन के बदले मुआवजा या जमीन देने संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री देवीलाल बुरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं ताज सरोवर, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर की नगर मरम्मत संबंधी याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, केकड़ी पंचायत समिति की लसाड़िया बान्ध बनाने तथा केकड़ी-बघरा सड़क बनाने संबंधी याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीराम रावत !

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी लिफ्ट योजनाओं की दरों को व्यावहारिक बनाने संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं।

भैंसरोड़गढ़ में चम्बल पर पुल बनाने के पश्चात चेचट की उदयपुर से जोड़ने संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं।

ग्राम सालोनिया में सड़क बनाने में किये गये धन के दुरुपयोग की जांच व कृषकों को

(श्री जुझारसिंह)

मुआवजा देने संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं ।

छत्रपुर (झालावाड़) में पेय जल की समुचित व्यवस्था हेतु याचिका उपस्थित करता हूं ।

बानाखेड़ी में बांध बनाने पर किये गये धन के दुरुपयोग संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं ।

बंध भीमली के पानी का स्तर बढ़ाने व नहरों की मरम्मत कराने संबंधी याचिका उपस्थित करता हूं ।

सामरिया में नहरें निकालने के वक्त गांव की भूमि की सिंचाई का ध्यान रखने संबंधी याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

तालाब केहला, पंचायत लावासल जिला झालावाड़ की मरम्मत एवं नहरों की व्यवस्था ठीक कराने संबंधी एवं ग्राम असनावर जिला झालावाड़ के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन व नल योजना से संबंधित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उदयपुर के कॉलेज ऑफ टैक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग के छात्रों का गत 18 अगस्त, 1969 से रोजगार संबंधी अपनी मांगों के बारे में हड़ताल पर होना बतलाया गया है । प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि 41 सफल स्नातकों में से केवल 9 को अभी तक रोजगार मिला है जिससे छात्रों में असन्तोष है ।

इसी आशय के स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री आइदानसिंह, श्री विजयसिंह, श्री पृथ्वीसिंह व श्री बालसिंह सोढा से भी प्राप्त हुई हैं ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए विषय में शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें ।

इनके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें भी प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री वृजवल्लभ बोहरा, श्री महेन्द्रसिंह व श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य विधान सभा ने चम्बल सिंचित क्षेत्र में सीपेज व वाटर लौगिंग के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों की उपेक्षा करके राज्य सरकार द्वारा सुधार-कर की वसूली की जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि तहसील नोहर व भादरा के भाखरा क्षेत्र में आबाद हरिजन सैमारियों को माफी की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा खातेदारी हक देने का निर्णय लिया गया था लेकिन अब उन माफीदारों से नई रेट के मुताबिक कीमत जबरन वसूल की जा रही है जिससे माफीदार हरिजनों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है ।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अलावा और स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने बगरू थाने में एक नौजवान की कथित हत्या के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि स्थानीय श्री लालबहादुर कॉलेज की रात्रि कक्षायें पिछले वर्ष तक महाराजा कॉलेज में चलती थीं वे अब राजस्थान कॉलेज में हो रही हैं जिससे शहर के बहुत दूर हो जाने से अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को असुविधा हो गयी है।

(3) श्री रामकुमार नन्दवाना, सदस्य, विधान सभा ने अत्यधिक वर्षा से गंभीरी, बेड़च नदी में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण सहायता कार्य चालू करने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में सिंचाई मंत्रीजी द्वारा राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में हाल ही में एक वक्तव्य दिया जा चुका है जिसमें इस विषय पर भी प्रकाश डाला जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त सभी मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जा कर आज इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव बून्दी से सांवतगढ़ देई सड़क खराब होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुआ था जिसके बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गयी थी राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त, 1969 को मोटर बस, न कि जीप, बूंदी से सांवतगढ़ देही रोड़ के मील 4 के निकट घाटी पर चढ़ते समय ब्रेक फेल हो जाने के कारण गाड़ी पीछे की ओर लुढ़की और यह सड़क की सीमा से बाहर निकल गयी। इस पर गाड़ी के कुछ यात्री भयभीत होकर गाड़ी में से कूद गए और कुए में गिर गए। यह भी बताया गया है कि उस जगह कोई विशेष चढ़ाई नहीं थी और सड़क की दशा ठीक हालत में थी।

इस स्थगन प्रस्ताव को मैं सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कॉलेज ऑफ टैक्नोलोजी, उदयपुर के विद्यार्थियों की हड़ताल 18 अगस्त से चल रही है। इसके संबंध में व्यवस्था दी है कि कृषि मंत्री वक्तव्य देंगे। म जानना चाहता हूं कि कृषि मन्त्रीजी वह वक्तव्य कब देंगे? आज शाम तक देंगे या कल? इस संबंध में एक बात को वे अनुभव करेंगे कि 18 अगस्त से उनकी हड़ताल चल रही है और आज आठ दिन हो गये हैं। इसी तरह जोबनेर इन्जीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कॉलेज, उदयपुर का हाल है। इसमें से 41 बच्चे निकलते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और उनमें से आप 9 को एम्पलॉयमेन्ट अभी तक दे पाये हैं। बाकी को आप न अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में जगह दे पाये हैं, न ड्रेनेज आर्गेनाइजेशन में दे पाये हैं और न सोइल कन्जर्वेशन में दे पाये हैं और न आप उनकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में मदद दे रहे हैं। उनके लिये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स की व्यवस्था नहीं करते। इस संबंध में आप शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था दें ऐसी हमारी मांग है। आज शाम या कल तक दे दें।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : मैं 28 तारीख को सुबह दे दूंगा। 27 को छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि 28 को वक्तव्य देंगे। 28 तो बिजनैस में हमारे है ही नहीं। 26 तक की ही है। आज बिजनैस एडवाइजरी कमेटी मीट कर रही है वह 28 तै करेगी तो 28 आवेगी। नहीं तो आज वें वक्तव्य देते हैं या कल देते हैं यह प्रश्न सामने है।

श्री शोभाराम : यह जो साइक्लोस्टाइल्ड प्रश्नावली है वह 28 की भी मुझे चूंकि प्राप्त हो चुकी थी सुबह, इसलिये में मानकर चल रहा था कि 28 को मीटिंग होगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं, अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है और युवकों को रोजगार देने से संबंध रखता है। इसके बिना छात्रों में बहुत असन्तोष है। अब माननीय मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि वे 28 को उत्तर देंगे। मेरे ख्याल से उनका यह विचार ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि वे या तो आज दे दें वक्तव्य या कल दे दें। अगर आज शाम तक दे दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कल तक तो देना ही चाहिये। इसके बिना यह असन्तोष छात्रों में दिन ब दिन बढ़ रहा है। छात्र हड़ताल कर रहे हैं और इसके प्रति और इसको समाप्त करने के प्रति भी सरकार को सजग रहना चाहिये। सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। सदन उत्सुक है कि सरकार वक्तव्य दे और वे उस पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मन्त्रीजी को इस पर कोई सूचना प्राप्त करनी नहीं है। नीति के संबंध में है। इसका तो तुरन्त उत्तर दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आज ही उत्तर दे सकें तो अच्छा है।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, आज करीब दस बजे सुबह कुछ विद्यार्थी मुझसे मिलने आये थे। अब जहां तक इन्जीनियरिंग वर्कशाप का ताल्लुक है उनको कोई शिकायत नहीं थी। अभी 9 स्थान रिक्त हुए थे और वे एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग वालों को मिल गये। अब वे कह रहे थे कि उनको अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में भी जगह मिलनी चाहिये। वहां दो डिपार्टमेन्ट हैं। एक तो वाटर के संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन होता है और जिसमें एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग कॉलेज से निकले स्नातक ज्यादा उपयुक्त होते हैं। दूसरा पानी निकालने के आपरेशन्स वगैरह का है। अब कितनी जगह खाली हैं उस विभाग में यह जानकारी ले रहे हैं। दूसरी जगह वे ड्रिलिंग ऑपरेशन्स में लगे हुए हैं इसलिए उनसे जानकारी प्राप्त होने म देर लग रही है। उनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद और वाटर बोर्ड के इन्जीनियरों से

(श्री शोभाराम)

परामर्ष करने के बाद में इस जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की स्थिति में उनकी योग्यताओं को देखते हुए कौन कौन सी जगहें उपयुक्त होंगे इसका निश्चय करते हुए चीफ इन्जीनियर को बुलाकर हम जानकारी करेंगे और उन विद्यार्थियों ने कहा कि आप यह जानकारी करके हमारे सामने सही चित्र पेश करें। तो उन लोगों को बुलाकर मुझे जानकारी करनी है तो इसलिये इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। आज और कल का। 27 को रक्षाबन्धन की छुट्टी है इसलिये मैंने 28 तारीख की अध्यक्ष से प्रार्थना की थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीकल्चरल वर्कशाप के बारे में आपने बात कही उसकी भी शिकायत है कि उनको वहां वर्क चार्ज की हैसियत से लगाया है जबकि और दूसरे विभाग हैं सिविल इन्जीनियरों के एवं दूसरे इन्जीनियर्स पास होकर आते हैं उनको मेकेनिकल इन्जीनियर की पोस्ट पर लगाया जाता है, किसी को ए०ई०एन० की ग्रेड में तो किसी को जे०ई०एन० की हायर ग्रेड में फिक्स करते हैं। तो फिर इनके साथ यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जैसा इनका फिक्सेशन करते हैं वैसे इनका भी करिये। यह फण्डामेन्टल बात है। तो उन लोगों को जिनको एम्पलॉयमेन्ट दिया है वर्क चार्ज पर न देकर ठीक पोस्ट पर लगावें, यह तो एस्योरेन्स दे सकते हैं। आप अपनी किसी केडर में उनको रखिये। और अगर सूचना कोई आपको इकट्ठी करनी हो तो आज कर लीजिये। कल दे दें और अगर हाउस बढ़े तो बात ठीक हो सकती है, नहीं तो कल आप दे दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के संबंध में मैंने निवेदन किया है कि वहां बैटरमेन्ट लेवी वसूल की जाती है जबकि स्वयं सरकार यह स्वीकार करती है कि वाटर लोगिंग की प्राब्लम से वहां के किसान प्रभावित हैं और ईल्ड पर एकड़ घटती जा रही है। सीपेज और लोगिंग पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो समस्यायें गम्भीर हो जावेंगी। इसकी चिन्ता आपको नहीं। आप तो बैटरमेन्ट लेवी ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, लोगों की कुड़कियां हो रही हैं, मवेशी जिनकी कुड़की नहीं की जा सकती है वे भी कुड़क किये जा रहे हैं। वहां पर व्यवस्था यह है कि जहां पर पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच पाता है। जो डेवलेपमेंट होना चाहिये वह नहीं हो पाया। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी। खाता एक है, खातेदारी एक है...

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया जानकारी प्राप्त की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार के सामने सीलिंग कानून आ रहा है और जब यह सीलिंग कानून आ रहा है तो जब यह आ जाय-खाते की जमीनें बेच दी हैं। पूरी जमीन पर पानी नहीं पहुंच पाया और फिर बैटरमेंट लेवी कड़ाई से वसूल किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं इसका निर्णय दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बूंदी जिले में जब यही व्यवस्था है, पूरे जिले के अन्दर यह व्यवस्था है। वहां बैटरमेंट लेवी स्थगित की है वैसे आपका यह निर्णय है वह शिरोधार्य है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बूंदी जिले में स्थगित नहीं की हुई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि जानकारी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सिचाई मंत्रीजी मौजूद हैं उनसे वक्तव्य दिला दिया जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया राजस्थान में सदियों से पीड़ित जो बेकार हैं और हरिजन खिदमतदार हैं, उनको इस राज्य सरकार ने पुराने कब्जे के अनुसार खातेदारी देने का निर्णय लिया। अभी भाखड़ा क्षेत्र में हरिजन काश्तकारों को जबरन कीमत....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य जानकारी के लिये अभी निर्णय नहीं किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जानकारी का प्रश्न नहीं है। सरकार को तत्काल उत्तर देना चाहिये। मैं इसका आज ही उत्तर चाहता हूं। चूंकि उन पीड़ित हरिजनों से संबंधित हैं जिन्होंने सदियों से सरकार की और हमेशा लोगों की बेगार की है और उन.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज उस जमीन की कीमत......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य (जोर की आवाज में)।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह मानने का प्रश्न है, मामला बहुत गंभीर है।

श्री अध्यक्ष : इस मामले पर जानकारी..

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार बार बार अपने निर्णय को बदलकर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

मैंने इस पर जानकारी प्राप्त की है, जानकारी प्राप्त होते ही निर्णय दूंगा। आप भाषण करने लग गये......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का......

श्री रामचन्द्र आर्य: यह सरकार का नीति संबंधी मामला है। इन्होंने यह निर्णय लिया और रेडियो में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य.......

(माननीय अध्यक्ष और माननीय राम चन्द्र आर्य के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : इन्होंने वाहवाही लूटी है और आज....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य (बहुत जोर की आवाज में) ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(श्री रामचन्द्र आर्य बराबर बोलते रहे)

अंकित न किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। अंकित न किया जाय।

(माननीय अध्यक्ष और श्री रामचन्द्र आर्य के साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

मैंने देखिये निर्णय देने का विश्वास दिलाया है। कल इस पर आ जाय और अगर जानकारी नहीं आयेगी तो निर्णय दे दूंगा। आप भाषण देने लग गये हैं, यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र आर्य स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर, ऑर्डर।

(श्री आर्य के बराबर बोलते रहने पर)

क्यों परेशान करते हो मुझे। आपसे कह दिया इनसे वक्तव्य दिला दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप निरर्थक आक्षेप लगाने लग गये हैं। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। (बार बार बोलते रहने पर)

सम्माननीय सदस्य, सम्माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब स्थान ग्रहण करें बहुत कुछ हो गया है। मैंने यह विश्वास दिलाया है जानकारी प्राप्त करते ही शीघ्रातिशीघ्र.....

(श्री रामचन्द्र आर्य के साथ साथ बोलने पर)

मुझे खांसी हो रही है भाई जान.....

श्री रामचन्द्र आर्य : जानकारी का प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं। म माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं......

(श्री आर्य के बराबर बोलते रहने पर)

श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामचन्द्र आर्य स्थान ग्रहण करें। मैंने नाम से पुकारा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे आप निकलवा दें, इसकी मुझे परवाह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। धैर्य की सीमा होती है। सब माननीय

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य कह रहे हैं (माननीय सदस्यों ने श्री आर्य को बैठने के लिये आग्रह किया)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कल इसका उत्तर मिल जाय, इसके लिये करवा दीजिये ।

(श्री आर्य बोलने के लिये खड़े रहे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहां मानते हैं ? माननीय सदस्य आपकी भी नहीं मानते हैं । मैं नाम से पुकारता हूं, मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में यह कहू मैं विवश हूं । मैं माननीय सदस्य को यह कहूं माननीय सदस्य में विवश हूं । माननीय सदस्य (बहुत जोर की आवाज में)!

श्री रामचन्द्र आर्य : लोगों के साथ....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को... अन्तिम कदम लेने के लिये विवश न करें ।

श्री नत्थीसिंह : माननीय सदस्य को वेदना है । वेदना को व्यक्त किया है ।

श्री अध्यक्ष : आपकी भी नहीं मानते हैं ।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : आपकी (श्री अध्यक्ष महोदय की) आवाज यहां तक नहीं आती है ।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : उनकी आवाज तो.... उनकी आवाज में मेरी आवाज गूंज जाया करती है । ....

(श्री आर्य के बराबर बोलते रहने पर)

वे नहीं मानेंगे, वे आज इस पर प्रकाश चाहते हैं । ऑर्डर, माननीय सदस्य । देखिये आप सीमाओं से परे जा रहे हैं और सभी माननीय सदस्य आपको समझा रहे हैं—आपसे आग्रह कर रहे हैं । आपकी कोई सीमायें नहीं हैं । मैंने बड़ी उदारता से देखा है । मैं नहीं चाहता कोई अनप्लेजेन्टेनेस पैदा करूं । जैसा मैंने कहा मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन मैं यह चाहूंगा.... वक्तव्य का निर्णय नहीं दिया है । जानकारी कल की कल आ जाय और नहीं आयेगी तो मैं जानकारी दिलाने का और माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे वक्तव्य के प्रश्न पर तैयार होकर आ जायं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री नत्थीसिंह : यह जोड़ा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो स्थगन प्रस्ताव है उस संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने के बाद में जो निर्णय दिया है मेरा यह निवेदन है कि कोटा जिले के अन्दर किसानों से लगान और बैटरमेंट लेवी इस ढंग से वसूल कर रहे हैं—अध्यक्ष महोदय राजकीय अधिकारी उनसे जबरन बैटरमेंट लेवी वसूल कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह वही प्रश्न है जिस पर माननीय गोयलजी बोल चुके हैं । अब इस पर आप भाषण न करें । एक माननीय सदस्य ने पर्याप्त प्रकाश डाल

(श्री अध्यक्ष)

दिया है और उसी प्रश्न पर आपका एडजोर्नमेंट मोशन है और मैंने उसको जानकारी के लिये भेजा है। एक ही दल के आप सदस्य हैं। माननीय गोयलजी प्रकाश डाल चुके हैं। यह भी एक दल विशेष की बात है। आप जो भी प्रकाश डालना चाह रहे हैं वह नियमों के विरुद्ध है। स्थगन प्रस्ताव के नियमों के विरुद्ध है। माननीय गोयलजी बोल चुके हैं, विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं नये तथ्य देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं अब इस पर कोई नये तथ्य नहीं लेना चाहता हूं। जब तक जानकारी न आ जाये......

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह चाहता हूं यह वक्तव्य कल तक दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस सैशन के अन्दर....

(श्री देवीदत्त गाड़िया के पुनः खड़े होने पर)

बुद्धिमान लोग एक शब्द में समझ जाते हैं।

श्री नत्थीसिंह : उस बात में कमी कहा है इनमें ?

श्री रामकिशन : दल तो एक ही है पर वोटर अलग अलग हैं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आबू पर्वत पर एक कांग्रेसी कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं श्री देवी सहायजी उन्होंने अपनी पत्नी बुद्धि देवी के नाम जमीन कब्जे कर ली है जिसके ऊपर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसकी सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली है....

श्री अध्यक्ष : मैं पता लगाऊंगा।

श्री विजयसिंह : उन्होंने अपनी औरत के नाम पर आबू पर्वत पर जमीन कब्जे में कर ली है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य, मुझे जानकारी नहीं है। मैं अभी आपको जानकारी देता हूं लेकिन आप भाषण नहीं दें।

इस प्रश्न पर तारीख 22 को मैंने निर्णय दे दिया है और अस्वीकार कर दिया उसके बाद 23 तारीख निकल गई, 24 निकल गई और 25 आज आ गयी....

श्री विजयसिंह : अस्वीकार किस समय किया ?

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किस समय किया यह प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैंने नम्र निवेदन किया था कि अन्ता की कृषि उपज मण्डी की भूमि को परगना अधिकारी ने ज़बरन कब्जे में कर लिया है और वह गजट नोटीफाइड एरिया है और माल नीलाम होता है। मण्डी एरिया के अन्दर न जिलाधीश को और न परगना अधिकारी को उस भूमि को एक्वायर करने का अधिकार है...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि मैंने उसको अस्वीकार किया है क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब उसके बाद में कोई निर्णय दूंगा। यही प्रश्न है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी हां।

श्री अध्यक्ष : फिर समझिये कि किसी न किसी नियम के अन्तर्गत तो आपको ठहरना होगा। मैं निर्णय देना चाहता हूं, जानकारी प्राप्त की है और आज ही आप बोलने लग गए। अब आगे मैं विवश होकर यह कहूं कि आप बोलें उसको अंकित नहीं किया जाये बारबार यह कैसे उपयुक्त होगा ? आप कहीं किसी सीमा में ठहरिये। आप उठ जाते हैं इस प्रश्न पर और मुझे निर्णय देना बाकी है और माननीय मंत्री महोदय आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं दे सकते फिर कैसे उठा पाते हैं इस प्रश्न को।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे पास रोज रोज तार आ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज-मुझे माननीय सदस्य इस पर निर्णय देना अवशेष है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से इस पर वक्तव्य दिला दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : हां, समझ गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा राज्य के इन्जीनियरिंग उद्योग पर अपना वक्तव्य देंगे।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, जो श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री देवीदत्तजी गाड़िया ने प्रश्न लेवी के संबंध में रखा है यह लेवी का प्रश्न पुरे राजस्थान का है और सभी जगह ऐसी स्थिति है और सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर बाढ़ग्रस्त इलाका है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। लेवी का प्रश्न श्री गोयलजी ने रखा और दूसरे माननीय सदस्य ने रखा और अब आप रख रहे हैं जिसको रखा नहीं जाना चाहिए। ऑर्डर प्लीज।

राज्य कर्मचारियों के धरने संबंधी चर्चा

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपको शायद स्मरण होगा कि इस सदन में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की की ओर से जो धरना दिया जा रहा है उस के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उस पर आपने माननीय मुख्य मंत्रीजी को आदेश दिया था कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य दें। जिस समय वे वक्तव्य दे रहे थे उस समय यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इस संबंध में बैठकर बातचीत करके कुछ निर्णय राज्य सरकार लेगी और इस समस्या का कुछ हल निकल सके तो ज्यादा अच्छा होगा। सदन के माननीय सदस्यों ने भी अपनी भावनायें व्यक्त की थीं कि राज्य के कर्मचारी विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे रहें उस समय वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ समस्याओं का समाधान निकल सकता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये हैं, उनके संबंधित विभाग के दूसरे मंत्री या गृह मंत्रीजी यहां हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के संबंध में निर्णय होगा या नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेकिन अभी जो कार्यक्रम है उसके अनुसार कल आखिरी दिन है। उस स्थिति में राज्य सरकार का जो भी निर्णय है वह राज्य कर्मचारियों की मांगों के सिलसिले में उप-नेता महोदय जो कांग्रेस पार्टी के हैं और जो वित्त मंत्री भी हैं और जिनका इन मांगों से विशेष रूप से संबंध है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो धरने का कार्यक्रम राज्य कर्मचारियों ने अपनाया है उसको हम सदन में नहीं उठाना चाहते हैं और उस पर विवाद नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है आपस में बैठकर तो मैं निवेदन करूंगा कि सदन के दो चार सदस्य आपके साथ बैठने को तैयार हैं और आप कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी बुला लें और यदि कर्मचारियों के प्रतिनिधि ही बैठ जायें तो हमें बैठने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान हो सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्य कर्मचारी हमारे राज्य को चलाने वाले हैं इसलिये सदन के समाप्त होने के पूर्व ही आप कोई कदम उठायेंगे, ऐसा हम चाहते हैं। हम इसका निराकरण और हल चाहते हैं इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई निश्चय किया हो या कोई निर्णय लिया है और क्या हम लोगों को भी विश्वास में लेकर या कर्मचारी संघ को विश्वास में लेकर उनके निराकरण करने की कोई सदनीयत सरकार रखती है ? इसके बारे में पहले वित्त मंत्री वक्तव्य दे दें और उसके बाद में श्रम मंत्री जी का वक्तव्य हो जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी सदन अन्दर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था और उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि राज्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि और जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी बैठ जायें और माननीय मुख्य मंत्री जी ने और अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें जो उनकी मांगें थीं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी और उसके बाद में उन मांगों के ऊपर जो कुछ राज्य सरकार का दृष्टिकोण था वहां पर निर्णय लिए गये थ। मैं समझता हूं कि उन निर्णयों से राज्य कर्मचारियों को संतोष होना चाहिए था। इसके अलावा जो कुछ भी हमने किया है और और भी माननीय सदस्य उस पर दिलचस्पी रखते हैं और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य वहां पर मौजूद थे वह भी उस समय संतुष्ट थे जहां तक मैं समझ पाया कि जो कुछ राज्य सरकार का दृष्टिकोण है और जो उनकी मुख्तलिफ मांगें थीं वह मन्जूर की गयी थीं और उसके लिए कार्यवाही के आदेश दे दिये गये थे अब आगे मुझे मालूम नहीं है कि कोई ऐसा आवेदन पत्र आया हो जिसकी वजह से उनकी मांग जो भी मन्जूर की गयी थी उससे संतुष्ट हैं या असन्तुष्ट हैं मुझे सूचना नहीं है। अब मैं समझता हूं कि जो भी चर्चा कर चुके हैं उसके अलावा चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है, राज्य सरकार ने अपना दृष्टिकोण दे दिया है और उस पर आदेश दे दिय गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी और मुख्य मंत्री की बातचीत हुई उससे संतोष हो जाना चाहिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

था ऐसा आपने कहा । मैं समझता हूं कि जब यह इश्यू हाउस में आया हुआ है तो उस बात पर जो बातचीत हुई उसके दौरान में जो मांगें कर्मचारियों की आपने स्वीकार कीं या जिनको स्वीकार नहीं किया गया और किन कारणों से नहीं किया गया यह पूरा स्टेटमेंट आपको हाउस के सामने देना चाहिए ताकि हाउस इस नतीजे पर पहुंच सके कि गवर्नमेंट का रुख कहां तक वाजिब है और कर्मचारियों का कहां तक वाजिब है ताकि उस संबंध में हाउस कुछ कहना चाहे, माननीय सदस्य अपनी ओपीनियन जाहिर कर सकें, ताकि गवर्नमेंट को उस संबंध में कुछ कहा जा सके। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि फुल स्टेटमेंट इस मामले में हाउस में आना चाहिए कि हाउस के अन्दर यह इश्यू उठाया गया और उसके बाद में बातचीत हुई है इसलिए हाउस को कान्फीडेन्स में लेना बहुत आवश्यक है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संबंध में पूरा स्टेटमेंट आना चाहिये मंत्री महोदय की ओर से।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि कुछ बातें हुई लेकिन उनका नतीजा साफ है कि कर्मचारियों का धरना जारी है और इसलिये वे संतुष्ट नहीं हुए हैं। अब आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ और ठीक है एक माननीय सदस्य के सामने बातचीत हुई लेकिन सदन के सामने वह आनी चाहिए और मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय ने कहा कि उनको मालूम नहीं है कि उनकी क्या प्रक्रिया रही। लेकिन राज्य कर्मचारियों का विधान सभा के सामने अभी भी धरना जारी है और अभी भी आप कह रहे हैं कि मालूम नहीं है कि वह सन्तुष्ट हुए या नहीं। इसलिए उनकी बातचीत सामने आनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर विधान सभा में काफी माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। सरकार की ओर से जब उत्तर दिया जाने लगा तो उससे पूर्व हमारा यह प्रस्ताव था कि इस बीच में सरकार सभी दलों के माननीय सदस्यों को बुलाकर और सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर इस मसले पर विचार करें ताकि इसका किसी प्रकार से निराकरण हो सके। कई बार विधान सभा में सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठने की स्थिति आई और समय निश्चित किया गया, लेकिन किसी न किसी कारण से वह स्थगित होती रही। अन्त में जाकर आज से चार दिन पहले सरकारी कर्मचारियों ने मुझे सूचना दी कि इस प्रकार से मीटिंग रखी जा रही हैं और हम सभी लोगों को इस प्रकार से सूचना दे रहे हैं कि वे इस मीटिंग के अन्दर उपस्थित हो जायं। मैं भी उस मीटिंग में उपस्थित था। सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच में इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई और जितनी भी मांगें थीं उन पर सरकारी पक्ष ने अपना रुख रखा और कर्मचारियों ने अपना रुख रखा। मूल प्रश्न जाकर स्पेशल पे पर अटक गया। सरकारी कर्मचारियों की यह मांग थी कि यदि राजस्थान के अधिकारियों को स्पेशल पे मिले तो हमें भी स्पेशल पे मिलना चाहिए, और दूसरी जो उनकी जबरदस्त मांग थी वह थी कि राणावत पे

(श्री भैरोंसिंह)

कमीशन से जहां काफी अधिकारियों को लाभ पहुंचा है वहां पर अल्प-वेतन कर्मचारियों को काफी हानि हुई । उस घाटे को दूर करने के लिए राज्य सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि जो बातें उस मीटिंग में तय हुई उन बातों के लिये सरकारी कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि लगातार चार दिन से इस बात के प्रयत्न किये गये कि जो जो मुद्दे निश्चित किये गये हैं उनके संबंध में निश्चित जानकारी लिखित रूप से दिला दी जाय ताकि हमारा एसोसियेशन इस प्रश्न पर विचार करे । कल शाम को सरकारी कर्मचारी मुझ से मिले थे और उन्होंने मुझे यही सूचना दी थी कि जो बातें तय हुई हैं उन बातों को जिस प्रकार से लिखा जा रहा है उससे वे सहमत नहीं हैं। जो बातें सरकार और उनके बीच में तय हो चुकी हैं उनको सरकार इस ढंग से इन्टरप्रेट कर रही है कि मांगें जहां थीं वहीं बनी रहें।

मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि जहां तक स्पेशल पे और राणावत कमीशन की सिफारिशों का सवाल है कर्मचारी उससे बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हैं, वे सरकार के रुख से सहमत नहीं हैं और सन्तुष्ट नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों की मूल रूप से मांग यह चली आ रही है कि स्पेशल पे उनको मिलना चाहिए और यदि स्पेशल पे नहीं दी जाती है और जो राणावत पे कमीशन की सिफारिशों से घाटा हुआ है उसकी पूर्ति नहीं की जाती है तो धरणा चलेगा ।

यह दो प्रश्न हैं जो उस समय अनिर्णित रहे और बाकी के प्रश्नों के बारे में जो एश्योरेन्स दिये थे वे लिखित रूप से मिले नहीं। मैं समझता हूं कि इन दोनों प्रश्नों के बारे में सारी विधान सभा के सामने एक स्टेटमेंट दे दें ताकि माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर सकें और अपना रुख रख सकें, यह चीज उचित होगी ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य जो कुछ भी चर्चा हुई और राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर जो निर्णय लिये उसके ऊपर अगर एक स्टेटमेंट चाहते हैं तो यह स्टेटमेंट कल दिया जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह दे दें ।

श्री रामकिशन : उससे ही पता लग जायगा ।

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ भी निर्णय हुए हैं इसके लिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वे एक मीटिंग में तय हुए थे उसके बारे में मन्डे 26 तारीख को निर्णय हुए थे उनके बारे में नोटिफिकेशन को एमेंडमेंट करना था वह 26 तारीख को कर देंगे इसलिये 25 तारीख, कल तो सन्डे था....

एक माननीय सदस्य : 25 तो आज है।

श्री भैरोंसिंह : लिख कर देना था कि ये बातें तय हुई हैं । यह नहीं जो कि मोटी बात है अभी तय की जानी है....

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो राज्य सरकार ने उस वक्त निर्णय लिये थे और जो निर्णय राज्य सरकार ने वहां पर लिए उनको उसी रूप में, उसी मन्शा में, उसी भावना में, किया जायगा । अगर उसमें कोई कमी रह गई हो

(श्री मथुरादास माथुर)

तो मैं देख लूंगा लेंग्वेज को। निर्णय जिन बातों का नहीं हुआ था राज्य सरकार उन पर आगे विचार करने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बहरहाल आप वह वक्तव्य दगे। श्रम मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस पर 28 तारीख को वक्तव्य दे देंगे, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिनका मुझ से कन्सर्न नहीं है और जो मख्य मंत्रीजी से कन्सर्न्ड हैं। वे 28 तारीख को यहां होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर 28 तारीख तक सेशन बढ़ता है तो 28 को दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : अगर नहीं बढ़ता है तो आप आजाना मैं दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : ऐसा नहीं होगा। आपके पास आने में हम विश्वास नहीं रखते हैं वह दूसरे लोग ही रखते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपके पास चला आऊंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। श्रम मंत्री।

शासकीय वक्तव्य

राज्य के इन्जिनियरिंग उद्योगों में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर श्रम मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इन्जीनियरिंग उद्योग के लिये केन्द्रीय वेतन-मण्डल 12 दिसम्बर, सन् 1964 को गठित किया था। वेतन मण्डल ने एक राय होकर केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें नहीं भेजीं। उस मण्डल ने चार विभिन्न सिफारिशें दी हैं, जिनमें से (1) अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र सदस्यों की ओर से हैं, दूसरी सार्वजनिक क्षेत्रों के नियोजकों की ओर से हैं, तीसरी निजी क्षेत्रों के नियोजकों की ओर से हैं, तथा चौथी श्रमिक सदस्यों की ओर से हैं।

भारत सरकार ने 1-3-69 को वेतन-मण्डल की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया तथा किसी निर्णय पर पहुंचने के संबंध में त्रिदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, परन्तु केन्द्रीय श्रम मंत्रीजी ने बैठक के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकारों को आपसी बातचीत के तौर पर वेतन-मण्डल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के संबंध में आपसी बातचीत के माध्यम से समझौता कराने का प्रयास करने के लिए पत्र लिखे। उसी प्रसंग में राज्य सरकार ने दिनांक 10-7-69 को त्रिदलीय बैठक आयोजित की तथा आपसी विचार-विनियम से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। अध्यक्ष और स्वतन्त्र सदस्यों की सिफारिशों को आधार मानकर बातचीत प्रारम्भ की थी। प्रारम्भ में आयोजकों का रुख कड़ा रहा जिसके कारण वार्ता निष्फल हो गई और श्रमिक पक्ष की ओर से तारीख 4-7-69 से सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की गई। यह हड़ताल सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की ओर से की गई सांकेतिक हड़ताल के नोटिस के साथ हुई। हड़ताल पूणरूपेण शान्त रूप से की गई। इसके तुरन्त पश्चात् श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अलग अलग बुलाकर इस संबंध में प्रयत्न किया तथा उनके विचारों की जानकारी की और अपनी ओर से सुझाव

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दिये । दिनांक 4-7-69 को सांकेतिक हड़ताल और आपसी वार्ता का क्रम जारी रहा । मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर भी दिनांक 12-7-69 को श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधियों का मिलाजुला प्रयत्न हुआ ।

(12.46 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मुख्य मंत्री जी ने इस बात का सुझाव दिया कि स्वतन्त्र सदस्यों तथा अध्यक्ष की रिपोर्ट को आधार मान कर अन्तरिम रूप से कुछ बढ़ोत्तरी देकर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् उनके द्वारा अध्यक्ष और स्वतन्त्र सदस्यों की सिफारिशों को पूर्णतया लागू किया जा सकता है । इसके पूर्व यदि दोनों पक्ष चाहें तो एक समिति गठित कर मामले पर विस्तार के साथ विचार कर सकते हैं । अन्तरिम (एडहाक) को लागू करने के संबंध में दिनांक 1-8-69 को सुझाव दिया गया । दिनांक 15 अगस्त, 1969 को श्रम आयुक्त के स्तर पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में वार्ता हुई । इसमें श्रमिकों की ओर से यह प्रश्न उठाया गया कि इन सिफारिशों को दिनांक 1-1-69 से लागू किया जाय जिसके साथ ही अन्तरिम फ्लेट रेट से कुछ श्रमिकों को चाहे वे किसी भी श्रेणी में आते हों मालिकों की ओर से दिया जाय । यह प्रस्ताव नियोजकों को स्वीकार नहीं था, परन्तु साथ ही वे वार्ता बन्द नहीं करना चाहते थे अतः श्रमिकों को यह सुझाव दिया गया कि वातावरण को अनुकूल बनाये रखने के लिये यह चीज करना चाहिये कि हड़ताल कुछ समय के लिए स्थगित कर दें तो उत्तम होगा । श्रमिकों की ओर से हड़ताल दिनांक 16-8-69 से बदस्तूर हुई जो अभी भी चालू है । हड़ताल मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, तथा उदयपुर के इन्जीनियरिंग उद्योग की इकाईयों में हुई । इसकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लि० जयपुर।	सभी श्रमिक व स्टाफ	2225
2. मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन (मेन युनिट)	..	433
3. मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन (टी०एल०युनिट)	सभी श्रमिक व स्टाफ	427
4. कामानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन छोटवाड़ा	सभी श्रमिक व स्टाफ	500
5. केप्स्टन मिटर्स	केवल श्रमिक	120
6. कमल एण्ड कम्पनी, कोट वर्क्स	केवल श्रमिक	60
7. एं० मुकर्जी एण्ड कम्पनी	72 में से 23 श्रमिक हड़ताल पर	
8. जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर	सभी श्रमिक व स्टाफ	1800
अजमेर		
9. तोसनीवाल इन्डस्ट्रीज, अजमेर	सभी श्रमिक व स्टाफ	225
10. उदयपुर क्राफ्टस-मेन इंजीनियरिंग वर्क्स	पूर्ण हड़ताल	53

इस प्रकार हड़ताल पर जाने वाले श्रमिकों की संख्या कुल 5866 है। भरतपुर, जोधपुर, फालना तथा कोटा में प्रस्तावित हड़ताल नहीं हुई है । इन्जीनियरिंग उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक, जो वेज बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं, की संख्या लगभग 10,000 है । इस प्रकार हड़ताल केवल 58 प्र०श० श्रमिकों द्वारा राज्य में की गई है ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मुख्य मंत्रीजी ने भी सदन के समक्ष दिनांक 16-8-69 को इस संबंध में एक वक्तव्य दिया, जिसमें स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया। श्रमिकों को मुख्य मंत्रीजी की अपील की कि वे 15 दिन का समय दें, तो संभवतः आपसी बातचीत के जरिये समझौता सम्पन्न हो सकता है। चूंकि श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच मतभेद की खाई काफी हद तक कम हो चुकी है श्रमिकों ने संभवतः इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है।

स्थिति सामान्य है तथा हड़ताल शान्ति पूर्ण ढंग से चलाई जा रही है। सरकार की ओर से प्रयत्न जारी है कि आपसी बातचीत के जरिये इस संबंध में कोई समझौता हो जाये दो संस्थानों—मल्टी मेटल्स कोटा तथा क्राफ्ट्स मैन इन्जीनियरिंग वर्क्स, उदयपुर में इन प्रश्नों के फलस्वरूप समझौता सम्पन्न हो गया है। दोनों ने वेज बोर्ड का न्यूनतम 103.25 देना स्वीकार कर लिया है। भरतपुर वैगन फैक्टरी ने 30 रु० मानकर देना स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में, मैं सदन को यह भी अवगत कराना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि भारत सरकार ने अभी इन्जीनियरिंग वेतन मंडल की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है चूंकि इस संबंध में कोई एक मत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य में भी इस संबंध में कोई निर्णय अथवा समझौता सम्पन्न नहीं हुआ है। केवल पश्चिमी बंगाल में इस बारे में श्रमिक तथा मालिक प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी, जो विफल हो चुकी है तथा सरकार की ओर से समझौते के प्रयत्न जारी हैं।

इस सम्बन्ध में मैंने जो परसों वक्तव्य दिया है, उसकी स्थिति भी सदन के सामने रखना चाहता हूं। वगन फैक्टरी भरतपुर ने 30 रु० देना मंजूर किया था और उनको रिप्रेजेण्ट करने के लिए ....

श्री नत्थीसिंह : वह हड़ताल अभी चल रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह मानें या नहीं। कल कलेक्टर से मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कोई बात चीत नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग हड़ताल चला रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : श्री दुर्गावत दस्तखत कर के आये हैं। लेकिन मजदूर उनको नहीं मानते। वह कहते हैं कि दुर्गावत मालिकों से मिले हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दुर्गावत को मजदूर मान नहीं रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो मजदूरों के रिप्रेजेन्टेटिव थे उस वक्त। हो सकता है कोई कहना नहीं मानें। अभी कल ही 4 यूनियन थीं। चारों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से भी बातचीत की। मेरे निवास स्थान पर बातचीत चलती रही। शाम को निर्णय होने वाला था, उन्होंने उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब हम कम्पनी के जो मालिक हैं, उनसे बात करके जवाब देंगे। कामानी मैटल वर्क्स हैं, उनसे बातचीत हमारे घर पर ही हुई है। व्यक्तिगत रूप से मालूम हुआ कि सामूहिक रूप से फैसला नहीं हो सकता है। इसलिए अलग अलग बातचीत करने जा रहे हैं। वह आज भी जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हूं कि फैसला हो जाएगा। जो फैसला होगा वह सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। कोई कानूनी कदम की आवश्यकता हुई तो बाद में उठाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : इस वैजबोर्ड की रिक्मेंडेशन्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार अपना क्या व्यू रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार रिप्रजेन्टेटिव मेम्बर है। कमसे कम वैजबोर्ड की रिक्मेंडेशन्स का फैसला नहीं होता उस वक्त तक कम से कम इतना मिल जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता था कि इसके बारे में राज्य सरकार का व्यू क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भारत सरकार के सामने रिपोर्ट पेश हुई। भारत सरकार ही फैसला करेगी।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार की तो दूसरी बात आगई है। राज्य सरकार क्या कहती है। आप ने इस पर विचार नहीं किया है। विचार किया तो आप का व्यू क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चार रिक्मेंडेशन्स हैं। चार में से हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनमें कौन सी मंजूर होगी। वेजबोर्ड भारत सरकार ने बैठाया था। उनका काम है। हम अलग रूप से मजदूरों और उद्योगपतियों से समझौता करा सकते हैं। इण्टीरिम तरीके से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब चेयरमैन, स्वतन्त्र मेम्बर की रिक्मेंडेशन्स हैं, उस के बेसिस पर हम समझौता कराने को प्रयत्नशील हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1-1-69 से लागू करने की शिफारिश की है तो उस सम्बन्ध में क्या बातचीत हुई है। 1-8-69 से पहले का जो एरियर्स हैं उसके सम्बन्ध में, उसको दिलाने के सम्बन्ध में आगे कोई ऐश्योरेंस दिया गया है। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने जो अन्तरिम देने की बातचीत की है वह 1-8-69 से बातचीत की है। क्योंकि मालिक लोग तयार नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि 30 रु० एडहॉक मानें तो कार्य चल सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है कि कमेटी कोई भी तारीख तय करेगी या भारत सरकार तय करेगी कि फलां डेट से लागू हो उस डेट से लेकर एरियर्स दिला दिया जाएगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो माना हुआ है कि उसी दिन से लागू हो जाएगा। उसी दिन से एरियर मजदूरों को मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अभी बातचीत चल रही है। बातचीत करके कुछ नतीजा निकलने की संभावना है। मैं यह चाहूंगा कि फिर एक स्टेटमेंट आप दें तो मैं और बातचीत करना चाहूंगा।

श्री केदारनाथ : ये अप्रोच के बारे में दो तीन के नाम फरमाये हैं कि समझौता हो गया है। यह अप्रोच बड़ी गलत है। चाहे दुर्गावत हो या चाहे कोई हो। जब सामूहिक रूप से बातचीत हो रही है तो छोटी मोटी बातचीत करके यह असर डालना चाहते हैं कि यह हो गया है। ताकि आप इस फेल्युर करें। अप्रोच की यह पद्धति गलत है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अप्रोच का प्रश्न नहीं है। हर इण्डस्ट्री में अलग अलग यूनियन है। अलग अलग रिप्रेजेन्टेटिव हैं। उसको हक होता है कि वह फैसला कर सके। इंजीनियरिंग वैजबोर्ड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर वैजे का एक बेसिस बन सकेगा वह हम को अलग से ही फैसला करना पड़ेगा। जब सामूहिक फैसला नहीं हो सकता। इसलिए हमारा कार्यक्रम है कि अलग अलग मजदूर प्रतिनिधियों को बुलाकर समझौता कराने का प्रयत्न करें। सम्मिलित रूप से कोई समझौता नहीं होता हो तो। मालिकों, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव का इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

श्री केदारनाथ : इस हड़ताल को आप सही मानते हैं ? यह हड़ताल आप की दृष्टि में लीगल है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा ट्रेड यूनियन के लीडर को यह प्रश्न सदन में नहीं पूछना चाहिए। बात यह है कि कई जगह लीगल है, कई जगह इल्लीगल है।

श्री उपाध्यक्ष : कड़ाना बान्ध के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामकिशन : यह क्वेश्चन से तय नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक ट्रेड यूनियन लीडर को इस सदन में यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इसमें बात ऐसी है कि कई जगह पर हड़ताल लीगल है और कई जगह पर इल्लीगल हैं। हर इन्डस्ट्री का अलग अलग मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री नाथूराम ! कड़ाना बांध के सम्बन्ध में।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न भी था। उसका जवाब दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्वेश्चन भी था।

श्री रामकिशन : यह क्वेश्चन से तय नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय,

विश्व विद्यालयों के संबंध में चर्चा

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट आफ बिजनेस में काल अटेंशन नोटिस है, इसके बाद में राज्य के विश्व विद्यालयों के संबंध में चर्चा वाला आइटम है। उसके पश्चात कांसटीटयूशन (टवेन्टी सैकिण्ड अमेंडमेंट) बिल है जिसका रेटीफिकेशन करना है। जिस पर वादविवाद अधूरा रह गया था उस पर चर्चा होगी। फिर अकाल की स्थिति के ऊपर चर्चा होगी, अगर समय बचा तो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरु करें, इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था देदें तो हमें सहूलियत हो जायेगी, हमें सुविधा हो जायगी क्योंकि हमें बैठक में जाना है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में चर्चा करनी है, यह केवल एक ही राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करनी है बल्कि जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय इन तीनों के सम्बन्ध में चर्चा करनी है, इनकी क्या वित्तीय स्थिति है, इन तीनों विश्वविद्यालयों में क्या क्या अनियमिततायें हो रही हैं, इन विश्वविद्यालयों के बारे में जो समाचार पत्रों में समाचार आते रहे हैं उनसे मालूम होता है कि इससे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वहां लोगों में काफी असंतोष की स्थिति व्याप्त है, और इसलिये ही इस सम्बन्ध में इस सदन में मांग की थी कि जो इन तीनों यूनीवर्सिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है वह सदस्यों को मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो हमें विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न एनूअल रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी मिलनी चाहिए। वैसे इस सम्बन्ध में आसन की तरफ से भी राज्य सरकार को आदेश दिये गये हैं कि यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट या एनूअल रिपोर्ट इस सदन के सदस्यों को दी जायं। मेरी जानकारी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की रिपोर्ट तो सदस्यों को दी गई है....

श्री रामकिशन : नहीं दी गई है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। यह उदयपुर यूनिवर्सिटी एक्ट, 1962 का सेक्शन 19 है, इसमें लिखा है

"The annual report of the University shall be prepared under the direction of the V.C. and circulated amongst the members one month before......... and shall be sent to the Government for being laid before the State Legislature."

तो मेरा निवेदन करना यह है कि यह 1962 में उदयपुर यूनिवर्सिटी कानून पास किया उसमें धारा 19 हमने जोड़ दी और उसके अनुसार मैं समझता हूं उदयपुर यूनिवर्सिटी की एनूअल रिपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट राज्य सरकार को मिलनी चाहिए और उसको इस सदन की मेज पर रखना चाहिए। लेकिन वह इस सदन के सदस्यों को वितरित नहीं हुई है। वह वितरित नहीं हुई है तो इस स्थिति में मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में, विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस सदन में बहस होती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एजूकेशन के सम्बन्ध में, बहस होती है तो वास्तविक रुप से जो विचार पेश करना चाहते हैं वह नहीं हो सकते हैं। और उसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर असर नहीं होगा। वह एक जनरल बहस हो जायेगी और एकेडेमिक स्तर पर जो चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी लेवल पर जो अनियमितुतायें हो रही है, जो फाइनेंशियल रुप से राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने फायदा उठाया है, जो एडमिशन के मामले के अन्दर स्टूडेंटस को असुविधा होती है, जो लेक्चरार के अपाइन्टमेंट के मामले में, जो उनके प्रमोशन के मामले हैं, और जो लेक्चरार, रीडर आदि के मामले हैं, इन सब प्रश्नों पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए- इस दृष्टि से म यह आवश्यक समझता हूं कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और एनूअल रिपोर्ट इस सदन के सदस्यों में वितरित की जाय, उसके बाद ही इस आइटम को लिया जाय। मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रीजी को आपत्ति नहीं होगी। इन रिपोर्ट को वितरित होने की व्यवस्था हो जाय और उसके बाद में इस पर चर्चा हो जाय, यह आवश्यक है।

श्री नत्थीसिंह : यह रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के पिछले दो सत्रों में यह प्रश्न बार बार रेज किया गया, एक बार प्रिविलेज मोशन के रुप में भी इस प्रश्न को उपस्थित किया गया कि यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट यहां पर आनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आसन से भी यह व्यवस्था की गई थी कि यह रिपोर्ट मंगवाई जाय और इस सदन के सदस्यों को वितरित की जाय। लेकिन खेद का विषय यह है, उपाध्यक्ष महोदय, केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स हमें मिली हैं और जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनीवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट जो स्टटुअरी तरीके से मिलनी चाहिए, वह अभी तक नहीं मिली है। और उनके नहीं मिलने के कारण ही यह डिबेट लगातार दो सेशन से पोस्टपोन होती रही है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि इस सम्बन्ध में बहस इस सदन में, इस सत्र में अवश्य होनी चाहिये। अगर एक दो रोज में माननीय मंत्रीजी व्यवस्था कर सकते हैं तो जितनी भी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं, क्योंकि लाजमी तौर से गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट्स आगई होंगी, इसलिए जितनी भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं, वह तो इस सदन के सदस्यों को अवेलेबल करा दी जायं, ताकि उनके ही बेसिस पर डिबेट इस सदन में कर ली जाय। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आने के कारण या पर्याप्त कापीज उन रिपोर्ट की नहीं आने के कारण इस डिबट को पोस्टपोन किया जाय तो वह उचित नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि इस प्रश्न पर डिबट को अवाइड किया जा रहा है, जो कि अवोइड नहीं होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : डिबेट के लिए समय पूरा चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरा दिन इसके लिए हो।

श्री मूलचन्द डागा : पूरा दिन रख लें इसके लिए।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, परसों राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों पर चर्चा करने का प्रस्ताव मेरे सम्मुख आया तो मैंने यह समझा की सदन का पूरा मार्गदर्शन हमें मिले, इससे अधिक खुशी की बात और हो नहीं सकती है लेकिन जब यह मालूम पड़ा की इस प्रस्ताव मे कोई खास बात नहीं कही गई है, जनरल चर्चा के तौर पर यह प्रस्ताव रखा गया है, तो मेरी वही शंका थी जो कि माननीय सदस्य ने अभी यहां पर कहीं। मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि तीनों विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के ऊपर आधारित जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक उस चर्चा से लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह अच्छा समझता हूं, वैसे.....

श्री भैरोंसिंह : आपका मार्गदर्शन होना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : पिछली बार राजस्थान विश्वविद्यालय की रिपोर्ट तो आपके पास पहुच गई है, लेकिन मैं मालूम करना चाहता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आपके पास कब तक पहुच सकती है, यह मैं आपको कल बता सकता हूं कि इस

Page No 87

(श्री शिवचरण माथुर)

सैशन के पहले पहले वह रिपोर्ट आपको मिल सकती है या नहीं-यह मैं कल आपको बता दूंगा, उसके बाद में कोई भी दिन रख लीजिये डिबेट के लिए पूरा दिन रख लीजिये। मैं तो यह चाहूंगा कि इस सदन में चर्चा हो उससे एक मार्ग दर्शन मिले। आपकी चिन्ता है, उसको मैं भी उपयुक्त समझता हूं कि इस पर चर्चा हो और विशद चर्चा हो जिससे निश्चित रूप से राजस्थान के विश्व विद्यालयों को एक मार्गदर्शन मिलेगा।

श्री भैंरोंसिंह : डिबेट इसी सत्र में होनी चाहिए क्योंकि चार साल से इसको पोस्ट-पोन करते आ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अब पोस्टपोन करने का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि प्रोग्राम बन गया है।

श्री भैंरोंसिंह : प्रोग्राम बन गया है तो फिर आपत्ति क्या है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसमें साढे तीन बजे मंत्रीजी भी पधारेंगे, वहां पर इस पर विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री नाथूराम। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव!

कड़ाना बांध के निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री नाथू राम (वागीडोरा) : इस प्रश्न का जवाब देने दीजिये, उसके बाद...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं दे रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ध्यान आकर्षित कर दें, नाथूराम बागीडोरा, उनको इस पर बोलने दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, उनका एक प्रश्न है उसका...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सूचियां नहीं मिली हैं। मैंने सूचियां मांगी थी उनमें से मुझे एक भी नहीं मिली है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : फिर कैसे बहस करेंगे। माननीय सदस्य को सूची नहीं मिली है तो बहस कैसे करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, सूची के बारे में आपको क्या कहना है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटमेंट लॉग है क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूची के बारे में जानकारी नहीं है। कार्यालय ने इस क्वेश्चन को लास्ट में दिया है इसके अन्दर इसलिये नोटिस बोर्ड पर या कहीं और होगी-या नहीं मिली होगी मुझे पता नहीं है इसलिए मैं तहकीक तौर पर नहीं कह सकता। नहीं मिली है तो मैं दे दूंगा।

श्री नाथूराम : और समय भी, गये साल भी नहीं मिली थी।

श्री उपाध्यक्ष : सूची को पढ़ कर सुना देंगे। आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय पढ़ कर सुना देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी एक कापी, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री विद्यासागर (खेरवाडा—सु०) : जब यह मामला गम्भीर है और माननीय सदस्य को सूची मिलनी चाहिए। यह इस सदन की परम्परा रही है, इस इश्यू को आप टाले जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमेटी के नाम की सूची है। मैं कमेटी के नाम पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यह इतना महत्वपूर्ण मसला है, मैं समझता हूं राज्य सरकार मुझसे सहमत होगी कि सब रेलेवेन्ट डाकूमेंट, गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है, राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार की योजना बनाई है और भारत सरकार से जहां जहां हस्तक्षेप जिस प्रकार हुआ है, उसके सम्बन्ध में समस्त कागजात इस सदन के सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट किये जाते तो अच्छा होता क्योंकि यह मसला इम्पार्टेन्ट है और इसके ऊपर निश्चित रूप से डिबेट होकर इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। प्रभावित जनता जो इसके कारण पीड़ित है, उसकी पीड़ा का निराकरण भी इससे हो सकता है। माननीय मंत्री इस सदन में स्टेटमेंट देंगे और माननीय सदस्य, जो डाइरेक्टली इससे प्रभावित है, वह जानकारी कर लेंगे और हम भी जानकारी कर लेंगे लेकिन जब पूरे पेपर्स नहीं हों तब तक मान कर चलिये कि जो इम्पेक्ट इसका पड़ना चाहिए गुजरात सरकार पर, वह पड़ने वाला नहीं है और राजस्थान सरकार से जो समझौते की बात चल रही उस पर असर नहीं पड़ेगा और इससे प्रभावित और पीड़ित जनता तथा राजस्थान सरकार को इससे नुकसान हो जयेगा। गुजरात सरकार, और लोगों को असर पड़े इसके लिए अच्छा हो कि सारे डाकूमेंट की तीन चार कापी अलग अलग पार्टी के पास भेज दें, ताकि उन्हें हम सब लोग देख लें और वास्तव में जो मुद्दे की चीजें हैं उनको सदन के सामने ला सकें।

श्री मूलचन्द डागा : सब सदस्यों को मिलनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे सदस्यों को मिले, हमें एतराज नहीं है। यह ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है, सदस्यों को असंतोष रहा है। समाचार-पत्रों में समाचार आए हैं और यह राजस्थान के व्यापक हितों का मामला है। मैं समझता हूं, इस सिसिले में गुजरात सरकार फायदे में रह गई, राजस्थान को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान सरकार इतनी कमजोर पड़ गई है कि इस डैम के संबंध में और बाकी प्रोजेक्ट्स के संबंध में तो कम्पलीट ब्लयू प्रिन्ट बनाकर माननीय सदस्यों को मिलें ? चाहिए तो यह था कि राज्य सरकार स्वयं आगे आकर स्टेटमेंट सदन में देती जिस प्रकार लोक सभा में होता है, कई मसलों पर अनेक प्रश्नों के संबंध में मंत्री अपनी तरफ से चलाकर वक्तव्य देते हैं, ब्ल्यू प्रिन्ट देते हैं, सारा लिटरेचर वितरित करते हैं, जानकारी देते हैं। यहां पर वक्तव्य देंगे, चौथाई वह नहीं सुनेंगे, चौथाई हम नहीं सुन पायेंगे, 4 सवाल पूछे जायेंगे, मामला खतम हो जायेगा। इसलिये जो अब स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, जो रिलेवेन्ट बैकग्राऊंड है, हिस्टरी है, इस सम्बन्ध में पूरे डाक्यूमेंन्ट्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बनाकर माननीय सदस्यों को ˜। ज्यादा नहीं दे सकें तो दो दो कापीज पार्टीवाइज सप्लाई कर सकें तो हम भी अपने दायित्व को जस्टिस कर सकें, ऐसा यहां न हो कि सरकार किसी प्रकार से लीपापोती करके सदन से बच जाना चाहे। उस तरह की स्थिति पदा न हो।

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : मैं माननीय सदस्य की भावना की इज्जत करता हूं और उनकी चिंता है राजस्थान के हित में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं जिसको मैं माननीय सदस्यों से छिपाने की कोशिश करता हूं। मैं अभी सवाल का जवाब बांट दूंगा उसमें रेफर करके उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटस हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहेंगे, वह माननीय सदस्यों को बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके लिए यही निवेदन है कि अभी आपने कहा है तो व्यवस्था करूंगा...

श्री भैरोंसिंह : सरकार को अपने आप करना चाहिए था।

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : मुझे समय मिलेगा तो बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वयं चाहता हूं कि वस्तु स्थिति की माननीय सदस्यों को जानकारी मिले और उससे जो कुछ माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन मिले उसके अनुसार हम कार्यवाही करने की कोशिश करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : दो राज्यों—गुजरात और राजस्थान के—बीच में जो समझौता हुआ उसके बारे में जब माननीय सदस्य कुछ बोलें तो यह डीप.ए डी का प्रश्न है। इस संबंध में कुछ इस प्रकार की बात कहना, जब तक हम उसको पूरा समझ नहीं लें, पूरे डाक्यूमेंट्स का अध्ययन न कर लें तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा।

श्री नाथूराम : मेरे दिमाग में है कि 25-6-67 को मैंने पूछा था तो जवाब असंतोषजनक मिला, फिर मैंने पूछा। अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि दो-तीन दिन में स्टेटमेंट दिया जाय तो सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए था लेकिन अध्यक्ष महोदय की आज्ञा की अवहेलना की। यह हजारों लाखों लोगों का प्रश्न है, जवाब अभी दिया जाय, उसकी जो भी जानकारी है। सरकार की तरफ से अध्यक्ष महोदय की आज्ञा की जो अवहेलना हुई है उसकी व्यवस्था के लिए मैं निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री उत्तर प्रारंभ करें और उसमें यदि कोई ऐसा विषय रह जाय जिसकी जानकारी सरकार को न हो तो उसको स्थगित किया जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : मंत्रीजी स्टेटमेंट ˜और वह अवश्य दें। परन्तु सवाल यह है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और माननीय सदस्य व्यग्रता के साथ लोक हित में कुछ सचना चाहते हैं और मंत्री ऐन वक्त पर संबंधित सदस्य को सूचना नहीं देते हैं, यह रोजना की स्थिति है। आज भी माननीय सदस्य को जो सूचियां उन्होंने चाही हैं, उनमें से अब एक स्टेटमेंट दिया है, बाकी नहीं दी हैं। ऐसी हालत में सदस्य किस प्रकार से अपने दायित्व वहन करने में समर्थ हो सकेंगे। उत्तर देते हैं तो अधूरा और हम ऐतराज करते हैं तो रिलेवन्ट रेकार्ड नहीं देते, ऐसी हालत में किस प्रकार से माननीय सदस्य संतोषजनक

Page No 90

(श्री दौलतराम सारण)

तरीके से अपना दायित्व निभाने में समर्थ हो सकते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का कोई दल विशेष से संबंध नहीं है। यह तो जनता का प्रश्न है और राजस्थान की जनता के हितों से संबद्ध प्रश्न है। माननीय सदस्य सरकार का अगर ध्यानाकर्षण करते हैं तो ध्यानाकर्षण करते समय जो कुछ उनका कहना है, अपने विचार व्यक्त करें तो दूसरे सदस्यों को भी जानकारी हो सकती है कि सरकार ने उनको क्या जानकारी दी, क्या नहीं दी है। यह खास तौर से मेरे जिले से संबंधित प्रश्न है, में भी अपने विचारों को दो शब्दों म निवेदन करना चाहूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन की ओर से बहस हो, सरकार का ध्यान आकर्षित हो, उसमें क्या आपत्ति है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ भी माननीय सदस्य मांगते हैं, वे बाद में मिलते रहेंगे। लेकिन अधूरा कार्यक्रम जो निश्चित हुआ है उसके अनुसार जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है, माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, उनको समय देना चाहिये, उनको अधिकार है, कहने का ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं इस पर चर्चा शुरू करदी जाय और अगर ऐसे तथ्य रह जाते हैं, जिनकी जानकारी करना आवश्यक होगा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तो यह चर्चा स्थगित कर दी जायेगी और कल फिर विचार किया जायगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चर्चा भी अगर स्थगित की जाय तब भी यहां सदन के सदस्यों को विचार पूर्णतः व्यक्त करने का अधिकार है, उनको मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : यही मैंने निवेदन किया है ।

श्री विद्यासागर : माननीय सदस्य चाहते हैं तो उनको लिटरेचर देने में क्या आपत्ति है ?

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : उनको देने में क्या ऐतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने किसी चीज के लिए इन्कार नहीं किया है। जो स्पेसीफिक चीज आप कहेंगे और जो मेरे पास उपलब्ध होगी, वह अवश्य देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री नाथूराम : मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (1) माही के पानी के संबंध में इकरारनामा मार्च सन् 1966 में हुआ। उस पर पहले मंत्रि-मंडल की स्वीकृति नहीं ली गई थी, यह इकरारनामा 10-1-66 को केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत मंत्री के कक्ष में हुई बैठक में किये गए विचार विमर्श पर आधारित है ।

(2) इसका जिक्र उक्त इकरारनामे में नहीं है पर राजस्थान सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और आवश्यक कार्यवाही कर रही है तथा गुजरात के राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने भी इस समस्या को मानवीय समस्या माना है ।

(3) जी हां, पुनर्वास के संबंध में जिस कमेटी की घोषणा की गई है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी गई है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(4) फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(5) गुजरात सरकार द्वारा कडाना रिजर्वायर एफ० आर० एल० 419 से संबंधित डूब में जाने वाले राजस्थान के क्षेत्र की जानकारी उनके पत्र क्रमांक एम० आई० पी० 6168/19797, दिनांक 14-3-68 के द्वारा प्राप्त हुई थी ऐसे सर्वे की आवश्यकता नहीं है।

(6) राजस्थान व गुजरात सरकार के बीच हुए इकरारनामों में ऐसा प्रावधान है कि जब नर्मदा सिंचाई योजना में माही के पानी से सिंचित होने वाले क्षेत्र में पानी लगना शुरू होगा उस समय माही के पानी की कुछ मात्रा जो कि उपरोक्त क्षेत्र से मुक्त (रिलीज) होगी वह राजस्थान में सिंचाई के लिए उपलब्ध होगी, उपलब्ध होने वाले पानी की मात्रा का अभी कोई निश्चित अनुमान नहीं है, क्योंकि अभी नर्म । के पानी का निश्चित बंटवारा नहीं हुआ है। माही का जो पानी उपलब्ध होगा उससे राजस्थान के क्षेत्रों में कितनी भूमि सिंचाई नियंत्रण क्षेत्र (कमांड) में लाई जा सकती है, इसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण करवा लिया गया है।

(7) जी हां, जनता की मांग पर राजस्थान सरकार की ओर से गुजरात सरकार के मुख्य मंत्रीजी से बातचीत की गई और उसके फलस्वरूप सबमर्जेन्स के बारे में नए सिरे से सर्वे किया जा रहा है उसके पूर्ण होने पर आगे आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(8) राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रथम एक छोटी माही योजना जिसकी लागत 3.08 करोड़ रुपये थी, वह योजना आयोग द्वारा उनके पत्र क्रमांक एन० आर० 7(13) 58, दिनांक 5-6-58 से स्वीकृत हुई थी परन्तु योजना की राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर रुपये 29.56 करोड़ की लागत की माही बजाज सागर की बड़ी योजना बना कर भारत सरकार को सन् 1964 में भेजी गई थी, यह योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत हो गई है परन्तु योजना आयोग की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण बजाज सागर योजना पर प्रारम्भिक कार्य ही हो रहे हैं। सन् 1960 से 31-3-69 तक इस योजना पर कुल रुपये 1,71,21,977 का व्यय हुआ है और उसके विवरण की सूची संलग्न है। योजना अभी पूर्ण नहीं हुई। इस कारण सिंचाई का प्रश्न ही नहीं उठता।

(9) जी हां, यह मामला भारत सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल को सौंपा जाने का है। नर्मदा विवाद को निपटाने तक कड़ाना बांध के कार्य को स्थगित रखने का इकरारनामें में कोई प्रावधान नहीं है। जिससे नर्मदा विवाद को निपटाने तक कड़ाना बांध के कार्य को स्थगित कराया जा सके।

श्री नाथूराम: मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें यह एग्रीमेंट किस स्थान पर और कब हुआ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने यह निवेदन किया था कि फरवरी में दिल्ली में सिंचाई एवं बिजली मंत्री के कक्ष में मिटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया और उस निर्णय का एग्रीमेंट फार्म गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया इरिगेशन एन्ड पॉवर मिनिस्ट्री की ओर से राजस्थान सरकार के पास भेजा गया। 3 या 4 मार्च, 1966

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
के आस-पास इर्रिगेशन मिनिस्टर ने दस्तखत कर फारवर्डिंग लैटर के साथ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के इर्रिगेशन एन्ड पॉवर मिनिस्ट्री के पास भेज दिया।

श्री नाथूराम : इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं हुई। कड़ाना डैम में करोड़ों की सम्पत्ति डूब में आवेगी तो इसकी मंत्रिमंडल से स्वीकृति क्यों नहीं ली गई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस सिलसिले में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। ध्यानाकर्षण करने के लिये आप सब बातें एक साथ कह दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यही मैं चाहता हूं। खास खास मुद्दे हों उनके ऊपर जवाब दें तो दें नहीं दें तो हम कहें उस पर विचार करें।

श्री मूलचन्द डागा: कैबिनेट में डिस्कशन हुआ था नहीं? एग्रीमेन्ट करने के पहले इस पर निर्णय हुआ या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकर्ता।

श्री नाथूराम: बहुत बड़ा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। बिना कैबिनेट की राय लिये और बिना स्वीकृति के यह एग्रीमेन्ट किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस सिलसिले में एक सवाल है। आपने यह कहा कि श्री नाथूरामजी मिर्धा ने राजस्थान सरकार की ओर से एग्रीमेन्ट पर दस्तखत किये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाम किसी का नहीं लिया। ईर्रीगेशन मिनिस्टर जो थे उन्होंने दस्तखत किये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोन्स्टिट्युशनली इसको पूरा एग्जामिन कर लिया है? गवर्नर की तरफ से किसी मिनिस्टर को किसी एग्रीमेन्ट पर दस्तखत करने के अधिकार नहीं हैं। मोरल बाइन्डिंग हो सकता है लेकिन कोन्स्टिट्युशनली कोई एग्रीमेन्ट वैलिड नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकर्ता। उनको प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह: प्रश्न उन्होंने पूछा है। नर्मदा योजना माही कडाना से सम्बन्धित है, नर्मदा मंजूर नहीं होती है, और मंत्रिमंडल की राय नहीं ली गई है तो एग्रीमेन्ट को खत्म क्यों नहीं किया जाता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सब एक साथ पूछ लें प्रश्न। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसके साथ लेने से जो भी प्रश्न पूछने हैं उनका जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: एक प्रश्न का उत्तर दे दें। क्या यह सही है कि सिंचाई मंत्रीजी ने जिन्होंने एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की ओर से हस्ताक्षर किये हैं वे राज्य सरकार की ओर से हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत नहीं थे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एसा कोई प्रश्न नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नम्रतापूर्वक आप से निवेदन करूंगा कि प्रश्नकर्ता और ध्यानाकर्षण करने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी मुद्दे उठाये हैं वे उठाने चाहिये, उठा सकते हैं लेकिन आपकी आज्ञा से जो कुछ भी मुझे कहा है कह जाऊंगा सरकार को उस पर उत्तर देना हो तो उत्तर दे। ध्यानाकर्षण

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रस्ताव के सिलसिले में ध्यान आकर्षित करने के लिये खास खास मुद्दे जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह इस प्रकार हैं :

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कड़ाना बांध...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले तो माननीय सदस्य जिनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह बोलेंगे तब ही उपयुक्त रहेगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझा उपाध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य को जो कुछ कहना था वह कह दिया । उन्हें कहना है तो उन्हें कहने का अधिकार है ।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस प्रकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात व राजस्थान सरकार के इकरारनामे के अनुसार कडाणा बांध का निर्माण हो रहा है जिससे राजस्थान के दक्षिण प्रदेश के हजारों निवासियों के सम्मुख विस्थापित होने की भयंकर समस्या उत्पन्न होने वाली है । इकरारनामे के अनुसार नर्मदा, माही योजनाओं का कार्य जब आरम्भ नहीं हुआ तो केवल इसे ही प्रारम्भ कर राजस्थानियों के लिये यह समस्या क्यों पैदा की जा रही है ?

श्री मूलचन्द डागा : धीरे 2 बोलिये । समझ में तो आवे ।

श्री नाथूराम : अभी तक राजस्थान और गुजरात सरकारों के मध्य इस क्षेत्र के विस्थापितों को बसाने अथवा मुआवजा देने के सम्बन्ध में क्या समझौता हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है और न ही राज्य सरकार ने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की है । इस बांध की ऊंचाई कम करने के लिये भी क्षेत्र की जनता ने मांग की थी ताकि अधिक भूमि डूब में न आ सके । इस क्षेत्र के निवासियों ने यह मांग भी की है कि जब तक इस योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में सरकार पूर्ण सर्वे न करा ले इस बांध का निर्माण स्थगित रखा जाना चाहिये ।

इस प्रकार कडाणा बांध के निर्माण के मामले में इस क्षेत्र के निवासियों में तीव्र असंतोष व्याप्त है । यह मामला अत्यन्त लोक महत्व का है अतः मैं माननीय सिचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दक्षिण.. इसको पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस ढंग से कहना चाहें कह दें । फोर्मेलिटी की बात नहीं है । चाहे पढ़ें या न पढ़ें । जैसी भी आपको सुविधा हो ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप तो पढ़ कर ही कह दीजिये जो कुछ कहना है ।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले के सीमान्त क्षेत्र व गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र 'आदिवासियों की इकाई' के प्रमुख अंग हैं । सदियों से इस क्षेत्र की एक एक इंच भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये आदिवासियों ने अपना खून पसीना एक किया । आज गुजरात का पश्चिमी भाग व राजस्थान का दक्षिणी भाग जहां कि माही नदी बहती है सोना उगलने वाली जमीन के नाम से पुकारा जाता है । सन् 1905, 1908, 1925

(श्री नाथूराम)
तथा 1947 में माही से सिंचित करने हेतु राजस्थान के इस आदिवासी क्षेत्र को डूबोकर आदिवासी क्षेत्र की इकाई को भंग करने, आदिवासियों को तबाह करने की योजनायें गुजरात ने बनाई थीं किन्तु वे कामयाब नहीं हुई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको जो कुछ कहना है वह पढ़ कर कह दीजिये।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र हैं उसको राष्ट्रपति जी ने शिड्युल्ड एरिया घोषित किया है। यदि कोई सुधार के कानून बनते हैं अगर उससे उस क्षेत्र का अहित होता है तो ऐसे कानून को भी बदल सकते हैं। आजादी के पहले स्टेट के समय में गुजरातियों को किसी प्रकार भी मौका नहीं मिला। आजादी मिली तो सन् 1947 में तय किया कि माही नदी पर बांध बनाया जाय। कई बार योजना बनाई लेकिन स्वीकृति नहीं हुई। उसके बाद में 59 में गुजरात सरकार ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा इलाके में सर्वे कराया। 6 महीने डूंगरपुर बांसवाड़ा में जगह जगह सर्वे पार्टी ने मुकाम करके सर्वे की। राजस्थान सरकार के लोगों ने मदद दी, एतराज नहीं किया। आपत्ति नहीं उठायी। 59 में सर्वे हुआ और मार्च 66 में एग्रीमेन्ट हुआ। मार्च, 66 में इसका एग्रीमेंट हुआ और इसके बाद गये साल उन्होंने वहां कार्य आरंभ कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने गुजरात के साथ, यह एग्रीमेंट किया तो वह अवैधानिक था क्योंकि इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई उन्होंने एक कमरे में बैठ कर यह एग्रीमेंट किया और यहां जो स्थिति है वह सरकार को मालम नहीं है। मैंने लोगों की जानकारी के लिये यहां विधान सभा में 26-3-68 को एक लम्बा तारांकित प्रश्न प्रस्तुत किया था और तब लोगों को उसके माध्यम से जानकारी हुई और उसका मन्त्री महोदय कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इसके बाद फिर 25-2-69 को मैंने प्रश्न पूछा। उस वक्त भी मंत्री महोदय संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और आसन की तरफ से उपाध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था दी गई थी कि मंत्री महोदय इस सदन को विश्वास में लेकर इसका एक स्टेटमेंट दें। मंत्री महोदय ने इसको टालमटोल कर दिया और न कोई स्टेटमेंट दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध की मंजूरी के लिये 17 करोड़ 90 लाख रुपया प्लानिंग कमीशन से मंजूर हुआ है और 5 करोड़ 16 लाख रुपया विद्युत् के लिये मांग की है। वजाजसागर डैम, बांसवाडा का शिलान्यास भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री मुरारजी भाई देसाई ने 7 मई, 1960 को किया था। उस समय यह चर्चा थी कि बांसवाड़ा, बजाजसागर जो बांध बनेगा वह सिंचाई का है और उसको बिजली के लिये ऊंचा बनाया जाकर बिजली पैदा की जायेगी और बांसवाड़ा डैम से कड़ाना डैम को पानी दिया जायेगा। इसकी ऊंचाई 250 फीट रखी जायेगी। परन्तु इसकी जानकारी न मालूम किस दबाव में आकर राजस्थान सरकार ने लोगों को नहीं दी। इस योजना में जो 250 फीट की ऊंचाई कड़ाना बांध की तय की गई थी, उसे बढा कर 419 फीट कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह जानकारी

(श्री नाथूराम)

देना चाहता हूं कि मैंने टैक्निकल आदमियों से मालूम किया, मैंने खुदने उनसे बातचीत की है, और हमारे सैकड़ों लोग डैम की साइट पर गये हैं, गुजरात सरकार ने कड़ाना बांध तेजी से बांधना आरम्भ कर दिया है। उसका पानी केवल 4 मील गुजरात में और 50 मील पानी राजस्थान के हद में रहेगा। जो गुजरात सरकार ने सर्वे की है, उस हिसाब से हमारे मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि 117 गांव डूब में आयेंगे। यह बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में बागीडोरा तहसील के 51 गांव बताये हैं, गढ़ी तहसील के 38 और सागवाड़ा तहसील के 28 गांव बताये हैं। गुजरात सरकार के द्वारा 1959 में जो सर्वे कराया गया था, ये वे आंकड़े हैं। सही आंकड़े तो मैंने उनके रिकार्ड से निकाले हैं, मेरे पास हैं। इसी तरह इन्होंने 29 लाख 695 हजार एकड़ जमीन को डूब में आना बताया है। और इसका फ्लड कहां तक फैलेगा, यह नहीं बताया है। एग्रीमेंट में यह भी बताया गया है कि राजस्थान को जो नुकसान होगा वह गुजरात की सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में दिया जायेगा। इसलिये उन्होंने अधिक गांव डूब में आये नहीं बताये हैं। दरअसल 200 ग्राम डूब में आयेंगे और 60, 65 हजार एकड़ के करीब जमीन डूब में आयेगी। जो जवाब यहां दिया जा रहा है, वह गुजरात सरकार के आंकड़ों से दिया जा रहा है। मैंने प्रश्न पूछा था परन्तु राजस्थान सरकार दस साल से नींद में सो रही है अगर राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वे होती तो सही स्थिति मालूम होती कि कितने गांव डूब में आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को, कि दस साल पहले जो सर्वे हुई थी, उसके बाद करोड़ों रुपयों का विकास उस क्षेत्र में हुआ है। कई स्कूल भवन आदि बनाये गये हैं, हजारों एकड़ भूमि का विकास हुआ है, सुधार हुआ है और लोगों ने हजारों रुपये लगाकर अपने अपने मकान वगैरह बनाये हैं। इन गरीबों की गाढ़ी कमाई उस क्षेत्र में लगी है और हजारों आदिवासी हरिजन वगैरह सब डूब में आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि गलियाकोट जैसा तीर्थस्थान है, जहां मुसलमानों की दरगाह है और भारत के अलावा जहां फोरेन से यात्री आते हैं और इसके साथ ही उसी गांव में एक माताजी का मन्दिर है, यह एक ऐतिहासिक मन्दिर है और इसके दर्शन के लिये हजारों की तादाद में लोग आते हैं, यह भी डूब में आयेगा और इसको बचाने के लिये इस हाउस में मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सिर्फ यह कहा गया कि कड़ाणा बांध की ऊंचाई 465 के बजाय 419 करायी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि 419 तो ठीक है किन्तु फ्लड से सैकड़ों गांव और डूब जायेंगे। माही नदी ऐसी नदी है जो पहाड़ों से निकल कर राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में बहती हुई गुजरात में जाती है। अभी गत साल ही माही नदी में फ्लड आया था और इस फ्लड का पानी गढ़ी, परतापुर, बोरी, आंजना भिलूडा, गलियाकोट गांवों में चला गया था। इस नदी के किनारे के गांव हर साल फ्लड के शिकार होते रहते हैं और वहां के लोगों में भयंकर डर है। आस-पास कोई डैम नहीं है, पुलिया नहीं है और सैकड़ों गांवों के लोग इस नदी से भयभीत रहते हैं और काफी नुकसान होता

(श्री नाथूराम)

रहता है। 419 फीट रखा जाता है तो पानी 4 मील गजरात में रहता है और लगभग 50 मील पानी राजस्थान के एरिया में रहेगा और यह सैकड़ों गांवों को डूबोयेगा। हमारे मंत्री महोदय यह कहते हैं 117 गांव ही डूबेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलियाकोट, भिलूडा गढ़ी, परतापुर जैसे बड़े 2 कस्बों के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले के 200 गांव इस बांध के कारण डूब में आयेंगे और इन गांवों में एक गांव नहीं बचेगा और हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक आदिवासी क्षेत्र है जो राजस्थान के दक्षिण में है। यहां की भूमि बड़ी उपजाऊ है और इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। इस उपजाऊ भूमि में गेहूं, चना, कपास, मक्का, गन्ना, चावल वगरह पैदा होते हैं। यह भूमि सोना उगलने वाली जमीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 25-2-69 को इस हाउस में चर्चा हुई थी और उसके बाद 4 अप्रेल को दिल्ली में मीटिंग हुई थी। दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्री, ईरिगेशन मिनिस्टर की मीटिंग में यह व्यवस्था हुई थी कि राजस्थान की तरफ से सर्वे कराया जाये। 7 मई, 69 को सर्वे पार्टी कडाणा गयी। वहां से वापसी पर 10 तारीख को गढ़ी में एक्स० इ० एन० मिले। मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने बताया कि 419 के मैंने पाइंट से सर्वे प्रारंभ नहीं की जायेगी तब तक सही स्थिति नहीं बता सकते। बल्कि हमको इतनी धमकी दी कि तुम्हारा सामान हटा ले जाओ। गुजरात वालों से सहयोग नहीं मिला। राजस्थान सरकार से लिखा हुआ नहीं है। राजस्थान के इंजीनियर्स के साथ यह व्यवहार गुजरात सरकार के अधिकारियों ने किया है। गुजरात के अधिकारियों का यह व्यवहार रहा जबकि गुजरात के आदमी 6-6 महीने आकर हमारे यहां ठहरे। हमने उनके खाने-पीने की व्यवस्था की और राजस्थान सरकार चुपचाप ऐसी बात को सुन रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हर तरह से हमने उनको सहयोग दिया लेकिन राजस्थान सरकार के जो टैक्निकल आदमी वहां गये उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जो सर्वे की जा रही है वह बेकार है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक भारत सरकार के मैन पॉइंट पर सर्वे शुरू नहीं होगी, तो सही सर्वे नहीं होगी और इस पर जो खर्च किया जा रहा है वह बेकार खर्च किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यहां के लोगों द्वारा जब पूछा जाता है कि इसके असर क्या पड़ने वाले हैं वे सही रूप में नहीं बता सकते, उनका कहना है कि जब तक फील्ड स र्वे नहीं हो जाती तब तक सही अन्दाज नहीं बता सकते। आज राजस्थान में वह जमीन ऐसी है जो सोना उगलने वाली है। जिसके बारे में दस बारह सालों से जनता को अनभिज्ञ रखा गया कि इस बान्ध से इस इलाके के लोगों को कितना नुकसान होने वाला है। इसके भय के कारण लोगों ने भूमि सुधार के काम बन्द कर दिये, वे विकास के कामों में रुचि नहीं ले रहे हैं, रात दिन इसी भय के कारण वे सोते नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की तरफ से वहां के लिये एक पुनर्वास कमिटी बनाई गई है। जिसमें यहां के इन्जीनियर लोग भी हैं और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी हैं। मैं यह कहूंगा कि जो कमिटी बनाई हुई है उसको कोई परवाह नहीं कि लाखों

(श्री नाथूराम)

आदिवासियों की जमीनें डूब रही लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों की न तो जानकारी है और न सही जानकारी जनता को दी गई। जिस तरह से नर्मदा जल योजना है उसका मध्य प्रदेश के लोगों ने विरोध किया। नर्मदा घाटी योजना के लिये मध्य प्रदेश की विधान सभा में काफी चर्चा हुई कि यह गुजरात के स्वार्थ के लिये बनायी जा रही है। हम अपनी एक इंच भी जमीन इसमें डूब में नहीं आने देंगे। वहां की जनता ने विरोध किया। लेकिन हमारे यहां मंत्रिमंडल ने जनता के सामने सही स्थिति नहीं रखी। जो पुनर्वास कमिटी बनाई गई है मेरा यह निवेदन है कि उस कमिटी को खत्म किया जाय उसके साथ ही इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाय। मंत्रिमंडल में वह योजना स्वीकृत हुई मानकर इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। इसका सही उद्देश्य भी नहीं बताया गया। पोंग डैम से राजस्थान को पानी मिलेगा। उससे जो गांव के गांव उजड़ेंगे उनको पुनर्वास के लिये 3 लाख एकड़ जमीन राजस्थान में रिजर्व की है। पंजाब वालों को बसाया जायेगा। गुजरात से पहले ही इस बात का इकरारनामा होना चाहिए जिसमें जितने भी गांव राजस्थान के उजड़ेंगे उनको कहां बसाया जायेगा, इसका इकरारनामा पहिले होना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने बताया उसके 47 गांव डूब में आ रहे हैं। मैं इस बारे में वहां के लोगों से भी मिला। वहां के लोगों में भी असंतोष है 20 कस्बे ऐसे हैं जिनके बसाने की व्यवस्था नहीं है इसलिये इसका विरोध हो रहा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं गुजरात वाले सन् 1905 से इसके लिये कोशिश कर रहे हैं और जाकर 69 में काम आरम्भ किया है उससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इससे साठ पैंसठ हजार एकड़ भूमि हमारे राजस्थान की नष्ट होगी, उस क्षेत्र के लोग उस भूमि से अलग कर दिये जावेंगे और उससे साधन सम्पन्न गुजरात को समुचित पानी मिलेगा जिससे 40 हजार 900 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और इससे बीस करोड़ की आय होगी लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की इतनी भूमि नष्ट होगी उसके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आज तक तो हमें पता नहीं गुजरात सरकार हमारे इधर के लोगों के लिये क्या व्यवस्था करने वाली है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो इकरारनामा हुआ है वह खारिज होना चाहिए। गुजरात के जो लोग इससे फायदा उठायेंगे वे सब पूंजीपति है वे यहां पर तमाखू पैदा करना चाहते हैं। दूसरे लोग ही फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने एक बान्ध बणक बोरी बान्धा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में रेगीस्तानी क्षेत्र है,और राजस्थान नहर के लिये क्यों नहीं जोर देते हैं कि यह भारत सरकार अपने हाथ में लेकर इसको पूरा करे। हम चाहते हैं राजस्थान के जैसलमेर इलाके को पानी पहुंचना चाहिये। इसके साथ साथ मैंने यह भी राय दी थी कि बनास नदी को सिरोही डिस्ट्रिक्ट में बान्धा है उसको रेज किया जाय जिससे वहां का पानी जालोर तक पहुंच सके।

बाड़मेर जिले में दुष्काल रहता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वेल खोदे जाने चाहिएं। मैंने इस बारे में भी सुझाव दिया था कि नर्मदा घाटी योजना साबरमती के पास

Page No 98

(श्री नाथराम)

बांध कर इसका पानी जालोर और बाडमेर तक पहुंचाना चाहिये। ये जो योजना है वह राजस्थान सरकार को प्रयत्न करनी चाहिये जो नहीं करती। कडाना डैम की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में नर्मदा जल योजना का वहां की सरकार और वहां की जनता ने विरोध किया प्लानिंग कमीशन ने उसकी मंजूरी नहीं दी है। हमारे माननीय मंत्री इस बारे में बराबर सुस्त रहे हैं उन्होंने जनता को जानकारी तक नहीं दी। कब कडाना डैम मंजूर हुआ कबसे काम आरम्भ हुआ अगर जनता के सामने ये सब बातें रखी जातीं तो जनता इसका विरोध करती। मेरा सिंचाई मंत्रीजी से कोई व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं है लेकिन जिस पद पर बैठे है उसका वे सही कर्त्तव्य पक्ष नहीं कर रहे हैं। यदि वे अपने पद का सही कर्त्तव्य निभाते तो राजस्थान की उपजाऊ भूमि को डूब में नहीं आने देते। यह भूमि राजस्थान में सोना उगलने वाली है जहां बिना सिंचाई के सभी फसलें होती हैं। आप इस प्रकार के उपजाऊ क्षेत्र को क्यों डूबोते हो, क्या आप में कमजोरी है जो आप गुजरात के सामने इतने झुककर चल रहे हो। मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय इस इकरारनामे को तुरन्त खत्म करें।

उपाध्यक्ष महोदय, बजाजसागर डैम की योजना पहले बनायी 33 करोड़ रुपये की यह योजना है इसकी मंजूरी होनी चाहिये। बजाजसागर डैम के नाम पर आप दो करोड़ के करीब खर्च कर चुके हैं जिससे बंगले बन गये, सड़के बन गई, कर्मचारी लोगों ने टी० ए०, डी० ए० उठा लिये और भी नाजायज फायदा उठाया। पहले बजाजसागर डैम तीन करोड़ का बनने को था यदि यह सिंचाई का बान्ध बनाया होता तो तीन करोड़ में यह बान्ध बन जाता दो करोड़ रुपये तो आपने खर्च कर ही दिये लेकिन एक इंच भी नींव नहीं खोदी ?

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आदिवासी क्षेत्र में कई समस्यायें हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस योजना से लाखों की तादाद में आदिवासी उजड़ जायेंगे। इससे आदिवासियों को तितर बितर करने को जो योजना है वह सफल नहीं हो पायेगी। आदिवासियों की इधर उधर झगड़े की समस्या ऐसी है जिसको आदिवासी बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। आपकी जो योजना है इस डेम द्वारा आदिवासियों को अलग करने की वह हम सफल नहीं होने देंगे।

इस कडाणा डैम को नहीं बनने देने के लिये तमाम किसान इकट्ठा होकर एक कड़ाणा बांध संघर्ष समिति बनाई है। इस समिति के 20 हजार सदस्य बन चुके हैं, जिसकी कार्यकारिणी भी बन गई है। हमारी कार्यकारिणी के सदस्य मुख्य मंत्रीजी से और सिंचाई मंत्रीजी से मिले उनकी तरफ से कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। हम उनको कह रहे हैं कि इकरारनाम खत्म किया जावे। इसके अलावा बजाजसागर की योजना पहले जो मंजूर करा ली गई थी उसको लिया जाय माही डैम बजाजसागर के बारे में जो स्कीम वह खटाई में डाल रखी है उसको पुनः लिया जाय और इस इकरारनामे को साफ इन्कार कर दिया जाय। इस बारे में मैं तमाम विरोधी दलों के नेताओं से और सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो इकरारनामा हुआ है वह पक्षपात-पूर्ण हुआ है इसलिये यह इकरारनामा खत्म

(श्री नाथूराम)

किया जाना चाहिये। यही मेरा सरकार व सदन से निवेदन है।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : कडाणा डैम के विषय में माननीय नाथूरामजी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ मैं माही डैम के बारे में भी कहूंगा। एक तरफ तो माही डैम को पूरा करने का जिम्मा सरकार ने लिया इसको चार साल हो गये लेकिन वह काम शुरू नहीं कर पाई। दूसरी तरफ कडाणा डैम शुरू कर दिया। माही डैम बांसवाडा के पश्चिम में और कडाणा डम भी उसी के आस पास चालू हो गया। बीच में थोड़ा सा बांसवाड़ा का हिस्सा रह गया बाकी सारे जिले को लपेट में ले लिया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिये कडाणा बांध बनाया जा रहा है जिससे सारे बांसवाड़ा जिले की जमीन डूब में आयेगी।

दूसरी तरफ माही डैम में 100 150 गांव डूब में आयेंगे जिस जमीन पर काम चल रहा है उसके लिये 13 साल से न जमीन दी जा रही है न वह वापिस हो रही है। कडाणा बांध से जो जमीन डूब में आने वाली है उसके बारे में गुजरात सरकार का कुछ कहना है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : भीखाभाई तो बिल्कुल चुप बठे हैं इनकी गांव की जमीन भी डूब रही है?

श्री विट्ठलभाई : इनका वहां से क्या वास्ता। ये तो जयपुर भाग चले आयेंगे। जहां आदिवासी लोग रहते हैं बांसवाड़ा जिले में जहां गरीब लोग रहते हैं वह मनमाने ढंग से उनके बिना पूछे एग्रीमेंट कर लिया जाता है। इनको आदिवासी डूब में आये इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

पहले से पिछड़े हुए लोग, आज वर्षों से पिछडे लोग, जिनके सामने रोजी-रोटी का सवाल, थोड़ी जमीन जो उनके पास बच गई, वह भी आप डूब में ले रहे हैं। मकान उनके छोटी मोटी टपरियां को डूब में ले रहे हैं दूसरी जगह भगावेंगे तो कहां जावेंगे।

तो सरकार इस पर सोचे। जहां जरूरी है वहां डमबान्धना चाहिये। न कि ऐसी जगह जिससे जिले के लोगों को फायदा न हो।

25 हजार आदिवासी भूमिहीन बांसवाड़ा जिले में आज भी भटक रहे हैं। आज उनको भी आप जमीन नहीं दे पाये हैं। किसी तरह का कोई व्यापार उनको नहीं दे पाये, न उनका किसी तरह से विकास का रास्ता निकाल पाये। जो जहां पहले थे आज भी वहीं हैं, उनके लिये तो आप कुछ कर नहीं पाये। बल्कि और सौ सवा सौ गांवों को माही में डूबा रहे हैं और इतने ही कडाना में डूबाने जा रहे हैं। इतनों को आप कहां बसावेंगे? इधर तो इतनी जमीन आपके पास है नहीं। फिर कहां बसावेंगे?

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि न तो हम चाहते हैं कि माही डैम बन्धे, न कडाना डैम बन्धे, अगर कडाना का काम आपने शुरू कर दिया है तो इतनी ऊंचाई न लें कि अधिक गांव डूब में आवें और उन सबको आप बसा न सकें। उसको छोटा बनाने की कोशिश करें तो ठीक है। नहीं तो आप तो सोते रहें गुजरात वाले मजे से बान्ध बना रहे हैं। राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर पावेगी और हमारा बांसवाड़ा जिला डूब में आ

(श्री विट्ठल भाई)

जावेगा। अगर आपने यह किया तो हमें कड़ से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप यह न सोचें कि नाथू भाई अकेले हैं। हम सारे लोग बांसवाड़ा वाले उनके पीछे हैं। बराबर लड़ाई लड़ेंगे। अगर दिल्ली तक भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। कोई चिन्ता नहीं करेंगे। अकेला कोई एक आदमी नहीं डूब में जा रहा है, सारा जिला जा रहा है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सख्ती से कदम उठावे और गुजरात सरकार को कहे कि वह बान्ध को छोटा करे। नहीं करे तो जरूरी नहीं कि सारे जिले को मारा जावे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसके लिये सारी कोशिश सरकार करे। नहीं तो, मैंने कह दिया कि हम पूरा कदम उठावेंगे बांसवाड़ा जिले में एक साथ मिलकर।

श्री रतनलाल रौत (चौरासी—सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में माननीय सदस्य, श्री नाथरामजी ने जो बात रक्खी, उसके कारण से जो स्थिति उत्पन्न होती है वह स्थिति गंभीर है और वहां के लगभग एक लाख लोग प्रभावित होते हैं और करीब 200 गांव डबत हैं और सब से बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान सरकार को यह सोचना चाहिये था कि भारत सरकार ने आदिवासियों के लिये जो राहत दी थी, उसे शिड्यूल एरिया घोषित किया, और कानून बनाया और कहा कि आदिवासी लोगों को ऊपर उठाया जावे, राष्ट्रपति की उस विशेष आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ है और राजस्थान सरकार ने भी एग्रीमेंट को मंजूर नहीं किया और बिना विचार किये सिंचाई मंत्री ने एग्रीमेंट को मंजूर कर लिया। तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों के लिये बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। वहां आदिवासी लोग बसते हैं और उनके लिये आज ऐसी स्थिति है कि पहले तो जंगल भी थे, उससे दूसरे धन्धे भी कर लेते थे पर आज जंगल नहीं रहे, फिर जो जमीन थोड़ी बहुत बची थी और जिस के सहारे वे किसी तरह अपना गुजर बसर कर लेते थे वह जमीन भी अब डूब में जावेगी तो उनके लिये दूसरी जमीन न बांसवाड़ा में है और न डूंगरपुर में है। फिर इन को डूबा कर कहां जमीन देना चाहेंगे? मालूम पड़ता है कि पौंग डैम से जिन की जमीन डूब में आवेगी तो उनके लिये तो राजस्थान सरकार ने 3 लाख एकड़ भूमि राजस्थान नहर में देना मंजूर किया है तो उसी तरह क्यों नहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोगों को राजस्थान नहर में जमीन दी जाती है, या गुजरात सरकार को क्यों नहीं कहा जाता है कि वह इनके लिये जमीन निकाले।

मेरा कहना है कि कहीं गड़बड़ अवश्य है जब कि राजस्थान कैबिनेट ने इस बात को मंजूर नहीं किया है। आदिवासी एरिया में जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय ने जो विशेष सुविधा दी है उसका पालन नहीं हो रहा है और नर्मदा और माही नदी पर बांध नही बनाया जाता है तब तक कडाना भी नहीं बनाया जा सकता, इस एग्रीमेंट में ऐसा है। अन्तर्राज्यीय नदी घाटी योजना कमेटी बनी है तो उस कमेटी के अध्यक्ष खोसला ने रिपोर्ट की है कि एक साथ तीनों योजनाओं को मंजूर करो। प्लानिंग कमीशन तीनों योजनाओं को एक साथ मंजूर करे, और एक साथ काम

(श्री रतनलाल रोत)

शुरू किया जावे तब तीनों राज्यों को लाभ मिल सकता है। जब यह नहीं किया तो कडाना क्यों मंजूर किया? आज 12 फीट बनकर भी वह तैयार हो गया है। जब कि नर्मदा नदी की योजना खटाई में पड़ी है और मध्य प्रदेश के लोग उसके बनाने का विरोध कर रहे हैं ? इसी तरह माही नदी पर एक पैसा भी प्लानिंग कमीशन से मंजूर नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कडाना बान्ध क्यों बनाया जा रहा है? मैं राजस्थान सरकार से और सिंचाई मंत्री से कहूंगा कि इन योजनाओं को भी शीघ्र चालू कराया जावे और वहां के आदिवासियों को बचाया जावे। जब तक तीनों योजनाएं भारत सरकार नहीं मंजूर करती है और इनके लिये एक साथ पैसा नहीं देती है, तब तक कडाना बान्ध का काम भी शुरू नहीं कराया जावे। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य, श्री नाथूरामजी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव केवल उनके क्षेत्र के लिये ही नहीं, केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिये ही नहीं, बल्कि राजस्थान के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में पूरे सदन के माननीय सदस्यों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो एग्रीमेन्ट कहा जाता है और जिसकी एक प्रति माननीय सदस्य को मिली है, उसे मैंने भी देखा। उसे देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि उसे एग्रीमेन्ट की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती कानूनी हिसाब से। जो कडाना बान्ध का एग्रीमेन्ट है, उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

Kanada Dam should be built to FRL 419-00. The entire cost and benefit for this project will be borne by Gujarat. It a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of the Dam for such use. The exact proportion will be fixed at the time when release becomes available.

उपाध्यक्ष महोदय, कडाना डैम की ऊंचाई 419 फीट होगी, वह कहां बनाया जावेगा, उसका लोकेशन कहां होगा, यह इसमें कहीं नहीं बताया गया है। 419 फीट एक जगह बनाने से कितना प्रभाव पड़ सकता है, दूसरी जगह बनाने से कितना पड़ सकता है यह इसमें कहीं नहीं बताया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वहां तो प्लिन्थ भी खुद चुकी है और लाखों रुपया खर्च भी कर दिया। उसका तो शिलान्यास भी हो गया। काम शुरू हो गया, जनवरी से जारी है।

श्री शंकरलाल : इस एग्रीमेन्ट के तहत राजस्थान सरकार बाउण्ड डाउन नहीं है। वह उसे रुकवा सकती है। यह एग्रीमेन्ट ही नहीं है। यह इतना ही कडाना बान्ध के सम्बन्ध में है। बाकी का बांसवाड़ा डैम के सम्बन्ध में है। कडाना का एग्रीमेन्ट जिसे कहा जाता है वह अधिकृत था या नहीं, यह प्रश्न तो दूसरा है, सवाल यह है कि जैसा भी जो कुछ यह एग्रीमेन्ट है, इसको

(श्री शंकरलाल)

ही देखा जावे तो प्रतीत होगा कि यह एग्रीमेन्ट ही नहीं है। जब एग्रीमेन्ट होता है तो उसमें दोनों पक्षों की बातें होती हैं। दूसरी बात, इसमें लिखी है कि राजस्थान में बान्ध से पानी कितना दिया जावेगा यह तै नहीं है, केवल इतना लिखा है कि उस वक्त तै कर लेंगे। वास्तव में दिया जावेगा तो कितना दिया जावेगा कौन से इलाके में दिया जावेगा, पश्चिम में देंगे या किधर देंगे, इसका कोई जिक्र इस में नहीं है। दो सरकारों के बीच में ऐसा महत्वपूर्ण एग्रीमेन्ट हो और वह केवल सात लाइनों में हो यह एग्रीमेन्ट है यह बात किसी के समझ में नहीं आ सकती।

(2 म० प०)

इसलिये इसको कोई एग्रीमेन्ट की संज्ञा नहीं दे सकता। गुजरात सरकार के कहने से इसमें 117 गांव डूब में आवेंगे, जब कि वहां के लोग कहते हैं कि ज्यादा आवेंगे करीब एक लाख जनता प्रभावित होगी। फिर अगर गुजरात सरकार की बात को भी मान लिया जावे कि 118 गांव प्रभावित होंगे तो यह भी बड़ी बात है। यह कहीं एग्रीमेंट में नहीं है। जो गांव डूब में आयेंगे, जो पीड़ित लोग होंगे उनके विस्थापितों के लिये क्या प्रावधान किया गया है–क्या मुआवजा दिया जायेगा, कहां जमीन दी जायेगी जबतक यह एग्रीमेंट में नहीं होता है तब तक एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं होता है और वह एक साईडेड नहीं होता। राजस्थान सरकार को चाहिये कि केवल यह सोचे कि हमारे किसी मंत्री ने एग्रीमेंट कर लिया है, हम वचनबद्ध हो गय हैं यह बिलकुल गलत है। पड़ता है केन्द्रीय सरकार के ऑफिस में बैठकर दोनों मंत्रियों के आपस में बैठकर तय हो गया जैसे आपस में बहुत मामूली बात हो गई। एग्रीमेंट करते हुए कतई राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया चाहे कोई मंत्री हो उनके दिमाग में कोई बात नहीं आई कि क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, कितनी जमीन डूब में जायेगी और कितने आदमी बेघरबार हो जायेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन के सामने आया है और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में आया है। मैं समझता हूं जब यह कहा जा रहा है कि बान्ध बन रहा है। मैं राजस्थान सरकार से कहूं कि क्या आपने यह जानकारी कराई 419 फीट है उसमें गुजरात सरकार कहती है 119 गांव डूब में आयेंगे इसमें कितनी जमीन डूब में आयगी, कितने आदमी बेघरबार होंगे जबतक आपने यह नहीं किया तो क्या किया ? आप में हिम्मत ही नहीं है कि कडाना बान्ध को रोकें। मैं समझता हूं सरकार का यह पहला उत्तरदायित्व है जबतक इन बातों का निर्णय नहीं होजाता तबतक इसको रोकना चाहिए। भारत सरकार के सामने इस प्रश्न को ले जाया जाय और दोनों का निर्णय नहीं हो विस्थापितों के लिये तब तक इसको फौरन बन्द करवाना चाहिये चाहे वह इस सरकार का पैसा हो और चाहे वह गुजरात सरकार का हो। यह बान्ध बनाया जाता है तो उसके बाद स्थिति दूसरी हो जाती है। इसके लिये इमीजियेट (अविलम्ब) स्थगन प्रस्ताव द्वारा आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देने से काम नहीं चलेगा, उत्तर तो आप दे देंगे लेकिन हम यह जानना चाहेंगे आप इसको कल बन्द करवाने की स्थिति में हैं या नहीं ? चाहे गुजरात सरकार हो और चाहे यह राज्य सरकार हो इस देश के मजदूर हैं–एक सरकार का निर्माण का

(श्री शंकरलाल)

काम है और दूसरे क्षेत्र के लिये यह बरबादी का काम है। क्या आप उसको बन्द करवाने की स्थिति में हैं ? जो आदिवासियों ने और माननीय सदस्यों ने कहा कि इस जमीन को हमने खून और पसीना देकर उपजाऊ बनाया है। उसको आसानी से बैठकर रूम के अन्दर बैठकर 7 लाइन का एग्रीमेंट कर लिया। आप हिम्मत कीजिये यह कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं आप इसको ला डिपार्टमेंट में एग्जामिन करवा लीजिये It is not an agreement in the eye of law, आप इस बान्ध को फौरन रोकिये और जो राजस्थान सरकार को नुकसान होने वाला है और जो डूबने वाली जमीन है, उसको बचाया जाय, लोगों को बेघरबार होने से बचाया जाय और यह नहीं करते हैं तो मैं कहता हूं जो आदिवासी हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाय और मैं सब माननीय सदस्यों से अपील करूंगा चाहे वे इधर बैठने वाले हों और चाहे वे उधर बैठने वाले हों इसको राजस्थान का एक प्रश्न लिया जाय और इसके लिये संघर्ष किया जाय और इस संघर्ष के अन्दर सब माननीय सदस्य साथ दें।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिद्धान्त के लिये मैं अनावश्यक रूप से सदन का एक भी मिनट नष्ट नहीं करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने भावना व्यक्त की है उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है। मेरा इस कडाना योजना में निजी स्वार्थ तनिक मात्र नहीं है। यह गरीब जनता का प्रश्न है और एक ऐसे क्षेत्र का प्रश्न है जहां पर हजारों आदिवासी रहते हैं और एक ऐसी नदी से संबंवित है जिसके दोनों किनारे उर्वर हैं और वहां पर घनी आदिवासी आबादी है। अगर यह कडाना डैम बनता है तो गत सदन में यही प्रश्न माननीय सदस्य ने जो बागीडोरा से आये हैं उन्होंने पूछा था, माननीय मंत्रीजी जो मेरे समक्ष विराजमान हैं उन्होंने उत्तर दिया कि कडाना डैम से राजस्थान को कोई लाभ नहीं है। अर्थात् गुजरात की सरकारने राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के अन्दर गुजरात के लिये जलाशय बान्धकर हजारों आदिवासियों की जमीनें और धार्मिक मन्दिर, मस्जिदों को तोड़ दिया, यह घोर अन्याय है।

माननीय सदस्य श्री शंकरलालजी ने एग्रीमेंट के बारे में कहा। एग्रीमेंट में न कहीं दुम है और न कहीं सिर। कोई बात हुई होगी दो सरकारों के जिम्मेदार मंत्रियों के बीच उसमें न तो कोई एग्रीमेंट का स्थान है न कोई तारीख का उल्लेख है और मैं उस एग्रीमेंट को पढना नहीं चाहता। माननीय सदस्य जो बागीडोरा से आये हैं उन्होंने मुझे रात को ही एग्रीमेंट दिया है–वह एग्रीमेंट की संज्ञा में नहीं आता है। सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कडाना डैम प्रारम्भ में 250 फीट था फिर 419 फीट हुआ और 419 का जब हुआ उस समय इस बात का कोई विचार नहीं किया गया माही नदी में जब बाढ आती है उसका क्या होगा ? आखिरकार बाढ आती है, माननीय सदस्य

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

जो बागीडोरा से आये हैं उन्होंने अभी कहा जब कभी बाढ़ आती है, अधिक बाढ़ आती है माननीय भीखाभाईजी मुझे दुख है आप मंत्री बनकर इन्हीं लोगों के हजारों वोटों से जीतकर आते हैं, हम आपके प्रति शुभ कामना रखते हैं लेकिन इन आदिवासी भाइयों के लिये कुछ तो कहें आपको क्या हो गया ?

श्री भैरोंसिंह : इनका नारवा निकल गया है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय भीखा भाई के प्रति 20 वर्ष से–मैं उनके लिये सद्भावना रखता हूं । मैं विरोध में भी उनका विरोध नहीं करता लेकिन यह क्या अजीब हिस्सा है उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छी भूमि, सबसे उपजाऊ भूमि–गढ़ी तहसील, बागीडोरा तहसील और यह माननीय मंत्री महोदय श्री भीखा भाई का निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा, मेरे से इसका कोई सरोकार नहीं सबसे अच्छी भूमि है और उसकी अगर राजस्थान की सरकार डूब की सहमति देती है और गुजरात के लिये जलाशय बनाने की व्यवस्था करती है, सहूलियत देती है यह अन्याय और अत्याचारों की घोर पराकाष्ठा है । मैं समझता हूं कोई नजीर दृष्टिगोचर नहीं होती है । यह तो एक सिद्धान्त की बात है –जीओ और जीने दो । आप इन विस्थापितों को कहां पर बसायेंगे ? इसके लिये आपके पास क्या योजना है ? क्या आप आसमान से तोड़कर यहां जमीन लायेंगे ? कहां है जमीन, सामान्य बुद्धि का अजीर्ण हो गया है इस राजस्थान की सरकार का । मुझे विशेष कहने की जरूरत नहीं है । पोंग डैम के संबंध में भी वहां के विस्थापितों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है–तीन लाख एकड़ भूमि सुरक्षित उन विस्थापितों के लिये रखी जाय । अगर आपको यह कडाना डैम बनवाना ही है तो कम से कम आप यह तो कहें कि 250 फुट की लेवल का जो पहले विचार आपने किया था उसको ज्यों की त्यों आप कायम रखिये । उसके उपरान्त गुजरात सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि कम से कम मैं तो समझता हूं 50 हजार आदमी विस्थापित होंगे । उनके लिये कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिए । तो मैं अभी यह कहने वाला था कि जब माही में बाढ़ आयेगी तो 419 फुट से कुछ तो ऊपर पानी जायेगा और ऊपर पानी जायेगा उसका क्या होगा यह आपने कभी अनुमान भी लगाया है ? गलियाकोट में पानी आता है, गढी में पानी आता है, कितने ही दूसरे छोटे बड़े गांवों के अन्दर माही का पानी आ जाता है तो 419 फुट का डैम जो कडाना है वहां पर जनवरी के अन्दर उसका काम शुरू हो गया । 12-12 फुट की दीवार ऊपर आ गयी उसका क्या होगा और मैं आपको निवेदन करूं बजाजसागर की योजना माननीय सदस्य जो इधर बैठते हैं विरोधी पक्ष में उन्होंने यह कहा कि हमको तो बजाजसागर भी नहीं चाहिए । बजाजसागर का शिलान्यास सन् 1960 में हुआ और वहां पर भी को राजस्थान की साजिश होगी–मैं व्यक्तिगत आरोप लगाने का हामी नहीं हूं लेकिन क्यों राजस्थान में शिलान्यास करने के लिये श्री मुरारजी देसाई आये । वह आये और उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया और वहां पर बंगले भी बन गये, लाखों रुपये खर्च हो गए और उसका पाया तक आपने अभी तक प्रारम्भ नहीं किया । और गुजरात में वहक वोरी नाम का उसी समय एक बांध बनाया

Page No 105

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और उसका काम भी खत्म हो गया। सुरसा की भीख गुजरात की महत्वाकांक्षा और जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा कि वह तो खेड़ा जिले में बिजली लगवाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासियों को बिजली नहीं चाहिये। हां, गन्ना और तम्बाकू जो कुछ उगा रहे हैं उसका स्वागत है लेकिन इन आदिवासियों को विस्थापित करके और बरबाद करके–यह कौन सा न्याय है, यह कौन सा समाजवाद है? यह तो मेरे ख्याल में एक राज्य जो आततायी बनकर और हमारे ऊपर आक्रांत होकर हमको बरबाद करना चाहता है। 'दिस इज सिविल वार' और क्या है यह? बल्कि पड़ौसी दो राज्यों के बीच में गृहकलह है और यह सब बिलकुल बेचैन लोग हैं।

इसके अलावा आदिवासियों की समस्याओं के अतिरिक्त फकरुद्दीन की दरगाह है और वह भी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है और वहां पर देश विदेश के मुसलमान आते हैं तिजारत के लिये। उसी फकरुद्दीन की दरगाह के पास शीतला माता का मन्दिर है। मेरा उससे जरूर स्वार्थ है, मैं उसका ट्रस्टी हूं लेकिन भगवती की इच्छा है कि वह जलमग्न हो जाये तो खैर वह तो होगा लेकिन हमको विरोध तो करना ही पड़ता है क्योंकि माताजी का स्थान रहता है तो आदिवासियों की जमीनें भी रहती हैं और आदिवासियों की जमीन रहती है तो फकरुद्दीन की दरगाह और माताजी का स्थान भी रहता है। दोनों का एक समान ही महत्व है। आगे आप बढिये और देखिये बिलूडा गांव है वहां पर रघुनाथजी का एक बड़ा ऐतिहासिक मन्दिर है वह भी डूबेगा और उसके साथ ही साथ जो अच्छी से अच्छी भूमि है जहां कि चावल पैदा होता है वह सब 90 प्रतिशत आदिवासियों की जमीन है और उसको सब को गर्क करवायेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई विशेष इस संबंध में निवेदन नहीं करना है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कहा कि 419 फुट की ऊंचाई जब इस डैम की होगी तो 30 हजार एकड़ भूमि बागीडोरा, गढ़ी और सागवाड़ा की डूबेगी और 117 गांव डूबेंगे लेकिन मुझे निवेदन करना है कि जब बाढ़ आयेगी तो कम से कम उसके ऊपर 12-12 फुट का और लेयर चारों तरफ 50-50 मील में क्या हो जायेगा यह? डेल्यूज आ जायेगा, एक कहर आ जायेगा और उसके साथ ही साथ मैं तो समझता हूं कि 200 गांव कम से कम डूबेंगे इस गुजरात के जलाशय को राजस्थान में बनवा कर आदिवासियों का सत्यानाश मत करवाइये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कडाना बांध के संबंध में माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के अपने भाव व्यक्त किये मैं समझता हूं कि सरकार के अतिरिक्त इस सदन में सभी माननीय सदस्यों की सहानुभूति उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित की है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय सिंचाई मंत्री ने एग्रीमेंट के संबंध में जिस प्रकार के भाव व्यक्त किये उससे मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी तो मन में और बाकी के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : आजकल अन्तरआत्मा का जमाना है अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, सब ने इस बात से मन में धारणा बनाई होगी कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी भी एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये जा सकते जिससे प्रत्यक्ष में राजस्थान सरकार को कोई भी तत्कालिक लाभ नहीं होने वाला है । उपाध्यक्ष महोदय, इस एग्रीमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस स्थिति पर कभी भी विचार नहीं किया कि जो व्यक्ति या गांव या जो भूमि डूब में आयेगी उनका पुनर्वास किस प्रकार से किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस बात के लिये भी तनिक भी चिन्ता नहीं की कि इस बांध की ऊंचाई 419 फुट तक स्वीकार करने के कारण राजस्थान की सरकार पर किस प्रकार का आर्थिक बोझ आयेगा और जनता को कितनी परेशानी होगी । मैं समझता हूं कि एग्रीमेंट में जहां और बातों का उल्लेख किया गया है, जिन बातों में भी मुख्य रूप से राजस्थान सरकार पर अतिरिक्त व्यय भार कितना आयेगा उसका कमिटमेंट तो राज्य सरकार ने किया है लेकिन इस बात की चिन्ता नहीं की कि पुनर्वास के संबंध में जो व्यय होगा वह गुजरात सरकार किस प्रकार से वहन करेगी और उस पर गुजरात सरकार का कितना उत्तरदायित्व होगा । इन दोनों बातों को छोड़ने से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने यह एग्रीमेन्ट बिना काफी विचार किये ही स्वीकार कर लिया और उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिये । एग्रीमेंट मैं सदन को पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिससे कम से कम यह पता लग जायेगा कि राजस्थान के हित की किस प्रकार से उपेक्षा की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली शर्त के अनुसार :

"Kadana dam should be built to FRL 419-00. The entire cost and benefit of this project will be borne by Gujrat. At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujrat an appropriate cost of the Dam for such use. The exact proportion will be fixed at the time when release becomes available."

मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार कई पूंजीपतियों से कई बार समझौता करती है, राजस्थान की सरकार ठेकेदारों से कई बार इस प्रकार के समझौते करती है लेकिन इस प्रकार की लूज लेंग्वेज न तो राजस्थान सरकार शायद इस्तेमाल करती लेकिन कोई भी ठेकेदार इस प्रकार की लूज लेंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेगा कि एप्रोप्रिएट कॉस्ट हम दें और एप्रोप्रियेट कॉस्ट क्या होगी और किस समय डिटरमिन की जायेगी वह जिस समय नर्मदा वाटर रिलीज किया जायेगा । नर्मदा वाटर पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार के बीच जिस प्रकार का विवाद चल रहा है आज कोई भी आशा करके नहीं चल सकता कि निकट भविष्य

(श्री भैरोंसिंह)

में इस विवाद का कोई निपटारा होगा और उसके अनुसार जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में उसका फायदा पहुंचेगा और हमें जो क्षति होगी उसकी पूर्ति हो जायेगी।

मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक्जेक्ट जो आपने वर्ड यूज किया है "Rajasthan should pay to Gujrat an appropriate cost of the Dam for such use." अब एप्रोप्रियेट टर्म यह दोनों के बीच में डिसाइड होगी, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में गुजरात सरकार ज्यदा से ज्यादा धन राजस्थान सरकार से लेना चाहेगी और राजस्थान सरकार व्यवहारिक रूप में कम देना चाहेगी, लेकिन इस शर्त के साथ पानी रिलीज करने का प्रश्न जुड़ा हुआ है और राजस्थान सरकार को गुजरात सरकार के डिक्टेशन मानने पड़ेंगे, कॉस्ट देनी पड़ेगी यदि गुजरात सरकार से नर्बदा का जल राजस्थान के लिए लेना चाहेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस वर्ड का यूज करके राजस्थान सरकार ने जहां एग्रीमेंट की सेन्टिटी को खत्म किया है वहां राजस्थान के हितों को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखा है, और इस प्रकार से लूज टर्म यूज की है जिसके कारण गुजरात सरकार हमेशा फायदा उठायेगी और राजस्थान सरकार को हमेशा नुकसान होता रहेगा।

आगे बांसवाड़ा डैम के बारे में लिखा है– "Banswara Dam across Mahi, located in Rajasthan, will be built FRL 921-00. Out of the total cost of the Dam a portion will be allocated for power, which Rajasthan will develop from the waters of this reservoir. This will be at the rate of Rs. 1,259 per KW firm power. If the total cost of the Dam increases beyond Rs. 14 crores, the allocated cost per KW taken above will also be increased proportionately."

अब इन्क्रीज्ड प्रोपोर्शन में भी राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर व्यय-भार लेने की चिन्ता की है न कि राजस्थान सरकार ने व्यय भार से बचने की कोशिश की है। रिजर्वायर बनाकर उसके जल से बिजली जितनी जनेरेट होगी और सारे डैम पर कॉस्ट 14 करोड़ से ऊपर चली गई तो फिर राजस्थान सरकार को ज्यादा व्यय देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में भी न तो दूरदर्शिता का परिचय दिया न राजस्थान के फाइनेन्सेज की चिन्ता की और न राजस्थान की जनता के हितों को सुरक्षित रखा है।

दूसरा लिखा है– "The cost of the Dam for FRL 915.00 should be shared between Gujrat and Rajasthan in ratio 40:9 as the utilisation of the waters for irrigation inclusive of evaporation losses are 40 TMC in Gujrat and 9 T. M. C. in Rajasthan."

यहां पर राजस्थान सरकार ने एक कन्डीशन के नीचे अपने आपको रख लिया उस कन्डीशन का फायदा जिसके हाथ में रिजर्वायर है, जिसके हाथ में उसका आपरेशन है, जिसके हाथ में एक्स्ट्रा युटिलाइजेशन है, उनके साथ में चलना पड़ेगा, यहां पर हमें गुजरात सरकार के डिक्टेशन स्वीकार करने पड़ेंगे।

(श्री भैरोंसिंह)

चौथा लिखा है— "Building the Dam up to FRL 921.00 will give an additional storage of 7 TMC which will be useful in lean years for ensuring firming of power generation. In view of this, Rajasthan has agreed to bear the difference in cost for building Dam between FRL 921.00 and FRL 915.00'

इसका मतलब यह है कि 915 तक गुजरात सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन पावर जैनेरेट करने के लालच से राजस्थान सरकार ने, गुजरात सरकार को दोष देने का सवाल नहीं गुजरात सरकार बनाना चाहती थी 915 और राजस्थान की सरकार कहती है कि 915 से 921 किया जाय । पावर जनेरेट करने के क्वेश्चन पर जो खर्चा होगा उसका एप्रोप्रियेट प्रोपोर्शन राजस्थान सरकार मीट करेगी । यहां पर यह स्पष्ट होता है कि गुजरात सरकार ही अपने इन्ट्रेस्ट को ध्यान में रखकर नहीं कर रही है राजस्थान सरकार भी 915 से 921 फीट ऊंचाई करा कर उसका खर्चा देने की तैयारी कर रही है। इसका मतलव यह है कि गुजरात सरकार को तो चिन्ता है ही नहीं लेकिन राजस्थान सरकार को भी किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है । इसके उत्तर में माननीय मंत्रीजी खोसला कमीशन की रिपोर्ट का आधार लेकर अपने को बचाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन खोसला कमीशन की रिपोर्ट इस आधार पर कहीं बीच में नहीं आती है । इस संबंध में माननीय मंत्रीजी स्पष्टीकरण करेंगे तो ज्यादा उचित होगा ।

फिर आगे लिखा है—"At a later date when Narmada Development takes place and when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and Mahi water at Banswara are released for use in Rajasthan, Rajasthan should re-imburse the cost of the Banswara Project paid by Gujrat."

इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा उसका भुगतान होगा । जिस समय नर्मदा का वाटर राजस्थान के लिये लिया जायेगा उस समय राजस्थान सरकार उसकी कॉस्ट गुजरात सरकार को चुकायेगी । इसका लाभ क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा लाभ इन्ट्रेस्ट का हुआ। इस समय गुजरात सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, परन्तु ज्योंही नर्मदा का जल राजस्थान को मिलेगा राजस्थान सरकार को कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस इन्ट्रेस्ट के कम्पेरिजन में जो लॉस है, जो एक्युमुलेटेड लॉस राजस्थान स्टेट को होगा यदि उसका कम्पेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान उसमें भी बहुत ज्यादा घाटे में रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने जब आरम्भ में 1960 में जब बांसवाड़ा डैम का शिलान्यास किया गया 7-5-60 को 200 फुट तक की ऊंचाई का डैम बनाने की योजना थी । मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने 250 से लेकर 419 फुट की जो ऊंचाई आपने स्वीकार की है उसके लिये क्या गुजरात सरकार ने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की ? क्या राजस्थान सरकार की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है ? उस रिपोर्ट के

(श्री भैरोंसिंह)

आधार पर कितने गांव गैरआबाद होंगे ? कितनी भूमि डूब में आयेगी ? कितना नुकसान राजस्थान का होगा ? क्या राजस्थान सरकार ने उसका केल्कुलेशन किया है और हमारे केल्कुलेशन के आधार पर गुजरात सरकार से मिलकर कम्पेन्सेशन के आधार की क्या व्यवस्था की है ? मुझे याद है कि यही मामला माननीय सदस्य ने राजस्थान विधान सभा में पिछली बार उठाया था और सिंचाई मंत्रीजी, संभवतः ये ही थे, उत्तर दिया था कि इसमें 117 गांव उजड़ेंगे और 29,965 एकड़ भूमि डूब के अन्दर आयेगी, लेकिन वहां के लोगों का अनुमान है कि कुल 117 ही नहीं जैसा कि महारावल साहब ने कहा था कि बाढ़ यदि आजाय और वहां पर लगातार फ्लड्स आते ही रहते हैं, उस फ्लड के कारण और डैम बनाने के बाद बारबार जो फ्लड्स आयेंगे उसके कारण अनुमान ऐसा है कि न केवल 29,965 एकड़ ही जमीन डूब में आयेगी बल्कि 50-60 हजार एकड़ जमीन डूब में आयेगी । इसका कम्पेरिजन इससे करें कि इस कडाना डैम से गुजरात की 40 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी और राजस्थान की 60 हजार एकड़ भूमि गैरआबाद हो जायगी । मैं ऐसा समझता हूं कि गुजरात को 40 हजार एकड़ पर पानी देने के लिए राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की 60 हजार एकड़ भूमि को आप बरबाद करना चाहते हैं । इसके लिए वहां पर जिस प्रकार के फलदार वृक्ष खड़े हैं उनको डुबो देना चाहते हैं, यह स्थिति ऐसी बन रही है और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ने गलती से एक कमिटमेंट कर लिया है या तो उस कमिटमेंट को करने को तैयार नहीं हो, या तो यह बात हो सकती है, या उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हो सकता है कि जो राजनैतिक परिस्थितियां हो रही हैं उनमें शायद मुख्य मंत्रीजी ने यह तय कर लिया हो कि राजस्थान में यदि मौका नहीं मिले तो कम से कम गुजरात को इस संबंध में लाभ पहुंचाना शुरू करें ताकि राजस्थान से निकलने के बाद गुजरात में मंत्री बन जायं, इस प्रकार की व्यवस्था को वे लेकर चलें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तभी सिन्डीकेट से गठबन्धन किया था और मुरारजी भाई उनके लीडर हैं, उनके बन्धन में नहीं चलें तो....

श्री भैरोंसिंह : वे जा सकते हैं क्योंकि परिस्थिति इस प्रकार की बन रही है । वे गुजरात में जाकर कह सकते हैं कि मैंने राजस्थान को डुबाकर गुजरात को इतना फायदा पहुंचाया है, राजस्थान की जनता के पैसे को और राजस्थान के आदिवासियों को बरबाद करके मैंने गुजरात को हरा-भरा बनाया है । मैं समझता हूं कि इतना क्लेम कर सकते हैं । क्लेम का लाभ कितना मिलेगा यह तो भविष्य ही हमें बता पायेगा ।

यह सब को मालूम है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की हालत क्या है, इसके बारे में 1963 में भारत सरकार ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार डूंगरपुर में 70 पर्सेन्ट किसान ऐसे हैं कि जिनके पास 6 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । इसी प्रकार से बांसवाड़ा की 50 पर्सेन्ट पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी पर कैपिटा इनकम 30 पैसे ज्यादा नहीं है । डूंगरपुर में 49 पर्सेन्ट की 23 पैसे पर कैपिटा से ज्यादा नहीं है । 1963 से लेकर अब तक निरन्तर अकाल पड़ता आ

(श्री भैरोंसिंह)

रहा है। अकाल की स्थिति में गरीबों की हालत और भी खराब हो जाती है। आज उनके सामने यह भूत खड़ा कर दिया है कि वे जिस खेत को डेवेलप करके अकाल की स्थिति से बचना चाहते हैं, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, चावल आदि की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, फलदार वृक्षों को लगाना चाहते हैं। आये दिन की परेशानी से बचने के लिये गवर्नमेंट ने उनके सामने भूत खड़ा कर दिया कि अगर जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ायेंगे तो कडाना डैम के साथ में वह खत्म हो जायगी।

इस भूमिका में किसी प्रकार का डेवलप्मेंट किया तो वह बेकार हो जाएगा। आज यह सारी स्थिति डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जहां दो करोड़ रुपया आदिवासियों की बहबूदी के लिए खर्च किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र होने के नाते, उसे रिजर्व रखने के नाते, आदिवासी स्कीम्स के नाते अनुमान लगाया जाये तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम 10 करोड़ रु० अब तक खर्च हुआ है।

एक माननीय सदस्य : बल्कि ज्यादा खर्च हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : 10 करोड़ रुपये हम पानी में बहा रहे हैं। राजस्थान का लैंड एक्वीजीशन एक्ट है। उसमें हम किसी भूमि को अवाप्त करते हैं, जहां से हम उसको उठा रहे हैं, उसका रिहैबिलीटेशन किस प्रकार से होगा ? आप को याद होगा, जयपुर की कच्ची बस्तियां तोड़ने की योजना सरकार ने बनाई थी। तो इसी सदन में यह घोषणा हुई है कि जब तक उनके बसाने का इन्तजाम दूसरी जगह नहीं कर दिया जायेगा, उनके मकान नहीं तोड़े जायेंगे।

सन् 1960 में मुरारजी देसाई ने इस बांध की नींव डाली। उसके बाद भी काम नहीं चला। 1 जनवरी, 1969 को कडाना डैम की नींव डाली। यह राजस्थान सरकार नहीं है कि धीरे धीरे काम करे। गुजरात सरकार ने जो टाइम निश्चित किया उसके अन्दर काम पूरा करेगी तथा स्वतन्त्र जनता की प्रतिनिधि राजस्थान सरकार यह कहती रही कि डैम तो टूटने वाला नहीं है। पानी भरेगा तो 117 गांव को और दो लाख आदमियों को डूबने से बचाने वाला कोई नहीं है। राजस्थान सरकार के जो नाथूराम मिर्धा ने जो एग्रीमेंट कर दिया है उसमें जो घातक परिस्थितियां मंजूर कर ली हैं। 117 गांवों के स्थान पर ज्यादा गांव डूब में आने के कारण गुजरात सरकार को यह राजस्थान सरकार कहे कि तुम्हारा सर्वे गलत था। हमारा सर्वे यह कहता है कि 29 हजार एकड़ ही प्रभावित नहीं होगा, थोड़े से लोग प्रभावित नहीं होंगे अपितु लाखों आदमी प्रभावित होंगे। जब तक यह समस्या हल नहीं हो तब तक राजस्थान सरकार को इस योजना के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। भारत सरकार को मैं यह कहूंगा कि आदिवासी तबाह हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात-मध्य प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। कोई एक इंच भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिन्दुस्तान में स्थान स्थान पर नदियों का विवाद चल रहा है। मैसूर और महाराष्ट्र का झगड़ा चल रहा है। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर प्रदेश अपना इन्ट्रेस्ट सामने

(श्री भैरोंसिंह)

रख कर चलता है। दुर्भाग्य से हमारे राजस्थान ने आदिवासियों पर इतना खर्च किया है 10 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसकी चिन्ता नहीं की। उन आदिवासियों के भविष्य की चिन्ता नहीं की है। गुजरात ने एक लालच दे दिया कि नर्मदा का पानी जैसलमेर से रामगढ होता हुआ बाड़मेर तक कैनाल बनेगी जिसमें पानी के जहाज तक चल सकेंगे। राजस्थान सरकार को यह सपना दे दिया गया। वर्तमान सरकार इस सपने को पूरा कर सके इसकी आशा किसी प्रकार नहीं की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इसी एक भ्रम में आकर राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जनता का अहित किया है। इसलिये अच्छा हो कि हम इस औचित्य के नाम पर सदन से मांग करते हैं कि सदन एक मत से इसे रिजैक्ट करदे और सरकार को डायरेक्ट करदे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बागीडोरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव द्वारा ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। मन्त्रीजी हमेशा ही यह कह चुके हैं। वह आदिवासियों को क्या समझते हैं। जैसे दाना डालकर मुर्गी मारी जा सकती है कोई पाप नहीं है, इसी तरह से क्या हमारा मन्त्रिमण्डल आदिवासियों को मनुष्य समझता है? तभी तो गुजरात में जाकर, कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाये, क्या क्या योजनाएं बनाई जायें, पहले यह एग्रीमेन्ट करना था। तब तो राजस्थान सरकार का नारा, उसका आदिवासियों का नारा कि हम आदिवासियों और हरिजनों का विकास करते हैं। केवल वोट लेने के लिये ही नहीं। तब तो मैं मान सकता था। पता नहीं वहां के मन्त्री भीखा भाई, हरिदेव जोशी, जो मन्त्री हैं। यह क्या समझते हैं। लोग कहते हैं उदयपुर डिवीजन में सुखाड़िया जी ने तन दिया, धन दिया। सुखाड़ियाजी वहां करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि बांसवाड़ा के लिए वह कोई जासूस तो नहीं है। यह क्या तरक्की करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ मिले हुए हैं। हो सकता है कि सैन्ट्रल मन्त्रिमण्डल में जाने के लिये ऐसा करते हों। हम गरीब मनुष्यों को पानी में डूबाकर ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हों। वोट के लिए हम लोगों को टुकड़ा डालते हैं। कुछ लोगों को पिछलग्गू बनाकर लेकर घूम रहे हैं। हो सकता है कि वह टुकड़ा डालते होंगे। एक वहां का बांसवाडा डैम बन रहा है। दूसरी तरफ कडाना डैम बन रहा है। तीसरी तरफ पथरीली जमीन है। जो नक्शा देखते हैं सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली जमीन बांसवाड़ा में है। माही में डूबने वाली जमीन है। बांसवाड़ा एरिया में सबसे अच्छी जमीन है। इस तरह से कम से कम 1 लाख लोगों को बेकार करने जा रहे हैं। गुजरात सरकार को लिख दिया गया तो गुजरात सरकार क्या करेगी। गुजरात में जमीन नहीं है। गुजरात के लोग मथुरा तक जा जा कर मजदूरी कर रहे हैं। भटक रहे हैं। वहां लोगों की व्यवस्था नहीं है। ठिकाना नहीं है। क्या वह हमारे एक लाख लोगों को बसा देगी। कहां लेजाकर छोड़ने वाले हैं। हिमालय पहाड़ में ले जायेंगे? योजना कहां है, वह नक्शा बतायें। वहां भीखाभाई भी सुखाड़िया के साथ साथ जायेंगे। जैसे रेल के साथ रेल का इंजन भी जाएगा। इसी तरह हरिदेव जोशी भी जायेंगे। गरीबों

(श्री हीराभाई)

को खत्म करके खून करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारे महसूस कर रहे हैं। मन्त्री अकेले ने दस्तखत कर दिया है, मन्त्री अकेले ने नहीं किया है।

क्या राजस्थान सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की। इन्होंने कैबिनेट में यह फैसला किया है। सुखाड़ियाजी उदयपुर के हैं, भीखाभाई डूंगरपुर के हैं और जोशी जी बांसवाड़ा के हैं। इन लोगों को डर था कि इन लोगों को इस क्षेत्र से वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए इन्होंने नाथूराम मिर्धा को आगे कर दिया। क्योंकि उनको इस क्षेत्र से वोट मिलने का डर नहीं है इसलिए नाथूराम मिर्धा ने कर दिया। इसलिए यह लोग अब कह देंगे कि हम क्या करें यह नाथूराम मिर्धा ने किया। पहले भी तरह तरह की बात करके वोट पर वोट ले लिया और अब जब चुनाव आयेगा तब वैसा ही होगा। लेकिन उन गरीबों के साथ क्या हो रहा है, जिन गरीबों का शोषण हो रहा है—उनके बारे में आपने सोचा नहीं है। जो यह नर्मदा नदी के बांध वाली बात है इसके लिये गुजरात और मध्य प्रदेश वाले तैयार नहीं होंगे तो पानी कहां से आयेगा। माही बांध, कडाना बांध बना कर इस क्षेत्र को क्यों डूबा रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों ने योजना को जिस तरह खटाई में डाल दिया है उसी तरह से माही डम की जो योजना है उसको तत्काल बन्द कर दिया जाय। अगर नहीं हो सकता है तो हजारों लोग मरेंगे, वह अपना निर्वाह कैसे करेंगे। उनका भविष्य उन लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप लोग भी सोच लीजिये, ठीक है, भीखाभाईजी मिनिस्टर हैं, ठीक है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में पार्टी पोलिटिक्स होती है, इसलिए उनका पार्टी के साथ रहना जरूरी है, और वह पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम वह आन्तरिक रूप से तो कुछ कर सकते हैं, घर में बैठ कर, घर में सोच कर तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन वह नहीं करेंगे। जब वह नहीं करेंगे तो गुजरात वाले हैल्प क्यों करेंगे। वहां सोचते हैं कि भीखाभाई मिनिस्टर बने हैं, कुछ करेंगे। लेकिन भीखा भाई तो अपने ही परिवार वालों को डुबा रहे हैं। आप आदिवासी लोगों को अपना समझते हैं तो आदिवासियों के लिए न कोई स्थान है और न उनके पास सम्पत्ति है, वह भिखारियों की तरह भटक भटक कर मरेंगे, उनके सामने कोई रास्ता नहीं होगा। इससे तो अच्छा किया बगूले ने जिसने मछलियों से कहा कि तुम्हारी नदी सूखने को जा रही है तुम सब मर जाओगी। दूसरी नदी में चलो। और वह एक एक मछली को ले जाकर खा गया। उसने तो उनका जीवन एकदम खत्म कर दिया लेकिन आप तो उनको तड़पा तड़पा कर मार रहे हो। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह कहना है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो एक साल के बाद में देखा जायगा, यह सरकार रहे या न रहे, यह दल रहे या न रहे और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाय। इसलिए आप मिनिस्टर रहें या न रहें लेकिन किसी तरह से भी इस योजना को, इस एग्रीमेन्ट को खारिज करायें, और बांसवाड़ा के सम्पूर्ण एरिया में जो जमीन डूब में आने वाली है और जिस जमीन पर आदिवासी बसते हैं उसी तरह की जमीन की जब तक व्यवस्था नहीं हो जाय तब तक इस कडाना डैम की योजना को खारिज कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र !

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही नहीं इस हाउस के अन्दर कडाना बांध के बारे में कई बार गवर्नमेंट के सामने मसला आया है कि कडाना बांध के बनेने से वहां के आदिवासियों और वहां के रहने वाले लोगों के सामने पेट की समस्या आयेगी। इसके बारे में आपको जानकारी है कि आदिवासी एरिया में आदिवासी लोगों के पास जो बांसवाड़ा के अन्दर जमीन हैं और जो कडाना बांध के पानी की डूब में आने वाली जमीन है वह जमीन बहुत उपजाऊ है और उपयोगी जमीन है। सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की कि उनको बसाने के लिये, उनके जीवन निर्वाह के लिये सरकार क्या करेगी। आज तक इस सरकार ने इस तरफ ध्यान देकर कोई व्यवस्था नहीं की है कि इनके संबंध में क्या होगा। आज उनके लिए जमीन की कहीं दूसरी जगह व्यवस्था नहीं है और जिन आदिवासी लोगों की जमीन इसमें डूब में आने वाली है, उन लोगों के लिए बेघर होने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस जटिल समस्या को देखते हुए, इन आदिवासियों की स्थिति को देखते हुए और आदिवासियों के जन जीवन और आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस कडाना बांध के निर्माण को रोक दिया जाय। भारत सरकार के सामने राजस्थान सरकार यह जोरदार आवाज उठाये कि यह कडाना डैम केवल गुजरात सरकार को फायदा देने के लिए है। राजस्थान के रहने वाले आदिवासियों को जिन्दा रखने के लिये अवश्य सरकार की ओर से ध्यान दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे आदिवासी लोग बेघरबार हो सकते हैं, वह पहले ही गरीब हैं, इससे और भी गरीब हो सकते हैं। अगर इन आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इन आदिवासियों का कोई ठिकाना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय भीखा भाई हैं वह आज कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वैसे इनकी आवाज बुलन्द होनी चाहिए और इनको कैबिनेट के अन्दर अपनी आवाज को उठाना चाहिए। सरकार इस तरह काम

(2.45 म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

कर रही है लेकिन आप यह नहीं सोचते कि यह ऐसा क्यों कर रही है और आप अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं रखते हैं। यह आदिवासियों के लिए दुःख की बात है। यह आपको कहना चाहिए, आप को कहना चाहिए इस सरकार के सामने कि यह आदिवासियों की समस्या है, इसको कैसे ही हल किया जाय। यह आवाज आपको उठानी चाहिए थी। लेकिन हमें दुःख है कि हम इस सदन में आवाज उठा रहे हैं और आपके मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ी। आपको नेता मान कर हम दुःखी हो रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको इस्तीफा भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट में नहीं रहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि यह आदिवासियों का मामला है इसलिये इस मामले को आप जोरदार तरीके से उठायें....

श्री भीखा भाई : मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) सुनो। मैं इस प्रश्न को उठाता रहा हूं और बार बार मैंने इस प्रश्न को उठाया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो कांसस बोल रही है। यह आत्मा बोल रही है। इसमें व्हिप नहीं चलेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीखा भाई, इन आदिवासियों के मिनिस्टर होने के नाते इस बात को कह सकते थे, यह आदिवासी क्षेत्र के अन्दर रहने वाले गरीब आदिवासियों की बात है। इसके लिए वह सारी की सारी बातें हम कह सकते थे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की योजना गवनमेंट के सामने रखी गई उस वक्त आप हमसे कहते तो हम सरकार से निवेदन करते। आप इस सरकार के अन्दर हैं और हम बाहर हैं लेकिन आपने इस सवाल को देखा ही नहीं। हम हमारी आवाज को इस हाउस के अन्दर उठाते हैं, हल्ला करते हैं, नाथूराम जी ने जब पहले इस विधान सभा के सेशन चले उस वक्त भी इस गवर्नमेंट से मांग की थी और इस सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिले हैं। लेकिन इस सरकार ने गुजरात की सरकार से साठ गांठ की है। मुझे इस राजस्थान सरकार से अब आशा है, जैसा मैंने निवेदन किया, इन आदिवासियों की आर्थिक हालत को बनाने की दृष्टि से और उनके जीवन का निर्वाह करने की दृष्टि से सरकार इस समस्या के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री गोकुल प्रसाद !

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, यह कडाना बांध की बात आज की नहीं है, होशियार गुजरात की सरकार ने और गुजरात के बाशिन्दों ने 1905 से इस योजना को काम में लेने का सोच रखा था। 1905 में यह योजना बनाई तब राजस्थान के कुछ राज्य थे, उन्होंने इसको नहीं माना। उसके बाद 1925, 1939 और 1947 में आकर माही के ऊपर योजना बनाने का तय किया उस समय राजस्थान और गुजरात दो राज्यों ने अलग अलग बांध बनाने का तय किया। राजस्थान ने बजाजसागर बनाना तय किया और इन्होंने किया बणकवोरी बांध। 1960 में, 7-5-60 को मोरारजी भाई ने राजस्थान में बजाजसागर डैम का शिलान्यास किया लेकिन 1960 के बाद आज तक यह बांध नहीं बन पाया और इस पर विचार नहीं किया जिससे राजस्थान के उन इलाके के गरीब लोगों को लाभ मिलता—उससे वह वंचित रह गये। उधर गुजरात के लोगों ने बड़ी उतावली की, उन्हें यह लगा, किसी तरह पानी हम ले आयें और राजस्थान रह जाय। इसलिये उन्होंने बांध को बांधना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो तय हुआ वह 215 फीट ऊंचे बांध का तय हुआ। वह लिया गया, उसके बाद उन्होंने तय किया कि और ज्यादा लेने दिया जाय पानी क्योंकि हम इसको ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि इस सरकार के अन्दर ऐसा भी कोई पतित व्यक्ति हो सकता है जो अपने इलाके के अन्दर से ज्यादा पानी लिये जाने के लिये उन गरीब इलाकों को डूबाने की बात करता हो। यह मेरी मान्यता नहीं है, और न मैं मानना चाहता हूं। मेरी समझ में कभी किसी ने एसा नहीं किया है, और अगर किसी ने किया है तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता, जिसने भी किया हो। हम पानी चाहते हैं नर्वदा का, क्योंकि नर्वदा का पानी समुद्र में जाता है, वह किसी काम में नहीं आता है, वह राजस्थान के जिलों में, वाड़मेर जिले में चला जाय तो क्या बुरी बात है ? यह राजस्थान के लिए भलाई की बात है। जो विधान सभा में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बैठे हुए हैं वह और राजस्थान और हिन्दुस्तान का कोई निवासी यह नहीं कहेगा कि नर्वदा का पानी बेकार जाय और किसी के काम में नहीं आये, उससे हम उत्पादन न करें और जो सूखी और बेकार जमीन है उसको उर्वरा न करें। तो जो नर्बदा के बारे में समझौता हुआ है उसमें ऐसी मान्यता नहीं है और न हो सकती है, कोई पतित से पतित व्यक्ति भी यह नहीं सोच सकता कि आदिवासियों की हजारों बीघा जमीन डूब जाय। पचास-साठ हजार एकड़ जमीन है, आदिवासियों के पास इतनी जमीन है, किसी के पास एक बीघा, किसी के पास डेढ़ बीघा और किसी के पास दो बीघा, और उसके अन्दर बड़ी मेहनत करके वह मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, थोड़ा अनाज पैदा कर लिया, इसके अलावा वह शिकारी लोग हैं, जंगल में चले जाते हैं और किसी तरह का शिकार आदि करके अपना काम चलाते हैं। इसके अलावा उनके खाने-पीने का ठिकाना नहीं है। तो इस स्थिति में चार सौ से ऊपर डैम ऊंचा बनाने की स्वीकृति कैसे मिल गई—इसका जवाब मंत्री महोदय दें कि 215 से चार सौ फीट ऊंचा बांध बनाने की स्वीकृति कैसे दे दी राजस्थान सरकार ने गुजरात सरकार को। और वह जमीन भी कैसी है, जैसा कि नाथू जी कहा करते हैं, कभी बागीडोरा की तरफ आओ। जब आओग तो आम खिलायेंगे हजारों लाखों आम के पेड़ हैं। इतनी बड़ी सम्पत्ति है। उसके बाद इस इलाके में कपास, गेहूं, चांवल—हर चीज पैदा होती है। और पैदा होकर उसको बाजार में बचकर पूरी तरह वह लंगोटी नहीं लगा पाता है। बिस्तर नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों की जमीन अगर डूब जाय तो वह कहां बसेगा? गुजरात में? हमारे इलाके के लोग गुजरात क्यों जायं? गुजरातियों को भी फायदा नहीं हो सकता है। वे ज्यादा होशियार हों, 40 हजार एकड़ जमीन सिंचित हो और अगर 30 हजार एकड़ जमीन पानी में चली जाय, डूब में जाय, नुकसान हो। तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाय? एग्रीमेंट तय नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो गलत हुआ है, जिन आदमियों ने एग्रीमेंट किया है, वे आदमी ठीक नहीं हैं और उसके काबिल नहीं हैं कि एग्रीमेंट करें। बागीडोरा के गढी तहसील और सागवाड़ा तहसील के गांव डूबेंगे। सागवाड़ा से भीखाभाई आये हैं। वे कहते हैं कि वह बारबार कैबीनेट में यह प्रश्न उठाते हैं तो फिर यह बात क्यों नहीं तय हुई? भीखाभाई किसलिए कैबीनेट में जाते हैं। आप तो उसके अंग हो, क्यों नहीं चलते हो? इनके पुनर्वास करने के अंदर कितना खर्चा लगेगा? कहां बसायेंगे? खानाबदोश बनायेंगे इन लोगों को? उसके बाद क्या है? एक एक दो दो बीघा जमीन और बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यह इलाका ऐसा है कि इन पर करोड़ों रुपए खर्च किये हैं इसके विकास के लिए और हम जब विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उसके बाद में इस इलाके के लोगों का गुजर कैसे होता है? यहां महुए के पेड़ हैं, लोग उनसे काम चलाते हैं, उत्पादन कम है आबादी ज्यादा है।

यहां इस तरह की बात कही गई कि सुखाड़ियाजी गुजरात वालों को पानी दिलाना चाहते हैं और पानी बाहर चला जायगा। सुखाड़ियाजी जिन्होंने 40-50 लाख एकड़ जमीन राजस्थान कैनाल से सिंचित हो, ऐसा समझौता पंजाब से किया हो, उनकी

Page No 116

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बुद्धि से राजस्थान में खुशहाली आई है, उनके लिये यह कहना कि 25-30 हजार एकड़ जमीन डूब में देना चाहते हैं, जिस आदमी ने यह काम किया है, उनके लिए ऐसा कहना ठीक नहीं। नर्मदा का कोई लेना देना आज तक नहीं। नर्मदा का काम बेकार जा रहा है। यह तो कोशिश करने में कसक नहीं रही है। गुजरात वालों की तरफ से कसक थी। उन्होंने जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसको रोकना चाहिए और नर्मदा की स्कीम को लागू करवाना चाहिए। लाखों एकड़ जमीन बाड़मेर और जालोर के जिले में बेकार पड़ी है और नर्मदा का पानी आने के बाद सरसब्ज हो जायेगी उसके लिए कोशिश करें और यह एग्रीमेंट न हो और हुआ है तो कैंसिल हो। सदन इस एग्रीमेंट के खिलाफ आवाज उठाए ताकि आदिवासियों के साथ हमारी सहानुभूति हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो एग्रीमेंट है जिसको यदि एग्रीमेंट कहा जाता है तो जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कडाना बांध के संबंध में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से की पहली, सेंटेन्स में है :

"Kadana Dam should be built to FRL 419·00. The entire cost and benefit of this project will be borne by Gujrat."

यहां खतम हो जाता है। एफ० आर० एल० 418 में सिंचाई होगी और जितनी लागत होगी और इसका जो फायदा होगा पूरे का पूरा गुजरात को होगा। यहां बात खतम हो जाती है एग्रीमेंट के एक हिस्से की। आगे कुछ होगा तो और एग्रीमेंट में लिखा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि यह सारे का सारा बेनीफिट गुजरात को होगा, बेशक गुजरात उसमें खर्च करे, तो राजस्थान को क्या कन्सीडरेशन मिला, राजस्थान की जमीन डूबेगी और फायदा सारे का सारा गुजरात को मिलेगा। तो यह एग्रीमेंट विदाउट कन्सीडरेशन राजस्थान को कोई उसका मुआवजा मिले, किस तरह से राजस्थान के हित में मानी गई, किस तरह से इसको लीगल एग्रीमेंट कहा है, किस तरह राजस्थान के हित में कहें, इस पर मंत्रीजी प्रकाश डालें। दूसरा हिस्सा एग्रीमेंट का है :

"At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujrat an appropriate cost of the Dam for such use."

मेरा निवेदन है कि नर्मदा प्रोजेक्ट का तमाम मामला बहुत विवादग्रस्त है और वह रिमोट पोसीबिलिटी है कि नर्मदा प्रोजेक्ट किस रूप में मन्जूर हुआ और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, उनके बीच में क्या प्रोपोरशन कायम हो उसके फायदे का, खर्चे का और एरिया आफ सबमर्जेंर का। इसलिए नर्मदा प्रोजेक्ट जिसके संबंध में अभी भारत सरकार कोई कमीशन एपाइंट करने जा रही है, उस कमीशन का क्या निर्णय होगा और उस निर्णय होने के बाद भी क्या वह निर्णय मान लिया जायगा। अभी तो हिंदुस्तान की राजनीति में यह बात कोई अंतिम नहीं है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि कमीशन ने निर्णय दे दिया तो फिर भी फैसला हो जायगा। महाराष्ट्र-मैसूर के बीच में एक कमीशन बैठा था, फैसला दे दिया, झगड़ा अभी तक चल रहा है, पंजाब-हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ का सवाल चल रहा है। कमीशन बैठ गये, फिर उन पर झगड़े चल रहे हैं। इसलिए राजस्थान में कडाना बांध बनाकर कुछ गांवों को डुबोना स्वीकार करें और उसका पूरा पूरा फायदा गुजरात को देना स्वीकार करलें, इस उम्मीद पर नर्मदा प्रोजेक्ट कभी मन्जूर होगा संभावित लाभ कब होगा, जिसका कुछ पता नहीं क्या होगा। मैं बुनियादी तौर पर निवेदन करता हूं कि यह एग्रीमेंट कानूनी तौर से और न्याय के तौर पर बिल्कुल अमान्य है, गैर कानूनी है।

दूसरा हिस्सा एग्रीमेंट का है उसको कान्ट्रैक्ट एक्ट की दृष्टि से देखा जाये तो यह बिल्कुल एम्बीग्यूएस है। इसमें पूरी एम्बी-ग्यूइटी है, कोई क्लैरिटि नहीं कि भविष्य के लिए कितना कास्ट बेयर करना होगा, उसके तय करने का क्या आधार होगा, अथोरिटी क्या होगी, अगर किसी पाइंट पर डिस्प्यूट राजस्थान और गुजरात में रहा तो निर्णय कौन करेगा, इस बारे में यह बिल्कुल चुप है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यह एग्रीमेंट निल एण्ड वोइड है, इसकी कानूनी तौर से हैसियत नहीं है। यह अलग है कि राज्य सरकार उसके बावजूद अपने आपको बाउंड समझेगी और एकतरफा फैसला होने के नाते उसको मन्जूर करना पसंद करे।

जहां तक संवैधानिक पोजीशन है, उस बारे में खुद मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि इस पर जो हस्ताक्षर किये गये हैं, वह सिंचाई मंत्री के दस्तखत हैं और वह दस्तखत मंत्रिमंडल के किये गये निर्णय के अनुरूप नहीं हैं। मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की राय से भी सहमत हूं कि कोई एग्जीक्यूटिव अथोरिटी संविधान के तहत एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उनको राज्यपाल के थ्रू या राज्यपाल जिनको पावर डेलीगेट करे, उनके हस्ताक्षर उन पर होने चाहिएं और मंत्रीजी के हस्ताक्षर करना स्टेट को बाइंड नहीं कर सकते। यह लीगल कान्टैक्ट नहीं बन सकता और इस रूप में कानूनी दृष्टि से एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं।

(3 म० प०)

सभापति महोदय, चौथी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हम केवल अपने राजस्थान के ही हितों का ध्यान कर रहे हैं। हमारे भी हित हों, वाजिब हितों को नुकसान न पहुंचे और दूसरी स्टेट्स हैं चाहे मध्यप्रदेश या गुजरात हों उनमें भी डेवलपमेंट के काम हों, चूंकि हिन्दुस्तान हमारा एक देश है, हम एक देश के निवासी हैं उस दृष्टिकोण से उस पर हमको विचार करना चाहिये। लेकिन मुझे खेद है कि यह एग्रीमेंट जिस आधार पर एक्जीक्यूट किया गया है और जो नतीजा इसका निकलेगा व उस बिना पर भी इसको किसी बिना पर भी मान्य नहीं कहा जा सकता। यह एग्रीमेंट, सभापति महोदय, बिलकुल अमान्य एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में कहीं पर भी योजना बनायी चाहें बांसवाड़ा, डूंगरपुर में या और किसी जगह लेकिन जो लोग उससे प्रभावित होंगे उस एरिया के सबमर्ज होने से जो लोग डूब में आवेंगे, विस्थापित हो जावेंगे, सबसे पहला कन्सर्न, टोप प्रायोरिटी उन लोगों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बसाने की है, उन लोगों को पहले इरिगेशन फेसिलिटी मिलेगी, उन लोगों को बसाने की जिम्मेदारी जो कि उस फायदे को देने के लिये खुद उखड़ना मंजूर करते हैं और उस दृष्टिकोण से मैं इस बात को बिलकुल दुरुस्त समझता हूं कि पोंग डैम को बांधने से जो विस्थापित हुए हैं उनको बसाना हमारा मानवीय फर्ज है। इन्सानियत का फर्ज है। जो भी जमीन एलाट होगी वहां पर उनको बसाना हमारा फर्ज है। पोंग डैम बने और कई गांवों के लोग उखड़ जायं और जमीन न दें। मुझे मुख्य मंत्रीजी के एक बयान को सुनकर बड़ा शोक हुआ जबकि उन्होंने भारत सरकार से कहा कि इतनी धनराशि देनी चाहिये राजस्थान केनाल को मौजूदा धनराशि से पूरा करना संभव नहीं है, होना तो यह चाहिये था कि पूरी की पूरी धनराशि भारत सरकार देती, लेकिन उतनी तो देनी ही चाहिये कि जिससे यह पूरी हो सके। लेकिन उन्होंने कहा कि उतनी धनराशि नहीं देंगे तो पोंग डैम के विस्थापितों को नहीं बसा सकेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कभी नहीं कहा मुख्य मंत्रीजी ने बल्कि यह कहा कि विस्थापितों को बसाने में देरी होगी क्योंकि ज्यादा जहां बसाने हैं वहां जमीन देनी है और नहर ले जानी है। यह नहीं कहा कि नहीं बसाना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बड़ी खुशी है कि उनको बसाना गवर्नमेंट अपना कर्तव्य समझती है। लेकिन यह कहना कि गुजरात सरकार को कहना होगा कि आप नहीं बसाते हैं तो हमको बसाने की क्यों बात करते हैं माननीय रामनारायणजी कहते हैं अपने प्रान्त में अपने लोगों की जमीन की सिंचाई करने के लिये और दूसरे प्रान्त के गांवों के डूब में आने की मांग करते हैं तो हमारा फर्ज है कि जो डूब में आते हैं उस प्रोजेक्ट से उन्हें पहले बसायें। आज जो बसे हुए हैं पहले तो उनको उजाड़ें और जो उजड़े हुए हैं उनको बसायें। कडाना बांध बना रहे हैं। माही नदी योजना का डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासियों पर असर पड़ रहा है यह सीधा उसूल वहां पर लागू होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उन लोगों को तुरन्त ही नहीं बसायेंगे तो फाका मस्ती करेंगे या भूखों मरेंगे? पहले से योजना होनी चाहिये। विस्थापित हों तो फौरन दूसरी जमीन दें वरना तो मरा भूखमरी से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चाहूंगा मंत्रीजी जब उत्तर दें तो यह बताने की कोशिश करें कि बुनियादी तौर पर इस योजना को हाथ में लेने से गुजरात की कितनी जमीन सिंचित होगी और यहां की कितनी जमीन डूब में आवेगी? मैं समझता हूं वह लगभग बराबर या थोड़ी बहुत ज्यादा हो तो बुनियादी तौर पर यह योजना गलत है। थोड़ी सी अधिक जमीन सिंचित हो और राजस्थान की बसी बसायी जमीन बरबाद हो तो ऐसी योजना को हाथ में लेने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसलिये इसका जस्टिफिकेशन क्या है? राजस्थान सरकार की दृष्टि में राजस्थान के हित की दृष्टि से इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि जिससे राजस्थान सरकार ने इसको एग्री किया है? इस बात को सरकार बताने का पूरा प्रयत्न करे। जो भी एग्रीमेन्ट हुआ है उससे जाहिर नहीं होता बल्कि यह जाहिर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होता है कि माफ करेंगे मुझे, सभापतिजी, मुख्य मंत्रीजी आये हैं नहीं, मुझे यह एग्रीमेन्ट राजस्थान के हितों की बजाय पोलिटिकल एग्रीमेंट ज्यादा मालूम पड़ता है। मुख्य मंत्रीजी पहले ऑल इन्डिया पोलिटिक्स की वजह से छिपे हुए थे आज खुल कर सामने आये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वहां मुख्य मंत्रीजी डूबती नैया की मरम्मत करने गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रधान मंत्री के खिलाफ हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बेरुखी दिखलाई और सिंडीकेट के साथ अपने आपको एलाइड किया है। उनकी राजनैतिक स्थिति आपके सामने आयी है, उनका आज पर्दाफाश हो गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह गठबन्धन आज का नया नहीं है यह 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद हुआ हो ऐसा नहीं है उससे पहले का है और उस पोलिटिकल अलाइनमेंट की वजह से यह एग्रीमेंट राजस्थान के हित में न होते हुए भी आपने सिन्डीकेट के नेताओं को खुश करने के लिये उनसे और पोलिटिकल एडवाइस लेने के लिये राजस्थान के हितों को तिलांजली देकर स्वीकार किया है।

सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी उत्तर दें, उस समय अपने उत्तर में यह बतायें कि यह नर्मदा योजना और उसके तहत यह कहा जाता है कि जालोर और बाड़मेर को पानी मिलेगा, स्पष्ट रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के इलाके को इस डूब में आना इसलिये स्वीकार किया कि आपको रिमोट तरीके से यह उम्मीद है कि जालोर और बाड़मेर के जिले में नर्मदा का पानी पहुंचेगा उससे काफी इरिगेशन होगा। मैं इस प्रकार की पोजिशन का बिलकुल नकारात्मक रुख लेकर नहीं चलता अगर इस पोजिटिव आस्पैक्ट्स से वास्तव में राजस्थान के हित में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोग डूब में आवें और जालोर और बाड़मेर को फायदा हो सकता है तो, सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के पक्ष में होऊंगा। आप योजना को स्पष्ट कीजिये। कहीं यह न हो जाय कि जिस तरह से योजना में राजस्थान कैनाल में कभी हम खयाल करते थे कि उसको कांडला से मिलायेंगे पानी के जहाज चलेंगे, नेवीगेबल होगी और जैसलमेर से रामगढ़ तक नक्शा बनाया और रामगढ़ से भी आहिस्ता 2 हट कर 90 और 92 मील तक की बातचीत करेंगे।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं आप यह खतरा तो मोल नहीं ले रहे हैं कि 20 वर्षों के बाद एक फायदा मिलेगा जो कि आज अन्धकारमय है, अनिश्चितता में है। ऐसे फायदे के लिये जिसकी कोई गारन्टी नहीं है और तत्काल वर्तमान में एक ऐसा कमिटमेंट राजस्थान की तरफ से दे रहे हैं जिसमें राजस्थान के लाखों व्यक्ति बरबाद होते हैं। 65 हजार बीघा जमीन डूब में आती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी प्रकाश माननीय मन्त्रीजी डालें।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापतिजी, कि माननीय मंत्रीजी इन बातों पर प्रकाश डालें कि नर्वदा योजना का मामला तीन स्टेट्स के बीच में मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र, की सरकारों के बीच में, याने इन चार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्टेट्स के अन्दर विवादग्रस्त है। और इसके आगे क्या हुआ है। इसको एक कमीशन को रेफर किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। मंत्रीजी हमको कान्फीडेंस में लें। राजस्थान का हित इसमें इनवाल्वड है। कौन कौनसे पॉइन्ट्स और इशुज हैं और पर्टीकूलर इशुज में राजस्थान सरकार का क्या दृष्टिकोण है। इस पर हमारा क्या दृष्टिकोण है, मध्य प्रदेश का क्या एटीट्यूड है और गुजरात का क्या हित है और किस हद तक हम सको एग्री कर रहे हैं। और किस हद तक डिसएग्री कर रहे हैं और इस कमीशन के लिये राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, क्या रुख ले रही है? इन तमाम पर विचार व्यक्त किया जाना चाहिये। जहां तक स्थिति दिखायी पड़ रही है, जब तक मसला तय न हो, जब तक नर्बदा योजना को कमीशन फाइनली घोषित नहीं कर दे, हमारे लिये यह करना आत्म-हत्या करने के समान होगा कि हम इसको कडाणा बांध को पहले ही मान लें। जब तक तमाम फैसला फाइनली न हो तब तक कडाणा बांध का काम बन्ध किया जाना चाहिये और एग्रीमेंट के कागज को फर्जी मानना चाहिये। वह फाड़ने के लायक है। यही विचार इस सम्बन्ध में मैं रखता हूं।

कुचामन के प्रधान संबंधी विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना

श्री सभापति: सूचना। सदन के आदेश के अनुसार श्री रामेश्वरलाल को, जिनके विरुद्ध श्री रामसिंह कुड़ी ने विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न दिनांक 23-8-69 को उठाया था, वारंटी गिरफ्तार होकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

श्री रामेश्वरलाल को सदन के निर्णयानुसार विशेषाधिकार समिति के सम्मुख उपस्थित कर दिया है, जहां उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी है।

श्री मोदी।

कडाना बांध संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार-विमर्श

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, जिस प्रस्ताव पर अब चर्चा चल रही है, उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस माही नदी पर दो बांध बांधने का एक साथ निर्णय हुआ था-एक गुजरात की सरकार द्वारा और दूसरा राजस्थान सरकार द्वारा बजाजसागर बांध का निर्णय लिया था और इसका शिलान्यास मोरारजी देसाई द्वारा सन् 60 में किया गया था और गुजरात की सरकार ने तो इस बांध को पूरा कर लिया जो कनकबाटी के बांध के नाम से मशहूर है और राजस्थान सरकार ने अभी तक इस बांध को बनाने में कुछ नहीं किया है। उस वक्त इस बांध को बनाने में 3 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था और आज अब सिंचाई मंत्रीजी ने जैसा बताया है वह स्थिति बदल कर 29 करोड़ 56 लाख तक हो गयी है और इसमें 1 करोड़ 72 हजार तथा 27 हजार 977 रुपये खर्च हो चुके हैं आज तक। मैं नहीं समझता कि राजस्थान सरकार की कैसी यह योजना है कि निर्णय कर ले जो स्कीम चल रही थी उस स्कीम को 29 करोड़ पर ले जाकर रख दे और इसमें 1 करोड़ 73 हजार आज

(श्री मोहनलाल मोदी)

तक खर्च कर दिये हैं, सड़कें, बंगले आदि बनाकर। यह सारा रुपया व्यर्थ गंवा दिया। अब प्रश्न आता है कडाणा बांध का। आप अन्दाज़ लगाइये आदिवासी लोगों के इस बांध के अन्दर 117 गांव और 29 हजार 695 एकड़ जमीन, जैसा गुजरात की सरकार मानती है, कि इतनी जमीन डूब में आयेगी और ये गांव डूबेंगे जबकि इसकी सही स्थिति यह है कि 200 गांव तो इसके अन्दर बरबाद होंगे और 60 हजार एकड़ हमारे क्षेत्र की जमीन बरबाद होगी। यह इसके नीचे डूब जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार कैसे यह मान रही है? क्या हम गुजरात की बेहबूदी के लिये अपने आदमियों पर छूरा फेर दें। यह कैसे सम्भव है? कोई भी अक्लमंद आदमी यह नहीं सोचता है कि दूसरों की बेहबूदी के लिये, गरीबों को अपने घरों से उजाड़ दें। यह आश्चर्य की बात है। आदिवासियों के उत्थान के लिये करोड़ों रुपये भारत सरकार ने खर्च किया है फिर मैं नहीं समझता कि राजस्थान की सरकार क्या सोच कर चलती है। आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे भीखा भाई यहां मंत्रिमण्डल में बैठें हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते। जब वे आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं तो उनको आदिवासियों का उत्थान करना चाहिये? आज आदिवासियों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और वे चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर उनकी आवाज, कोई ताकत नहीं रखती हैं तो उन्हें मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देकर आकर के हमारे बराबर में बैठ जाना चाहिये। (तालियां)

श्री मदनसिंह : आदिवासियों को कांग्रेस में नहीं रहना चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी : जैसे आप जनसंघ छोड़कर अलग बैठ गये। ....

श्री मदनसिंह : बिल्कुल छोड़ देना चाहिये अगर सिद्धान्त के खिलाफ चलते हैं तो?

श्री मोहनलाल मोदी : अब प्रश्न यह है कि जब यह स्वीकार किया गया था, तो इसकी ऊंचाई 250 फीट तय की गयी थी। अब यह ऊंचाई 419 फीट कर दी गयी है। आप इसी से अन्दाज लगा सकते हैं कि इसका कितने मील पर प्रभाव पड़ेगा। कितने अधिक गांव बरबाद होंगे, कितनी जमीन डूब में आयेगी। तो ऐसी रजामन्दी हमारी सरकार को नहीं करना चाहिये। जिस एग्रीमेंट के बारे में बात हैं, यह कोई एग्रीमेंट का तरीका नहीं है। दूसरा, जिन पर प्रभाव पड़ता है, आदिवासियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसको करने के पहले राजस्थान की सरकार को आदिवासियों के एरिया में जाकर, इन लोगों से जानकारी लेनी चाहिये थी। लोगों में इस बात की स्कीम रखनी चाहिये। यह भी अन्दाजा बताना चाहिये था कि जो जमीन, घर डूब में आयेंगे उसका क्या मुआवजा दिया जायेगा और किस तरह से लोगों को बसाया जायेगा और काश्त के लिये उनको जमीन कहां दी जायेगी। यह अगर योजना नहीं है तो ऐसी योजना को हमारी राज्य सरकार कैसे मन्जूर करती है। मेरा निवेदन है कि आप दुबारा गुजरात सरकार से निवेदन करें, उसको स्ट्रेस करना चाहिये कडाणा बांध के बारे में जो भ्रम है, उसको दूर करें और जिस तेजी से उसका काम किया जा रहा है, उसको स्थगित किया जाना चाहिये। हमारी सरकार के सामने

(मोहनलाल मोदी)

एक समस्या आयेगी। आप इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि नर्बदा घाटी की योजना से यहां राजस्थान के कुछ हिस्सों में पानी आयेगा। इसका फायदा होगा लेकिन यह ऐसी अजीब बात है कि "गोद के बच्चे को छोड़कर हम पेट के बच्चे की आस कर रहे हैं।" सिंचित, अच्छी जमीन होते हुए उसको छोड़कर जो बारानी, असिंचित जमीन है और जिसको उपजाऊ करना होगा, उस पर हम आस कर रहे हैं। ऐसी योजना को मंजूर करते हैं तो यह गलत बात है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसी भी तरीके से इस योजना को, इस कडाणा बांध को बंद कराकर इस समस्या का हल निकाला जाये और यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर सर, सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य के साथ जो एक सरपंच द्वारा अशिष्ट व्यवहार किया गया था उसमें प्रधान को गिरफ्तार करने के बारे में अध्यक्ष द्वारा आदेश दिये गये थे और उसके बारे में रिपोर्ट तीन बजे तक सदन में प्रस्तुत करने का था, उसका क्या हुआ ?

श्री सभापति : इसके बारे में सदन में सूचना दी जा चुकी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, नाथू भाई के मन में रात दिन कडाणा बान्ध रहता है, इसमें केवल नाथू भाई की जमीन जाती हो इस वजह से नहीं है। 200 गांवों पर भारी संकट आने वाला है वे लोग जिन पर यह संकट आने वाला है, वे भी रात दिन इस संकट के मारे घबरा रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो वन सम्पदा से भरपूर है इससे नष्ट होगा। कहावत है कि अपने पूत की रक्षा के लिये दूसरे के पूत की हत्या की जाय यह वैसा ही मामला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि सिंचाई मंत्री महोदय के दिल में राजस्थान के लिये बड़ी ममता है क्योंकि इससे आगे जाकर इस निर्माण से पानी मिलेगा और यहां के लोगों को लाभ होगा लेकिन मेरा निवेदन है कि इसी ख्याल में जो कुछ हमारे पास बचा है उसकी कुर्बानी न की जाय। इसके लिये एग्रीमेंट कर दिया है तो इसको वापिस उलट दिया जाय क्योंकि आप सदन की भावना जान चुके हैं। एक आदमी को अपने जीवन में दो बातों से बहुत पीड़ा होती है। एक तो प्राणान्त जब होता है तो प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं या जब किसी व्यक्ति को अपना वास, निवास छोड़ना पड़े जहां वह सैंकड़ों वर्षों से बसा हुआ है, जिसकी आजीविका वहां है उस आदमी को अपना निवास छोड़ते समय भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदन को आश्वासन दीजिये कि आदिवासियों की कुर्बानी पर यह डैम नहीं बनेगा। इसके अलावा सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के बोहरा लोगों का वहां बड़ा तीर्थ स्थान है इसके साथ साथ वहां हिन्दुओं का भी बड़ा तीर्थ है और 200 गांवों के उजड़ने का सवाल है। जहां से भी एक गांव उजड़ता है वह दूसरी जगह मुश्किल से ही आबाद हो पाता है। दो चार गांवों का प्रश्न होता तो इस कुर्बानी को सहन भी कर लेते लेकिन यहां तो 200 गांवों की समस्या है और 60 हजार

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

एकड़ जमीन उजड़ती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें कि इसके लिये इन आदमियों की कुर्बानी नहीं की जायगी और इस बन्ध को रोका जायगा।

श्री आलमअली (फतहपुर) : माननीय सभापति महोदय, जो नाथूभाई ने प्रस्ताव रखा है वह बड़ा अहम् प्रस्ताव है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे देखकर दुख हुआ कि वहां के रहने वाले आदिवासियों को उनकी भूमि से उजाड़ कर यह कडाणा बान्ध बनाया जा रहा है, इसको देखकर मुझे बोलने की आवश्यकता महसूस हुई है।

माननीय सभापति महोदय, म्हे आ समझं हूं ओ जो पूरो इलाको है वह भीलां को है। सारो हिन्दुस्तान ही जो वस्योंड़ो है वो भीलां की जमीन पर बस्योंड़ो है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी म्हे इण बातनें उठायी थी, और इण बात रे बारे में एक स्थगन प्रस्ताव भी आयो थो आ सरकार जो गरीबों की जमीन पर इण तरह सूं डाको डाल कर दूसरा प्रान्त की सरकार ने बन्ध बणवा री इजाजत देवे है वा बड़ा दुख री बात है। इण बान्ध में 60 हजार एकड़ भूमि राजस्थान की जावण वाली है और करीब 200 गांव उजाड़ हो जावेला। जो लोग पीढियां सू उण जगा पर बस्योड़ा है आज उणाने उजाड़ने ओ बान्ध बणवा रह्या है उण सू फायदो पूंजीपतियां नें ही होवण वालो है।

माननीय सभापति महोदय, आ जो बात हो रही है उणरी खातर जो इकरारनामो करियो है वो भीलां ने पूछ ने नहीं कियों जब वांरी जमीन आप ले रह्या हो तो वां ने पूछणो जरूर चावे......

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बड़ी जोशीली भाषा में बोल रहे हैं अगर इनके लिये इन्टरप्रीटर हो तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ सकती है।

एक माननीय सदस्य : क्या आपके कान बहरे हैं।

श्री आलमअली : डागाजी मालूम पड़े है विलायत सूं उठकर आया है...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : राजस्थानी भाषा भी राजस्थान वासी नहीं समझते हैं और इसके लिये इन्टरप्रीटर चाहते हैं इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

श्री आलमअली : राजस्थानी भाषा में राजस्थान रा निवासी नहीं समझे इणसूं ज्यादा दुख री बात और के है। आप कितना ही जोर लगावो मैं हिचकिचाबां वालो नहीं हूं। आदिवासी जो है वे इण बातने ठकरा दी है। आज आप देखवो किण तरह सूं जलजलो आयो आप यां लोगा री मरजी बिना ओ बान्ध नहीं बणा सकोला।

(3.29 म० प०)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनियां में बड़ा है एक व्यक्ति जिको राष्ट्रपति है उणाने पार्टी सूं लेने देनों नहीं। मंत्रियों में हेरफेर री बात चली जिणने एक दम खत्म कर दी। आज गरीब री अस्मत लूट आप गुलछर्रा उड़ावो चावो हो वा चलणे वाली बात नहीं है।

(श्री आलमअली)

म्हने बड़ो दुख है लाखों आदमियां ने उजाड़ने पूंजीपतियां ने फायदो पहुंचावा खातर ओ बान्ध बण रहया हो उनरी मैं निन्दा करूं हूं ।

बाईस साल गुजर गया है आप इण देश रो किसी प्रकार सूं भलो नहीं कर सक्या। दूसरी ताकता रे हाथ में आप देश ने देदियो। आप जो गरीबा री आवाज ने नहीं सुणोला तो ये गरीब ही थाने उखाड फैंकेला।

उपाध्यक्ष जी, मैं इन्हीं शब्दां रे साथ खत्म करूं गरीबा रे साथ खिलवाड़ करनो छोड़ दो। इन्सान बनो, और इन्सानियत सूं काम लो। सही रास्ता पर चालो तो देश रो भलो होवेला नहीं उल्टा होता नजर आवोला। गरीबों रे साथ खिलवाड़ करबा वाला उलटा ही हुया है। ओ जो बान्ध रो काम चालू करियो है उणने रुकवा दो। मैं आदिवासियां ने निवेदन करुं हूं कि इण संकट रे साथ म्हें सब लोग आपरे साथ हां। आप अपना संगठन के जरिये ही ओ काम रुकवा सको हो। ओ ही म्हारो कहणों है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नाथूराम भाई के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सुना और उस पर दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा प्रकट की गई काफी गम्भीरता और चिन्ता को भी महसूस किया। वास्तव में यह राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के डूब में आने का, सम्पत्ति नष्ट होने का और लोगों के पुनर्वास की समस्या का प्रश्न है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों के हित आपस में टकराते हैं। राजस्थान और गुजरात दोनों भारत के ही अंग हैं। परस्पर दोनों भाई भाई हैं। गुजरात की प्रगति में हमारी शुभ कामनाएं हैं, हम उसमें अपना पूरा सहयोग उनको देने को तैयार हैं। उनका विकास हो, यह हमारी हार्दिक तमन्ना है। परन्तु इस प्रश्न का जहां तक सवाल है, यह एक बुनियादी प्रश्न है। इस प्रश्न पर गहरे चिन्तन और मनन की आवश्यकता है।

पहला तो यह है कि जिन दो बान्धों से सिंचाई का प्रश्न है कितनी काबिल काश्त और नाकाबिल काश्त और पेड़ जंगल खान और सार्वजनिक सम्पत्ति मकान वगैरह जितनी सम्पत्ति इसमें डूब में आवेगी, भूमि डूब में आवेगी उसके मुकाबले में गुजरात में क्या उससे अधिक लाभ होगा।

दूसरा यह है कि जो भूमि, जो सम्पति डूब में आवेगी और जो पुनर्वास की समस्या सामने आवेगी उसका क्या निदान, क्या निराकरण सोचा गया है।

तीसरा सवाल यह है कि इस डूब में आने वाली सम्पत्ति और धरती के मामले में कौन खर्च वहन करेगा, यह पुनर्वास का खर्चा क्या गुजरात देगा, या राजस्थान देगा या केन्द्रीय सरकार या सब मिलकर, मिलकर तो किसका कितना कितना शेअर होगा यह सब कुछ भी इस में स्पष्ट नहीं है।

इसके अलावा यह भी सवाल है कि जो नर्मदा का प्रश्न सामने रखा है राजस्थान सरकार ने कि हम नर्मदा से पानी लेना चाहते हैं, प्यासी धरती को पानी पहुंचाना चाहते हैं और जालोर और बाड़मेर की सूखी धरती को हरा भरा करना चाहते हैं, परन्तु नर्मदा के पानी के सम्बन्ध में जो खोसला

(श्री दौलतराम सारण)

कमेटी ने रिपोर्ट दी थी क्यों उसको गुजरात सरकार ने मंजूर कर लिया और खोसला कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं वे गुजरात सरकार ने हमारे हित में स्वीकार करली हैं या नहीं ? इसमें मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख है ? नर्मदा घाटी योजना अभी तक उलझन में पड़ी है, अस्पष्ट है, उसका पता नहीं, वह कब तक तीन अलग अलग स्टेजेज में बनेगी, विवादग्रस्त है । इसलिये इसकी आशा में हम अपने क्षेत्र को डूबा दें और इसमें इतनी भारी हानि हम उठावें और हमारी इतनी उपजाऊ जमीन को और घनी आबादी क्षेत्र को डुबा दें यह सोचने की बात है।

गुजरात सरकार जल्दी करना चाहती है। यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि इससे उनके क्षेत्र को पानी मिलने की उम्मीद है जिसमें आज पानी नहीं पहुंच रहा है । पर हमारा जो दो फसली हरा भरा इलाका है उसको डूबा दो और बहुत लम्बी उम्मीद में डूबा दें जिसकी स्पष्ट कल्पना नहीं है तो यह हमारे लिये चिन्ता की बात है और ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट चित्र इसका हमारे सामने नहीं है, न तो दो राज्यों के बीच करार है कोई, जिसमें ये सारे प्रश्न तै किये गये हों और न कोई स्थिति साफ है। जब योजना पूरी बन जावेगी, नर्मदा से पानी मिल जावेगा, उस समय माही नर्मदा योजना का पानी लेकर हम अपने जालोर, बाड़मेर के सूखे क्षेत्र को देंगे, उस समय कई परिवर्तन करना पड़ेंगे और करोड़ों रुपयों का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा । हमारे ऊपर ही हर क्लॉज में खर्चा निर्भर करता है। गुजरात सरकार पर कोई भी पाबन्दी नहीं है, किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिये वह तैयार नहीं हैं, इसलिये हमारी सरकार के सामने सवाल यह है। गुजरात और राजस्थान में कोई झगड़े का प्रश्न नहीं । राजस्थान की जनता, राजस्थान के विधायक राजस्थान की सरकार, कोई गुजरात सरकार से अनावश्यक झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, हम उनके विकास में रुचि रखते हैं, सहयोग के लिये तैयार हैं, हर परिस्थिति में, पर ऐसा सहयोग किस काम का जिससे हमारा नुकसान हो जावे और उनका भी विशेष लाभ न हो। इसलिये ऐसा सहयोग देना चाहते हैं जिससे वे भी फलें फूलें और हम भी फलें फूलें । पर इससे न उनका विशेष लाभ होने वाला है और न हमारा, उल्टा हमारा नुकसान अधिक होने वाला है। जैसे कहावत है कि मुरगी की तो जान गई, और खानेवाले को स्वाद ही नहीं आया।

श्री मूलचन्द डागा : यह स्वाद कबसे समझने लगे ? आपको क्या मालूम है स्वाद का ?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय आप उनको कुर्सी पर बिठा दें ये बहुत उतावले हो रहे हैं ।

तो मैं कह रहा था । हमें यह प्रश्न देखने की आवश्यकता है कि राजस्थान का अहित न हो, और गुजरात का भी नहीं हो। हम दोनों का समान रूप से विकास चाहते हैं, हम गुजरात को हानि नहीं पहुंचा सकते, वे तो हमारे भाई हैं। अनावश्यक कटुता भी पैदा नहीं करना चाहते, राजस्थान गुजरात का सवाल बनाकर आज हम कोई समस्या खडी करना नहीं चाहेंगे तो इसके विपरीत पंजाब हरियाना की तरफ से भी हमारे सामने वैसी समस्या आ सकती है

(श्री दौलतराम सारण)

तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण से हमें इसको नहीं देखकर इससे ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है।

पर यह भी नहीं हो कि इसके लिये हम अपने हितों को नजरअन्दाज करदें और दूसरी बातें सोचना शुरू करदें । हम समस्त भारत के विकास की भावना के साथ ही राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। दूसरे के विनाश में न हम राजस्थान का विकास देखना चाहते हैं, न हमारे विनाश में दूसरे का विकास देखना चाहते हैं। इस भावना के साथ इस प्रश्न पर चिन्तन और मनन और निर्णय करने की राजस्थान सरकार से मैं अपेक्षा रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि इसी भावना से सरकार काम करेगी।

पुनर्वास का जहां तक प्रश्न है, यह एक गम्भीर मामला है । करोड़ों रुपया आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये भिन्न भिन्न कार्यों में सार्वजनिक संस्थाओं के निर्माण में खर्च किया गया है और इस क्षेत्र के लोगों पर भी काफी बड़े अनुपात में पैसा खर्च हुआ है। अगर राज्य सरकार को इतनी व्यग्रता से निर्णय करना था तो उस इलाके में इन कामों पर कम से कम यह होने वाला खर्चा तो बचाना चाहिये था। ताकि वह पैसा जो वहां खर्च हुआ वह डूब में जाने से तो बच जाता। वह कहीं दूसरी जगह लगाया जा सकता था उनके कल्याण कार्यों के लिये। पर मझे खेद है, वे काम आज भी बन्द नहीं किये जा रहे हैं, आज दिन तक भी वे काम चालू हैं वहां पर, मेरी जानकारी के मुताबिक। अगर नहीं हैं तो मंत्रीजी इसे स्पष्ट करेंगे अपने उत्तर में। जो क्षेत्र डूब में जाने वाला है वहां आज भी काफी निर्माण कार्य हो रहा है, स्कूलों का निर्माण हो रहा है, औषधालयों का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरह के कई काम चालू हैं। वहां लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है और किया जा चुका है और जो थोड़े दिनों बाद पानी में विलीन हो जावेगा । इसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं है । इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो कोई भी वे योजना बनावें उसको इन सारे पहलूओं से देख परख कर उन पर गौर करके अन्तिम निर्णय लेना चाहिये ।

तो इस सम्बन्ध में जो मुद्दे हैं उन पर सोचना चाहिये ताकि हमारी सम्पत्ति का व्यर्थ में नाश न हो। आर्थिक हानि न हो। लोगों के सामने भयंकर पुनर्वास की समस्या न हो। समय से पहले उनको बसा दिया जावे। उनके निर्माण और विकास की स्थितियां सारी उपलब्ध करा दी जावें। इस तरफ गौर करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करके बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथजी ।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह): **उपाध्यक्षजी,** आज कडाना डैम बनाया जा रहा है। इस पर दोनों तरफ के लोगों ने काफी कहा । इस बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माही और नर्मदा का काम कडाना के साथ साथ करना चाहिये ताकि राजस्थान को भी हानि न हो और गुजरात का भी भला हो। पर आज अकेले कडाना डैम को बनाया जा रहा है और इससे डूंगरपुर बांसवाड़ा की जमीन डूब में आ रही है। इसका क्या कारण है ? हमारे मंत्रिमण्डल में गुजरात से कोई एग्रीमेन्ट हुआ

(श्री जगन्नाथ)

है कि हमारी भूमि डूब में जावेगी और हमारे लोगों को वे कोई मुआवज़ा नहीं देंगे। इससे हमारे क्षेत्र के 200 गांव डूब में आवेंगे। इस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिये राजस्थान सरकार को तैयार नहीं होना चाहिये कह देना चाहिये कि गुजरात खुद इसको वहन करे। पर मालूम नहीं राजस्थान सरकार पर क्या दबाव है कि वह न गुजरात सरकार को कुछ कहती है न भारत सरकार से कहना चाहती है। हमारे आदिवासी भाई इससे बरबाद होंगे। कडाना डैम नहीं बन्धाया जाय और हमारी राजस्थान सरकार की करोड़ों बीघा जमीन को न डूबोया जाय। मैं एक मिशाल पेश करता हूं। किसान जबकि पहले पहल जमीन पर काश्त करता है उस समय बड़ा कष्ट उठाना पडता है। सबसे पहले उसे जमीन में कुदाली और दांतली लगानी पड़ती हैं, जमीन खोदते है उसे कुदाली कहते हैं और बड़े बड़े सांप, बिच्छू आदि जानवर से नहीं डरते और जमीन को आबाद करते है। जो किसान बंजड भूमि को उपजाऊ जमीन में आबाद करते हैं हजारों रुपया खर्च होता है, हम ज्यादा जानते हैं क्योंकि हम तो बैलों को हांकते हैं। हमारे बैल जमीन जोतते जोतते बूढे हो जाते हैं, हजारों रुपयों की बैल की जोड़ी बरबाद हो जाती है। ट्रक्टर का तो अब जमाना आया है। आदिवासियों की यह भूमि पहले से आबाद की हुई है। पहाड़ी जिले के अन्दर भी जैसे हमारा टोड़ा भीम का इलाका है कोई किसान जमीन को आबाद करें तो हजारों रुपये लग जाते हैं। उस जमीन को ठीक करने में उसके बच्चे, उसकी स्त्री और सब घर वाले दुख पाते हैं। एक बीघा जमीन को आबाद करे तो किसान का 500 रु० खर्च हो जाता है। तो उपाध्यक्षजी इस कडाना डैम को नहीं बन्वाया जाय। आदिवासियों की जमीनों को नहीं लिया जाय। कोई बान्ध बनाना है तो मैंने बहुत बार कहा बनास नदी पर बान्ध बनाया जाय जिससे शहरों की जल प्रदाय समस्या हल हो जायेगी और लाखों बीघा भूमि सिंचित हो जायेगी। जनता को भी फायदा हो जायेगा और आपको भी फायदा हो जायेगा। मैं बार बार यह निवेदन करता हूं कि कडाना डैम को नहीं बन्धाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्षजी जो बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कडाना डैम के सम्बन्ध में रखा है इसमें कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं और गंभीर चिन्ता व्यक्त की। कडाना डैम के अंदर जमीन जो डूब में आती है उससे सैकड़ों आदिवासी बरबाद हो जायेंगे। उन आदिवासियों को बसाने की सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा काफी अर्से पहले करीब 4-5 वर्ष पहले विचार आया था कि नर्मदा और माही नदी को ज्वाइंट करें राजस्थान में कुछ भूमि का हिस्सा सिंचित करेंगे जिससे जालोर, बाड़मेर में पानी आयेगा। इस बात से वहां के किसान बहुत खुश हुये और राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया था। ऐसी स्कीम हाथ में ली जाती उपाध्यक्षजी तो लोगों का भला होता। जो नर्मदा घाटी योजना की बात चल रही थी और जिसके बारे में चर्चा थी जिससे

(रघुनाथ विश्नोई)

राजस्थान में पानी आने का सवाल है वह खटाई में पड़ गई। कोई ऐसी योजना कितने अर्से में बनेगी, कब पानी आयेगा, कितने दिनों बाद इम्पलीमेंटेशन होगा। इन बातों को लेकर मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार को गुजरात की सरकार ने धोखा देकर माननीय मंत्री महोदय से दस्तखत कराये। नर्मदा पानी का बंटवारा आया तो मध्य प्रदेश की विधान सभा में, गुजरात की विधान सभा में यह सवाल आया कि राजस्थान को कितना पानी दिया जाय इस पर मध्य प्रदेश की विधान सभा ने विरोध किया कि राजस्थान को पानी नहीं दिया जाय। डिस्प्यूट हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर को जो नर्मदा का पानी मिलने वाला था वह सब खटाई में पड़ गया कितना पानी आयेगा और कितनी भूमि सिंचित होगी यह सारा मामला खतम हो गया और कडाना डैम बांध कर करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट बिना काम के कर दिया और जो माननीय सदस्य वहां से आने वाले हैं पिछले डेढ साल से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं चाहे वे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों सबने इस बारे में घोर चिन्ता व्यक्त की है। उसमें आपने हजारों एकड़ जमीन जो बान्ध की डूब में आती है खोदी है। उसके अलावा वहां की जो सरकार है केन्द्रीय सरकार से समझौता करके काम शुरू कर दिया, वहां इम्पलीमेंटेशन हो गया। बान्ध बनने से राजस्थान में पानी आता है और हमारा फायदा होता है तो वहां के लोगों को रिहैबिलिटेट करने की कोई ठोस योजना बनाते, ऐसी कोई योजना माननीय मंत्रीजी रख देते तो लोगों को इतनी चिन्ता नहीं होती। सारे एरिया को उजाड़ दिया गया। वहां बसने की अभी तक कोई योजना नहीं है, पहले यह सवाल आया और अब कडाना डैम हजारों एकड़ जमीन जो डूब में आती है और हजारों आदिवासी जो पीढ़ियों से वहां रहते हैं उनको कहां बसाया जायगा। ऐसा भ्रम भी कि राजस्थान को पानी मिलेगा पिछले दो सालों से पेपर्स में हम पढ़ते हैं, विधान सभा में हम देखते है और राज्य सरकार में जो बातचीत चल रही है उससे हमें भ्रम है कि राजस्थान को कोई पानी मिलने वाला नहीं है। हमारा इलाका क्यों बरबाद किया जा रहा है? जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है वह बिलकुल स्पष्ट है और माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उससे हमको लगता है कि हमारे इलाके को बरबाद किया जा रहा है और कोई फल नहीं मिलने वाला है। उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार को गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने कहा एग्रीमेंट हो गया है उसका क्या किया जाय इस पर कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। मेरा कहना है कि ऑन बी हाफ ऑफ दी गवर्नर एग्रीमेंट होता है। माननीय मंत्रीजी अगर एग्रीमेंट करते हैं तो नहीं होता है। जो डेलीगेट करने के पॉवर्स हैं वे अफसर ही कर सकते हैं। जो एग्रीमेंट है वह ऐग्रीमेंट की तारीफ में नहीं आता है। कान्स्टीट्यूशन की धारा में कोई अड़चन नहीं, दूसरी गवर्नमेंट को भी कोई अड़चन नहीं है तो जब यह कानूनी अड़चन पैदा नहीं होती है। गुजरात सरकार पानी लेने में उत्सुक है। हमारे किसान को पानी नहीं मिले, जो काम हो रहा है वह सुनियोजित ढंग से नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपया लगा कर भी आदिवासियों को बरबाद किया जा रहा है। हमको स्पष्ट बताया जाये क्या नर्मदा घाटी योजना नहीं शुरू की गई है?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मैं आपकी मारफत माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा जो यह काम चल रहा है, फौरन स्टे किया जाय। हम हमारे इलाके को बरबाद नहीं करने देंगे। मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार पानी देने में झगड़ा करने लगे ऐसी हालत में स्पष्ट है कि हम हमारे इलाके को उजाड़ रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो राजस्थान के इलाके को उजाड़ने की बात है, उसको फौरन बन्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय एक वकील है—I don't call it an agreement between the parties. जो बात हुई है वह subsequent happenings यह कोई ऐग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं है यह आप खुद मानेंगे जब एग्रीमेंट नहीं है। That is not an agreement. उसके बाद गायब है, दोनों मंत्रियों के दस्तखत हैं उसके बाद जवाब सवाल नहीं रख सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को खोलना चाहते हैं, सिचाई मंत्रीजी और वहां के मंत्रीजी दोनों के बीच में यानि दो मंत्रियों के बीच में बात हुई है उस बात को आप एग्रीमेंट कहना चाहते हैं, यह गलत है। वह तो केवल उनकी आपसी बात है।

दिस इज नाट एन एग्रीमेंट, न तो कोई स्पेसिफिक बात का कोई निर्णय हुआ है और न उन्होंने कोई बात कही है। यह कह रहे हैं कि बनना चाहिए सो दिस इज नाट बाइन्डिंग ऑन राजस्थान, तो जब बाइन्डिंग नहीं है तो आप सब्सीक्वेन्ट हैपनिंग पर जो कुछ घटना हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए और मेरा सुझाव है कि राजस्थान विधान सभा के जो माननीय सदस्य हैं उनको उस स्पाट पर ले जाना चाहिए और एक कमेटी बनानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह काल कन्टेन्शन नोटिस नहीं हुआ बल्कि एक प्रकार से नाथूराम जी ने मूव किया है वह संकल्प हो गया है और सारे मेम्बर्स एक आवाज से इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि क्या सिचाई मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे कि जो काम चल रहा है उसको रोक दिया जायेगा या नहीं और नहीं रोकने देने के क्या कारण होंगे ? क्या आप यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब विद्रोह प्रदर्शन करें उसी समय ही काम रोके जायेंगे? जब 22 हजार या 40 हजार आदिवासी लोग अपना विद्रोह प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के समय काम रोका जाता है और सारे सदस्य जब आवाज उठाते हैं तो क्या आप उस काम को रोक सकेंगे या नहीं और रोकने के बाद कुछ माननीय सदस्यों को मौके पर ले जाकर वस्तुस्थिति का ज्ञान कराके इस योजना के बारे में नया चैप्टर खोलकर इस एग्रीमेन्ट को रद्द करेंगे और नहीं रद्द करने के समय आप अपना एक्सप्लेनेशन हाउस में देंगे तो मैं समझता हूं कि हाउस के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी होगी और वैसे इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंहजी।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डैम

Page No 130

(श्री मदनसिंह)

की बात है मैं समझता हूं कि इसका विरोध करना और व विरोध भी जब भी कभी हरिजनों का प्रश्न आता है, जब भी कभी आदिवासियों का प्रश्न आता है सदन के समस्त सदस्य एक राजनैतिक व्यू को लेकर यही गवर्नमेन्ट को कहते हैं कि इनको उजाड़ दिया जायेगा, इनको तवाह कर दिया जायेगा, इनकी जमीनें छीन ली जायेंगी। ऐसा दृष्टिकोण दिखाते हैं कि राजस्थान के अन्दर यह राजनैतिक दल और लोग अपनी उमर में कोई तरक्की नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिए इसको राजनैतिक पॉइन्ट ऑफ व्यू से नहीं लें। भाखरा डैम बना तो वहां के राजनैतिक लोगों ने यही चिल्लाहट की, राजस्थान कैनाल बनी तो भी वही आवाज राजनैतिक लोगों ने उठाई और आज वही राजस्थान कैनाल है जहां कि विधायकों की दौड़ लग रही है कि कहीं एक आदि मुरब्बा जमीन मिल जाये। इसलिये हमें देखना है कि बांध के बंधने से, पानी के आने से राजस्थान की चाहे 50 वर्षों के बाद भी तरक्की होती है तो क्या वह तरक्की हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, दोनों एरिया बराबर हैं। जहां आदिवासी हैं और अपने इधर जालोर और बाड़मेर के लोग हैं सब बराबर हैं। यह भी गरीब हैं और वह भी गरीब हैं। इनकी बेहबूदी के लिए यह चीज हो रही है तो इसको राजनैतिक प्रश्न नहीं बनायें...

श्री नाथूराम: आप नर्मदा घाटी योजना स्वीकृत कराइये।

श्री मदनसिंह (दाँतारामगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानूनी आपत्ति लाता हूं कि ऐसे डिसकशन जो कि पब्लिक इम्पारटेन्स के हैं और एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर आधे घन्टे से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कानूनी राय दी है तो यह भी कानून कहता है कि आधे घन्टे से ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। लेकिन यह एक इम्पारटेन्ट चीज है उसके लिए कानूनी बाधा हो सकती है तो होगी। पर मैं गवर्नमेन्ट को सुझाव देना चाहता हूं कि यह सही बात है कि किसी को अलग उठाना है तो उठाओ। आज आदिवासियों के प्रतिनिधि जयपुर में बैठे हैं। वह आदिवासी घर छोड़कर अच्छे अच्छे मकान और जगह ले रखी हैं और यहां जयपुर में भी बना लिया है। इसलिये आदिवासियों के लिए जैसे हमारे कई लोग सिंध से आये हुए है वैसे यहां दुकानों का निर्माण हो, ऐसे मार्केट हों, और उस जगह बसाया जाये तो मैं समझता हूं कि सरकार की उन्नति होगी और राजनैतिक लोगों के मुंह बन्द होंगे वर्ना राजनैतिक लोग तो कहते हैं आदिवासी वैसे ही मरते रहें आमों के पेड़ों के पास और हमारे पास एक राजनैतिक मसाला मिल जायगा। मैं चाहूंगा कि जो डम के लिये योजना है उसके अन्दर जो आप कार्य कर रहे हैं वह सरकार कम से कम आदिवासियों के लिए और सम्पूर्ण व्यवस्थित ढंग से इनको बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिस चीज को उठाना है और सही ढंग से बसायेंगे तो वही की वही नीति है। जैसे हमारे एक जाति है भुखमरिया और वह जाति यों हुई कि उनके पास 11 महीने का खाना था और एक महीने उन्होंने खाना नहीं खाया और वह मरने लगे तो कहने लगे कि अब तो खाओ तो उस समय भुखमरियों की पलटन

(श्री मदनसिंह)

खड़ी हो गयी। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप सही हृदय से यह विश्वास दिलाकर कहो कि आपने जो योजना बनाई है वह योजना अगर इनको यों ही छोड़कर जैसे खुले जानवर को छोड़ देते हैं, ऐसी योजना है तो गलत बात है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में अन्य कोई योजना नहीं दिखाई दी कि एक गेट खोल दिया जायेगा, पानी का नाला आ रहा है और आदिवासी कागलों की तरह बिखर रहे हैं। ऐसी हवा राजस्थान में बन रही है, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट चाहूंगा मंत्री महोदय कि आपके ऊपर सदन का सारा आक्षेप काफी हुआ है अगर आपकी ऐसी योजना है कि आदिवासी गिरते जायेंगे तो यह सदन नहीं गिरने देगा। अगर योजनाबद्ध कार्य हो रहा है तो ठीक है।

कई माननीय सदस्यों ने एक बुरी बात कही और उन्होंने यहां पर प्रान्तीयता का प्रदर्शन किया कि गुजरात गवर्नमेन्ट ने इतनी धोखेबाजी से रुपया ले लिया। हमारा रुपया गुजरात गवर्नमेन्ट में चला जाता है या गुजरात गवर्नमेन्ट का हमारे पास आ जाता है तो उसमें क्या बात है। परन्तु प्रान्तीयता की दुहाई दे रहे हैं जैसे गुजरात सरकार अलग सरकार है और राजस्थान का रुपया छीनना चाहते हैं। कम से कम अच्छे विधायकों के मुंह से यह भावना नहीं आनी चाहिए कि जैसे दोनों अलग अलग बात है। राजस्थान का दस करोड़ रुपया गुजरात के नागरिकों के काम में आ गया तो आपको दुख है। अगर यही है तो कलकत्ता में क्यों नहीं दुख होगा कि आपके राजस्थानी वहां बसते हैं और रुपया खाते हैं। अगर आप क्षेत्रीय भावना रखते हैं और गवर्नमेन्ट 2 को आप अलग अलग चीजें समझते हैं इससे बुरा काम प्रजातंत्र में और नहीं हो सकता। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगन्नाथ पटेल : दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि..

श्री मदनसिंह दांता : मैं फौजी हूं।

श्री जगन्नाथ पटेल : मेरा अर्ज है कि दांता ठाकुर साहब फौज में इनकी कम्पनी में दूसरे ऑफिसर कमाण्ड कर सकते थे। इनकी जागीर के समय में दूसरा कोई काश्तकार आकर अपनी मर्जी से क्या काश्त कर लेता था ? इसलिये मैं कहता हूं कि दांता साहब की बात नहीं मानी जाये।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं इन्होंने क्या कहा लेकिन दांता में जिस समय बाढ आई थी उस समय सम्पूर्ण घर मेरा खोल दिया गया था और यह माननीय सदस्य देखते तो कांग्रेस छोड़ कर इधर आ जाते। सब जानते हैं मेरा लोगों के साथ कैसा बरताव है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री जगन्नाथ पटेल के बोलते रहने पर) ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज

(4 म० प०)

माननीय सदस्य, अब इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। मंत्री महोदय, उत्तर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष....

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : श्रीमान, इसमें कानून की अवहेलना करके इस प्रश्न पर जैसा कि माननीय मदनसिंहजी ने कहा था कि ठीक तरह से विचार किया जाय सिर्फ ध्यानाकर्षण नहीं किया जाय। दूसरे लोगों को मौका दिया है और दूसरे कई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका गला इस हाउस में न घोटा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन इसमें यह है कि मुझे इसमें एतराज नहीं है। यह एक इम्पोर्टेन्ट विषय था इसलिए माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है। हर राजनैतिक दलों की ओर से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये। मैं समझता हूं कि काफी समय हो गया है।

कई माननीय सदस्य : सिर्फ 4-5 मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : 5-5 मिनट में ही समाप्त कर दें।

मेजर श्री फतेहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिपाही हूं इसलिए अनुशासन से बड़ा डरता हूं। फिर भी आपने मुझे समय दिया है उसका बारम्बार धन्यवाद।

माननीय नाथूलालजी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, और वे इस सारे सदन के धन्यवाद के पात्र हैं।

यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। अच्छा तो यह होता कि यह समस्या एक संकल्प के तौर से सदन के सामने आती ताकि राज्य सरकार की राय निश्चित तौर से इस मामले पर जानी जा सकती, फिर भी यह प्रस्ताव अच्छा है। श्रीमान्, जब मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरफ सोचता हूं और जो कोई भी विचार यहां पर व्यक्त किये गये, उसके ऊपर विचार करता हूं तो एक कहावत याद आ जाती है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। इस बन्धे के बनने से जो लोग इससे प्रभावित होंगे वे गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास जमीन की कमी है, गरीब लोग हैं। आज इस सदन के विचार सुनने के बाद और जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज सुनने के बाद यह निश्चित धारणा हमारी बनी है कि सारी जनता वहां की इस बान्ध के बनने से असन्तुष्ट है। वह विरोध करती है। तो अगर यह हमारी जनता की सरकार है तो जनता की सरकार को जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए।

मैंने यह कहा था कि गरीब की जोरू सबकी भाभी वहां के लोग गरीब हैं। वहां के लोग बिरला, डालमियां जैसे होते तो हो सकता था कि इस बांध के निर्माण को न्यायालय में चुनौती देते......

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह कहावत इसमें फिट होती है "सबै सहायक सबल के कोऊन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप हीं देत बुझाय"

श्री फतेहसिंह : यह भी ठीक है।

इसके अन्दर एक कानूनी पहलू भी आता है। जनता इसका विरोध करना चाहती है और सरकार जबरदस्ती बान्ध बना रही है, फिर जब कोई जबरदस्ती काम किया जाता है और

(श्री फतेहसिंह)

जनता उसका विरोध करती है तो फिर सरकार को कम्पलसरिली जमीन एक्वायर करना चाहिए और जो भूमि वगैरह है जनता को उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिना मुआवजा दिये और बिना जनता को संतुष्ट किये इस प्रकार की कार्यवाही करना यह प्रजातन्त्र के युग में तो उचित नहीं है।

तो मैं माननीय नाथूलालजी से निवेदन करूंगा और सदन में माननीय मंत्रीजी को निवेदन करता हूं कि आप इस बान्ध का बनाना तत्काल बन्द करें। अगर आप बन्द नहीं करते हैं तो आप लोगों को इस सबके लिए कानून की शरण लेना चाहिएऔर कानूनी ढंग से बान्ध का बनवाना रुकवाना चाहिए सब लोगों को। यह एग्रीमेन्ट एग्रीमेंट नहीं है। कानूनी दृष्टि से यह कुछ नहीं है एक कोरा कागज है। इसलिये यह ऐसा एग्रीमेंट है जिसको रिवोक भी किया जा सकता है, जिसको बदला भी जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जो बातें यहां पर उठाई गई हैं उन सबका जवाब दें, और इस एग्रीमेंट को रिवोक करें और किसानों को जमीन गरीब लोगों को जमीन से विस्थापित होने से बचायें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय उपाध्यक्षजी, इस बान्ध के सम्बन्ध में काफी विस्तृत रूप में विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मैं पाली से आने वाले माननीय सदस्य के उस सुझाव का स्वागत करते हुए मैं यह मांग करता हूं कि इस कडाना बान्ध को जो एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है उसके सम्बन्ध में जांच हेतु डूंगरपुर और बांसवाड़े के क्षेत्रों को जाने के लिए और साथ ही साथ गुजरात में जाकर गुजरात सरकार द्वारा इस बान्ध का निर्माण जिस तरीके से किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में जांच हेतु विधान सभा के माननीय सदस्यों की कमेटी बनाकर भेजा जाय, और इसके साथ साथ ही उस क्षेत्र के डूंगरपुर और बांसवाड़े के क्षेत्रों के रहने वाले आदिवासी लोगों को यह समिति यह विश्वास दिलाये कि वे जांच करने के लिए जा रहे हैं और गुजरात की सरकार से बात की जायगी। और साथ ही साथ गुजरात सरकार से बात करके इस प्रकार का कदम उठायें, डूंगरपुर और बांसवाड़े के आदिवासी क्षेत्रों के लिए उठायें ताकि उनको यह पता हो कि आज जो उनके जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हुआ है, जो उनका भविष्य अन्धकारमय बना हुआ है, उनके सामने राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाकर उनको विश्वास नहीं दिलायेंगे उस क्षेत्र के लोगों में जो आज अशान्ति का वातावरण है और जिनको अपना भविष्य अन्धकारमय दिखाई देता है उनको सन्तोष नहीं होगा।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह जो एग्रीमेंट किया गया है और जैसा कि मालूम हुआ है कि एग्रीमेंट पर किसी मंत्री को हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है, इसलिये वह स्वयं में अपने आप में अवैधानिक होने के नाते एग्रीमेंट की तारीफ में नहीं आता। इसलिये राजस्थान की जनता उस एग्रीमेंट से बन्धी हुई नहीं है, और इस सम्बन्ध में जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है, उस सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कि इस प्रकार यह जो डूंगरपुर और बांसवाड़े जिले के हजारों आदिवासियों की भूमि के जो इस प्रकार से डूब में आने का खतरा है उसके लिए केन्द्रीय सरकार के पास जायें और इस समय तो, उपाध्यक्ष महोदय, अवसर अच्छा है। गुजरात सरकार सिन्डीकेट से सम्बन्धित होने के नाते, यद्यपि राजस्थान सरकार के भी अधिकांश कांग्रेस के एम० एल० एज० सिन्डीकेट के साथ रहे हैं लेकिन अन्तरात्मा की आवाज उठाने वालों में कुछ मंत्री भी शामिल होते हैं उन अन्तरात्मा की आवाज उठाने वाले मंत्रियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी जो भारत की प्रधान मंत्री हैं, उनके पास जाकर कहें कि गुजरात सरकार के इस कडाना बान्ध बनाने से राजस्थान का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है इसलिये इसको रोका जाय। अन्तरात्मा की आवाज उठाने वाले मंत्री और राजस्थान के लोग अन्तरात्मा के अन्तर्गत यदि मंत्रियों और विधायकों में हिम्मत हो तो श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री के पास जाकर कहें, इस मसले को रखें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह अवसर अच्छा है और इस अवसर का लाभ उठाकर गुजरात की सरकार को रोका जाय। राजस्थान सरकार जो डूंगरपुर और बांसवाड़े के आदिवासियों का भविष्य अंधकारमय करना चाहती है और लाखों बीघा जमीन को डूब में लाना चाहती है, और आदिवासी लोग जो कि गरीब हैं, जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास में तन ढंकने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे पीड़ित आदिवासी लोगों के हितों की सुरक्षा का यदि कोई साधन बन सकता है तो उसका एक ही आधार है कि जो यह बान्ध इतनी ऊंचाई का बनने वाला है, इसको रोका जाय, और इसको रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास जाकर हम अपना पक्ष तत्काल मजबूत तरीके से रखें। यह कार्यवाही अधिक उचित है कि हम बान्ध के बनने को रोकें और साथ साथ आदिवासी क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़े जिले में जाकर, विधान सभा की यह समिति जाय और उनको विश्वास दिलाये कि गुजरात सरकार से बात करके और केन्द्रीय सरकार पर जनमत का दबाव डालकर इस कार्यवाही को रोकेंगे और डूंगरपुर और बांसवाड़े जिलों के इस क्षेत्र को डूब में नहीं आने देंगे और सैंकड़ों गांवों को डूब में आने से बचायेंगे।

श्री मदनसिंह: इन्दिराजी ने तो बैंक खोल दिये हैं। वे गरीबों से कहेंगी लो रुपया।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करनी चाहिए।

चर्चा समाप्त करदी जाये।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समय केवल 5 मिनट है।

श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई मंत्रीजी से संक्षिप्त में कुछ जानकारी करना चाहता हूं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में काफी विचार प्रस्तुत किये गये हैं। मैं निम्न तथ्यों की जानकारी चाहता हूं जहां तक मेरे दिमाग में है। कडाना बांध के निर्माण से जो विस्थापित होंगे उनको कहां, कब और कैसे कैसे बसाया जाएगा? ये

(श्री रामनारायण चौधरी)

तीनों प्रश्न एक ही सवाल में आते हैं। दूसरा यह कि इससे क्या फायदा होगा ? तीसरा यह कि एग्रीमेंट दोनों सरकारों के सामने हुआ है तो हम क्या पृथक करने की स्थिति में हैं ? इसके साथ-साथ नर्मदा डैम के बारे में मध्य प्रदेश सरकार क्या कहती है ? या नर्मदा के सम्बन्ध में वहां की सरकार क्या कह सकती है तो क्या यह लाजिमी है ? पांचवें, यह 1966 में दोनों सरकारों में यह हुआ है। उसको क्या हम एग्रीमेंट की तहत में मानते हैं।

आप इस मामले में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण करें। राजनैतिक भाषा में टालमटोल कर हमें सन्तुष्ट करने की कोशिश न करें। कौनसी दूसरी जमीन है, भाखड़ा नांगल में है। कितना कम्पेन्सेशन दे सकते हैं ? गुजरात कितना देगी। भारत सरकार कितना देगी ? आप मदद करने की स्थिति में नहीं है तो सबसे पहले वहां के किसान यह महसूस नहीं करें कि हम बरबाद हो गये हैं। दूसरे आबाद हो गये हैं। यही मेरा कहना है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा बहुत लम्बी हो गई है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं 2 ही मिनट लूंगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री नाथूरामजी ने रखा है, मेरे ख्याल से वे इस बांध के बारे में सालों से पुकारते आये हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि एक सदस्य सालों से पुकारते आये हैं। उस बांध से जमीन डूब में आने वाली थी। सरकार को शिड्यूल ट्राइब्स के बारे में कितनी उदासीनता है। वह इतनी उदासीन है कि जैसे कि ये लोग जानवर हैं। ऐसा कांग्रेस गवर्नमेंट समझती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सरकार ने जिस वक्त यह एग्रीमेंट गुजरात से किया था, उस वक्त सरकार ने यह नहीं सोचा कि डूब में जमीन आयेगी तो हमें मुआवजा भी तय करना है। क्यों नहीं सरकार ने मशविरा किया। यह सरकार आदिवासियों के प्रति इतनी उदासीन क्यों है ? आखिरकार समझती क्या है ? ये आदमी नहीं हैं एक बात अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये लोग न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। बात ठीक है लेकिन न्यायालयों की शरण वह ले सकते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है जब तो सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और उनकी जमीन मकान को वगैर मुआवजे के छीनती है इसलिये मैं नाथूलालजी को कहूंगा कि उस बांध को उस इलाके वालों को मिलकर तोड़ देना चाहिए। कतई नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। यह गवर्नमेंट कभी गरीबों की सुनने वाली नहीं है। तो मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा आपको कतई परवाह नहीं करना चाहिए। तो आप ही कम हो रहे हो कांग्रेस गवर्नमेंट में हैं, आपको अपनी पार्टी को बाध्य करना चाहिए या तो जो इलाके में रहने वाले हैं उनको सरकार सन्तुष्ट करे नहीं तो उस बांध को नहीं बंधने देंगे। और उसको तोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मन्त्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, कड़ाना बांध से उत्पन्न स्थिति पर, सभी दलों के करीब करीब काफी माननीय सदस्यों ने, अपने विचारों को व्यक्त किया है। मुझे भी इस बांध से जो लोग प्रभावित होंगे उनके प्रति पूरी हमदर्दी है और सारी समस्या को इसी दृष्टि से देखता हूं। मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस हमदर्दी के साथ ही साथ राष्ट्र का हित और पेट का हित भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभावित होने वाले लोगों पर कुप्रभाव पड़े और तकलीफ उठानेवाले लोगों को बसाने की योजना नहीं बने। ऐसी बात मैं नहीं मानता और प्रयत्न यही किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। कम से कम क्षेत्र सब मर्जेन्स में आये। अधिक से अधिक सुविधा रिहेबिलीटेशन की दृष्टि से दी जाये।

मैंने इसमें पिछले सालों कई बार बार समय समय पर यह बताया था।

माही नदी पर गुजरात में बनने वाले कडाना बांध के सम्बन्ध में मैंने एक वक्तव्य पिछली मार्च में दिया था जिसमें उस समय की स्थिति की जानकारी सदन को दी थी इस बांध के बारे में गुजरात में हुये समझौते के अनुसार जलमग्न होने वाले क्षेत्रफल, सम्बन्धित कृषि भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों के बारे भी प्रस्तुत किये थे। इस समझौते के अनुसार जलाशय का अधिकतम जल धरातल आर० एल० 410 निश्चित हुआ है। जलाशय भरा होने की स्थिति में नदी रूपांकित बाढ़ के आने पर जब ओटा चलेगा उस दशा में जलाशय में जल के धरातल में उठाव उत्पन्न होगा। इस उठाव के कारण राजस्थान की लगभग 29694 एकड़ भूमि जलमग्न होने के अनुमान है। कुल जलमग्न भूमि में से खेती योग्य भूमि 13890 एकड़ है और बाकी की 15400 एकड़ भूमि खेती योग्य नहीं है। इस जलमग्न होने वाले..

श्री नाथूराम : यह कह रहे हैं? राजस्थान की तरफ से कोई सर्वे नहीं हुआ है। ये आप गुजरात सरकार के आंकड़े दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब आप बोल रहे थे तो हम सब्र से सुन रहे थे। पहले आप सुन तो लें। बाद में आपको असन्तोष रहे तो आप कह सकते हैं।

श्री नाथूराम : ये गुजरात सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस जलमग्न होने वाले कुल भाग में राजकीय भूमि 8233 एकड़ है। जलमग्न होने वाले कुओं की संख्या 153 है, मकानों की संख्या 1085 है। कुल प्रभावित होने वाले परिवार 1085 है जिनकी कुल जनसंख्या 6893 बनती है। इससे डूंगरपुर जिले में 51 और बांसवाड़ा जिले में 70 गांव प्रभावित होना बताया था। उस समय भी माननीय सदस्यों को उक्त आंकड़ों की सत्यता के बारे में सन्देह था और माननीय सदस्यों का कहना था कि गुजरात सरकार द्वारा दिये गये आंकड़े वर्तमान स्थिति को देखते हुए ठीक नहीं है। सदस्यों का विचार था कि वास्तव में जलमग्न होने वाली भूमि, अन्य सम्पति और प्रभावित होने वाली जनसंख्या दिये गये आंकड़ों से अधिक है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मैंने यह संकेत दिया था कि उक्त आंकड़ गजरात सरकार ने सन् 1958-59 में एकत्रित किय थे, तब से होने वाले विकास कार्यों के फलस्वरूप यह सम्भव है कि कृषि योग्य भूमि में और सुधार लाया गया हो, कुओं की संख्या बढ़ी हो और कुओं से सिंचित होने वाली भूमि का समानुपात बढ़ा हो। और साथ ही यह भी निश्चित है कि जलमग्न होने वाले भागों में जनसंख्या भी बढ़ी हो।

मैंने सदन को यह भी निवेदन किया था कि कडाना बांध से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक बुलाने का शीघ्र ही आयोजन किया जा रहा है। अब मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि गुजरात सरकार से विचार विमर्श करने के लिए 4 अप्रेल, 1969 को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के स्तर पर वार्ता हो चुकी है जिसमें दोनों राज्यों के विभागीय मंत्रियों ने भी भाग लिया।

इस वार्ता में बन रहे कडाना बांध और साथ ही साथ प्रस्तावित बजाज-सागर बांध से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, और गुजरात राज्य के मंत्रियों को कडाना बांध से राजस्थान में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में प्रतिक्रिया एवं चिन्ता से अवगत कराया। हमारी ओर से यह भी अनुरोध किया गया कि बांध का अधिकतम जल धरातल 419 से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निवटना लगभग असम्भव होगा। इसलिये बांध के अधिकतम धरातल को नीचा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

गुजरात राज्य के मंत्रियों के ध्यान में यह बात भी लाई गई कि जलमग्न होने वाली सम्पत्तियों और प्रभावित होने वाले परिवारों के आंकड़े जो कि लगभग 10 वर्ष पहले एकत्रित किये गये थे—जो वर्तमान स्थिति में सही साबित नहीं होंगे क्योंकि पिछले आंकड़ों में कई त्रुटियां रह गई हैं और पिछले दस वर्षों में होने वाले विकास कार्यों के कारण कृषि भूमि में सुधार हुआ है। जनसंख्या की वृद्धि हुई है और उसके कारण बांध से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या भी पूर्व अनुमानों से काफी अधिक होने की संभावना है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री स्तरीय वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि जलमग्न होने वाले क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण किया जाय एवं प्रभावित परिवारों और जलमग्न होने वाली सम्पत्तियों के आंकड़े जो कि वर्तमान स्थिति दर्शाते हों एकत्रित किये जावें। गुजरात सरकार ने इस सर्वेक्षण पर होने वाले व्यय को वहन करना स्वीकार किया है।

यह भी उचित समझा गया कि उक्त सर्वेक्षण तीन जल धरातलों के लिये अर्थात 41.9 फीट, 41.0 फीट और 400 फीट के लिए किया जाये ताकि एक बार फिर से दोनों राज्य सरकारें इस विषय में विचार विमर्श करके अन्तिम निर्णय ले सकें। इसमें यह बात भी शामिल है—इसे 419 फीट, 41.0 फीट और 400 फीट बल्क वाटर से जो फ्लड आयेगा उससे कितनी और भूमि और सम्पत्ति प्रभावित होगी- उसका सर्वेक्षण किया जाय।

उक्त निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के लिए एक खण्ड स्थापित कर दिया है और सर्वेक्षण का कार्य सुचारुरूप से प्रगति पर है। सर्व प्रथम 419 के धरातल की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रेखा मौके पर अंकित की जा रही है जिसका लगभग 20 से 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण में पानी के उठाव से उत्पन्न होने वाले प्रभावित को भी दृष्टि में रखा जायेगा।

इस वार्ता में हमारी ओर से यह भी अनुरोध किया गया कि जिस प्रकार पोंग बांध के विस्थापितों को पुनः बसाने के लिये राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में सवा तीन लाख एकड़ भूमि सुरक्षित रखी है, उसी प्रकार कडाना बांध के विस्थापितों के लिये गुजरात सरकार उनके प्रदेश में दाई माही नहर के क्षेत्र में भूमि सुरक्षित रखे ताकि विस्थापितों को बसाने की कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर है वह निभाया जा सके। गुजरात के मंत्रियों ने समस्या का अध्ययन करने के लिये समय चाहा।

कडाना बांध के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले लोगों के पुनः स्थापन के संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श कर समय समय पर सरकार को सुझाव देते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 11 जुलाई, को एक समिति का गठन किया है।

उक्त समिति के विचार क्षेत्र में जो विषय रखे गये हैं वह इस प्रकार हैं:—

(क) पुनर्वास के सिद्धान्त और रीति, विशेष रूप से—

1. पुनर्वास के आधार के साथ साथ भूमि के बदले भूमि देना तथा नकद राशि में क्षतिपूर्ति आदि।
2. पुनर्वास के स्थान।
3. पुनर्वास के कार्य से संबंधित अधिकारियों का दायित्व निर्धारण।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के निर्धारण की प्रक्रिया।

(ग) व्यक्तिगत मामलों में क्षतिपूर्ति या और पुनर्वास की प्रक्रिया तथा

(घ) इन घटनाओं से संबंधित सिफारिशों का क्रियान्वयन और लागत का अनुमानित मूल्यांकन।

इस समिति की प्रथम बैठक दिनांक 30 जुलाई, 1969 को हो चुकी है।

कडाना बांध से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के प्रति मैं और राज्य सरकार जागरूक हैं और प्रभावित होने वाली जनसंख्या से मुझे पूरी हमदर्दी है। मैं सदैव इस बात का प्रयास करता रहूंगा कि कम से कम क्षेत्र जलमग्न हो और सब विस्थापितों को उचित प्रकार से बसाया जा सके।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने और भी मुद्दे उठाये हैं। मैं उनके बारे में सही स्थिति सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात कई माननीय सदस्यों की ओर से यह कही गई है कि यह एग्रीमेन्ट नहीं है, किसी ने इस एग्रीमेन्ट को विदाउट कन्सीडरेशन एब-इनिशियो निवोइड बताया और किसी ने यह कहा कि सरकार की तरफ से यह एग्रीमेन्ट नहीं है क्योंकि गवर्नर की तरफ से नहीं हुआ है। इस तरह की आपत्ति, जो एग्रीमेन्ट की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

काफी कुछ माननीय सदस्यों के पास है, उसको देख कर उठाई गई। मैं माननीय सदस्यों के सामने इसका इतिहास थोड़े से शब्दों में रखना चाहता हूं। असल में इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट के बारे में, इन्टर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में, इन्टर स्टेट रिलेशन्स के बारे में आज यह तरीका रहा है, जो इरिगेशन मिनिस्टर, हैं, जो पावर एण्ड इरिगेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, वह स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं और बुला कर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में जो म्यूचुअल समझौता होता है और म्यूचुअल एग्रीमेन्ट से योजना होती है उसको मिनिट्स में लिख लिया जाता है और उन मिनिट्स को एप्रुवल के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। इसमें एग्रीमेंट के फार्म जो मिनिट्स ऑफ डिसेन्ट थे उनको इनकोरपोरेट करते एप्रुवल के लिए राज्य सरकार के पास भेजा, जिसको यहां से दस्तखत करके वापिस भेज दिया गया, दूसरी स्टेट में भी वह गया और वहां से भी दस्तखत होकर वापिस आ गया। यह एक तरह से गवर्नर के द्वारा दस्तखत होने जैसी बात नहीं है। यह बात सही है कि कानूनी एग्रीमेंट, अगर स्ट्रिक्टली लीगल सेंस में लें तो वह नहीं है लेकिन परम्परा यह रही है। यही नहीं, राजस्थान में जो राजस्थान कैनाल का सवाल है, पौंग के बांध का सवाल है, गंग कैनाल का सवाल है, चम्बल के पानी का सवाल है—जितने यह इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट हुए हैं उनके अन्दर, सभी मसले, सभी समस्यायें इस तरह से वार्तालाप से हल हुई हैं सिवाय भाखरा के क्षेत्र को छोड़ कर जिसमें लीगल एग्रीमेंट की तरह का जैसा एग्रीमेंट होना चाहिए वह हुआ है। इसलिये इस बात पर ज्यादा जोर देना तो मेरे खयाल से ठीक नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह एग्रीमेंट क्यों किया गया? इसके पीछे क्या बैक ग्राउन्ड था? और इससे राजस्थान का हित है या नहीं? इन बातों के लिये मैं थोड़ी जानकारी इस सदन को देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बम्बई की सरकार थी, उस बम्बई की सरकार ने यह कडाना प्रोजेक्ट की स्कीम बनाई थी, जो 480, एफ० आर० एल० 480 की स्कीम बनाई थी, उसके बाद पर 468 पर रखा, उसके बाद डाक्टर के० एल० राव के वक्त जो सी० पी० डब्लयू० सी० के चैयरमैन थे, तब 425 थी और उसके बाद में जो म्युचुअल एग्रीमेन्ट के वक्त दो मिनिस्टर और उनके आफिसर्स, जो कमेटी की मीटिंग में उपस्थित थे, उसके अन्दर 419 की। तो 480 से 419 पर आये, तो इसके पीछे क्या सिद्धान्त रहा? इसके पीछे यह सिद्धान्त रहा, अगर इसमें 425 के बजाय 419 रखते हैं तो कडाना रिजर्वायर में पानी कम आता है। इसलिये उस समय साइमलटेनिअसली यह तय किया गया कि बजाज सागर, जिसको राजस्थान सरकार बनाने वाली है, जिसकी 3 करोड़ 8 लाख लागत थी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उस समय के हिसाब से 9.2 मिलियन क्यूबिक फीट की क्षमता बन रही थी और लाइन कैपेसिटी 7.6 मिलियन क्यूबिक फीट थी। यह बांध बनवा रहे थे, इससे राजस्थान की सत्तर हजार बीघा जमीन सिंचित होने वाली थी। इस ऊंचाई से राजस्थान को चूंकि ज्यादा नुकसान होता था, कडाना बांध से उसकी 419 फीट ऊंचाई की है, उससे उस वक्त की रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन आज की क्या स्थिति है, उसको मैं थोड़ी देर में निवेदन करूंगा। तो उसको देखते हुए

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बजाज सागर की कैपेसिटी 6.2 मिलियन क्यूबिक फीट से बढ़ा कर 9.72 हजार मिलियन क्यूबिक फीट हुई उसमें से, 9.2 में से यह लाइन कैपेसिटी 7.6 क्यूबिक फीट थी, इतने क्यूबिक फीट पानी इस्तेमाल करना है, बाकी पानी गुजरात को देना था, यानि 1100 क्यूबिक फीट एवर फ्लोइंग वाटर गुजरात को कडाना बांध में से जायगा। कडाना बांध को नीचा करने से पानी की कमी हुई, उस पानी की कमी की पूर्ति करने के लिये इस योजना, बजाज सागर के प्रोजेक्ट के बारे में निर्णय हुआ। बजाज सागर की उस हिसाब से 1964 में योजना बन कर सरकार के पास गई, लेकिन वह मंजूर नहीं हुई। उस पर रुपया खर्च हुआ लेकिन जो एक्चुअल वर्क है, कन्स्ट्रक्शन ऑफ डैम जिसको कहते हैं, वह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि फाइनेन्स कमीशन से क्लीयरेन्स नहीं हुआ। तो एक चैप्टर बजाज सागर का है, अब मैं वापिस कडाना पर आता हूं।

कडाना की इस स्थिति में रिपोर्ट के अनुसार कह दिया कि माताजी का मन्दिर दरगाह और गाल्याकोट नहीं आयेंगे। मैंने पिछले 6-7 महीनों में पूरे प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और इसको बारीकी से देखा तो मुझे एज ए लेमेन ऐसा मालूम होता है कि उसके अंदर डूब में चाहे एक्चुअल दरगाह जहां कब्र है न आए, लेकिन बिल्डिंग की सीढियों को चारों तरफ का हिस्सा डूब में आता है और इस बात को मैंने मन में महसूस किया तो मैंने इस बात का प्रयत्न किया कि किस तरह से इसकी ऊंचाई कम हो और सारी समस्या का इस तरह से हल हो जिस तरह से असिंचित ऊपर के क्षेत्र हो सकें। इसी आशय से जो मुख्य मंत्रियों की कान्फरेन्स हुई थी उसमें भी इस बात को लिया गया और लिखकर भी भेजा। उन्होंने कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि इस पर मंत्रिमण्डल की स्वीकृति नहीं थी, फिर कैसे एग्रीमेन्ट हो गया ! मैं इस समस्या पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जो डिस्कशन्स में निर्णय हुआ था, वह एग्रीमेंट फार्म में एप्रुवल में गया। मंत्रिमंडल का इस पर निर्णय लेना संभव ही नहीं था क्योंकि निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल से क्या स्वीकृति लेते लेकिन मैंने माननीय सदस्यों के द्वारा समय समय पर व्यक्त की गई चिंता के आधार पर और सारे मामले के विश्लेषण के बाद यह मुनासिब समझा कि सारे मामले को एक डिस्कशन के साथ मंत्रिमंडल में दुबारा डिस्कशन किया जाय। इसलिए हमने इसके मेरिटस और डीमेरिट्स और इसके जितने भी आसपैक्ट्स हो सकते थे और क्योंकि माननीय सदस्यों ने उसमें से कई पहलुओं को यहां पर रखा है और जवाब और आश्वासन चाहा है। मैं उन मुद्दों के प्रति पहले ही जागरूक हूं और सब समस्यायें मंत्रिमंडल के सामने विचाराधीन हैं। इसलिये आज किसी मुद्दे पर इस बात का आश्वासन देने की स्थिति में मैं नहीं हूं लेकिन जितने मुद्द मेरिट्स और डीमेरिट्स के मंत्रिमंडल के सामने रखे हैं, वह मंत्रिमंडल के सदस्य गंभीरतापूर्वक करके जो निर्णय लेना हो ले सकें और उस निर्णय के बाद उसकी रोशनी में एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग आगे कार्यवाही कर सकेगा।

तीसरी बात, माननीय सदस्यों ने यह उठाई कि एग्रीमेन्ट के अन्दर चाहे एग्रीमेन्ट कहें चाहे मिनिट्स कहें, चाहे डिस्कशन कहें चाहे डिसीशन्स कहें उनके अन्दर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यह नहीं लिखा है रिहैबिलिटेशन के कम्पेन्सेशन को कहां से हम बरदाश्त करेंगे और जब इसके अंदर नहीं लिखा है तो फिर कैसे इसका इंतजाम होगा। कोई भी प्रोजैक्ट होती है उसमें जो भी विस्थापित होते हैं चाहे घरों का नुकसान हो, चाहे जमीन का चाहे और किसी तरह का कम्पेन्सेशन पेयेबिल जो बनता है उस पर नुकसान हो, सब की जिम्मेदारी उस प्रोजैक्ट पर होती है। प्रोजैक्ट गुजरात सरकार की है, गुजरात सरकार की है और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन कर दूं कि हमने गुजरात सरकार को स्पेसीफिकली कई बार आप लोगों ने सवाल उठाए थे, तो हमने पत्र लिखा और उसका जवाब आया है। उन्होंने कहा कि यह कम्पेन्सेशन की बात, रिहैबिलिटेशन की बात, सारी बातें ठीक हैं और हम इन सब बातों को मानवीय दृष्टिकोण से, हल करने की कोशिश करेंगे। यह वहां के मुख्य मंत्री ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को लिखा है तो प्रोजैक्ट पर कॉस्ट होता है गुजरात सरकार इसको मंजूर करती है इसलिए एग्रीमेंट में नहीं रखा गया तो यह महत्वपूर्ण नहीं है:

Rehabilitation is a consequence. It is a corollary to the construction of the project.

प्रोजैक्ट बनता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर रिहैबिलिटेशन और कम्पेन्सेशन के कॉस्ट को बरदाश्त करना पड़ता है। इसलिय उस मामले में भी माननीय सदस्यों को खास चिंता नहीं होनी चाहिये।

माननीय सदस्यों ने कहा कि नर्मदा के बारे में लिखा है। नर्मदा का अब मामला नहीं है और कडाना बनवाया है और बजाज-सागर शुरू नहीं हुआ और कडाना बन जायगा तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जो डिसीजन्स हुए हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेन्ट नहीं हैं और कडाना बांध तब बनेगा जब नर्मदा का पानी गुजरात को मिलेगा। कडाना के बारे में लिखा है कि जब नर्मदा का पानी गुजरात को अपने इस क्षेत्र में मिलने लग जायगा तब यह माही वाला पानी गुजरात के लिये सरप्लस हो जायगा, उनको आवश्यकता नहीं होगी तो उस पानी को हम अपने कैनाल से कडाना कैनाल से जालोर और बाड़मेर जिलों में ले जायेंगे। तो यह प्रिज्यूम किया गया है कि नर्मदा का मामला बाद में तय होगा। जब तय होगा तब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो खर्चे का बटवारा होगा, तो विथ आइज ओपन इस बात को प्रिज्यूम करते हुए यह डिसीजन लिखा दिया और एग्रीमेंट किया था। इसलिये ये एक दूसरे पर आधारित नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आशंका जाहिर की गई कि कब ट्रिब्यूनल बनेगा कब रेफर होगा, मध्य प्रदेश ने ना कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला ट्रिब्यूनल में जाना है, भारत सरकार के इरिगेशन व पावर मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नाम भी मंगवा लिए हैं तो नाम भी आ गये हैं। अब जिस समय भारत सरकार चाहेगी ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टीट्यूट कर देगी जैसे पहले कृष्णा-गोदावरी के केस में हुआ और उसमें सारी बातें तय होंगी। इसलिये यह कहना कि मध्य प्रदेश ने इन्कार कर दिया कि ट्रिब्यूनल नहीं होगा, यह नहीं है क्योंकि डिस्प्यूट तब पैदा होता है जब कोई हां या न करे। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल किया था वह खारिज की गई।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

माननीय सदस्यों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि 40 हजार एकड़ की इस बांध से पिलाई होगी और 40 हजार एकड़ पिलाई के लिए हमारी 50 हजार जनता और 30 हजार एकड़ जमीन को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कडाना डैम से जो सिचाई के आंकड़े प्रोजेक्ट में बताये गए हैं, वे सारे चार लाख एकड़ जमीन की सिचाई है और करीब पौने चार लाख एकड़ जमीन यह जो बजाज सागर है 9.2टी०एम०सी०, 72 टी०एम० सी० से किया है और जिसके 1,100 एवर फ्लोइंग कडाना में जायगा। इन दोनों को मिलाकर साढ़े आठ लाख एकड़ की जमीन की वहां सिचाई होगी।

(4.40 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

इसलिए यह कहना कि 40 हजार एकड़ जमीन की सिचाई होगी, अगर होता तो उसके लिए एक लाख एकड़ या 30 हजार एकड़...

श्री नाथूराम : ये जो सारे आंकड़े हैं, आप बिल्कुल झूठा जवाब दे रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र को डुबाना चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि 40 हजार एकड़ की बात कही गई है वह ठीक नहीं है तो इस सारे मामले को साधारण मामला न समझें यह महत्वपूर्ण मामला है। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कडाना बांध से हमारे विस्थापितों को बसाया जाय, सारी सुविधायें दी जायें, कोई भी एक प्रोजक्ट विस्थापितों को दी जाती है, जब हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं.....

श्री नाथूराम : कहां उनको बसाओगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी भावनाओं और आपकी भावनाओं में कोई अंतर नहीं है, कहीं भी बसाना पड़े, राजस्थान में बसाना पड़े, गुजरात के अन्दर जमीन रिजर्व करेंगे, जैसे पोंग बांध के लिए किया है। एक बार इसकी ऊंचाई कम हो...

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री हीराभाई : गुजरात में कहां बसायेंगे? दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 4।। लाख में सिचाई होगी। चालीस हजार डूबेगा। उसमें से राजस्थान के कितने एकड़ में सिचाई होगी, कितना फायदा होगा और गुजरात को कितना फायदा होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को शायद यह मालूम नहीं है कि 76 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 1 लाख 9 हजार का कुल टार्गेट है।

श्री नाथूराम : इन्जीनियर ने क्या कहा है ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! उनका उत्तर सुन लें।

श्री हीरा भाई : उत्तर दिया है। हमारी अर्ज यह थी कि क्या उन लोगों के लिये अमुक स्थान रिजर्व कर रखा है चाहे गुजरात में या चाहे राजस्थान में ? तो हम संतोष करने के लिए तैयार हैं वरना नहीं। इस ढंग से हम को राजी नहीं कर सकते कि गुजरात

(श्री हीरा भाई)

सरकार की जिम्मेदारी है। गुजरात सरकार कहीं मरे। प्रोजेक्ट बनाओ और उन लोगों को पहले बसाओ। राजस्थान में जहां रहते हैं वह जमीन तो डूब में आवेगी और डूब में आने के बाद हम भंगी बन कर, भिखारी बन कर कहां जावेंगे ? हम सरकार से यही जानकारी चाहते थे कि अभी से हमको राजस्थान में, गुजरात में कहीं पर भी बसाओ। फीगर रखो, नक्शे रखो अभी से। तो हम मानने के लिये तैयार हैं। वरना आप हमारे मुंह पर ताला लगा देना चाहते हैं और हमको डूबो देना चाहते हैं और गुजरात वालों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो कौन बर्दाश्त करेगा। हमें बता दीजियें कि अमुक जमीन तुम्हारे लिये रिजर्व है। अमुक पथरीली हं, अमुक मैदानी है।

श्री मदनसिंह : माननीय मंत्री महोदय आपने एक अनुभव के आधार पर बात कही। आप सोने के महल बनाते हैं। ऐसे ही आपने जागीरदारों को बसाया जब जागीरदार वहां बसे तो उनको बड़ा धक्का लगा। जहां जहां जमीन देनी है गारन्टी देंगे। पहले योजना बनाओगे या उनको पहले भेजोगे ? बांसवाड़ा के लिये सब कुछ किया है। डूंगरपुर में कहीं बसाने की योजना नहीं है पहले बसा कर फिर योजना चलेगी या पहले योजना होगी '?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : योजना पूरी होने के बाद नहीं बल्कि योजना पूरी होने के पहले उनको बसाया जावेगा। दूसरी बात यह है कि हमने गुजरात सरकार से तो यह निवेदन किया ही है उसके साथ साथ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भूमि उपलब्ध है चाहे जंगलात की या दूसरी तो उसके लिये एक सब कमेटी का निर्माण किया है। यह सारी अवेलेबल लैंड हो सकती है और एलॉटमेंट फोरन डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हो सकती है उसके संबंध में नक्शे बनाकर रिहैबिलिटेशन की दूसरी मिटिंग हो तो जितनी भी अनओक्यूपाइड लैंड निकलती हैं वह दे सकते हैं।

श्री नाथूराम : एग्रीमेन्ट को ही खत्म करने के लिये राय क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री मदनसिंह : जानकारी के अनुसार उनको जंगल बता रहे है। कब जंगल कटेंगे जंगल कट कर फिर योजना बनेगी। ऐसी बात है तो फिर आपके मन में कोई दूसरी बात है। यह बिलकुल क्लीयर होना चाहिये। माननीय सदस्यों को शंका है इसमें कुछ इसलिये स्पष्टीकरण करना आवश्यक होगा।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी करना चाहूंगा कि गुजरात सरकार को चिट्ठी लिखी रिहैबिलिटेशन के संबंध में और गुजरात सरकार ने उत्तर दिया कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा। मेरा यह प्रश्न है आपसे कि क्या राजस्थान सरकार ने सर्वे करायी है कि 419 फीट की ऊंचाई से कडाना डैम बनाने के कारण कितने गांव, कितनी भूमि और कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिये कितनी भूमि की आवश्यकता होगी, राजस्थान में कितनी भूमि पर्याप्त है और कितनी भूमि के लिये गुजरात सरकार को चिट्ठी लिखी जावेगी ? इन सारे प्रश्नों का असैस्मैंट किया है ? सारे रिहैबिलिटेशन पर कितना खर्चा होगा और क्या आपने अपना असैस्मेन्ट गुजरात सरकार को बता दिया है ? मानवीय दृष्टिकोण से विचार

(श्री भैरोंसिंह)
किया जावेगा यह लफ्ज चतुराईपूर्ण हैं और इसमें राजस्थान सरकार फंस रही है तो सोचन वाली बात ही नहीं है। इसकी एस्टीमटेड कास्ट कितनी है और क्या इस संबंध में गुजरात सरकार ने रिएक्शन दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये। एक तो यह कि आपने सर्वे करायी या नहीं कि जिससे पता चले कि कितने व्यक्ति, कितनी सम्पत्ति इसमें आती है। स्टेटमेंट में इन चीफ में मैंने यह निवेदन किया था कि चूंकि गुजरात के आंकड़ों पर हम विश्वास नहीं करते, हमें ऐसा लगता है इसलिये हम अपना एक सर्वे डिपार्टमेंट लगा कर फ्लड लेवल पर सर्वे करवा रहे हैं ! 25 पर्सेन्ट काम हो गया है और दिसम्बर, जनवरी तक सारा काम फ्लड लेवल का जिससे पता लग सके कि कितने परिवार, कितनी जमीन यह सब प्रभावित होते हैं, पूरा हो जावेगा। सर्वे के लिये यह कार्यवाही की है ।

गुजरात सरकार ने हमें लिख दिया है कि ह्युमन प्रोब्लेम से सर्वे करेंगे। हम वहीं पर ठहर गये हों ऐसा नहीं है। उन्होंने पूछा है कि किस तरह से बसाना चाहते हैं। हमने उनको वही बात लिखी है कि जमीन के रिजर्वेशन का प्रश्न है। कमान्ड एरिया में जमीन का रिजर्वेशन हो। साथ ही देश में मुआवजा। जमीन के बदले जमीन नहीं। जमीन तो मिलेगी ही लेकिन कश में मुआवजा मिले। जिनके पास जमीन नहीं है उनको क्या मुआवजा मिले, मकानों का क्या मुआवजा मिले, फसल का क्या मुआवजा मिले, जहां पर उनको बसाया जाय वहां क्या फेसिलिटी हो, बहुत सारों को चम्बल में किया है। उनका सब का समावेश करके विस्तृत लिखा है। इसके डिस्कशन के लिए मिटिंग बुलाई है। 4 अप्रेल को मिटिंग दिल्ली में होनी थी वह इस सिलसिले में हुई थी। सवाल इस पर अड़ गया कि हम उनके सर्वे को मानते नहीं। यहां तक हुआ कि सर्वे करवा लिया जाय। ताकि सही स्थिति का पता लग सके। उन्होंने राइटिंग में लिख कर दे दिया है। उनकी कोस्ट पर सर्वे होगा। सर्वे अपने आदमी कर रहे हैं। एक ही प्रश्न यह है झगड़े का कि हम चाहते है कि गुजरात में जमीन रिजर्व की जाय जैसे पौंग पर की। उन्होंने कहा कि आयुक्त करेंगे। इसके लिये तय नहीं है। सर्वे के बाद उसको फाइनेलाइज करेंगे ।

श्री हीराभाई : सरकार उनके लिये तैयार है। सर्वे रिपोर्ट बनेगी आप फिर निर्णय करेंगे। वहां पर तेजी से काम चल रहा है तो हमारी जब तक रिपोर्ट न आजाय और निर्णय न हो जाय तब तक उसको रोकने के लिये तैयार ह या नहीं ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या यह सही है कि आपकी पार्टी 7 मई को गुजरात गयी थी कडाना साइट पर, और उनको वहां सर्वे नहीं करने दिया गया ? क्या यह सही है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बार बार प्रश्न उठाते हैं कि कडाना में राजस्थान के इन्जीनियर्स को सर्वे नहीं करने दिया गया इसलिये ये असहयोग कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कडाना में जाकर उनकी जमीन की सर्वे करने की जरूरत नहीं है। 29 जुलाई को एक चिट्ठी आ गई है और उसमें जो सूचनाएं हमने चाही हैं..

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपके इन्जीनियर्स को, राजस्थान गवर्नमेंट के इन्जीनियर्स को गुजरात सरकार के ऑफिशियल्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह गलत बात है।

श्री नाथूराम : आपके इन्जीनियर्स दस तारीख को मुझसे मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि उनको वहां ठहरने नहीं दिया गया और उनको वहां से भगाया गया है। मैं चेलेन्ज करता हूं अगर यह बात गलत हो तो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार की स्वीकृति के बिना ही गये थे।

श्री नाथूराम : 419 का जो पाइंट है, वहां उनको सर्वे ही नहीं करने दी----

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो सर्वे है वह जी०टी०एस० ट्रेन्च मार्क से है। अनएक्सपीरियन्स्ड इन्जीनियर्स वहां चले गये। उन्होंने उनको कहा कि यह हमारा ज्युरिस्डिक्शन है। जब तक राजस्थान सरकार हमको नहीं लिखेगी तब तक आप यहां से चले जाइये और अगर आपको सर्वे करना है तो राजस्थान सरकार से चिट्ठी लाओ। इसलिए बाला-बाला उनको नहीं जाना चाहिये था। राजस्थान सरकार के जरिये उनको वहां जाना चाहिये था।

श्री नाथूराम : तो राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं लिखा और आप आज तक यह नहीं बता सकते हैं कि फ्लड कहां तक जायेगा। क्या आपके पास यह सबूत है कि फ्लड कहां तक ठहरेगा ?

एक माननीय सदस्य : जब तक नर्बदा प्रोजक्ट का फाइनल सैटिलमेंट न हो और इसके मुत्तालिक जो रेलेवेन्ट केसेज हैं जैसे कडाना बांध, उसका कम्पेन्सेशन तब तक क्या आप इस कन्स्ट्रक्शन को जो गुजरात वाले कर रहे हैं, बंद कराना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने राज्य स्तर पर कैबिनेट के सामने यह मसला प्रस्तुत कर दिया है और जो भी निर्णय होगा वह कैबिनेट द्वारा ही होगा। उससे पहले म कोई भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं !

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्रि : विरोधी दल के माननीय नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदया, मैं इस संबंध में वाद्‌विवाद को बहुत बढ़ाना नहीं चाहूंगा। मैंने माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य को गंभीरतापूर्वक सुना है। अगर माननीय मंत्री महोदय इस दस्तावेज को जो कि राजस्थान के मंत्री और गुजरात के मंत्री ने हस्ताक्षर किये हैं, उसको केवल मीनिट्स आफ दी मीटिंग के रूप में या एजेन्डा के रूप में मानते हैं या उसकी संज्ञा देते हैं तो मैं उनका आभारी हूं। एक हद तक राजस्थान की सरकार इसको एग्रीमेन्ट की संज्ञा नहीं देती है तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। उनने यह भी कहा कि राजस्थान की सरकार यथा सम्भव यह प्रयास करेगी कि 419 फीट से इस डेम की ऊंचाई को नीचा किया जाय। यह भी एक शुभ लक्षण ह और इस सदन के माननीय सदस्यों की उग्र भावनाओं को जो आज व्यक्त की गई हैं, उसको भी आप मान्यता देते हैं। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सभापति महोदया, रहा सवाल विस्थापितों का। तो आदिवासी राजस्थान के विस्थापित होंगे ही। लेकिन आपको इस बात को मान कर के चलना होगा और मेरी जानकारी में जो तथ्य हैं, वे भी मैं आपको निवेदन किये देता हूं। केवल राजस्थान के आदिवासी ही विस्थापित या बर्बाद नहीं होंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा के आगे माही नदी जाती है, माननीय भीखा भाई जानते हैं, सलावड़ा का बैंक, उसके आगे फिर गुजरात स्टार्ट होता है और गुजरात के अन्दर भी चन्द हजार आदिवासी विस्थापित होंगे। आज देश के अन्दर, संकीर्णता, संकीर्णवाद, क्षेत्रीयवाद और न जाने क्या क्या वाद विवाद चल रहे हैं। इससे देश का विकास तो क्या विनाश हो रहा है। ये गुजराती क्या कहते हैं? आपको पता है? दो, तीन से मैंने बात की है। उन्होंने यह कहा है—राजस्थान वाले कौन होते हैं? सभापति महोदया, मैंने कहा—राजस्थान वाले वे होते हैं जो माही नदी पर बांध बनवाकर खुद के देश में अपने घर को बर्बाद करा रहे हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है कि जिस गांव के अन्दर से माही नदी का पानी बह कर जाता है, उनको यहां लाकर भूमि देकर प्राथमिकता देते हुए वहां स्थापित करें। तो माननीय मन्त्री महोदय ने कहा—उनको केश, नगदी भी दिया जायेगा। तो मैंने कहा वह तो देना होगा। नहीं देते हैं तो यह संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना करते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि आप गुजरात सरकार से इस बात का स्पष्ट आश्वासन प्राप्त करें कि एक तो बांध की ऊंचाई कम की जाय। दूसरे अगर राजस्थान के आदिवासियों को गुजरात के अन्दर स्थापित किया जायेगा तो उनमें कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा। गुजरात के आदिवासी और राजस्थान के आदिवासी भारतीय नागरिक हैं और उनकी समानता की दृष्टि से व्यवस्था करने के लिये आप निर्णय लेंगे।

मैं एक मिनिट और लूंगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस राजस्थान के अन्दर यह मेरा निश्चित अभिमत है कि क्या माही के दोनों तटों के ऊपर जो भूमि इन आदिवासियों ने अपने खून और पसीने से आबाद की है और पीढ़ियों से वहां पर बसे हुए हैं, अगर वह भूमि छोड़कर उनको वहां से जाना पड़ता है तो इस राजस्थान में, इसके कोने के अन्दर कहीं ऐसी भूमि नहीं है जहां पर वे विस्थापित, स्थापित हों, और उनको सन्तोष देकर स्थापित कर सकें। ऐसी स्थिति में आप क्या गुजरात सरकार से सन्तोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त करेंगे तो....

(स्वीकृत)

श्रीमती सभानेत्री : चूंकि समय 5 बजे तक है यदि सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घन्टा और बढ़ाया जाये।

सदन का समय एक घन्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदया मैं तो एक सेकेन्ड ही और बोलूंगा। मैं तो राजस्थान की सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उसे इस मामले में सख्त से सख्त एटीट्यूड एडाप्ट करना चाहिये। इस मामले में किसी का मुलाहिजा नहीं होना चाहिये। राजस्थान की सरकार दिवालिया सरकार है। गुजरात की सरकार समृद्ध सरकार है। उसका खजाना भरा हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, गुजरात के मुख्य मंत्रीजी के प्रलोभन के चक्कर में आकर के राजस्थान के आदिवासियों को बर्बाद करने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का अधिकार उनको नहीं है। अगर गुजरात सरकार बांध को नीचा करती है तो अच्छी बात है और अगर नहीं करती है तो गुजरात की सरकार को ना कहना चाहिये। सभापति महोदया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां रातों रात बिजली के उजाले में काम हो रहा है और गुजरात के लोगों का यह ख्याल है कि राजस्थान के लोग मुंह ताकते रह जायेंगे और जो समय निर्धारित किया है, उसके पहले ही यह बांध बना दिया जाये।

(5 म.प.)

तो आप सबसे पहले इस विचार को आधार रखें, आपका परम पुनीत कर्त्तव्य है कि आप गुजरात सरकार से बातचीत करें। बातचीत करके इन तथ्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और बांध की ऊंचाई कम करें और विस्थापितों को सन्तोषजनक रूप से स्थापित करेंगे। जैसा कि जनसंघ के नेता ने कहा गुजरात के इन्जीनियर और राजस्थान के इन्जीनियर दोनों मिल कर एक टीम के रूप में इसका सर्वे करेंगे और सन्तोषजनक रूप से छः महिने के अन्दर अन्दर इसका सही चित्र रखें। नहीं तो राजस्थान सरकार को गुजरात सरकार से कह देना चाहिये कि हमको ऐसी योजना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आप ने बांध बना दिया तो हम अपनी सीमा के झगड़े को न्यायालय में ले जायेंगे और जो डिस्प्यूट होगा तो उसके लिये प्रोपर जस्टिस प्राप्त करने के लिये न्यायालय में जायेंगे।

श्री हीराभाई : मैं भी इस बारे में बोलना चाहूंगा यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है......

श्रीमती सभानेत्री : इसके बारे में काफी जानकारी आ चुकी है।

श्री हीराभाई : सभापति महोदय, यहं जो पुनर्वास कमेटी बनायी है मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो कमेटी बनाने का निर्णय लिया है इसके कौन कौन सदस्य हैं। और जो लोग डूबने जा रहे हैं उनका कोई प्रतिनिधि भी है या नहीं। मिनिस्टर लोग जो इसका संचालन कर रहे हैं वे क्या निर्णय देंगे। हमारा इन मिनिस्टरों पर से विश्वास उठ चुका है। इकरार नामा ये करके आये हैं इसलिये इनकी हिम्मत नहीं है कि ये पीछे हट सकें। सुखाड़िया जी भी गुजराती हैं और हितेन्द्र देसाई दोनों ने मिल कर यह षडयन्त्र किया है। ये दोनों गुजराती होने से गुजरात का ही फेवर करेंगे। जो कमिटी बनायी है उसके बारे में जानना चाहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदया, जो इस बांध के बारे में डिसकशन हुआ है वह मौत का पैगाम है इसको रोक देना चाहिये। नहीं तो ये आदिवासी लोग ही विद्रोह करेंगे। विद्रोह के बाद सरकार रोकेगी इसलिये पहले ही इनकी भावनाओं को देखकर रोकद तो अच्छा रहेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इनके सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा सिंचाई आयोग जो राजस्थान सरकार का है वह बता सकता है कि इससे राजस्थान की कितनी जमीन की सिंचाई होगी।

श्री हीराभाई : सिंचाई का सवाल कहां है अपनी जमीन तो डूब में आयगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी को

(श्री शंकरलाल)

सुनने के पश्चात मैं उनके भाषण से यह जान पाया हूं जैसा कि गुजरात वाले कहते हैं 117 गांव इसमें डूब में आयेंगे और जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उनका कहना है कि इसमें 200 गांव डूब में आवेंगे। अभी तक आदिवासियों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्री महोदय ने यह मामला कबीनेट के सामने रखा है। अभी वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे कुछ कह सकें कि इस बारे में क्या किया जायगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है जिसका दूसरों ने समर्थन किया है। हमें प्रत्येक माननीय सदस्य की विचारधारा को देखकर चलना है जब तक इस बारे में निर्णय न हो भारत सरकार से मिलकर इस बात को तय न कर लें कि आदिवासियों के पुनर्वास के लिये क्या नीति है उससे उनको सन्तोष होता है या नहीं, कडाना बान्ध तुरन्त बन्द करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए वरना इसके भयंकर परिणाम होंगे।

एग्रीमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जिन आदिवासियों की जमीन जायेगी क्या उनको पूछा गया उनको पूछकर एग्रीमेन्ट किया गया? उनकी सन्तोषजनक व्यवस्था के लिये सरकार से निवेदन करना चाहिए। यह प्रत्येक सदस्य पुरजोर मांग करता हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभा नेत्री जी एक संकल्प दिया हुआ है हाउस की तरफ से। अगर हाउस पास कर लेता है तो सारी वहस का सार निकल आता है अतः उस प्रस्ताव को हाउस के सामने पढ़ा जाय।

श्रीमती सभानेत्री : वह संकल्प न तो मेरे पास आया है और न मेरे ही सामने है इसलिये इसके बारे में रुलिंग नहीं दे सकती।

श्री नाथूराम : मैंने वह प्रस्ताव सचिव महोदय को तीन बजे दिया है 15 मेम्बरों ने लिखकर दिया है नियमानुसार वह आजाना चाहिये। उस प्रस्ताव को पास किया जाना चाहिय और इस एग्रीमेन्ट को खत्म कर देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह प्रस्ताव इसी से संबंधित है। हाउस उस प्रस्ताव को लेकर दुबारा विचार करे तो यह सारा मामला रिपीट होगा इस बारे में सारा सदन राय जाहिर कर चुका है। उस प्रस्ताव को ले लिया जाय और उस पर सदन की राय जान ली जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आपके द्वारा संकल्प रख देने से या उस पर 15 मेम्बरों के हस्ताक्षर कर देने से वह एजेण्डा में आ नहीं सकता। प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है। मैं इस बारे में अध्यक्ष महोदय से बात करूंगी। मैं इस समय इजाजत नहीं दे सकती।

श्री नत्थीसिंह : सचिव महोदय को तीन बजे पेश कर दिया है वह आपके पास आना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : इस प्रकार प्रस्ताव दे देने से आज के बिजनस में शामिल थोड़े ही हो जायगा।

श्री मदनसिंह : कानून संबंधी अड़चन है। इस संकल्प के बारे में विधि मंत्री जी से पूछ लिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हाउस चाहता है तो वह आ सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : वह प्रस्ताव मेरे पास नहीं है और न मेरी टेबल पर ही आया है। मैं बिना प्रस्ताव देखे कैसे रूलिंग दे सकती हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : विधान सभा के सचिव महोदय को दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : देने से एक दम बिजनैस में आजाय यह नहीं होता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जब कि सारा सदन चाहता है, सारा हाउस चाहता है तो इसको डिसकस कर लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : मैं इसकी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह : मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं विधि मंत्रीजी के इस बारे में क्या विचार है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदया, विधि मंत्री इस पर विचार रखें इससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सारे दस्तावेजात एग्रीमेन्ट सहित सभी माननीय सदस्यों को वितरित किया है मैं जहां तक समझ पाया हूं वे मिनिट्स ऑफ मीटिंग हैं। वह भी सदन के सामने रखे जायें माननीय सदस्यों की जो भावना है उसकी अवहेलना नहीं की जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न इतना आसान नहीं है। आपने संकल्प भेजा है उसको पास कर दिया जाय। उस एग्रीमेन्ट को कानून के मुताबिक हम तोड़ भी सकते हैं इस प्रश्न का कानूनी पहलू भी है। मैं इस प्रश्न को गंभीरता पूर्वक लेना चाहता हूं।

(5.10 म०प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इससे जो भी इन्टर-स्टेट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वे भी इसी किस्म के हैं अगर हम एक इकरारनामे को रद्द करते हैं तो इसका असर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। मेरा यही निवेदन है, आपका जो भी प्रस्ताव है उस पर पूरी गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : तो जो आज की स्थिति है वही कायम रखी जावे।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने व्यवस्था का सवाल चल रहा है। यह माननीय सदस्य ने एक संकल्प दिया है और वह संकल्प इस समय....

श्री अध्यक्ष : मैं डिबेट सुनता रहा हूं इसलिये मुझे मालूम है सब।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय जहां तक सदन की व्यवस्था थी वह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ही खत्म हो चुकी और अगर इस रूप में ऐसा भी संकल्प आता है और हाउस की मंशा है तो इसे पंचायत हाल बनाकर होने दीजिये ऐसा ही।

श्री अध्यक्ष : एक संकल्प इस विषय पर रखा हुआ है। संकल्प में और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई फर्क नहीं रहा। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आरम्भ हुआ वह संकल्प के रूप में आया। पर मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न पेचीदा हो गया है विचारणीय हो गया है, चिन्तनीय हो गया है। जिस प्रश्न पर

(श्री अध्यक्ष)

इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बराबरी की दिलचस्पी रखते हों और अपनी चिन्ता व्यक्त करते हों उस संकल्प पर तो मैंने अपना मत उसकी एडमिजिबिलिटी पर नहीं दिया है। लेकिन प्रश्न चूंकि चिन्तनीय है इसलिये मैं एक सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। उस सुझाव को यदि सदन स्वीकार कर ले तो संकल्प पर व्यवस्था देने का भी प्रश्न हल हो सकेगा या मैं उसे देख सकूंगा।

चूंकि इस प्रश्न पर माननीय दोनों ओर के सदस्य बहुत ही व्यग्र हैं, इसलिये अच्छा हो कि इस पर बोलने वाले माननीय सदस्यों के दल के नेता और इधर के माननीय नेता और संबंधित मंत्री और प्रमुख माननीय सदस्य इस प्रश्न पर अलग से बैठकर सर्वांगीण रूप से इस पर विचार कर लें तो मेरा विश्वास है कुछ अधिक जानकारी मिल सकेगी और माननीय मन्त्री महोदय भी अधिक जानकारी देने की स्थिति में होंगे। यदि यह सुझाव प्रारम्भिक रूप से स्वीकार कर लिया जावे तो दूसरा जो आपका प्रस्ताव है वह किस रूप में लिया जावे इस पर भी फिर विचार किया जा सकेगा।

मेरा यह विश्वास ह इस प्रांगण पर इसका हल नहीं निकल सकेगा सिवाये इसके कि आप अपना विचार व्यक्त करते रहें। मैंने जो सुझाव दिया है उसमें कुछ हल निकलने की सूरत है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय और माननीय सदस्य इस सुझाव को स्वीकार करते हैं तो माननीय मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री रामप्रसाद लद्दढ़ा : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जनसंघ के नेता महोदय सुझाव देंगे तो अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो नियम बनाये हैं, सदन के सदस्यों ने बनाये हैं। इनमें रिलेक्सेशन का अधिकार किसी को मिला है तो अध्यक्ष महोदय को मिला है। सदन की जिस प्रकार की भावनाएं हैं और उनकी जिस प्रकार की अभिव्यक्ति यहां हुई है उसका अनुमान आपने चेम्बर में बैठ कर लगा लिया होगा। इसका तुरन्त निराकरण किया जाना चाहिए इसलिये सबस्टेन्टिव मोशन दिया गया है। अब अगर उसको, जो इसी से संबंधित है, दुबारा बाद में सदन में आवेगा तो फिर उस पर बहस होगी, और व्यर्थ में अधिक समय लगेगा, इस समय काफी संख्या में बोल चुके हैं तो उसे अगर ले लिया गया अभी तो तुरन्त उस पर फैसला हो जावेगा सदन इसका स्वागत करेगा और इस संबंध में आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सदन मालिक है और सदन की मंशा के मुताबिक आप चाहें जिस रूल को रिलेक्स कर सकते हैं और चाहें जो बिजनैस ले सकते हैं। लेकिन सदन की एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि जो आज के एजेण्डा में सवाल हैं पहले उनको हल किया जावे, उसको निपटाया जावे। उसके बाद में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है।

आज के बिजनैस को देखें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद कॉन्स्टीट्यूशनल अमेण्डमेन्ट बिल आता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे पहले ले लिया जावे और इस दौरान में लीडर ऑफ दी हाउस और अपोजीशन के

(श्री बरकतुल्ला खां)

सारे लीडर और मिनिस्टर साहब मिल कर इसका कोई रास्ता निकाल लें और इसके बाद आप जो चाहें फैसला कर सकते हैं। पर ऑलरेडी जो बिजनेस बाकी है उसको तो किसी स्टेज पर पूरा किया जावे नहीं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों को जिसको सदन ने स्वयं ने मान लिया है, सदन खद ही अवहेलना करेगा। यह अच्छी परम्परा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय,

श्री मदनसिंह : मेरा एक सुझाव है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं एक बात का विश्वास सदन को दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस मामले पर जो अपने विचार सदन में व्यक्त किये हैं उनके उन विचारों के प्रति सरकार की पूरी हमदर्दी है और उनका जिस तरह से पालन हो सकेगा उसके लिये प्रयत्न करने में सरकार का किसी तरह की कसर रखने का इरादा नहीं है। एक बात।

दूसरी बात। जनहित की दृष्टि से भी जो मसले यहां पर डिसकस करना चाहते हैं इस संकल्प के जरिये से जो बातें अभी आप और कहना चाहते हैं उसको जनहित की दृष्टि से यहां छोड़ दीजिये और माननीय अध्यक्षजी ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार हम सब बैठकर इस का कोई रास्ता सोच लें। नाथूरामजी भी उसमें हों, सब दलों के माननीय नेतागण भी उसमें हों। इसके मैरिट और डिमेरिट को विवाद का विषय बनाने से यहां सदन में लाभ की संभावना नहीं है। इसके लिये हम अलग से बैठकर डिसकस कर लें और कोई रास्ता निकाल लें।

श्री मदनसिंह : हमें कोई भी फैसला करने से पहले इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि जो पुनर्वास की समस्या इससे पैदा होती है उसे पहले हल किया जाय। उनको पहले बसाया जाय और बाद में काम हो। इस आधार पर सरकार राजस्थान सरकार यह आश्वासन दे दे कि पहले उनको बसाया जावेगा उनको बसाने से पहले किसी तरह का कोई कोआपरेशन राजस्थान सरकार गुजरात सरकार से करने वाली नहीं है। न काम ही शुरू कराने वाली है। इतना सा आश्वासन दिला दीजिये। और है क्या लम्बी चौड़ी बात।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर ज्यादा विचार विनिमय होना आवश्यक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रस्ताव रख देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी सहूलियत के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन कर दूं कि इस बात को भी वोट पर डाल दिया जावे। अभी फैसला हो जावेगा कि आज इसको लिया जावे या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया है उसके संबंध में नियमावली के जितने भी नियम हैं उनको सस्पेन्ड किया जावे ऐसा प्रस्ताव नियम 306 के सम्मुख सदन में मैं प्रस्तुत करता हूं और इतना कहना चाहता हूं कि पिछले वक्त भी ऐसा हुआ था फाइनेन्शियल कमेटीज के बारे में नियमों को रिलेक्स करके एक मिनिट में अधिकार दे दिया था। तो इसका प्रिसीडेन्ट कायम है। तो मैं 306 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखता हूं कि रूल नम्बर 119 और जितने भी इसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अन्तर्गत और नियम हैं उनको हाउस रिलेक्स करता है और हाउस इस सस्पेन्शन को एक्सेप्ट करता है।

श्री अध्यक्ष : रिलेक्स करने के बाद फिर दूसरा कदम ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस अगर रूल्स रिलेक्स कर देता है तो मोशन वोट पर आ जावेगा। नहीं तो नहीं आवेगा।

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय अध्यक्ष:..

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, नियम 306 का हवाला दिया है सतीशचन्द्र जी ने। वास्तव में नियम लागू होना चाहिये। वैसे हरेक मोशन के लिये 15 दिनों का क्लीयर नोटिस चाहिये या स्पीकर की परमीशन चाहिये या ऐसा रेजोल्यूशन या मोशन हो। इसके लिये भी राइटिंग में नोटिस देने की जरूरत होती है क्योंकि प्रस्ताव तो दे दिया है। अब मोशन तीन बजे दिया है इसलिए सिर्फ इस नियम का संशोधन होगा। पहले नोटिस दिया है, आज ही दिया है। बाकी सारी कार्यवाही उचित है और सारे हाउस का मत है उस प्रस्ताव को आज ही लिया जावे वरना लिया तो जावेगा उचित समय पर लिया जावे। केवल यह कहते हैं नियम 306 के अन्दर रूल्स को सस्पेन्ड करके आज ही ले लिया जावे और जैसा आपने जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूं, वह भी सुन्दर है। वह स्थायी हल के लिये है और इसके अन्दर जो एम० एल० ए० हैं नाथूरामजी हों चाहे उधर के हों वे भी कमेटी में हों लेकिन जब तक सका हल न निकले इसे ले लिया जावे।

श्री मदनसिंह (दांता) : ऑन ऐ पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है सस्पेन्शन का उस पर दूसरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठता।

(श्री मदनसिंह के पुनः खड़े होने पर) माननीय सदस्य सस्पेन्शन का प्रस्ताव आ गया है उसका निर्णय होने के बाद फिर कोई दूसरा....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव रखा है वह उचित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय..

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपाध्यक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था उसके संबंध में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने 2 विचार व्यक्त कर दिये और उसके बाद प्रस्ताव यह आया एक रिजोल्यूशन से सब्सटेन्टिव कर दिया जाय। इसमें मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो एग्रीमेंट है चाहे वह किसी रूप में हो बाई लिट्रल हो या किसी रूप में हो एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच इस तरह का एग्रीमेंट है। हमारा एग्रीमेंट हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हरियाणा के साथ हुआ है, हमारा एग्रीमेंट पंजाब के साथ हुआ है—अगर सदन कोई इस तरह का प्रस्ताव पास कर दे और गवर्नमेंट को बाध्य कर दे कि एग्रीमेंट को निभा नहीं सके तो मैं समझता हूं इसका असर देशव्यापी होगा और इस तरह की सब जगह परम्परा पड़ जायगी। किसी स्टेट का एग्रीमेंट हो और वह इस बिना पर विधान सभायें ठप्प हो सकती हैं, मैं समझता हूं, सदन की जो भावना है मंत्री महोदय ने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

समझ ली है। इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर राजस्थान के क्षेत्र को बड़ी भारी हानि होने वाली है इसमें मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि जो भावना व्यक्त की हैं वे उचित कार्यवाही करेंगे और दूसरे राज्यों से बात कर समयावधि में ही इस सदन को रिपोर्ट करेंगे और जो प्रस्ताव में बात चाही गई है वह बात करें लेकिन, मैं समझता हूं, इस रूप में संकल्प पारित करना खतरे की चीज होगी और वह देशव्यापी होगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसा माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने उत्तर दिया और जैसा हम समझ पाये ह उसके अनुसार अभी मंत्रिमण्डल ने इस बारे में निर्णय नहीं लिया है। मंत्रिमण्डल के सामने वह विचाराधीन है और इसलिये अभी तक उस एग्रीमेंट पर रेक्टीफिकेशन सही तौर से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है इसलिये इस संकल्प का अभिप्राय यह नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है उसके विरुद्ध कोई बात हो बल्कि गवर्नमेंट के सामने जो मामला विचाराधीन है उस पर लीगली यह पाइन्ट व्यक्त करते हैं इसलिये गवर्नमेंट आगे विचार करके निर्णय ले उसके बारे में आवश्यक निर्देशन देते हैं। यह नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक डिसिजन लिया रेक्टीफिकेशन करके उसका इम्पलीमेंटेशन हो सके। इसमें बेक आउट की बात हो यह नहीं है। यह रेक्टीफिकेशन नहीं हुवा—मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है। मैं समझता हूं इसका कोई देशव्यापी असर नहीं पड़ता है।

कोई गवर्नमेंट अपने हाउस को कॉन्फीडेन्स में ले, अपनी पार्टी को कॉन्फीडेन्स में कर ले क्योंकि यह महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है और मैं समझता हूं जिस तरह कांग्रेस के माननीय सदस्यों की ओर से यह प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न पार्टी के लेवल पर पूरा होना है—पार्टी डिसकशन होकर निर्णय नहीं लिया है इसलिये हाउस इस प्रकार का निर्णय ले ले कि मंत्रिमण्डल के हाथ मजबूत हों जो हाउस चाहता है उसी प्रकार निर्णय लेलें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपाध्यक्ष) : जो माननीय रामानन्दजी ने कहा उसमें यह आपत्ति है चाहे कानूनी रूप से 299 के अन्तर्गत वह अगर पूरा नहीं हुआ हो लेकिन इसको दूसरी पार्टी ने एग्रीमेंट मानकर काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वे यह मानते हैं कि हमारा एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। इस हिसाब से वे चल रहे है। वे यह मानकर कि अमुक मंत्री महोदय ने एग्रीमेंट किया है वे हाउस के रेस्पान्सिबिल सदस्य हैं, एक रेसपान्सिबिल मंत्री ने काम किया है। एक एग्रीमेंट है, चाहे वह प्लानिंग कमीशन करें चाहे वॉटर पॉवर बोर्ड करे गुजरात स्टेट ने उसको पूरा एग्रीमेन्ट मानकर कॉन्स्ट्रक्शन शुरू कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : इस पर मंत्री महोदय का निर्णय हो चुका है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी करना चाहूंगा जिस एग्रीमेंट के बारे में स्वयं सरकार यह कह रही है लीगली साउन्ड नहीं है क्या हाउस को...

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : इस पर अध्यक्ष महोदय मेरा प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। नियमों को ससपेन्शन करने का प्रश्न उठाया है, आप उन तथ्यों पर कहेंगे इसलिये माननीय सतीशचन्द्रजी ने यहां रूल 306 के अन्तर्गत आग्रह किया है कि नियमों का ससपेन्शन कर दिया जाय। मैंने इसको देखा है, 306 को भी और इस संकल्प को भी देखा है। और यह विचार करना चाहता था कि किसको ससपेन्ड करें? रूल्स का ससपेन्शन करते हैं तो क्या स्थिति होती है। रूल्स को ससपेन्शन करके इस संकल्प को लिया जाय। 102 रूल ऐडमिसिबिलिटी का है। यह है: Speaker to decide the admissibility of motion. 122 में तो स्पीकर को डिस्क्रीशन दिया हुआ है, प्रस्ताव को स्वीकार करने के सम्बन्ध में। अतः यह सस्पेन्ड नहीं हो सकता। और उसके अलावा नियम 124 के अन्तर्गत।

Allotment of time and discussion on motion:

"The Speaker may after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion."

इस स्थिति में ससपेन्शन का प्रश्न इसमें भी पैदा नहीं होता है। मोशन आज यहां पर नहीं है इसलिये प्रैक्टिस and Procedure in Parliament में उल्लेखित अभिमत के अनुसार भी सस्पेन्शन संभव नहीं —

"Motion for suspension of rule in its application to a particular motion may be moved only when that motion is before the House, that is if it is included in the list of business.

It further says—In view of the above classification, business pending in the House but not included in the list of business is not the business before the House for purposes of that rule."

ऐसी स्थिति में नियमों को सस्पेन्ड करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मैंने जैसा माननीय सदस्यों से निवेदन किया और जैसा माननीय उपाध्यक्षजी ने इस प्रश्न पर रोशनी डाली है, इन सब के संदर्भ में मैंने जो सुझाव दिया है वही उपयुक्त मालूम पड़ता है। अधिक से अधिक कल इस विषय पर विचार-विनिमय कर लिया जाय। उसके बाद मुझको सहूलियत मिलेगी ऐडमिसिबिलिटी के प्रश्न पर विचार करने के लिये। वहां क्या स्थिति है? प्रश्न संविधान का भी है, और लीगल इम्पलीकेशन क्या है—इन सब बातों के ऊपर प्रकाश मिलने पर ही हल निकल सकता है। उसके बाद दूसरे संकल्प पर अधिक विस्तृत रूप से विचार हो सकेगा। मैं यह चाहता हूं इस प्रश्न पर अधिक से अधिक विचार हो चुका है और विचारों से अवगत माननीय मंत्री महोदय हो चुके हैं। आपकी व्यग्रता आगे कदम लेने के सम्बन्ध में उसका निराकरण आपस में बातचीत करने से, विचार करने से हो सकता

(श्री अध्यक्ष)

है। यह वोट के आधार पर नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर माननीय सदस्यों का जैसा सोचना है।

श्री मदनसिंह : मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है। इस सारे मसले पर, अध्यक्ष महोदय, हमें परसों यह ऐलान हुआ था कि हमारी जो बहस जारी है वह जारी रहेगी। मैं समझता हूं कि एक बहस जारी है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद बहस जारी होनी चाहिये। उस बहस को पूरी न रखना, उसको बाद में रखना, मैं समझता हूं, इस किताब में कोई प्रावधान है जिससे सदन गाइडेड है जब बहस चालू है और बीच के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इस किताब में नहीं है। मैं इस प्रश्न को यहां समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने जो रूलिंग दी है उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। नियम 306 का इन्टरप्रिटेशन किया गया है। क्वेश्चन यह है कि माननीय सतीशचन्द्रजी ने प्रस्ताव रखा है यह प्रस्ताव रूल्स के अनुसार ऐडमिसिबल है या नहीं, यह प्रश्न डिसाइड करना है।

इनका प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सब्सटेन्टिव मोशन मूव किया गया है उसके ऊपर लागू होने वाले नियम 119 से 126 तक इन नियमों को सस्पेण्ड किया जाये। अब एक तो यह डिसाइड करना है कि क्या मेम्बर इस प्रकार का प्रस्ताव रख सकते हैं? और अगर रख सकते हैं तो अध्यक्ष महोदय की केवल सहमति चाहिए। इस सहमति के बाद हाउस डिसाइड करेगा कि इन रूल्स को सस्पेण्ड करना है या नहीं करना है। मैं समझता हूं, उसके बारे में कि कौन से नियमों के अनुसार लीडर ऑफ दी हाउस को पूछा जायेगा कि एडमिसिबिलिटि के ग्राउन्ड्स है या नहीं। वह क्वेश्चन तो रेज नहीं होता उसको इवेड करने के लिए रूल्स 306 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है कि इसको स्थगित किया जाये और इस प्रस्ताव के रखने में कोई प्रक्रिया नहीं है कि ऐसा प्रस्ताव लेकर मूव किया जाये। किसी भी समय कोई भी मेम्बर मूव कर सकता है। आज तक ऐसी व्यवस्था रही है।

श्री अध्यक्ष : उसमें जो मैंने व्यवस्था दी है उस पर और अधिक प्रकाश डालना नहीं चाहता। माननीय सदस्य स्वयम् समझते हैं और प्रश्न जिस पर विशद् विचार यहां पर हो चुका है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और उस पर 5॥ बज जायें उसके बाद एक प्रस्ताव मेरे पास आया है सस्पेन्शन ऑफ रूल्स। 306 में कन्सेन्ट ऑफ दी स्पीकर मांगी जाये। अब यह सोच लें विद दी कन्सेन्ट ऑफ दी स्पीकर, कहीं ऐसे मौके पर कन्सेन्ट स्पीकर की दे दी जाये तो वह डिस्क्रिशन रीजनेबल होगा या नहीं? अब यह विवाद मेरे मस्तिष्क में है...

श्री भैरोंसिंह : स्पीकर का कोई भी जजमेन्ट भूमिका के आधार पर नहीं होगा और सख्त रूप से नियमों के आधार पर ही होगा।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि डिस्क्रिशन ऑफ दी स्पीकर एडमिसिबिलिटी के पॉइन्ट पर है, एलॉटमेन्ट ऑफ दी टाइम के ऊपर है और एलॉटमेन्ट के लिए जो दूसरे नियम हैं यानि सरकुलेट

(श्री अध्यक्ष)

करने और दूसरे तरीके इस स्थिति में जैसा प्रश्न उठाया कि मैं कन्सेन्ट दे दूं और मैं एडमिसिबिलिटी के प्रश्न को वेव कर दूं इस स्थिति में मैं भी नहीं हूं। मैंने जो सुझाव दिया है उसको आप स्वीकार करते हैं तो इस प्रस्ताव को यदि यह आये तो इसको अधिक बल मिलेगा और इसको रख दिया जायेगा तो यह अशक्त नहीं हो पायेगा-यह मैंने अर्ज किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं आपको याद दिलाऊं कि आसन से जब अणुव्रत आन्दोलन के समय प्रस्ताव आया तो वह बिलकुल अचानक आया था और आपने वेव करके....

श्री अध्यक्ष : सरकुलेट हुआ था It was circulated and everybody knew it.

इसलिए मैं सदन की सहमति से अभी इस प्रश्न को तो समाप्त करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की तो अनुमति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : और सके बाद यह संकल्प का प्रश्न है। जैसा मैंने सुझाव दिया उसे कन्टक्स्ट में इसको लाने के प्रश्न पर विचार करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कल 3 बजे....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Chief Minister will not be here and 28th will be appropriate.

श्री अध्यक्ष : 28 को 3 बजे इस प्रश्न को विचार हेतु रख लिया जाये....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुख्य मंत्री के कक्ष में।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री के कक्ष में। इस सुझाव के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय संबंधित से कांसटीट्यूशन के प्रश्न को रखने के लिए आज्ञा देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रस्ताव पर वोट तो हो जाये ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं मूव कर चुका हूं और इस पर 3 भाषण हो चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाषण का प्रश्न नहीं है। अभी तो प्रश्न इतना है कि मैंने एक प्रस्ताव रखा है हाउस के सामने कि रूल्स सस्पेन्ड किये जायें या नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मुख्य मंत्री के कक्ष में विचार करेंगे। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है और जिन माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है इस समय सदन में बड़ी उग्रता के साथ बातें कही गई हैं ....

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या फरमाना चाहते हैं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : दो, चार मेम्बरों को बैठा कर बातें कर लेंगे। वह जो डूब में आई जमीन है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य!

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह मामला सदन में ही आना चाहिए और इस पर जो भी विचार करना है वह सदन में होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सदन में वापिस संकल्प रखा हुआ है आने के लिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बारे में जो मैंने प्रस्ताव रखा है मेरा निवेदन है कि एडमिसिबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है । मैं आपकी इजाजत से खड़ा हुआ और 306 के अन्तर्गत इस सिलसिले में जो पीरियड है नोटिस देने का, एडमिसिबिलिटी का सवाल है हाउस सुप्रीम है और हाउस सुप्रीम है तो हाउस डिसीजन ले सकता है कि रूल्स को सस्पेन्ड किया जाये या नहीं । अगर हाउस डिसीजन लेता है कि नहीं किया जाये तो ऐसा डिसीजन ले सकता है । अगर हाउस डिसीजन लेता है कि रूल्स को सस्पेन्ड किया जाये तो ऐसा हो सकता है । इसलिए यह प्रस्ताव हाउस के सामने रख देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : यह जो सस्पेन्शन का आपका प्रस्ताव था, May with the consent of the Speaker यह यदि आप मानते हैं तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कन्सेन्ट दूं और अगर नहीं देता हूं तो यह मोशन नहीं आता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कन्सेन्ट तो बाई इम्पलीकेशन है ।

श्री अध्यक्ष : The member may with the consent of the Speaker move that the rule may be suspended. इसलिए म कन्सेन्ट देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री मदनसिंह ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बारे में निवेदन करूंगा..

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह जो प्रस्ताव मूव किया है इसके बारे में । ऐसी व्यवस्था है और पहले भी हुई है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करूं तो सुनने में क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान गृहण करें ।

(श्री डूंगाराम राजोरिया के बोलते रहने पर) ऑर्डर, प्लीज....

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह तो एक दबाने वाली बात है ।

श्री मदनसिंह : जो सदन के सामने परसों से बहस थी.....

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है । व्यवस्था का सवाल यह है कि यह सदन रोज रोज कार्यवाही संचालन करने के लिए और टाइम दो दो घन्टे तक बढ़ जाता है । अगर आवश्यकता हो तो इसके पीरियड को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन अब आप देखें कि 5।।। बज रहे हैं और हम आगे के बिजनेस को लें तो दो तीन घन्टे और लगेंगे और वह लम्बा विषय है इसलिए आज की कार्यवाही समाप्त की जाये और कल 11 बजे फिर आरम्भ हो जाय ।

Page No 158

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया है इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो रोज से इस सदन में इसकी बहस चल रही थी कि भारत के संविधान के अन्दर.....

श्री दौलतराम सारण : क्या आप हमारी इच्छा के विरुद्ध बैठना चाहते हैं और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है लेकिन इस तरह से कार्यवाही का संचालन मुश्किल हो जायेगा और मेरा निवेदन है कि आज की कार्यवाही समाप्त की जाये और कल 11 बजे आरम्भ हो । केवल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए समय बढ़ाया गया था ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो महत्वपूर्ण सवाल था उसको एवाइड करके दूसरा जो पक्ष था यह कौन से नियम की बात है ? वह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हर सदस्य उस पर जोर दे रहा था उसको नहीं मिला और उस पर जोर दे रहे हैं ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की स्वीकृति

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य !

इस प्रश्न को फिर वापस दुबारा रखें । म इसके साथ में एक और सूचना देना चाहता हूं कि वह जो प्रश्न कल उपस्थित हुआ था, 22 तारीख को श्री रामेश्वर प्रसाद के सम्बन्ध में और जिसकी सूचना पहले दी जा चुकी है, उस मामले पर प्रिविलेज कमेटी, विशेषाधिकार समिति ने अपनी बैठक में उस सारे प्रश्न पर विचार किया और उस पर जो कुछ साक्षियां थीं उनको लिया है उन्होंने, और उसका वह प्रतिवेदन कल 12 बजे सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेगी । श्री रामेश्वर लाल हमारे सदन की हिरासत में हैं, समिति ने यह निर्णय लिया है कि रामेश्वर लाल को छोड़ दिया जाय, क्योंकि समिति कल इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । छोड़ देने का अर्थ उन्होंने यह लिया है कि विधान सभा के सामने उपस्थित हो, अगर नहीं हो तो मुचलके के 101 रुपया अदा करेगा । जमानत पर छोड़ दिये जाने की उनकी सम्मति है । तो यह प्रश्न सदन के सामने रखा जाना उपयुक्त होगा कि जमानत कितनी हो, क्या हो । यदि अनुमति हो तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाय ?

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री मूलचन्द डागा : मुचलका ही काफी है ।

श्री अध्यक्ष : छोड़ दिया जाय कैसे ? जमानत पर या मुचलके पर ?

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं इसके सम्बन्ध में विचार रखना चाहता हूं । ऐसी स्थिति है तो छोड़ दिया जाय । आसन अपने पैरों पर है, मैं कैसे कहूं ।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार व्यक्त करने का प्रश्न नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न में जैसा कि जमानत पर छोड़ा जाय या नहीं। उस पर भी माननीय सदस्य विचार व्यक्त करने लग जाते हैं, इसमें विचार का क्या प्रश्न है ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रीजनिंग है कि....

श्री अध्यक्ष: बहस कहां हो रही है ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न को रख देता हूं। क्या सदन की सम्मति है कि उनको जमानत पर छोड़ दिया जाय ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर एक मिनट सदन में मुझे कहने दिया जाय जो मेरा अधिकार है। इस मेरे अधिकार का पहले भी हनन किया गया है। मैं अधिकार और कानून की चीज कह रहा हूं उसको रोका जा रहा है। आप नोट दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कह दें उसमें ही समय बच जायेगा।

श्री मदनसिंह : ये प्रधान थे और प्रधान के नाते यहां के सदस्य के कहने के ऊपर एक वारंट इश्यू हुआ था या तो वारन्ट इश्यू नहीं होना चाहिए था जब तक कि आपको फेक्ट्स ऐसे मालूम पड़ें....

श्री अध्यक्ष : आज इस प्रश्न को पुनः नहीं उठने दूंगा। यह सदन का प्रस्ताव था। सदन की सम्मति थी या नहीं होनी चाहिए थी, विशेषाधिकार समिति के सम्मुख यह प्रश्न भेजा हुआ है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे नियम हैं कि वारन्ट से आता है तो वारन्ट का तरीका होता है। वारन्ट कैन्सिल करने का भी तरीका होता है। जमानत किस तरह की होनी चाहिए वह सदन जानना चाहता है या कोई अन्य...

श्री अध्यक्ष : आप समझ नहीं पा रहे हैं। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री केदारनाथ : सदन की राय ले लें। हम आपके डिस्क्रीशन पर छोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि छोड़ने का प्रश्न मुझ में निहित किया जा रहा है।

(स्वीकृत)

श्री मदनसिंह।

शासकीय संकल्प-संविधान में संशोधन संबंधी-पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष आज जो प्रस्ताव है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत बाईसवां संशोधन....

एक माननीय सदस्य : वह कल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम समझ रहे हैं कि पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह: यही तो चल रहा है। मुझे, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था भाषण शुरु करने का।

श्री अध्यक्ष : लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न, पाइंट ऑफ आर्डर ऐसा है कि जो सब प्रश्नों को काट देता है।

श्री मदनसिंह : वह किस ने किया है ?

कई माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, आज संदन ज्यादा देर तक बैठने के मूड में नहीं है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था........

श्री अध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त कर दें। मैं और आप दोनों ही रह जायेंगे।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष, सदन के बीच में यह जो बाईसवां संशोधन हो रहा है यह दोनों संसद के द्वारा पारित हो चुका है। इस सदन में यह विचाराधीन है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के संविधान की 368 वीं जो धारा है उसकी मन्शा है कि देश के दो-तिहाई विधायकों का वोट होने के बाद यह पारित हो सकता है सही ढ़ंग से।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है और जहां तक इस पर बहस हुई है उसका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन का कारण, अध्यक्ष महोदय, यह है कि आज यहीं ही नहीं कई देशों में यह अनुभव किया गया है कि आज कोई भी ऐसा राष्ट्र, कोई भी जगह, कोई भी प्रान्त को फोर्स के जरिये दबाया जाता है और उनके हक हकूक मारे जाते हैं तो उसका नतीजा बुरा हुआ है, और माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज वियतनाम में अमेरीकी फौजें एक छोटे से देश को स्वेच्छा से नहीं रहने देने के लिए कटिबद्ध हैं, और लाखों की सम्पति उसमें गुमाई है और लाखों सोलजर्स अपने बरबाद किये हैं और लाखों आदमी वहां पर उनके मरे हैं। एक सबसे बड़ी सत्ता फौजें भेजकर उनका मन-परिवर्तन करना चाहती है पर नहीं कर सकी है तो मैं समझता हूं कि ऐसी बहस देना कि एक राज्य के अंदर राज्य की मांग है, उसको फौज के जरिये दबा देना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा।

(5.46 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

आज वह बतायें कि जो अनपढ़ हैं वे अच्छी तरह नहीं समझते हैं कि आज हमारा देश आजाद हुआ है तो कितना आजाद हुआ है। एक मोटी चीज चाहते हैं और वह मोटी चीज चाहते हैं कि हम आजाद हुए तो हम अपना राज्य करें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), इस मन्शा से जो बार्डर, पर जितनी जगहें हैं उनकी मन्शा को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह जो संविधान का बाईसवां संशोधन आया है मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर कई सदस्यों ने एक बहुत बड़ा तर्क किया है कि हमारे बोर्डर के नजदीक चाइना है और बोर्डर के नजदीक होते हुए इनकी स्वेच्छा के मताबिक इनको राज्य देदें तो उनमें मिल जायेंगे। मैं प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार एक मिसाल देना चाहता हूं कि आज ही ऐसा संशोधन नहीं आया है। भगवान राम ने जब लंका को फतह किया था उस वक्त प्रश्न उठा था कि लंका का राज्य किस को दिया जाय, तो स्वेच्छा के सिद्धान्त को लेकर ही उन्होंने विभीषण को राज्य दिया था। यदि फौज के जरिये दबाया जायगा तो 10-20 वर्षों में वे फिर भड़क सकते है।

(श्री मदनसिंह)

वे यह समझगे कि भारत के लोग बड़े फटोल हैं, भारत के लोग बड़े निकम्मे हैं कि आजादी लेकर हमें फौजों के जरिये दबा रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान राम की मिसाल दता हूं। यदि वे चाहते तो लंका का राज्य हनुमान, लक्ष्मण किसी को भी दे सकते थे लेकिन यह राम की महानता थी कि उन्होंने लंकावासियों को स्वेच्छा के मताविक अपना राज्य दिया। हो सकता है कि बोर्डर पर स्थित कोई राज्य चाइना से मिल सकता है, परन्तु चाइना से मिलकर वे आराम नहीं पायेंग, क्योंकि वे जानते हैं कि चाइना क्या है, और वे उसमें और अपने में भेद समझग, तो, अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित बात है कि वे सही रास्ते पर वापस आ सकते हैं। इसलिय प्रजातन्त्र के अंदर सिद्धान्त होता है और यदि सिद्धान्तों को राइफलों की ताकत से, सिद्धान्त को अगर फौजों की ताकत से बनाना चाहते हैं, दूसरों पर लादना चाहते ह तो, अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि फौज की ताकत में तो भारत से कहीं अधिक शक्तशाली अमेरिका है तो अमेरिका भी कई देशों के ऊपर फौज के आधार पर दबाब डालने में सफल नहीं हुआ है। फौज की ताकत से आत्मा की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। अमेरिका वियतनाम म मुंह की खाये हुए बैठा है।

इसलिय आज सदन में जो बाइसवां संशोधन चल रहा है इसका मैं समर्थन कर रहा हूं। दो शब्द मुझ बोलने को थे वे मैंने कहे।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, बाइसवां संशोधन हमारे दो सदनों के द्वारा पारित किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में यह प्रश्न आया था उसने पहाडी क्षेत्र के पक्ष में राय नहीं दी थी। सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते उनका विशेष महत्व है। और यह भी स्थिति पदा हुई है कि पहाड़ी क्षत्र यह महसूस करने लगे कि हमारी मांग स्वायतता प्राप्त लिये बिना पूरी नहीं हो सकती है। मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र ने मिलकर यह तय किया कि आसाम के अन्दर एक स्वायत्त राज्य कायम किया जाये। इसके लिए पार्लियामेंट ने राय दे दी। तो मैं भी उसका समर्थन करता हूं और समर्थन करने पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन कमेटी ने यह सिफारिश की है, उसके लिए जनता का बहुमत, उसकी भाषा का सिद्धान्त, तथा दूसरे राज्य के पुनर्गठन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय आधार पर स्टेंड कर सकता है या नहीं, इस दृष्टि से राज्य पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

राजस्थान में कुछ नेता पश्चिमी राज्य की आवाज उठाते हैं। कुछ नेताओं ने पूर्वी राजस्थान की आवाज उठाई है। विशाल हरियाना की आवाज उठाई गई है। जिसमें वह अलवर, भरतपुर के शामिल करने की आवाज उठाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के राज्य की जो आवाज उठाते हैं, वह उचित नहीं है। उसकी रचना नहीं होनी चाहिए। अखबारों में मैंने विशेष तौर से पढ़ा था। जैसलमेर के सदस्य ने यह आवाज उठाई थी। अगर ऐसी स्थिति हुई तो कोई बड़ी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती है। अकाल आया, उसका भी राजस्थान मुकाबला

Page No 162

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

करने में काफी सफल हुआ है। अगर पश्चिम मी राजस्थान बना तो यह घातक होगा।

इसी तरह से पूर्वी राजस्थान की आवाज उठाई गई है। राज्य पुनर्गठन कमेटी ने यह दी है । न तो पश्चिमी राजस्थान हो, और न पूर्वी राजस्थान हो। उस समय अजमेर शामिल नहीं था। वह शामिल किया गया है। आबू रोड शामिल नहीं था। वह शामिल किया गया है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगानगर में जो स्थिति हो रही है, वहां एक अकाली सम्मेलन हुआ है । उनके नेताओं ने वहां भाषण दिये वे कोशिश कर रहे हैं कि गंगानगर की पंजाबी भाषा में गिनती करा कर, गंगानगर को पंजाब में शामिल किया जाये । इसके लिए गवर्नमेंट को सावधान होना चाहिए। गंगानगर के जो एम० एल० एज० है उनको सावधान होना चाहिए। अगर गंगानगर चला जाता है तो यह राजस्थान के लिए उचित नहीं होगा । गंगानगर हमारे क्षेत्र के लिये बहुत ही आवश्यक है। जिसमें गंगनहर है राजस्थान नहर है वह नहीं चली जाये, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं राजस्थान प्रान्त में अगर कोई क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा करता है, अविकसित क्षेत्र को विकास नहीं किया जाता है तो यह उचित नहीं होगा। आंध्र में तैलंगाना की उपेक्षा की गई, इसलिये वहां आज तैलंगाना को अलग करने की आवाज उठी। मंत्रि मंडल और सुखाड़िया जी का फर्ज है कि देखें कि सभी क्षेत्र विकसित हों। अविकसित वह क्षेत्रों का विकास किया जाये। जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं । मैं जब विधान सभा में आया था तो मैंने बार बार यह कहा था हमारे क्षेत्र को विकसित नहीं किया गया। जिसके कारण हिन्दुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हम को मुंह की खानी पड़ी। हमारी गवर्नमेंट की जो नीतियां अब बन रही है, वह बहुत अच्छी हैं। इसी प्रकार हमारे चीफ मिनिस्टर भी अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने का ध्यान दे रहे हैं। यह कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है। बाड़मेर टाउन विकास कर रहे हैं। फेमिन में बाड़मेर पर 4 करोड़ रु० खर्च किया गया है। मैं यह समझता हूं कि छोटे प्रान्त इस प्रकार से खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि यह क्षेत्रीय असन्तुलन नहीं होने दें। मैं यह भी कहूंगा कि जोधपुर उदयपुर बीकानेर वाले जो क्षेत्रीय भावना से देखते हैं....

श्री मूलचन्द डागा : हम नहीं देखते हैं क्षेत्रीय भावना से ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह भावना कतई नहीं आनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ब्रोड होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से राजस्थान की एकता कायम रहेगी। और हम अपनी समस्याएं हल कर सकेंगे ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 26 अगस्त, 1969 के लिए...

श्री खेतसिंह : स्पीकर साहब आ रहे हैं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री पी० के० चौधरी : आपने तो स्थगित कर दिया।

श्री सभापति : स्थगित नहीं किया है।

श्री मूलचन्द डागा: माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। ज्यादा वाद-विवाद करने की गुंजाइश नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ लोग प्रगति में पीछे रह जाते हैं। मैं जानता हूं कि अलग अलग उप जातियां हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में रह गई है। इसलिये उन लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है। समय समय पर यह बताया कि हमारा विकास नहीं हुआ है। सामाजिक आर्थिक और भी कई दृष्टिकोण से उनका विकास नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कदम सराहनीय है। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, देश के पिछड़े हुए हिस्से है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: सभापति महोदय, 6 बजे गये हैं। सदन का समय आधा घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाये।

श्री मनोहरसिंह मेहता: आप तो वोट पर रख दें।

श्री पी० के० चौधरी: मिनिस्टर लोग तो लंच खाकर आ गये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां: कोई खाकर नहीं आया है। खामांखां बहम है।

श्री मूलचन्द डागा: इसलिये एक प्रार्थना है, जो यह प्रस्ताव रखा गया है कि ओटोनोमस स्टेट होनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और अपनी बातों को और समस्याओं को सामने रख सकें, हल कर सकें। एक बात यह मानी हुई है एक बात है जिसमें हमें साफ समझ लेना चाहिए कि.....

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज। एक मिनिट।

सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा: देश के अन्दर सब हिस्से विकसित नहीं होंगे, तब तक लोगों में पूर्ण संतोष नहीं होगा। क्योंकि कुछ हिस्सों के अन्दर विकास नहीं हुआ है इस कारण ही वहां लोगों में असंतोष रहता है। आज तेलंगाना और दूसरी स्टेटों के अन्दर इस तरह की बात नहीं होती यदि जिन स्टेट के अन्दर वह है वहां उनके प्रति उपेक्षा नहीं होती और उनको सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखने के कारण और उनका विकास नहीं होने के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को हमें पास करना चाहिए और हमें ओटोनोमस स्टेट बनाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे भारतीय जनतंत्र में इस कॉन्स्टीट्यूशनल अमडमेंड के द्वारा हम एक नया विचार बिन्दु जनतंत्र के सम्बन्ध में शुरू कर रहे हैं, जो कि स्वागत योग्य है। हमारे देश में जो भाषावार प्रान्त बनाये गये, उन प्रान्तों के बनाने के बारे में भी दो राय थीं-काफी संघर्षों के बाद देश में इस बात को स्वीकार किया गया और भाषावार प्रान्त बने। भाषावार प्रान्त बनने के बाद

Page No 164

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी, सभापति महोदय, आज उनके बारे में जो विचार हैं-एक विचार तो यह है कि भाषावार प्रान्त गलत बनाये गये, वापिस हमको यूनीटरी स्टेट बनानी चाहिए, तमाम प्रान्तों को खत्म कर देना चाहिए और एक सेन्ट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, बाकी तमाम जो स्टेटस ह उनको खत्म करके सेन्टर के तहत नॉमीनेटेड बॉडी के रूप म कायम करें। इस प्रकार की विचारधारा, खास कर भारतीय जनसंघ की ओर से देश के सामने रखी जा रही है, वह देश के अन्दर वापिस भाषावार प्रान्तों को खत्म करके और उससे आगे जाकर एक इकाई, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नये प्रदेशों को कायम करने की बात की मुखालिफत करने की बात करते हुए वर्तमान स्टेट्स को खत्म करके वापिस देश में एक यूनीटरी स्टेट की स्थिति बनाना चाहते हैं। सभापति महोदय, और दूसरी राय यह है कि देश की वस्तु स्थिति को देखते हुए, इतना बड़ा देश है, इसम मुख्तलिफ लेवल के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चरल डेवलपमेंट, मख्तलिफ इकॉनॉमिकल डेवलपमट के लोग एथनिक लेवल में इकट्ठे बसे हुए हैं, भौगोलिक रूप में इकट्ठे बसे हुए हैं, उनको उन्नति का मौका दिया जाय, स्वायत्त अधिकार दिये जायं ताकि वह आगे बढ़ सके-इस प्रकार का कन्सेप्ट इस अमेंडमेंट के द्वारा इस देश के सामने रखा जा रहा है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान एक इतना बड़ा देश होते हुए और उसमें इतने प्रकार की भाषा होते हुए, उसमें इतने प्रकार की संस्कृति और ग्रूप होते हुए लोगों का समान विकास करने के लिए आवश्यक है कि लोगों को अपने तरीके से आगे बढ़ने का, विकास करने का मौका दिया जाय और उनका स्वायत्त शासन का अधिकार देकर विकास का मौका दिया जाय। अभी तक हमारा अनुभव है वह यह है कि इतने बड़े ग्रुप, एथेनिक ग्रुप, भाषावार ग्रुप भले ही नहीं, बड़े ग्रुप बना कर एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया गया जिससे पिछड़े हुए लोग थे वह पिछड़े हुए रह गये और उनके अंदर भावनायें दूसरे किस्म की फैलीं। यह वास्तव में देश की एकता को कायम रखने और देश को मजबूत बनाने वाला कदम नहीं है बल्कि देश में फूट पैदा करने वाला कदम है। सभापति महोदय, मैं समझता आसाम की स्थिति को लेकर कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे लोक सभा और राज्य सभा ने मंजूर किया है और जो यहां रेटिफिकेशन के लिए आया है-यह चीज करें। हमें आंख खोल कर अपने इर्द-गिर्द यह देखना होगा कि इस प्रिन्सिपल को इस जनतंत्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से यह हाउस आवश्यक समझता है तो इसको हमें अपने अपन प्रान्त में लागू करना होगा और लागू करना चाहिए। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के अंदर खास तौर पर जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, उनमें और उनके इर्द-गिर्द जो आस पास बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी ह उन्हें कॉन्स्टीट्यूशन के मुताबिक अभी तक जो रियायत मिलनी चाहिए, कॉन्स्टीट्यूशन के शिड्यूल एक के अनुसार जो विशेष तौर पर संरक्षण मिलना चाहिए-चाहे वह हमारी स्टेट में हों-तो राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, जिससे कॉन्स्टीट्यूशन के तहत विशेष तौर से संरक्षण देने की बात है, अभी तक हमारे राजस्थान में उन लोगों को यह संरक्षण देने की बात की शुरूआत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं की गई है। मैं समझता हूं, कडाना डैम बनाने के प्रश्न से आदिवासी लोग आज प्रभावित होते हैं, वहां उनको एक ग्रुप के तौर पर आज डिस्पलेसमेंट किये जाने और उनको उखाड़ने भौगोलिक रूप से और विशेष रूप से राजनैतिक रूप से वह अपनी शक्ति अनुभव करें- उसके बजाय कडाना डैम बना कर उनको विस्थापित बना कर, इधर-उधर फेंकने की बात की जा रही है यह एक पोलिटिकल डिसीजन है जिसका उन लोगों के अन्दर एक बड़ा भारी रिजेन्टमेंट है। इसका रिपरकशन लाजिमी तौर पर यह होगा कि वह लोग महसूस करेंगे और करना चाहेंगे कि उनको अपना डेवलपमेंट करने का मौका मिलना चाहिए, स्वायत्त शासन के अधिकार उनको मिलने चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान में बाइस वर्ष तक जिस तरह से आपने हुकूमत चलाई है, उससे वास्तव में जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वास्तव में आदिवासी क्षेत्र हैं जिनकी भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न है, रहन सहन भिन्न हैं- उनके बारे में हमें विशेष तौर से सोचना होगा। मसलन शादी का मामला है, यहां पर बहस के सिलसिले में हमने सुना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अन्दर 366 के केसेज बहुत रजिस्टर किये जाते हैं जब कि आदिवासियों के अंदर विवाह करने का रिवाज यह है कि जो नौजवान लड़का है और पसन्द लड़की- वह आपस में पसन्द करके विवाह करते हैं। लेकिन हमने आई० पी० सी० में धारा नाई हुई है उसमें दूसरे लोगों में यह बात बहुत बुरी समझी जाती है और एलोपमेंट कह कर और सिडक्शन कह कर उसके खिलाफ 366 का केसेज दायर किया जाता है...

श्री रोशनलाल: बिल्कुल गलत है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो आप बात कह रहे हैं वह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: ऐसे केसेज दायर होते हैं।

श्री रोशन लाल: न ऐसे केसेज होते हैं और न कुछ बात है। न ऐसे लड़के और लड़की रोज शादी करते हैं। जो केस होते हैं उनका पंचायत फैसला कर देती है। आपको अनुभव नहीं है कि आदिवासी इलाके में क्या होता है।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल्चरली उनकी हैबिट्स और कस्टम्स कई किस्म के हैं जिसके लिए कई कानून, जो हमारे लिए दुरुस्त हो सकते हैं, वहां पर उन कानून का उसी तरह से लागू करना दुरुस्त नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, इस कान्सटीटयूशनल अमेंडमेंट के जरिये इस तरह जो ट्राइबल एरिया को, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को स्वायत्त का अधिकार देने की बात है, इन अधिकारों को हमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिलों में, इन आदिवासी क्षत्रों में देना चाहिए। असली टेस्ट तो यही है। आप इस कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं तो आपकी भावाना क्या यही है कि केवल आसाम के लिए आप इस अधिकार को सही समझते हैं या इस प्रिन्सिपल को देश के किसी भी हिस्से के लिए दुरुस्त मानते हैं? आप यह कहें कि आसाम के जो प्लेन के लोग हैं, उन्होंने उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया इसलिये हिली एरिया जो विदिन द स्टेट है उसको ओटोनोमस बनाना ठीक है तो राजस्थान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के अन्दर भीलों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ ठीक प्रकार का व्यवहार होता है ? क्या उनके अन्दर इस प्रकार की इच्छा है या नहीं ? वह नहीं जानना चाहते हैं....

श्री रोशन लाल : वहां का डेवलपमेंट कर रहे हैं, यह आपको मालूम नहीं है। आज तक वहां पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। राजस्थान के अन्दर पहली बार आपका भाषण इस असेम्बली में सुन रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप संकल्प पर चर्चा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं सभापति महोदय, इस प्रकार का जो भी कॉन्स्टीट्यूशन के अंदर सेफगार्ड है, उस पर खुले दिल से सोचिये, बजाय इसके कि अपनी सुप्रीमेसी रखें और पूरी सत्ता अपने हाथ में रखें, मैं समझता हूं इस तरह की बात को ख्याल में न रख कर जनतंत्रीय प्रणाली को स्वस्थ बनाने के लिये और मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है तो आदिवासी क्षेत्र हैं उन आदिवासी क्षेत्र को आप स्वायत्त शासन के अधिकार दें। जगह जगह ऐसे ओटोनोमस स्टेट बनने की बात हो रही है, उड़ीसा में इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, बिहार में हो सकती है तो राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्टस हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को विशेष तौर के अधिकार, विशेष तौर की रियायत इस कॉन्स्टीटयूशन के तहत हमको देनी चाहिए अगर आप कहते हैं कि आवाज नहीं उठाई है, तो यह आपकी गलत फहमी है, उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, वह महसूस कर रहे हैं..

(घंटी)

जिस तरह से कडाना बांध के बारे में माननीय नाथूलाल जी सजगता से उस बात को महसूस कर रहे हैं, माननीय रोशनलाल नहीं कर रहे है।

श्री रोशनलाल : आपने तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा अभी तक देखा नहीं है, हमें 30 वर्ष हो गए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महाराना साहब का सारा....

श्री रोशनलाल : एक भी एप्लीकेशन आई है लोगों की ? फिजूल में राजस्थान के टुकड़े करवाना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : असम के अन्दर हिल बना रहे हैं विदन ए स्टेट। आप इसको जनतंत्र का विकास मानते हैं या जन तंत्र की हत्या मानते हैं ? इससे देश में फूट मानते हैं मजबूत बनना मानते हैं ? अगर आपने कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट का सपोर्ट किया है तो मुझे आश्चर्य है कि आप कहते हो कि राजस्थान में इस तरह की बात होने से फूट हो जायेगी और असम के अंदर टुकड़े नहीं होंगे।

श्री रोशनलाल : कोई मांग नहीं, कोई बात नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि यह विचारधारा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने जो अभी अपने अध्यक्षीय भाषण दिया था फरीदाबाद में पिछले कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा, दुबारा सोचना पड़ेगा कि भाषावार प्रान्त बनाए,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इससे गड़बड़ी हुई है और बाद में वायबुल यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। मैं समझता हूं प्रधान मंत्री ने इसका विरोध किया और बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया कि यह कांग्रेस के घोषित सिद्धान्तों के विरुद्ध श्री निजलंगप्पा ने भाषण दिया है। कांग्रेस के अंदर जो सिंडीकेट के विचारों के बहुत से लोग हैं। श्री निजलंगप्पा हैं जो सिंडीकेट के लीडर हैं, और श्री रोशनलाल उन्हीं विचारों को रख सकते हैं लेकिन भारत में जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह कन्सेप्शन कि पिछड़े हुए लोगों को स्वायतता अधिकार देने के लिये अलग से बनाना पड़े उसको स्वीकार करना, एक राज्य के अंदर आटोनोमस राज्य बनाना पड़े उसको स्वीकार करना, डिस्ट्रिक्टस को आटोनोमस रीजन बनाना पड़े उसको स्वीकार करना खुले दिल से ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यह सही कदम है।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, यह 22 वां संशोधन हमारे संविधान में आया और उसके आने का सबसे मूल कारण था कि यह जो हिल डिस्ट्रिक्ट थे, उनको आजादी से पहले काफी स्पेशल प्रिविलेजिज दिए हुए थे, वे स्पेशल स्टेटस लिए हुए थे। आजादी के बाद इनको सेमी आटोनोमस माना गया था और स्पेशल प्रिविलेजेज दिया गया था। अगर यह करते कि इन जिलों को अलग रुप से, जो सेमी आटोनोमस जिले थे इन सारे जिलों को री ग्रूप करके एक तरीके से एक स्टेट विदिनए स्टेट बनाते या इनको अलग अलग रखते। पं० जवाहर लाल नेहरू ने एशोयरेंस दिया और आखिर में पतासकर अवार्ड आया। मंत्रि मंडल की सब कमेटी की बैठक हुई और आखिर तय हुआ कि इसको स्टेट विदिन ए स्टेट बनाया जाय जब यह प्रश्न उठा तब संविधान के अंदर जो संशोधन आया वह कम से कम 50 फीसदी राज्यों से रेटीफाई होना चाहिए, इसलिये यह आया।

जहां तक बहस का संबंध है यहां पर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं जिनका सम्बन्ध हमारी रोजमार्रा की जिंदगी से है जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि 22 साल में 22 बार यह संविधान अमेंड हो चुका है और उन्होंने कहा कि इस संविधान की जगह एक कमीशन अपोइंट होना चाहिए था और वह पूरे देश के अंदर यह तय करे कि किस तरह का संविधान होना चाहिए। उन्होंने यूनीटरी फार्म आफ कान्सटीटूयूशन के लिए कहा, तो मैं कहता हूं यह बहुत पुरानी बहस हो गई है। संविधान बनने से पहले, बनने के समय, यह बहस में आई थी कि हिंदुस्तान यूनीटरी रहे, फेडरल या सेमी-फेडरल रहे। उस पर सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि सेमी-फेडरल रहना चाहिए। बिल्कुल लूज फेडरेश नहीं होना चाहिए जिससे हर राज्य इन्डिपेंडेंट और सेमी इन्डिपेन्डेन्ट अपने को समझने लग जाय और इतना यूनीटरी नहीं कि विकेन्द्र करण जो हम करने जा रहे हैं, वह नहीं रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान ने एक बात का जबाब दिया कि वह जिंदा कान्सटीटूयूशन है। जिंदा कान्सटीयूशन में जब जब जरूरत पड़ेगी उसका संशोधन होगा और अमेंडमेंट बरदाश्त करने की उसमें ताकत है। हिंदुस्तान का संविधान कोई डेडवुड नहीं है जिसका संशोधन नहीं हो सकता।

(श्री बरकतुल्ला खां)

उसके साथ साथ भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही। अंतरात्मा वालों पर थोड़ी सी मजाक उड़ाई उसके बाद उन्होंने कुछ शब्द फरमाए। हमने जो कदम उठाया था वह कांग्रेस को कमजोर करने या तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से यह माना था कि कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि आज अगर हिन्दुस्तान में कांग्रेस टूटती है तो हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आज इसलिए मैंने यह ज़िक्र किया, क्योंकि माननीय रामकिशनजी ने जो कहा था उनको बताना चाहता हूं कि आज संसद के अन्दर कुल मिलाकर 79 लोग वे हैं जो कम्पलीटली राइट में हैं और 78 लोग वे हैं जो कम्पलीटली लेफ्ट में हैं और इसके बीच में कांग्रेस है। अगर कांग्रेस के 150 आदमी टूटते हैं तो उसका नतीजा होगा इनस्टैबिल्टी सेंटर में आएगी जो बिहार में आई। हम सेंटर के अंदर वह इन्स्टेबिल्टी नहीं लाना चाहते जो मध्यप्रदेश व बिहार में आई क्योंकि इन्सटैबिल्टी आती है तो डेमोक्रेसी को खतरा होगा, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ। डिक्टेटरशिप आने से पहले वहां इन्स्टेबिलिटी आई और मिनिस्ट्री बार बार टूटी। वहां डेमाक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकी।

दूसरा, अपने पड़ोस में बर्मा के अंदर डेमोक्रेसी को खतम इसलिए होना पड़ा कि वहां पर भी इन्स्टेबल कंडीशन पैदा हुई और डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकी। आज जो लोग कांग्रेस के अंदर या बाहर से कांग्रेस को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि संसद में उधर तो 79 इधर 78 ये तो इरोवकबुली कमिटेड लेफ्ट एण्ड राइट हैं, बाकी लोग 25 डी० एम० के०, 35 निर्दलीय और 18 दूसरे हैं। इस तरह से लोगों को विचार करना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस भी आज उस पोजीशन पर पहुंच जाए जिस पोजीशन में कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हुई। लेफ्ट और राइट के रूप में खड़ी हुई और एक दूसरे के वोटों को कैंसिल किया। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और सी० पी० आई० दोनों मिलकर कम्युनिस्ट विचाराधारा रखते हुए भी एलायन्स कर रहे है, बंगाल के अन्दर, केरल के अन्दर। तो कांग्रेस को इस पोजीशन में नहीं लाना चाहिए जहां राइट कांग्रेस और लेफ़्ट कांग्रेस एलायन्स करें। कांग्रेस के अंदर बिल्कुल क्लीयर कट बात है कि लेफ्ट और राइट दोनों का एलायन्स है लेकिन कांग्रेस मुश्किल समय से गुजर रही है। इसलिये यह समझना कि कांग्रेस के अन्दर फूट पड़ गई है बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के लोग एक दूसरे को अपनी विचाराधारा में कन्वर्ट करेगें लेकिन कांग्रेस को नहीं तोड़ेंगें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप एस० के० पाटिल साहब के नजदीक हैं, ये दूसरी कांग्रेस के लोग हैं। आपके विचार कम्युनिस्ट के पक्ष में हैं।

श्री बरकतुल्ला खां: मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं...

क्योंकि बड़ी इन्ट्रेस्टिंग डिबेट आ गयी है जिस पर कुछ कहना चाहता हूं।

हम उस पोजीशन पर नहीं आना चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट बने। एक पावर का बंटवारा करें। कांग्रेस बड़ी मुश्किलात

(श्री बरकतुल्ला खां)

से गुजरी है। करांची में झगड़ा हुआ। कांग्रेस एक रही। टंडनजी इलेक्ट हुए तो क्या स्थिति आयी? सोशलिस्ट दोस्त मेरठ सैशन में छोड़ कर गये। यह भी मालूम है कि उसके बाद बहुत दिक्कत आयी। कांग्रेस ने यह देखा कि जवाहरलालजी ने वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया तो टंडनजी ने कहा कि मुझे खुद को ही चला जाना चाहिये। टंडनजी खुद छोड़कर चले गए पर कांग्रेस के टुकड़े नहीं होने दिए। मैं अपने साथ सारी तस्वीरें लाया हूं। जनसंघ के लायक दोस्तों को बताना चाहता हूं। हमने तो अन्तरात्मा की आवाज सुनी जबकि आप लोगों ने तो अन्तरात्मा की आवाज नहीं सुनी थी। आप फिर दूसरी जगह क्यों गये? कौनसी पार्टी है जिसका दामन पाक है। भारतीय क्रान्ति दल 11, जनसंघ 17, स्वतंत्र पार्टी 28 कुल मिलाकर 56। मि० देशमुख को 41 मिले। 15 वोट डिफेक्टिव हुए। भारतीय क्रान्ति दल के 7 आदमियों ने फर्स्ट प्रिफरेन्स के वोट मि० देशमुख को दे दिये तो उनमें से चार ही डिफैक्ट हो सकते हैं बाकी 11 वोट कहां गये। इसलिये सिर्फ कांग्रेस में ही क्रास वोटिंग हुआ हो ऐसी बात नहीं है। सबही पार्टियों में यह हुआ है। किसी का पाक दामन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने सबका एनेलेसिस कर दिया। कांग्रेस का बता दीजिये?

श्री बरकतुल्ला खां : कांग्रेस का एनेलेसिस तो आपने ही कर दिया। यह सिर्फ कांग्रेस में ही हुआ तो यह बात नहीं है। सब पार्टीज से गये हैं। मैं समझता हूं कि आज किसी चीज पर स्वतंत्र पार्टी एक मत है तो कम्युनिस्ट पार्टी की कोशिश पर है। वह चाहती है कि कांग्रेस को खत्म होना चाहिये कोई एक्सट्रीम राइट से और कोई एक्सट्रीम लेफ्ट से आता है। जनसंघ पार्टी से स्वतन्त्र पार्टी मिलना चाहती थी। बार बार शोर हुआ कि मिल गये। हाउस ऑफ कौमन्स में एक ने कहा "आई कन्सीव आई कन्सीव, आई कन्सीव"। वे बोल न सके तो किसी ने कहा "यू कन्सीव बट यू डिलीवर नथिंग"। जनसंघ को कुछ मास बेस है इसलिये वह स्वतंत्र के साथ मिलकर केवल वाइट कोलर और सिलवर स्पून की हिफाजत में अपने भविष्य को खत्म नहीं करना चाहते हैं। स्वतन्त्र पार्टी मर्जर चाहते हुए भी जनसंघ नहीं चाहता। जनसंघ से मर्जर कैसे हो जाय? मि० मसानी ने कहा कि यह रिवाइवलिस्ट है। जब उन्होंने चाहा तो जनसंघ ने माना नहीं। मि० रंगा आर० एस० एस० के कैंप में चीफ गेस्ट बनकर गये तो श्री मसानी ने सख्त आलोचना की कि वो डूबत खाते में जाने के लिये तैयार नहीं हैं। एस० एस० पी० ने मुबारक वादी दी कि कांग्रेस खत्म होने जा रही है। मार्क ट्वीन ने जब अखबार में यह खबर पढ़ी कि

"Marks Twin is dead"

तो उन्होंने अखबार को यह इतला दी कि

"Your news exaggerated"

मैं यही कहना चाहता था Your expectation is too premature.

यह मैं जानता हूं कि जो रिवोल्युशनरी विचार रखते हैं वो आशावादी होते हैं। ओपटिमिस्ट नहीं होंगे तो अपनी जगह कैसे रहेंगे। आप कांग्रेस को तो खत्म करना चाहते हैं मगर यू० पी० में आप खुद आपस में लड़लड़ कर डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर कहां के कहां गये। एस० एस० पी० के लोग बिहार में शोसित दल में गये। वहां क्या हालत हुई वह भी

(श्री बरकतुल्ला खां)

मालूम है। पी० एस० पी० और एस० एस० पी० में मि०जोशी ने कोशिश की कि किसी प्रकार युनिटी हो जाय। सोशलिस्ट आन्दोलन को हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश की लेकिन श्री जोशी ने जब प्रस्ताव रखा तो 131 मतों से उसको गिरा दिया गया। कांग्रेस को यह कहना चाहते हैं तुम टूटो। हम तुम्हारे साथ हैं। बैंकों के नेशनेलाइजेशन पर सब लोगों न मबारकवाद दी। मगर जनसंघ अपने उसूलों पर रहा। एस० एस० पी० के श्री जार्ज फरनेनडीज ने अपनी पार्टी के लोगों को आदेश दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो जलूस प्रधान मंत्री को बधाई देने जाए उसमें हिस्सा न लें। पंजाब में एस० एस० पी० के दो मेम्बर हैं परन्तु दोनों साथ साथ बै कर एक कोमन स्ट्रेटजी इवोल्व नहीं कर सके और उसके बाद यह कहते हैं कि कांग्रेस के टुकडे कर दो।

श्री पृथ्वीसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री विषयान्तर हो रहे हैं। पोइन्ट पर ही बोलना चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। That is no point of order.

श्री बरकतुल्ला खां : जिस खुले दिल से माननीय सदस्य बोले है उसी खुले दिल से जवाब दे रहा हूं। चूंकि यह समझ लेना है हिन्दुस्तान के अन्दर....

श्री स ीशचन्द्र अग्रवाल : कम्यनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : कम्युनिस्ट पार्टी के लिये पहले मैं कह चुका हूं। अपनी आत्मा को सम्हालें।

श्री दिग्विजयसिंह: हमारी वजह से गवर्नमेंट में बैठ गये।

श्री खेतसिंह : और भी जरूरत पड़े।

श्री दिग्विजयसिंह: भगवान रोज पटके।

श्री बरकतुल्ला खां: कम्युनिस्ट पार्टी ओरिजिनली एक थी। दो पार्टीज़ में तबदील हुई। तीसरी और बन गयी नक्सेलाइट। कौन कह सकता है कि मासेज का कौन रिप्रेजेन्ट करती है। जब सपोर्ट करने का मामला आता है तो जनसंघ से इन्फल्युएन्स्ड हो जाते हैं ऐसा टर्न दे देते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी में इस तरीके से जो दरार पड़ी है उसकी वजह से जो इम्पोर्टेन्ट रोल कम्युनिस्ट पार्टी अदा कर सकती थी वह नहीं कर रही है। चाहे लेफ्ट हो या राइट दोनों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस वालों को खास तौर से समझना पड़ेगा। कांग्रेस में जो लेफ्ट और राइट हैं उनको एक दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से बैठक की कार्यवाही का समय दस मिनिट और बढ़ाया जाता है।

श्री बरकतुल्ला खां : जनसंघ भी किसी तरह राइटिस्ट ही नहीं रह गया है। इलेक्शन का मेनिफेस्टो था तो उसमें इकोनोमी की बात आयी है और वह बात आयी जो कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी कहती है। एक कदम हमारे पास आये और एक कदम स्वतन्त्र पा ी के पास गये। लेफ्ट और राइट जनसंघ में भी विचारधारायें चल रही हैं लेबेनिज्म की बात आती है। गवर्नमेंट। एम्पलाइज की स्ट्राइक हुई। भूतपूर्व अध्यक्ष, ने होलहार्टेडली उसको कन्डम किया जनसंघ

(श्री बरकतुल्ला खां)

एक प्रोग्रेसिव एलीमेन्ट था उसनें गवर्नमेंट एम्पलोइज की मदद करने की कोशिश की। डिफरेन्सेज कहां नहीं हो सकते डिफरेन्सेज को पेच अप कर देना मजेदारी होती है। हमने वोट दिया इसलिये वोट दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने पोजिटिव नीति अपनायी।

श्री फतेहसिंह : You want to liquidate the Congress.

श्री बरकतुल्ला खां : आप कांग्रेस के लिये क्यों परेशान हैं?

श्री फतेहसिंह : आपको पेच अप नहीं करना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : हम लोग अन्दर बैठे हैं व तो परेशान नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको उसकी चिन्ता है उससे मझे चिन्ता होती है। अगर हम अपने रास्ते से अलग हट जायें तो जरूरत हो जायेगी एक ही मकसद के अलग अलग फिकरों को एक होने की-जो हो नहीं सकता। लेकिन राइट लेफ्ट होते हुए भी कांग्रेस ने लेफ्ट राइट की तरफ कदम बढ़ाया है। जनसंघ, पी० एस० पी०, कम्युनिस्ट पार्टीयों में अपने अपने तरीके लेफ्ट के तरीके की और शिफ्ट हो रहे हैं। यह हर पार्टी में होता है कि उसका एक एक सेक्सन दूसरे सेक्शन से कोई बात कहता है वह सेक्शन उसकी बात को नहीं समझता। पी० एस० पी०, बी०के०डी० को साथ लाना चाहती है और बी० के० डी० उससे नहीं मिलना चाहती। पी० एस० पी० भी सोचती है कि कहीं न कहीं हिन्दुस्तान में हमें खड़े होना है। आज की यह जरूरत है कि एक यूनाइटेड कांग्रेस रहे, वह तकसीम न हो। लेफ्ट राइट तो होंग और जब यह नहीं रहेगा कांग्रेस खतम हो जायेगी। देश को, डेमोक्रेसी को खतरा पैदा हो जायेगा। जो लोग आज कांग्रेस के अन्दर बैठ कर कांग्रेस को डिवाइड करना चाहते है, पी० एम० को कमजोर करना चाहते हैं, या ऐसी किसी योजना पर तुले हुए है, मैं स्पष्ट शब्दों में उनसे कहना चाहता हूं कि इसके बड़े सीरियस रिप्रेकेशन्स होंगे। इसको सब कांग्रेसजनों को समझना चाहिए।

जब मैंने यहां यह सुना कि राजस्थान के अंदर स्टेट और स्टेट वीद इन दी स्टेट होना चाहिये तो मुझे धक्का लगा। लोगों को इसे कहते देर न लगी। स्वतंत्रता के पहले हम सोचते थे कि ये 22 रियासतें एक हो जायं, एक जगह इनके प्रतिनिधि बैठ जायं और राजस्थान की किस्मत का फ़ैसला करने का अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को हो। आज के दिन जो आवाज उठा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की, इसका मतलब है वही 22 रियासतें जिनको मिलाकर यह एक रियासत आज बनी है कहीं ऐसा न हो कि हम फिर वही छोटे दायरे में बंट जाय। एक तरफ जयप्रकाशजी कहते हैं छोटी रियासतें होनी चाहिये इसी प्रकार हिन्दुस्तान बढ़ेगा। दूसरी तरफ जनसंघ और दूसरे लोग कहते हैं युनिटरी गवर्नमेंट होनी चाहिये। जब हमने पंचायती राज को असेप्ट किया तो उसमें डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ-पावर दिया है। फिर भी राजस्थान के लोग इस बात के लिये तैयार नहीं है। कोई उसका टुकडा हिस्सा पंजाब में जाये, हरियाणा में मिले, गुजरात में मिले। इसके लिये राजस्थान के लोग तैयार नहीं हैं। उन्होंने बड़ी ईमानधारी और जिम्मे-

(श्री बरकतुल्ला खां)

दारी के साथ कोशिश की थी कि ये रियासतें एक हों। कई लोग यह कहते कि कांग्रेस काम करने में हिचकिचाती है। मैं उनसे इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि रियासतें खतम करने में कांग्रेस ने पहल की। उसी ने पहले कदमउठाया । जागीरें खतम करने के समय भी कांग्रेस ने पहल की। छट्टा बांटा करने का वक्त आया तो वह भी कांग्रेस के आदमियों ने किया और अब बैंक नेशनेलाइजेशन का वक्त आया तो उसमें भी कांग्रेस ने कदम बढ़ाया है । जो भी रिवोल्यूशनरी चीजें हैं, उसको कांग्रेस ने करने में कदम पीछे नहीं हटाया है। वक्त के साथ साथ उसने ये चीजें की हैं। जो इनके साथ चलना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो इससे लड़ना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है और जो यह नहीं चाहते हैं.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : और जो नहीं चाहते हैं क्या उनको पीछे छोड़ जायेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : वे अपने आप छोड़ कर चले जायेंगे। यह कहेंगे कि कांग्रेस ज्यादा रेडीकल हो गयी है।

श्री भैरोंसिंह : आप खेतसिहजी को साथ रखेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं खेतसिहजी के पीछे चलूंगा।

माननीय सभापति जी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यह जो कान्स्टीट्युशन का अमेन्डमेंट बिल हमने लिया है, उसको पास किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संविधान के 22वें संशोधन विधेयक, 1969 का जो संकल्प विधि मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृति दी गई)

संकल्प स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26 अगस्त, 69 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजे कर 37 मिनिट पर दिनांक 26 अगस्त, 1969 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट संख्या 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची)

तहसील सांचोर जिला जालोर के फोडर डिपुओं पर भेजे गये चारे का मानचित्र

क्र०सं० नाम घास डिपो	नाम मास									
	नवम्बर 1968	दिसम्बर 1968	जनवरी 1969	फरवरी 1969	मार्च 1969	अप्रेल 1969	मई 1969	जून 1969	जुलाई 1969	योग
1. सांकड	—	—	100—61	—	759—40	112—08	623—92	..	110—00	1706—01
2. चीतलवाना	14—00	—	—	—	127—82	39—94	186—72	..	38—50	406—98
3. घोघपुरा	—	—	—	43—84	537—55	350—00	1637—44	..	126—00	2694—83
4. डूंगरी	—	..	..	—	..	..	..	..	167—00	167—00
5. झाब	—	—	—	—	347—00	122—00	372—00	..	..	841—00
6. सरनाउ	..	—	—	..	—	36—56	985—96	..	160—00	1182—55
7. वरणाय	—	..	—	..	—	..	78—32	..	..	78—32
8. सांचोर	20—25	232—26	614—73	226—97	1859—12	519—22	2372—45	32—84	504—00	6381—84
योग ..	34—25	232—26	715—34	270—81	3630—89	1179—80	6256—24	32—84	1105—50	13458—53

Page No 174

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

345. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर की सी० टी० एस० बसें अभी कुल कितनी चल रही हैं और इनके मालिक कौन हैं ?

(2) पहिले कुल सी० टी० एस० की कितनी बसें चलती थीं और साल में नई बसें कितनी चलीं और यह किसकी हैं और उनको परमिट कब दिया गया ?

(3) इनके रूट कौन कौन से हैं और सुबह चलने व रात को बन्द होने का समय क्या है ?

(4) जो बसें बड़ी चौपड़ से टकसाल के आगे आमेर रोड के चौराहे की ओर जाती हैं वे विधायकों की सुविधा के हेतु धाभाईजी की हवेली के पास क्यों नहीं ठहरती हैं ?

(5) क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और क्या यह स्टोप जनहित को देखते हुए भी मुनासिब नहीं है क्योंकि आमेर के चौराहे से चली बस चौपड़ के पहले कहीं पर नहीं ठहरती ?

उत्तर

(1) जयपुर में इस समय सी० टी० एस० की कुल 28 बसें चल रही हैं। और इनके मालिक श्री कमल चन्द कासलीवाल हैं।

(2) सबसे पहले सी० टी० एस० को सन् 1958 में एक फ्लीट परमिट नम्बर 1625 केवल 13 गाड़ियों के लिये दिया गया था। बाद में सन् 1964 में नको दूसरा परमिट नं० 2647, 16 गाड़ियों के लिये दिया गया। उसके बाद फरवरी, 1968 में इन दोनों परमिटों को मिलाकर एक परमिट नं० 2647 कर दिया जिसके तहत सी० टी० एस० को आर० टी० ए० ने फरवरी, सन् 1969 तक सन् 1958 या उसके ऊपर के माडल की 30 गाड़ियां लगाने की स्वीकृति दी है।

(3) मार्गों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं। बसें चलने का समय गर्मियों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 9-00 बजे तक तथा सर्दियों में प्रातः 7-00 बजे से 8-30 बजे रात्रि तक। तीन बसें रात्रि के 10-30 बजे तक चलती हैं।

(4) धाबाईजी की हवेली के पास अस्थाई तौर पर ठहराने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है और स्थाई तौर पर ठहराने के लिये आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

(5) प्रस्तावित बस स्टोप के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 175

प्राइमरी हैल्थ सेंटर, असनावर

346. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि असनावर ग्राम जिला झालावाड़ में प्रा० हैल्थ सैन्टर होते हुए भी पोस्ट मार्टम के कैस जो आस पास के गांवों के आते हैं उन्हें झालावाड़ भेजा जाता है और इन्हें दो दो तीन तीन दिन में घर पहुंचाया जाता है जिससे घर वालों को परेशानी होती है ?

(2) प्रा० हैल्थ सैन्टर में डाक्टर होने पर क्या अब यह सुविधा शीघ्र ही दी जा सकेगी? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

फार्म्स का सरलीकरण

347. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पांचवीं श्रेणी से लेकर ग्यारहवीं श्रेणी तक के छात्र को कितने प्रकार के फार्म्स भर्ती होने के समय पेश करने पड़ते हैं ? उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखियेगा।

(2) क्या यह सत्य है कि इन फार्म्स में विद्यार्थियों को राजपत्रित अधिकारियों के पास ही जाना लाजमी हो जाता है ? यदि हां, तो किन किन अवस्थाओं में ?

(3) क्या यह सत्य है कि विद्यार्थियों को राजपत्रित अधिकारियों द्वारा तस्दीक कराने में कई घंटे बरबाद करने पड़ते हैं ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग इन फार्म्स के सरलीकरण करने के बारे में कोई विचार रखती है ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सत्य है कि जो विद्यार्थी अनुसूचित या अनुसूचित जन-जाति के हों उन्हें प्रमाण-पत्र जिला मजिस्ट्रेट का प्राप्त करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस कठिनाई को महसूस करती है? यदि करती है तो, इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) कक्षा 5 से 11 तक प्रवेश पाने हेतु पाठशाला प्रवेशप्रार्थना पत्र छात्र एवं संरक्षक द्वारा भरा जाकर स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी० सी०) के साथ देना पड़ता है। प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) यह सही नहीं है ।

(3) जी हां । मजिस्ट्रेट के अलावा, एम०पी० तथा एम०एल०ए० द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होता है । प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता के लिए यह आवश्यक है कि जिम्मेदार अधिकारी अथवा जन नायक ही ऐसा कार्य करें । प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है ।

आग में जली घास

318. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भीलवाड़ा जिले के काछोला गांव में जंगलात विभाग के बीड़ में इकट्ठे किये घास के डेढ़ लाख पूले जल गये ? यदि हां, तो कब और क्यों?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या यह भी सत्य है कि यह घास अकाल क्षेत्रों के लिये इकट्ठा किया गया था ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत काछोला द्वारा बटया गया 103088 पूले घास दि० 12-1-69 को जल गया। अग्नि कान्ड का कारण ज्ञात नहीं हो सका।

(2) इस बाड से क हुए घास का 213 घास अकाल सहायतार्थ रखने के जिलाधीश के निदेशानुसार यह घास रिजर्व रखा गया है।

प्रतापगढ़ को अलॉट की गई रोगीवाहन

349. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़-सु०): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जो रोगीवाहन गाड़ी प्रतापगढ़ को अलॉट हुई थी वह डी०एम० एन्ड एच०ओ० का कार्यालय जहां होता है, वहीं रहती है? यदि हां, तो प्रतापगढ़ को यह अलॉट की गई रोगीवाहन गाड़ी चित्तौड़ में क्यों रखी जाती है? वह प्रतापगढ़ से कब और किस कारण से मंगाई गयी थी ? क्या इसे विभागीय आदेश से चित्तौडग भेजा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ एक आदिवासी एवं पहाड़ी एरिया है और यहां इस गाड़ी की सख्त आवश्यकता रहती है? यदि हां, तो इस रोगीवाहन गाड़ी को कब तक प्रतापग भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रोगीवाहन का जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुख्यालय से कोई संबंध नहीं है इस रोगी वाहन को चित्तौडगढ़ में जिलाधीश चित्तौड़गढ़, अध्यक्ष नगर पालिका चित्तौडगढ़ एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ से विचार विमर्श के पश्चात रखने का निर्णय दिनांक 10-2-1967 को लिया गया था क्योंकि उस समय इस गाडी के लिए अलग से ड्राइवर का पद स्वीकृत नहीं था। तब से इस गाड़ी का एम्बुलेन्स के रूप में चित्तौड़गढ़ में प्रयोग होता है जबकि उसके उपयोग की जरूरत होती है किसी भी स्पेयर ड्राइवर द्वारा काम निकाल लिया जाता है।

(2) यह सही है कि प्रतापगढ़ एक आदिवासी एवं पहाड़ी एरिया है व वहां गाड़ी की आवश्यकता भी है। इसे ध्यान में रखते हुए अब इस गाड़ी के लिये अलग से एक ड्राइवर का पद और सृजित करवायें जाने की कार्यवाही की जारही है व जैसे ही पद सृजित होता है यह गाड़ी प्रतापगढ़ भेज दी जायगी।

श्री जे० बी० हायर सैकन्डरी स्कूल, लाडनूं के सेवा मुक्त अध्यापक

350. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री जे०बी० हायर सकेन्डरी स्कूल लाडनूं के संचालक मण्डल ने उक्त स्कूल के अध्यापकों में से गत सत्र के दौरान सेवा मुक्त किया है? यदि हां, तो किन किन को कब कब और उनके खिलाफ क्या क्या आरोप थे और उनकी सेवायें इस स्कूल में कितने कितने वर्ष की थीं ?

Page No 177

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या उपरोक्त सेवा निवृत्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया था ? यदि हां, तो नियमानुसार सेवा निवृत्ति से पूर्व संचालक शिक्षा विभाग से स्वीकृति लेनी आवश्यक थी फिर भी क्यों नहीं स्वीकृति ली गई ?

(3) क्या विभाग की जानकारी में है कि उक्त स्कूल का संचालक मण्डल विधिवत् गठित नहीं है फिर भी उक्त संचालक मण्डल के आदेश की कहां तक वैधता है ?

(4) क्या उपरोक्त मण्डल सेवा निवृत्त अध्यापकों के खिलाफ की गई जांच के लिय गठित की गई जांच संस्था कमेटी के विधान के अनुसार गठित की गई थी ? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उपरोक्त अध्यापकों में से किसी ने कोई अपील संचालक मण्डल के निर्णय के खिलाफ की है तो किस किसने और उन पर अभी तक क्या निर्णय विभागीय अधिकारियों ने लिया है और शेष रही अपीलों पर कब तक निर्णय होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। निम्न अध्यापकों को उनके नाम के आगे अंकित तिथि को दिखाये गये आरोपों के कारण सेवा मुक्त किये गये :—

नाम अध्यापक	सेवा समाप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	आरोप
1. श्री नोरतमल भोजक।	3-5-69	10-7-50	छात्रावास के हिसाब में गड़बड़
2. श्री प्रेमशंकर शर्मा।	23-3-69	8-7-68	अनुशासन हीनता व प्रयोग शाला की चेकिंग करने में ढील तथा सामान की कमी
3. श्री महेश-शंकर गुप्ता	30-6-59	21-7-64	अनियमितताएँ व असंतोष का कार्य
4. श्रीचन्नीलाल सोनी	30-11-68	12-7-68	कार्य संतोषजनक नहीं
6. श्री शिवदत्त शर्मा	30-6-69	9 वर्ष	हिसाब में गड़बड़ी तथा अप्रशिक्षित

(2) नियम 4(ई) के अनुसार विभाग को एक प्रति देनी आवश्यक है जिसके द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। इस संस्था ने ऐसा नहीं किया। जांच की जा रही है।

(3) विभाग की जानकारी में उसने संचालक मंडल के नियमानुसार गठित नहीं होने की कोई शिकायत नहीं है।

(4) इन सभी बातों की जांच चल रही है।

(शिक्षा मंत्री)

(5) उपरोक्त प्रश्न 1 में उल्लिखित प्रथम 3 अध्यापकों ने अपीलें की हैं और जांच होने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

तहसील खानपुर में बबूलों व खेजड़ों की राड़ियां

351. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील खानपुर में बबलों व खेजड़ों की कितनी राड़ियां किन किन स्थानों पर स्थित हैं ? मय रकबा अलग अलग बताने की कृपा करें।

(2) बबूल राड़ी जरगा व दूसरी राड़ियों से अलग अलग सरकार को कितनी आमदनी हुई है व इन पर कितना कितना खर्चा आया है ? पिछले पांच साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) सरकारी राड़ियों से लकड़ी उपलब्ध कराने के क्या नियम हैं और नियमों के माफिक कितनी कितनी लकड़ी उक्त अवधि में कृषकों को बची गई है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकारी राड़ियों का नाजायज कटाव हो रहा है और ये करीब करीब नष्ट हो चुकी हैं ? यदि हां, तो संबंधित वन विभाग के स्टॉफ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) बबूल की एक राड़ी, ग्राम जरता जेठाना के पास स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1131 बीघा 11 बिस्वा है। खेजड़ी की कोई राडी इस तहसील में नहीं है।

(2) पिछले पांच वर्षों में इस राडी से कुल 6943-75 की आय हुई। वर्षवार सूची संलग्न है। इस राड़ी पर अलग से व्यय नहीं हुआ है।

(3) अब तक सरकारी राडियों से लकड़ी वकिंग प्लान के प्रावधान के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। अलग 2 कृषकों को घन पदावार राडियां से देने का प्रावधान नहीं होने से कोई लकड़ी कृषकों को नहीं दी गई है।

(4) इस राडी में नाजायज कटाने के मामलें प्रकाश में आये हैं। नुकसान करने वाले से कुल 2164.06 पसे आज मआवजा लिया जा चुका है। अवैध कटाव के सम्बंध में श्री मजीद खां वन रक्षक एवं नाका इंचार्ज श्री बिरधी लाल, रेंज खानपुर को निलम्बित किया जाकर विभागीय जांच जारी है।

क्रम सं०	प्रथम रिपोर्ट मुकदमा	दिनांक	वर्ष	मुआवज़ा वसूल जो राज्य कोष में जमा कराया	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	7820	4-6-62	1963-64	49.00	
2.	6808	19-6-62	1963-64	27.00	
3.	8609	1-7-63	1963-64	16.00	
4.	8610	12-10-63	1963-64	180.00	
5.	8611	5-1-64	1963-64	..	खारिज किया
			योग ..	272.00	
6.	8612	15-6-64	1964-65	..	खारिज किया
7.	8614	24-6-64	1964-65	..	"
8.	8617	29-6-64	1964-65	..	पैंडिंग
9.	8618	16-7-64	1964-65	90.00	
10.	8619	5-1-65	1964-65	63.00	
			योग ...	153.00	
11.	8621	21-5-65	1965-66	13.00	
12.	8620	26-5-65	1965-66	12.00	
13.	8622	4-6-65	1965-66	100.00	
14.	8623	21-6-65	1965-66	35.00	
15.	8624	21-6-65	1965-66	30.00	
16.	83	21-6-65	1965-66	30.00	
17.	83	21-6-65	1965-66	50.00	
18.	8625	22-6-65	1965-66	30.00	
19.	8627	19-12-65	1965-66	102.00	
			योग ..	403.00	
20.	578	7-1-67	1966-67	35.00	
21.	581	17-1-67	1966-67	15.00	
22.	577	7-1-67	1966-67	73.00	
23	600	3-2-67	1966-67	67.50	
			योग ..	190.50	

Page No 180

1	2	3	4	5	6
24.	752	28-3-67	1967-68	50.00	
25.	497	2-4-67	1967-68	100.00	
26.	757	23-6-67	1967-68	140.00	
27.	1102	2-2-68	1967-68	75.00	
28.	1101	1-2-68	1967-68	90.00	
29.	1107	20-2-68	1967-68	20.00	
			योग ..	405.00	
30.	8629	3-5-68	1968-69	4.06	
31.	763	14-6-68	1968-69	5.00	
32.	764	19-6-68	1968-69	8.00	
33.	765	20-6-68	1968-69	12.00	
34.	766	21-6-68	1968-69	18.00	
35.	762	31-5-68	1968-69	50.00	
36.	8640	1-2-69	1968-69	102.00	
			योग ..	199.00	
37.	8641	27-4-69	1969-70	50.00	
38.	8642	15-5-69	1969-70	101.00	
39.	8646	27-6-69	1969-70	51.56	
40.	798—2	7-7-69	1969-70	..	पष्डिग
41.	798—3	7-7-69	1969-70	..	"
42.	798—4	7-7-69	1969-70	..	"
43.	8645	18-6-69	1969-70	339.00	
			योग ..	541.56	
			कुल योग ..	2,164.06 पैसे	

बांसवाड़ा के सेठ को अनाज के आयात का ठेका

352. **श्री गंगासहाय** (कठुमर-सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा के सेठ गणपतलाल केदारनाथ को अनाज के आयात का ठेका दिया गया था ? यह ठेका कब दिया गया था और कितना अनाज मंगाने का ठेका दिया गया था ? ठेका देने से पूर्व ठेकेदार के संबंध में नियमानुसार आवश्यक जानकारी कर ली गई थी अथवा नहीं ?

(2) क्या इस ठेके से सरकारी खजाने को हानि हुई ? यदि हुई तो कितनी ? इस हानि के लिये जिम्मेदार कौन है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार से इन्कम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था ? यदि लिया गया था तो किस तारीख को ?

(4) क्या यह सही है कि सेठ गणपत लाल केदारनाथ खाद्यान्न ट्रान्सपोर्ट के काम में असफल हो जाने के कारण रतलाम स्टेशन से फ्रीगंज अहाते में खाद्यान्नों की बोरियों को लाने का काम सेठ लक्ष्मीनारायण चिरंजीलाल के नाम से लिया गया और 60 पसे प्रति बोरी के हिसाब से उसका बिल बनाकर सेठ शंकरलाल अटार्नी जनरल ने प्रस्तुत किया जिस पर खजाना अफसर की सिफारिश से 45 पैसे प्रति बोरी के हिसाब से 20 हजार रुपये का पेमेन्ट किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि असल ठेका उक्त ठेकेदार को 1)40 रु० में दिया गया था और उसे ही यह सारा काम करना था ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार के असफल होने पर भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत ट्रकों का लिक्वीजेशन हुआ और ट्रान्सपोर्ट का काम 2)75 में सरकार को कराना पड़ा ? इससे सरकार को 1)35 प्रति बोरी अधिक देना पड़ा ?

(7) क्या यह सही है कि आज तक सरकार ने उक्त ठेकेदार सेठ गणपतलाल केदारनाथ के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है ? यदि की है तो क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) वित्त वर्ष 66-67 के लिये बांसवाड़ा जिले का परिवहन ठेका दिनांक 1-4-66 से श्री गणपतलाल केदारनाथ चिड़ावा निवासी जिला झुन्झुनू को दिया गया था इनके संबंध में किसी प्रकार की जांच किये जाने के बाबत कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई है। यह ठेका वित्त वर्ष में प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण खाद्यान्न के परिवहन हेतु किया गया था। ठेका देते समय कितना खाद्यान्न परिवहन करना है इसकी बाबत कोई उल्लेख नहीं किया जाता है जिस वर्ष के लिये ठेका दिया जाता है उस वर्ष में जितना भी खाद्यान्न प्राप्त होता है उसको उसी ठेकेदार से परिवहन कराया जाता है।

(2) जी हां। इस ठेके में 63,706·32 पैसे की हानि हुई बताई है इस संबंध में तत्कालीन अधिकारी एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने हेतु जिलाधीश महोदय को लिखा गया है अभी तक इस बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

(3) जी नहीं।

(खाद्य मंत्री)

(4) यह सही है कि सेठ गणपतलाल केदारनाथ परिवहन का कार्य करने में असफल हो गये किन्तु यह सही नहीं है कि रतलाम स्टेशन से फ्रीगंज अहाते के खाद्यान्न का काम सेठ लक्ष्मीनारायण चिरंजीलाल के नाम से लिया गया और 60 पैसे प्रति बोरी के हिसाब से उसका बिल बनाकर भुगतान किया गया।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। उक्त ठेकेदार के असफल होने पर परिवहन का कार्य भारत रक्षा कानून से ट्रकों का लिक्वीजेशन कराकर कराया फिर इस कार्य को 2–3/4 पैसे प्रति क्विन्टल प्रति किलोमीटर की दर से अन्य ठेकेदारों से कराया गया था इस प्रकार सरकार को एक पैसा प्रति क्विन्टल प्रति किलोमीटर की हानि हुई थी। 1.35 पैसे प्रति बोरी नहीं।

(7) जी नहीं, जिलाधीश बांसवाड़ा द्वारा जिलाधीश झुन्झुनूं को दिनांक 13-2-68 को भूमिकर की भांति वसूली करने हेतु लिखा जा चुका है। तहसीलदार बिलाड़ा ने वारन्ट कुर्की निकाल दिये हैं और अग्रिम सुनवाई की तारीख 29-8-69 रखी हैं।

जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का फिक्सेशन

353. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय ने अपने प्राध्यापकों में संशोधित यू०जी०सी० स्केल्स में फिक्सेशन के करने के लिये राज्य सरकार ने किन्हीं मुद्दों पर क्लेरीफिकेशन मांगे हैं ? यदि हां, तो वे क्लेरीफिकेशन किन किन मुद्दों पर हैं ? विश्वविद्यालय द्वारा कब भिजवाये गये थे और उनका उत्तर क्या क्या दिया गया है और कब दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों का फिक्सेशन नये स्केल्स में हो चुका है लेकिन जोधपुर विश्वविद्यालय में इन क्लेरीफिकेशन न जाने के कारण फिक्सेशन नहीं हो पाया है ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के ऐसोसियेशन की ओर से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन आया है ? यदि हां, तो कब और राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। स्पष्टीकरण जिन मुद्दों पर चाहा गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) तीनों विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों का नये संशोधित यू०जी०सी० वेतनमानों में फिक्सेशन कर दिया गया है। और एरीयर्स का पेमेन्ट भी कर दिये हैं।

(3) राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं हुआ है।

क्रम संख्या	स्पष्टीकरण के मद्दे	विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जाने की तिथि	राज्य सरकार द्वारा दिया गया उत्तर व दिनांक
1	2	3	4
1.	सुपरिन्टेन्डेन्ट, फिजिकल एज्यूकेशन व असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, फिजिकल एज्यूकेशन को संशोधित वेतन श्रृंखला के अनुसार वेतन दिया जा सकता है अथवा नहीं ?	24-12-68	(1) जोधपुर विश्वविद्यालय से इस विभाग के पत्र दिनांक 1-5-69 के द्वारा चाही गई सूचनायें प्राप्त होने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।
2.	संशोधित वेतन श्रृंखला में जो प्रसंगतियां उत्पन्न हुई हैं उनको दूर करने के लिये पूछा गया।	5-2-69	(2 व 3) मार्च 1959 में स्पष्टीकरण कर दिया गया। जहां 1-4-66 से पूर्व कोई वरिष्ठ प्राध्यापक अपने से कनिष्ठ प्राध्यापक से अधिक या बराबर वेतन पा रहा हो और संशोधन के परिणामस्वरूप 1-4-66 या उसके बाद यदि कनिष्ठ प्राध्यापक का वेतन वरिष्ठ प्राध्यापक से अधिक हो गया हो तो उस तारीख से जिस तारीख से कनिष्ठ की तनख्वाह वरिष्ठ से अधिक हो गई है उसी तारीख से वरिष्ठ प्राध्यापक की वेतन बढ़ाकर कनिष्ठ के बराबर कर दिया जावें। तथा नये वेतन मान में वेतन निर्धारण करते समय पुराने वेतन-मान में दिये जा रहे वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाना चाहिये और यदि नये वेतन-मान में
3.	राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संशोधन वेतन श्रृंखला ने के सम्बन्ध में समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या अन्तिम निर्णय लिया गया।	अगस्त, 68	

1	2	3	4
			ऐसी स्टेज नहीं है तो उन्हें अगली स्टेज पर वेतन फिक्स कर दिया जाय । ऐसी सूरत में वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।
4.	विश्वविद्यालय के वे प्राध्यापक जो कि 1-4-66 को विश्वविद्यालय की सेवा में थे वे संशोधित वेतन-मान घोषित होने के पूर्व ही विश्व-विद्यालय छोड़ कर चले गये क्या ऐसे अध्यापकों को इन संशोधित वेतन-मानों का लाभ मिलेगा ?	10-2-69	(4) इनको भी इन संशोधित वेतन शृंखला का लाभ मिलना चाहिये दिनांक 14-8-69 को उत्तर दिया गया ।
5.	क्या ये संशोधित वेतन-मान अभियांत्रिक संकाय के वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट व सहायक वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट पर भी लागू होंगे अथवा नहीं ।	11-6-69	(5) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

कन्डक्टर्स की नियुक्ति और जमानत की रकम

345. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या यातायात मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में कन्डक्टर्स की नियुक्ति पर 200) रु० की जमानत ली जाती है ? अगर हां, तो किस नियम के आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम ने उक्त 200) रु० की जमानत कई मामलों में जप्त की है ? अगर हां, तो कितने मामलों में ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ कन्डक्टर्स को नौकरी से निकालने पर जमानत की रकम वापस लौटाई है ? अगर हां, तो कितने मामलों में ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में कन्डक्टर्स की नियुक्ति पर 200) रु० की जमानत ली जाती है । यह जमानत राज्य सरकार के आदेशों से ही ली जाती रही है ।

(2) जी हां । राज्य पथ परिवहन निगम ने 142 मामलों में 200) रु० की जमानत जब्त की है ।

(3) जी हां, 269 मामलों में निगम ने कन्डक्टर्स को नौकरी से निकालने पर जमानत की रकम वापिस लौटाई है ।

अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट प्राप्त करके जोधपुर मेडिकल कालेज में प्रवेश

355. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि श्री नरेन्द्र कुमार भाटी ने तहसील जोधपुर से 5-1-66 को शिड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त किया था ?

(2) क्या यह भी सच है कि एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के द्वारा ता० 11-6-66 को शिड्यूल्ड कास्ट प्रमाण पत्र दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो यह किस जाति से और कहां का रहने वाला है व इसके पिता क्या कार्य करते हैं ?

(4) क्या यह सच है कि इसने जोधपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया है, यदि हां, तो कब ?

(5) क्या यह भी सच है कि इसको सरकार की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जा रही है ? यदि हां, तो कब से कितनी किस किस रूप में दी जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) हां श्री नरेन्द्र कुमार भाटी ने तहसीलदार जोधपुर से अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उनसे 5-1-66 को प्राप्त किया था ।

(2) हां, दिनांक 11-6-66 को जोधपुर के अतिरिक्त जिला दण्ड नायक द्वारा भी उनकी राजकीय मुद्रा के साथ श्री नरेन्द्र कुमार भाटी को अनुसूचित जाति का होने

(चिकित्सा मंत्री)

का प्रमाण-पत्र दिया गया है। वह उनके एक मिशन फार्म में अंकित है।

(3) श्री नरेन्द्र कुमार भाटी के पिता श्री मगाराम हैं और वे जोधपुर के निवासी हैं। वे जाति के बागरी हैं। जो अनुसूचित जाति है। पिता के जीवित न रहने के कारण उनके द्वारा प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) हां उसने इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में जुलाई सन् 1966 में प्रवेश पाया है।

(5) यह भी सत्य है कि श्री नरेन्द्र कुमार भाटी को सरकार की ओर से अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति दी जा रही है। वह भी जिस दिन से उन्होंने इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया है अर्थात् जुलाई 1966 से।

पंचायत समिति झुंझुनू के अध्यापकों का स्थानान्तरण

356. **श्री सूरजमल** (सूरजगढ सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति झुंझुनू ने किस किस अध्यापक का स्थानान्तरण विकास अधिकारी ने बिना प्रशासन एवं वित्त स्थायी समिति की मन्जूरी के पिछले आठ माह में किये ? क्या प्रशासन स्थायी समिति ने कुछ स्थानान्तरणों के बारे में कोई निर्णय लिये हैं ? यदि हां, तो क्या विकास अधिकारी ने स्थायी समिति के निर्णयों का पालन किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

स्थानान्तरित अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रशासन स्थाई समिति ने अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई प्रस्ताव पिछले 8 मास में पारित नहीं किये। इसलिये स्थाई समिति के निर्णय का पालन नहीं करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

पंचायत समिति झुंझुनू में पहले आठ माह (1-1-69 से 16-8-69) में स्थानान्तरित किये गये अध्यापकों की सूची।

क्रमांक	अध्यापक का नाम	स्थानान्तरण कहां से	कहां को	कितने समय के उपरान्त स्थानान्तरण किया गया। वर्ष	माह	स्थानान्तरण का विवरण
1	2	3	4	5		6
1	श्री शीशुपालसिंह	मीटवास	हमीरबास	4	3	समायोजन की दृष्टि से
2	,, इफ्तेखार	नवासर	मालसर	2	11	,, ,,
	,,	मालसर	उदावास	—	7	स्वयं की इच्छा
3	,, बेजना	मालसर	नरसिंहपुरा	2	—	,,
4	,, विश्वनाथ	उडालास	पुरोहितों की ढांणी	2	3	समायोजन की दृष्टि
5	,, जवाहरमल	देसुसर	कालीपहाड़ी	3	1	स्वयं की इच्छा
6	,, छगन लाल	आबूसर	जीवामाली की ढांणी	—	10	शिकायत से
7	,, मानराज	अजीतगढ़	मौजावास	6	4	समायोजन की दृष्टि से
	,,	मौजावास	अजीतगढ़	—	6	स्वयं की [illegible]
8	,, रामकिशन	स्लामपुर	चीचडौली	3	—	,,
9	,, ओमप्रकाश	चीवडौली	इस्लामपुर	2	—	,,
10	,, महावीर सिंह	इस्लामपुर	दोरासर	—	11	,,
11	,, नेमीचन्द	आबुलर	फूसकाती	1	—	,,
12	,, रामनिरजंन	उदावास	फतेहसरा	—	10	शिकायत पर
		फतेहसर	बाडलवास	—	3	स्वयं की इच्छा

1	2	3	4	5		6
13	श्री मदनलाल	पकाड़ी की ढांणी	फसकानी	6	7	समायोजन की दृष्टि
	,,	फसकानी	रैतनेशहर	—	4	स्वयं की इच्छा
14	,, हीरासिंह	अजीतगढ़	पकाड़ी की ढांणीं	5	—	समायोजन की दृष्टि
	,,	पकाड़ी की ांणी	माजासर	—	3	स्वयं की इच्छा
15	,, हीरासिंह	पुसकानी	अजीतगढ़	1	4	,,
16	,, छोटेलाल	हनुमानपुरा	खलासी	1	—	,,
17	,, उम्मेद सिंह	नरसिंहपुरा	उदावास	—	11	,,
18	,, श्री लछाराम	सौजासर	लालपुर	1	4	समायोजन की दृष्टि
	,, ,,	लालपुर	जवाहरपुरा	—	2	स्वयं की इच्छा
19	,, रामेश्वरलाल	,,	नरसिंहपुरा	2	2	समायोजन की दृष्टि से
20	,, हुकमसिंह	फुसकानी	आडलवास	5	—	,, ,,
	,, ,,	बाड़लवास	सेसवाल	—	14 दिन	स्वयं की इच्छा
21	,, कन्दसिंह	,,	फतेहसरा	3	4	,, ,,
22	,, हनुमानप्रसाद	जवाहरपुरा	मूआ	1	10	,, ,,
23	,, सांवरमल	दैरवालापुरा	नूआ	1	11	,, ,,
24	,, रामकिशोर	मौजासर	उदावास	7	9	समायोजन
25	,, गंगाधर	देसूतर	लालपुर	6	2	,,
26	,, शांशुपालसिंह	वीचवाली	कालीपहाड़ी	7	11	,,
27	,, रामसिंह	रतनशहर	जीवामाली की ढाणी	1	10	स्वयं की च्छा

28	श्री तेजाराम	जीवामाली की ढाणी	पकोड़ी की ढाणी	5	9	"	"
29	" दयानन्द	देरवाला	सिरियासर	7	10	"	"
30	" करडाराम	हमीरवास	उत्तरासर	2	10	"	"
31	" हनुमानसिंह	उत्तरासर	हमीरवास	1	10	"	"
2	" महावीर प्रसाद	कालीपहाड़ी	इन्डाली	5	2	"	"
33	" गिरधारीलाल	इन्डाली	कालीपहाड़ी	3	10	समायोजन	
34	" सत्यनारायण	काली पहाड़ी	चीचडाली	1	8	स्वयं की च्छा	
35	" बीरबलसिंह	भीलसर	फूसकानी	1	10	समायोजन	

अध्यापकों के स्थानान्तरण

357. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 'शिक्षकों की नियुक्तियों व तबादलों में उप-मंत्री का जबरदस्त हस्तक्षेप' नामक शीर्षक से जो समाचार राष्ट्रदूत के 5-12-68 के अंक में छपा है क्या वह सच है ?

(2) क्या अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में राज्य सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि आपसी सहमति के बिना वर्ष के मध्य में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण न किया जाय ? और स्थानान्तरण ो वर्ष की अवधि के पश्चात अगस्त से पूर्व जिनके करने हों, उनके कर दिये जायं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसका पालन नहीं हो रहा है और बार बार स्थानान्तरण की बाबत शिकायतें आती रहीं हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां। यह आदेश नये सत्र या नये विषय खोले जाने अथवा पदोन्नतियों के या प्रशासनिक के कारण किये गये स्थानान्तरणों पर प्रभावशील नहीं है ।

गुड़गांव-भरतपुर वाया जुरहाड़ा मार्ग पर रोडवेज की बसें

358. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गुड़गांवां भरतपुर मार्ग पर वाया जुरहड़ा राजस्थान रोडवेज बस चलती थी ? यदि हां, तो यह बस कब चालू की गई और कितने समय तक उस मार्ग पर चली और यह किस नं० की बस थी तथा आजकल कहां पर है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर अब केवल हरियाणा रोडवेज की बस चालू है तथा राजस्थान रोडवेज की कोई गाड़ी नहीं चल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि कामां-जुरहाड़ा सड़क खराब होने की वजह से यह गाड़ी बन्द की गई है ? यदि हां, तो इसकी सूचना यातायात मन्त्री को कब मिली और यातायात मन्त्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त सड़क की मरम्मत के लिये कितनी बार ध्यान दिलाया ? क्या यह भी सही है कि यातायात मन्त्री महोदय को निर्माण मन्त्रीजी ने ऐसा जवाब दिया कि उनको अपनी गाड़ी ही उक्त मार्ग से हटानी पड़ी ? यदि हां, तो क्या यातायात मन्त्री महोदय यह भी बतलायेंगे कि निर्माण मन्त्रीजी का जवाब क्या था ?

(4 ा सरकार उक्त मार्ग पर फिर से ज ाहित की दृष्टि से कोई गाड़ी चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पहले निगम ारा इस मार्ग पर 23-3-6 को बसें चलाना शुरू किया गया था जो 17-7-68 तक चलीं। यह चार माह का मिट था, इस परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर गाड़ियां बन्द करनी पड़ीं। पुनः परमिट 4 माह के लिये प्राप्त हुआ और 10-10-68 को गाड़ियां पुनः

(यातायात मंत्री)

शुरू करदी गई। परन्तु दिनांक 8-11-68 को टी०ए०टी० से स्टे प्राप्त हो जाने के कारण गाड़ियां बन्द करनी पड़ीं। इस मार्ग पर गाड़ी नं० आर०एस०एल० 1785 व 1796 चलाई गई थीं जो आजकल भी भरतपुर में चल रही हैं।

(2) जी हां। निगम द्वारा इस समय इस मार्ग पर बसें नहीं चलाई जा रही हैं।

(3) जी नहीं। परमिट की अवधि समाप्त हो जाने के कारण एवं बाद में टी०ए०टी० से स्टे आँर्डर प्राप्त होने के कारण बसें नहीं चलाई जा सकीं।

अन्य बातों की जानकारी नहीं है।

(4) निगम की ओर से उक्त मार्ग पर बसें चलाने के लिये एस०टी०ए०टी० के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिन पर निर्णय होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

किशनगढ़ अस्पताल की एक्सरे मशीन

359. **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ) : क्या चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ स्थित यज्ञनारायण हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन है उसमें प्लेट्स नहीं हैं? यदि हां, तो यह प्लेट्स कबसे नहीं हैं व यह मशीन कबसे बन्द पड़ी है? यह मशीन अब कब तक चालू हो जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हॉस्पिटल को बजट के अनुसार समय पर दवाइयां नहीं मिलती हैं? यदि हां, तो क्यों? भविष्य में मन्जूरशुदा बजट के मुताबिक समय पर बराबर दवाइयां मिलती रहने की क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह एक्सरे मशीन करीब डेढ साल से खराब पड़ी है इसे चालू कराने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बांध नहर खोरा

360. **श्री दुर्गालाल बाढवार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांध नहरखोरा तहसील सिकराय से पिछले 15 वर्षों में सालवार कितने कितने रकबे की सिचाई की गई और उससे सरकार को क्या आय हुई ?

(2) यदि कोई सचाई नहीं हुई तो इस बांध के बांधे जाने का क्या प्रयोजन रहा ?

(3) इस बांध के उद्गम से लेकर भराव तक कितनी भूमि का कटाव होता है ?

(4) यदि इस बांध के ऊपर डैन्डा बसेड़ी नाले पर चैक डैम बांध दिया जावे और काश्तकारों की भूमि का कटाव रुक जावे तो सरकार को क्या आपत्ति है ?

(5) क्या सरकार के पास डैन्डा बसेड़ी चैक डेम बांधे जाने के कोई प्रस्ताव पंचायत समिति की ओर से प्राप्त हुए हैं ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(6) क्या यह भी सही है कि इसका व्यय अनुमान आदि तैयार हो चुका है और पंचायत का जन सहयोग का 5000/- रु० पंचायत समिति में लगभग 5-6 माह से जमा है ?

(7) क्या सरकार इस चक डैम डैन्डा बसेड़ी को आगामी वर्षा से पूर्व बांध दिये जाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सिंचाई कुछ सालों में हुई है ।

(3) भूमि कटाव होता है लेकिन कुल भूमि के कटाव आंकड़े इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं ।

(4) कोई आपत्ति नहीं है ।

(5) जी हां ।

(6) जी हां लेकिन जन सहयोग के बारे में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है ।

(7) यह काम पंचायत समिति के स्तर पर होना है ।

नाहरखोरा बांध तहसील सिकराय से हुई सिंचाई व आय के आंकड़े

पूरा भराव—6 फुट

वर्ष	सिंचाई एकड़ों से	आय रुपयों से
1954	..	..
1955	50	382.39
1956	204	902.64
1957	..	..
1958	142	831.83
1959	..	..
1960	..	..
1961	..	..
1962	..	..
1963	..	..
1964	..	..
1965	..	..
1966	..	..
1967	..	..
1968	..	..
	366	2116.86

बाली के वनों की भूमि

361. श्री पृथ्वीसिंह बेवड़ा (बाली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बाली में स्थित वनों की कुछ भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करवाने के प्रस्ताव आ रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित भूमि की स्थिति एवं रकबा कितना कितना है ?

(2) क्या सरकार इस प्रस्तावित भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने का इरादा रखती है ?

(3) इस प्रस्तावित भूमि में प्रति वर्ष कितने गांवों की कितनी कितनी पशु संख्या चराई के लिये आती है ? गत 5 वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने से वन संरक्षण की पालिसी एवं आसपास के गांवों के पशुओं एवं पशुपालकों के जीवन पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, बाली में स्थित भूमि के लिये जो राजस्व विभाग में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त प्रस्तावित भूमि का आदान प्रदान फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी के पैरा नं० 23 की सिफारिश के अनुसार होता है। उनकी सिफारिश के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उपरोक्त प्रस्तावों में क्रम 1 से 6 तक पूर्व में जागीर जंगल होने के कारण अब तक सेटिल नहीं हुए हैं। वहां चराई मुफ्त है। इसलिये चराये गये पशुओं की संख्या बताना मुश्किल है। गत वर्षों में इन जोड़ों में लगभग 5,000 मवेशी चरी हैं।

(4) जी हां। कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

1. ग्राम जोवदा	खसरा नम्बर	14	रकबा	500 बीघा
2. ग्राम चामुण्डेरी	,,	,,	1	,,	4,000 ,,
3. ग्राम बेड़ा	,,	,,	2332	,,	10,000 ,,
4. ग्राम कोंगन	(धावड़ी क्षेत्र)				
5. ग्राम पालन	खसरा नम्बर	406	,,	6,000 ,,
6. ग्राम लूंदरा	,,	,,	1	,,	5,000 ,,
7. ग्राम गुड़ा का लास जोड					147 एकड़
8. ग्राम रमणिया					155 ,,
9. देवला जोड					100 ,,

पंचायत समिति, बानसूर के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

362. **श्री चन्द्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विकास अधिकारी, बानसूर, जिला अलवर के खिलाफ प्रधान पंचायत समिति, बानसूर ने अनियमितताओं की शिकायत सरकार को की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या प्रधान पंचायत समिति विकास अधिकारी के खिलाफ विकास विभाग के मंत्री महोदय को भी पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां । जो शिकायती पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ वह जिलाधीश, अलवर को जांच के लिये भेजा गया है । इसके अतरिक्त प्रधान ने जिलाधीश के पास भी दिनांक 22-7-69 को प्रशासन स्थाई समिति की विशेष बैठक अनियमितता से विकास अधिकारी द्वारा बुलाने के संबंध में शिकायत की । जांच से विकास अधिकारी का बठक बुलाना नियमित पाया गया ।

दिनांक 18-8-69 को पंचायत समिति की साधारण सभा दिनांक 11-8-69 में पारित प्रस्ताव के विपरीत 40 अध्यापकों को स्थानान्तरण करने की शिकायत जिलाधीश को की । यह अभी जिलाधीश के विचाराधीन है ।

दिनांक 9-6-69 को प्रधान ने शिकायत की कि सरपंच श्री मानसिंह से करीब 400) रु० की धनराशि वाजिब कम वसूल की यह शिकायत जिलाधीश की जांच से निराधार पाई गई ।

(2) जी हां । सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

झालावाड़ जिले में राहत कार्य

363. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) झालावाड़ जिले में कितने राहत कार्य खोले गये ?

(ख) इन राहत कार्यों में प्रति माह मजदूरों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी रही है ? मजदूरों को अब तक कुल कितना भुगतान कर दिया गया है और कितना शेष है ?

(ग) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के लिये घड़ियां, पलंग, टेबल, कुर्सियां, स्टील का सामान, लकड़ी के फर्मे, रामझारे, मिट्टी के नापने के औजार और कई प्रकार का सामान आदि खरीदा गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कितने कितने मूल्य का किस किस प्रकार का ऐसा सामान खरीदा गया ?

(घ) इस सामान के लिये टेन्डर किस तारीख को मांगे गये ? इनका प्रकाशन कैसे कराया गया और टेन्डर कब खोले गये ? किस किस सामान के किस किस दर से किस किस पार्टी के टेन्डर और किस किस के मंजूर किये गये ?

उत्तर
(अकाल सहायता मंत्री)

झालावाड़ जिले में 26 राहत कार्य खोले गय थे ।

इन राहत कार्यों में प्रति माह मजदूरों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या इस प्रकार थी:—

माह	न्यूनतम	अधिकतम
1. जनवरी	5	10
2. फरवरी	167	449
3. मार्च	247	531
4. अप्रेल	602	3977
5. मई	3532	8643
6. जून	5927	13101
7. जुलाई	4217	12161

मजदूरों को अब तक 13,14,156.06 पै० का भुगतान कर दिया गया है, और 5170.60 पै० का भुगतान शेष है।

जी हां। अकाल राहत कार्यों के लिये पलंग, टेबिल, कुर्सियों, रामझारे खरीदे गये हैं, किन्तु घड़ियां स्टील का सामान लकड़ी के फर्मे आदि सामान नहीं खरीदा गया है। सामान अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खरीदा गया था, जिसका कुल मुल्य 7,818 रु० है। विस्तृत विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(घ) इस सामान के लिये टेन्डर खाट, टेबल कुर्सियों के लिये टेन्डर दिनांक 28-3-69 को एवं रामझारों के लिये टेन्डर क्रमशः 15 व 16 मई को मांगे गये थे। प्रकाशन जो ठेकेदार उपस्थित थे उनको सूचना देकर करया गया । खाट, कुर्सियां, टेबलों के टेन्डर दिनांक 8-5-69 को एवं रामझारों के टेन्डर दिनांक 21-5-69 26-5-69 को प्राप्त हुए । जिस जिस दर के जिस जिस पार्टी के टेन्डर मंजूर हुए, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

सहायता कार्यों के लिये खरीदे गये सामान के टेन्डर आदि का विवरण

सूची संख्या–2

	नाम वस्तु	संख्या	टेन्डर मांगने की तिथि	टेन्डर प्राप्त करने की तिथि	फर्म जिसका न्यूनतम टेन्डर प्राप्त हुआ	दर जिस पर टेन्डर मन्जूर किये गये
1.	खाट	50	28-3-69	8-4-69	मैसर्स पारिसअली एण्ड ब्रादर्स, झालावाड़	28) रु० प्रति नग
2.	टेबिल	12	28-3-69	8-4-69	मैसर्स पारिसअली एण्ड ब्रादर्स, झालावाड़	75) रु० प्रति नग
3.	कुर्सियां	24	28-8-69	8-4-69	मैसर्स पारिसअली एण्ड ब्रादर्स, झालावाड़	26) रु० प्रति नग
4.	रामझारे ताम्बे के	165	14-5-69	21-5-69	मैसर्स गुप्ता इलेक्ट्रीक स्टोर	28) 50 पैसे प्रति नग
5.	रामझारे मुरादाबादी	12	15-5-69	26-5-69	मसर्स रघुनाथ माणकचन्द	16) रु० प्रति नग

सूची

सामान प्रकार	संख्या	दर	मूल्य
खाट	50	22/–	1400)
टेबिल	12	75/–	600)
कुर्सियां	24	26/–	924)
रामझारे ताम्बे के	165	28.50	4792)
रामझारे मुरादाबादी	12	16.00	192)
		योग ..	7818) रु०

इन्दिरा गांधी पाठशाला अरडावता के भवन निर्माण के लिए एकत्रित धनराशि

364. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनू के ग्राम अरडावता की इन्दिरा गांधी पाठशाला भवन निर्माण में निर्माण कार्य से लेकर अब तक कुल रुपया किस किस मद में खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस स्कूल के लिये सरकार से एवं किस किस पंचायत समिति व किस किस सार्वजनिक संस्था से एवं व्यक्तिगत लोगों से चन्दा आदि के रूप में अब तक किस किस रसीद से कितना कितना धनसंग्रह किया गया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस स्कूल के नाम पर लिये गये रुपयों में गबन व घोटाले संबंधित शिकायतें सरकार के पास हुई ह ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने जांच करवा कर क्या कार्यवाही की ?

(4) गत आठ वर्षों के प्रति वर्ष के आय व्यय के हिसाब की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उक्त शाला के भवन निर्माण कार्य के लिये, कोई राशि अनुदान के रूप में नहीं दी गई है । अतः प्रश्न में चाही गई जानकारी राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी हां । जांच करने पर यह शिकायतें सही नहीं पायी गई ।

(4) 1962-63 तथा 63-64 के हिसाबात जांच महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाकर फाइनल की जा चुकी है । 64-65 में यह संस्था राज्याधीन थी, तथा 1-6-65 को पुनः संस्था तत्कालीन मेनेजमेन्ट को हस्तान्तरित करदी गई । वर्ष 1965-66, 66-67 व 67-68 के आय-व्यय की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

सवाई मानसिंह अस्पताल

365. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार-सु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह होस्पीटल, जयपुर का जब निर्माण हुआ तब कितने बीमारों को इसमें रखने की व्यवस्था थी ?

(2) इस समय इसमें कितने बीमार इन्डोर पेशेन्ट्स हैं ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानाभाव से बहुत से ग्रामीण बीमार बाहर से वहां जाकर बिना इलाज व वहां भर्ती हुए लौट जाते हैं ?

(4) सरकार उक्त अस्पताल को बढ़ाने या जयपुर में दूसरा बड़ा अस्पताल खोलने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय का निर्माण जब हुआ उस समय यहां 500 शय्याएं थीं ।

Page No 198

(चिकित्सा मंत्री)

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आमतौर पर 900 से 950 अन्तरवासी रोगी होते हैं, तथा 899 रोगी शैय्याएं हैं। आज दिनांक 19-8-69 को 873 रोगी हैं, तथा यह संख्या दिन प्रति दिन घटती व ब ़ती रहती है।

(3) स्थानाभाव अवश्य है, परन्तु इस प्रकार का उदाहरण कोई ज्ञात नहीं है कि कोई आवश्यक रोगी भयंकर स्थिति में गांव से आया हो और स्थानाभाव में उसे चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में प्रवेश न मिला हो।

(4) सवाई मानसिंह अस्पताल को बढ़ाने या जयपुर में अन्य बड़ा अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजनैतिक पीड़ितो के बच्चों से छात्रावास फीस

366. **श्री फूलचन्द्र बाफना** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पॉलीटिकल सफरर्स के पुत्र-पुत्रियों के लिये छात्रावास फीस माफ है ? यदि हां, तो क्या सभी स्कूल, कॉलेजों को यह आज्ञा भेजी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित एस० एम० एस० मेडिकल कॉलेज को उपर्युक्त आज्ञा आज तक नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में अभी तक पॉलीटिकल सफरर्स के पुत्र-पुत्रियों से छात्रावास फीस बराबर ली जाती रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि फीस माफ है तो ऐसे कितने छात्र-छात्राओं की फीस माफ है ?

(4) क्या सरकार उपर्युक्त आज्ञा के पालनार्थ राजस्थान की सभी स्कूलों व कॉलेजों को अब भी संबंधित आज्ञा भेजने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) क्योंकि वह आज्ञा मेडिकल कॉलेजों पर लागू नहीं होती थी।

(3) छात्रावास फीस मेडिकल कॉलेज में किसी भी छात्र व छात्रा की माफ नहीं है।

(4) जी नहीं।

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

367. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में सन् 68-69 एवं 69-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितनी सड़कों का कार्य राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया गया ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सड़कों पर कितनी राशि व्यय हुई ? प्रत्येक सड़क का अलग अलग विवरण देने की कृपा करें।

(3) उक्त सड़कों में कितनी मील मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ ? प्रत्येक सड़क का अलग अलग विवरण देने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(4) उक्त सड़कों में ग्रेवल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में सड़कों के ग्रेवल किये बिना सड़कों का कोई उपयोग नहीं रहता है ?

(6) क्या सहायता विभाग उक्त सड़कों पर ग्रेवल कार्य की गति बढ़ा कर सम्पूर्ण कार्य इसी साल करा सकेगा ? अगर नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पंजाब की जूनियर बेसिक ट्रेन्ड अध्यापिकाओं की नियुक्तियां

368. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पंजाब की जूनियर बेसिक ट्रेनिंग पास अध्यापिकाओं की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? अगर हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या सरकार पंजाब से जे०बी०टी० पास महिलायें जो राजस्थान में विवाहित हैं उनको उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त करने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राजस्थान में ट्रेन्ड अध्यापिकाओं की मांग है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के प्रतिबन्ध को उठाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता प्रदान करने का पारस्परिक आदान प्रदान है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सीनियर बेसिक एस० टी० सी० परीक्षा को पंजाब राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करदी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा भी उनकी परीक्षा को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(3) जी हां। इस कमी को दूर करने के लिये राजस्थान की सभी महिला बी० एस० टी० सी० स्कूलों को चालू रखा गया है। जिससे कुछ वर्षों में प्रशिक्षित महिलाओं का अभाव राजस्थान में नहीं रहेगा।

मेड़ता अस्पताल की एक्सरे मशीन

369. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी होस्पिटल में एक एक्सरे मशीन है ?

(2) क्या यह सही है कि वह एक्सरे मशीन करीब 2 माह से खराब पड़ी है जिसके कारण स्थानीय डॉक्टर साहब करीब 50 रोगियों को प्रति माह जोधपुर या अजमेर भेजते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस अवधि के पहले भी यह मशीन खराब थी जिसकी जांच के लिये दिल्ली से एक्सरे मशीन के टैक्नीकल एक्सपर्ट इस मशीन को देख कर गये एवं इसके रिपेयर के लिये उन्होंने करीब 6500) रु० का खर्चा बताया ?

(श्री गोरधन सोनी)

(4) क्या मरीजों की परेशानी दूर करने के लिये राज्य सरकार शीघ्र ही इस मशीन को ठीक करा रही है अथवा दूसरी ठीक मशीन भिजवा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस मशीन से स्क्रीनिंग मरीज को सुलाकर करना पड़ता है। जिससे ओपरेटर पर एक्सपोजर ज्यादा होने से खतरे की संभावना रहती है। इस हानि को देखते हुए चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्भवतया बीमारों को अन्यत्र स्क्रीनिंग करने की सलाह दी गई।

(3) जी नहीं। पर यह मशीन वह सुविधा प्रदान नहीं करती है जो प्रचलित सुधरी हुई आधुनिक एक्सरे मशीन सुविधा प्रदान करती है। इस मशीन को सुविधाजनक बनाने के लिये रुपये 7,000/- का एस्टीमेट इन्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, देहली द्वारा प्रेषित किया गया है जो स्वीकृति के लिये विचाराधीन है।

(4) मामला विभाग के विचाराधीन है।

जवाई बांध में कोठड़ा तहसील की जमीन

370. **श्री देवेन्द्र कुमार** (गोगुन्दा-सु०): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जवाई बांध में कोटड़ा तहसील की जमीन डूब में आ रही है ? यदि हां, तो कितनी व डूब में आने वाले क्षेत्र की आबादी क्या है व कितनी सम्पत्ति जलमग्न होगी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि बांध का कार्य तीव्र गति से चल रहा है ? किन्तु डूब में आने वाले क्षेत्र के नागरिकों के पुनर्वास आदि की अब तक व्यवस्था नहीं हुई है ? यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था की गई व इसकी सूचना जनता को दी गई या नहीं ?

(3) पुनर्वास की व्यवस्था क्या की गई व पूर्ण कब हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जवाई बांध सन् 1955 में पूरा हो चुका है, अत : प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

परीक्षाफल का परिणाम

371. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा जिले के छीपाबड़ौद कस्बे में श्री दानमल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ? यदि हां, तो इस वर्ष इस विद्यालय की कक्षा 11 वीं और 10वीं के परीक्षाफल का क्या प्रतिशत रहा ? क्या यह सही है कि साइन्स व मैथेमेटिक्स पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी फेल हो गये ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस बारे में किसको दोषी मानती है ?

उत्तर

जी हां। इस वर्ष इस विद्यालय की कक्षा 10 व 11वीं का परीक्षाफल क्रमश

Page No 201

(शिक्षा मंत्री)

22 व 34 प्रतिशत रहा है। कक्षा 10वीं में विज्ञान व गणित के 29 छात्रों में से 9 पास हैं। 11वीं में 9 विद्यार्थी थे वे सभी फेल हो गये हैं। इसके कारणों के बारे में जानकारी करवाई जा रही है?

ग्राम बंवाल के बांधों की मरम्मत

372. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर-पू०) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बंवाल, तहसील परबतसर में दो टूटे हुए बन्ध हैं, जिनकी मरम्मत हो जाने से नागौर डिस्ट्रिक्ट के रेगिस्तानी इलाके में सात आठ गावों की जनता को खेती की उपज में बहुत फायदा हो सकता है?

(2) क्या सरकार उपरोक्त दो टूटे हुए बन्धों की जो ईरडा व नीचे का झरना नामक हैं और जिनकी मरम्मत में लागत 23,000) व 29,000) क्रमशः का तकमीना है; मरम्मत करने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु मरम्मत हो जाने से केवल बंवाल ग्राम के काश्तकारों को ही लाभ होगा।

(2) बंवाल ग्राम के उपरोक्त दो टूटे हुए बांधों में से केवल एक बांध की मरम्मत के लिए सर्वेक्षण किया गया है। ए तकमीना बना दिया गया है। इस बांध की मरम्मत पर अनुमानित राशि 2.83 लाख रुपये व्यय होंगे। इस बांध पर अकाल राहत कार्यों के अधीन करीब 80,000 रुपया व्यय हो चुका है ऊपर के बांध के बारे में अभी विचार नहीं किया गया है।

माध्यमिक कन्या पाठशाला, सांचोर का भवन

373. **श्री रघनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में माध्यमिक कन्या पाठशाला पिछले सत्र से चल रही है? यदि हां, तो क्या इसके लिये भवन की बहुत कमी है? यदि हां, तो भवन की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) इस वर्ष भवन की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जावेगा?

(3) क्या जब तक माध्यमिक कन्या पाठशाला का दूसरा भवन तैयार नहीं तब तक उच्चतर माध्यमिक पाठशाला की पुरानी इमारत में कन्या पाठशाला डबल शिफ्ट में चलाने का सरकार विचार रखती है? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। इस स्कूल को गत वर्ष इस शर्त पर क्रमोन्नत किया गया था कि भवन की व्यवस्था वहां की जनता को करनी होगी।

(2) इसकी जिम्मेदारी जनता की है।

(3) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

नवल श्याम तालाब से सिंचाई

374. **श्री महेन्द्र कमार** (पाड़वा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में नवलश्याम का तालाब कितना पुराना है ? उससे कितनी सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि यह तालाब गत वर्ष टूट गया ? यदि हां, तो उसकी दुरुस्ती का कार्य प्रारम्भ में किस सहायक अभियन्ता को दिया गया और समाप्ति तक कितने सहायक अभियन्ता इस तालाब की दुरुस्ती तक बदले गये व क्यों ? दुरुस्ती में कितना धन व्यय हुआ व ठेकेदार कौन था ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस गर्मी में यह बांध वापिस टूट गया ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? राज्य सरकार ने इसके लिये किसे उत्तरदायी माना है ?

(4) इस वर्ष दुरुस्ती में कितना व्यय हुआ ? कार्य की निगरानी किस सहायक अभियन्ता की रही व ठेकेदार का क्या नाम था ?

उत्तर

(1) यह तालाब स्टेट के समय का है। इससे लगभग 160 एकड़ भूमि में सिंचाई होती है ।

(2) जी हां, मरम्मत कार्य श्री मगन राज पुरोहित के द्वारा कराया गया जिन्होंने इस पर लगातार कार्य किया । इसकी मरम्मत पर 32,372) रु० व्यय किया गया। श्री देवनदास ठेकेदार थे ।

(3) जी नहीं ।

(4) इस वर्ष अकाल सहायता कार्यों के तहत इस कार्य पर 40,452) रु० खर्च किया गया जो सहायक अभियन्ता मगनराज पुरोहित की देखरेख में हुआ ।

पोकरण हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान विषय की पढाई

375. **श्री बालसिंह** (सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पोकरण हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान विषय खोलने के लिये सभी शर्तें पूरी करली गई हैं ? तथा वहां छात्र भी काफी संख्या में हैं और भवन निर्माण भी हो गया है ? अगर हां, तो सरकार वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल कब तक खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल के कारण यहां के छात्र बाहर जा प्रवेश लेने की क्षमता नहीं रखते हैं ?

उत्तर

(1) पोकरण में हायर सेकेन्डरी स्कूल है अत: वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता । शाला दो भवनों में चल रही है तथा विज्ञान विषय के लिए भंडार सहित प्रयोगशाला विज्ञान का होना आवश्यक है जो वहां नहीं है ।

(2) विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके अनुसार वहां के छात्रों की अकाल के कारण बाहर जाकर पढ़ने की क्षमता समाप्त हो गई हो ।

रास लीला मंडली को सुविधा

376. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर स्थित श्री गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास गंगाजी के मन्दिर में हर पूर्णिमा को रात्रि को रास लीला नाथूजी की मंडली द्वारा की जाती थी ?

(2) इस मंडली को हर माह क्या खर्चा दिया जाता था तथा इसके अतिरिक्त इस मंडली को क्या सुविधा दी जाती थी तथा कब कब तक ?

(3) क्या यह रास अभी बदस्तूर किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) 100) रु० मासिक का अनुदान दिया जाता था इसके अतिरिक्त मंदिर पर आने जाने के लिये सवारी का प्रबन्ध किया जाता था । यह सुविधा नवम्बर, सन् 1950 तक रही ।

(3) जी नहीं ।

पॉलीटैक्निक प्रशिक्षण केन्द्र

377. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय राजस्थान में कितने पोलीटैक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र हैं और कहां कहां पर ?

(2) इन केन्द्रों पर गत पांच वर्षों में कितनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनमें से कितनों को सरकार नौकरी दे सकी है ?

(3) क्या यह सही है कि इस समय काफी व्यक्ति बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो इस समस्या को सरकार किस प्रकार हल कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 6 पोलीटैक्निक- 1. अजमेर, 2. अलवर, 3. जोधपुर, 4. बीकानेर, 5. उदयपुर, 6. कोटा में चल रहे हैं ।

(2) पिछले पांच वर्षों में पोलीटैक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या निम्न प्रकार है :—

1964-65	513
1965-66	545
1966-67	646
1967-68	645
1968-69	480

रोजगार प्राप्त छात्रों की संख्या संबंधी सूचना शिक्षा विभाग में नहीं है ।

(3) इस प्रश्न का संबंध नियोजन एवं जनशक्ति विभाग से है ।

पंचायत समितियों का निरीक्षण

378. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिलाधीश तथा उप-जिला विकास अधिकारी को वर्ष में कितने बार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पंचायत समितियों का निरीक्षण करना आवश्यक है ?

(2) जिलाधीश तथा उप-जिला विकास अधिकारी, श्री गंगानगर ने सन् 1966-67 व 1967-68 में कितनी पंचायत समितियों के निरीक्षण कब कब किये और उनके निरीक्षण-पत्र कब भेजे ?

(3) इतनी देर से निरीक्षण-पत्र भेजने पर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नियमानुसार जिला विकास अधिकारी को अपने जिले की प्रत्येक पंचायत समिति का कम से कम दो वर्षों में एक बार और प्रत्येक वर्ष कम से कम 6 पंचायत समितियों का निरीक्षण करना आवश्यक है। उप-जिला विकास अधिकारी को एक वर्ष में प्रत्येक पंचायत समिति का दो बार निरीक्षण करना होता है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) कोई कार्यवाही नहीं की गई।

वर्ष 1966-67 व 1967-68 में जिला विकास अधिकारी (जिलाधीश) व उप-जिला विकास अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा पंचायत समितियों के किये गये निरीक्षण का विवरण:—

क्रम सं०	अधिकारी	पंचायत समिति	वर्ष	निरीक्षण पत्र भेजने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	जिलाधीश	गंगानगर	अप्रेल, 67	8517-18/ 8-12-67
2.	"	रायसिंहनगर	मई, 67	7134-35/10-10-67
3.	उप जिला विकास अधिकारी	भादरा	मार्च, 67	4074-76/ 17-7-67
4.	"	करनपुर	मार्च, 67	8333-35/ 9-12-67
5.	"	सूरतगढ़	मार्च, 67	4080-82/ 17-7-67
6.	"	सादूल शहर	मई, 67	8773-75/18-12-67
7.	"	रायसिंहनगर	दिसम्बर, 67	1088-90/ 18-1-68
8.	"	नोहर	जनवरी, 68	1619-21/ 5-2-68
9.	"	भादरा	जनवरी, 68	3446-48/ 2-4-68
10.	"	गंगानगर	जनवरी, 68	6807-9/ 26-7-68
11.	"	करनपुर	मार्च, 68	5878-80/ 26-6-68

फिक्सेशन के मामले

379. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फिक्सेशन का ओल्ड क्लेम एरियर सन् 1950 से 1953 तक का मिडिल स्कूल के अध्यापकों का भुगतान आज तक भी नहीं किया गया है ?

(2) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) ऐसे अध्यापकों की कुल संख्या 20 है।

ग्राम झींझणी में चरागाह की भूमि पर तारबन्दी

380. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम झींझणी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में गांव की चरागाह भूमि पर वन विभाग द्वारा तारबन्दी की हुई है व गांव के मवेशियों को चरने से रोका जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) गांव की चरागाह पर कब्जा कर लेने और उससे कब्जा नहीं हटाने के क्या कारण हैं ? यह कब्जा कब तक हटा लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

Page No 206

परिशिष्ट 3

(अ० प्र० सं० 517 की सूची)

नागौर जिले में शराब के ठेकेदारों के बकाया रकम की सूची

क्र०सं०	नाम ठेकेदार	नाम मदिरा दुकान	वर्ष	रकम
1.	श्री मुनीर खां	थुन्डवा	1962-63	128.94
2.	श्री गणेशीमल खटीक	लाडनू	1965-66	37,461.34
3.	श्री भोमाराम जाट	डीडवाना	1965-66	49,477.40
4.	श्री भोमाराम जाट	धनकोला	1965-66	16.48
5.	श्री लक्ष्मीनारायण	डेह	1965-66	1,836.12
6.	श्री भूरालाल श्री हींगराज दान			
5.	श्री भूरेखां, श्री इस्माईल श्री गोविन्दराम	धनकोली	1965--66	14,114.04
6.	श्री हरू नाई	धनकोली	1965-66	10,760.89
7.	श्री केशरीमल	डेह	1966-67	27,701.98
8.	श्री जोगसिंह	रनबड़ी	1966-67	10,559.05
9.	श्री बाबूलाल	तरनाऊ	1966-66	204.87
10.	श्री सुलेमान	गच्छीपुरा	1966-67	8,609.40
11.	श्री मुरेलाल	जावला	1966-67	355.23

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 521 की सूची)

सूची तहसील पिड़ावा के राहत कार्यों का ब्योरा

क्रमांक	नाम राहत कार्य	स्वीकृत राशि	खर्च हुई राशि
(1)	सालरी-रायपुर एप्रोच रोड	65168.00	81640.80
(2)	कोटड़ी-पिड़ावा रोड	57000.00	52227.48
(3)	सूखिया-सुनेल पिड़ावा-सोयत रोड	80000.00	35740.36
(4)	झालरापाटन-सुनेल रोड (सलोतिया से पाटन)	50000.00	205809.55
(5)	पालखन्दा तालाब	15000.00	19887.22
(6)	पिड़ावा एनीकट	22000.00	ढाबला एनीकट पर कार्य नहीं हुआ क्योंकि इसका पं.स. ने पहले ठेका दे रखा था।
(7)	शेरपुर तालाब	13850.00	5000.00
(8)	मान्या खेड़ी	40633.00	27639.00
(9)	दौलतपुरा एनीकट	..	मौके पर कार्य फिजीबल नहीं पाया गया।
(10)	भटखेड़ा उठान सिचाई योजना	22000.00	..

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 530 की सूची)

पंचायत समिति, सुमेरपुर की साधारण सभा दिनांक 17-10-68 के पारित प्रस्ताव सं० 12 की प्रतिलिपि

राज्य सरकार द्वारा श्री बंशीलाल बालदिया, प्रधान को विदेश यात्रा हेतु मनोनीत किये जाने पर राजकीय आदेश संख्या 8857-58 दिनांक 20-8-68 के अनुसार श्री बालदिया को निजी आय से खर्च किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति द्वारा दी गई।

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 531 की सूची)

पंचायत समिति, सुमेरपुर के बजट में प्रधान एवं सदस्यों के यात्रा व्यय के लिए निजी आय के मद में वर्षवार (1965-66 से 1968-69 तक) रखे गये प्रावधान का विवरण।

क्रम सं०	वर्ष	यात्रा व्यय के प्रावधान की रकम
(1)	1965-66	4000.00
(2)	1966-67	4000.00
(3)	1967-68	7000.00
(4)	1968-69	2000.00

प्रधान, पंचायत समिति, सुमेरपुर द्वारा काम में लिये गये यात्रा भत्ते का विवरण

क्रम सं०	माह	यात्रा भत्ते की रकम	हवाई जहाज से की गई यात्रा का दिनांक	हवाई जहाज से की गई यात्रा का उद्देश्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
		वर्ष 1965–66			
1.	अप्रेल, 65	141.92	..	..	..
2.	मई, 65	48.78	..	..	..
3.	जून, 65	235.15	..	..	..
4.	जुलाई, 65	105.97	..	..	..
5.	अगस्त, 65	203.20	..	..	..
6.	सितम्बर, 65	146.61	..	..	..
7.	अक्टूबर, 65	156.33	..	..	..
8.	नवम्बर, 65	141.85	..	..	..
9.	दिसम्बर, 65	240.46	..	..	..
10.	जनवरी, 66	119.63	..	..	..
11.	फरवरी, 66	114.58	..	..	..
12.	मार्च, 66	252.07	..	..	..
		वर्ष 1966–67			
1.	अप्रेल, 66	123.23	..	..	..
2.	मई, 66	86.38	..	..	..
3.	जून, 66	333.93	..	..	..

Page No 209

1	2	3	4	5	6
4.	जुलाई, 66	..	..	..	..
5.	अगस्त, 66	136.04	..	..	..
6.	सितम्बर व अक्टूबर, 66	265.40	..	..	..
7.	नवम्बर, 66	..	..	..	..
8.	दिसम्बर, 66	48.62	..	..	..
9.	जनवरी, 67	9.00	..	..	..
10.	फरवरी, 67	3.00	..	..	..
11.	मार्च, 67	3.00	..	..	..
		वर्ष 1967–68			
1.	अप्रेल, 67	10.74	..	..	..
2.	मई, 67	91.14	..	..	..
3.	जून, 67	73.30	..	..	..
4.	जुलाई, 67	66.81	..	..	..
5.	अगस्त, 67	89.01	..	..	..
6.	सितम्बर 67	135.90	..	..	..
7.	अक्टूबर 67	221.24	..	..	..
8.	नवम्बर, 67	26.93	..	..	..
9.	दिसम्बर, 67	208.99	..	..	..
10.	जनवरी, 68	125.76	..	..	..
11.	फरवरी, 68	120.43	..	..	..
12.	मार्च 68	150.20	..	..	..
		वर्ष 1968–69			
1.	अप्रेल, 68	134.87	..	..	..
2.	मई, 68	152.38	7-5-98	जोधपुर से दिल्ली भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री से उत्पादन कार्यक्रम पर विचार विमर्श एवं ट्रैक्टर के टायर व ट्यूब के लिय विचार विमर्श ।	इस यात्रा का यात्रा भत्ता रेल के फर्स्ट क्लास का चाज किया

Page No 210

1	2	3	4	5	6
3.	जून, 68	170.95	..	..	..
4.	जुलाई, 68	144.35	..	..	..
5.	अगस्त, 68	178.10	..	..	..
6.	सितम्बर, 68	150.00	..	..	..
7.	अक्टूबर, 68	400.91	..	..	..
8.	नवम्बर, 68	119.50	2-11-68	जयपुर से जोधपुर तक हवाई जहाज की यात्रा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), जोधपुर से तखतगढ़ ग्राम में नालियां व गलियां को पक्का करने के लिये विचार विमर्श किया ।	इस यात्रा का यात्रा भत्ता बाबत रेल के फर्स्ट क्लास का चार्ज किया।
9.	दिसम्बर, 68	193.00	..	..	..
10.	जनवरी, 69	206.75	..	..	..
11.	फरवरी, 69	161.90	..	..	..
12.	मार्च, 69	66.80	..	..	..

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 542 की सूची)

आदेश द्वारा पुनर्वास कोलोनी व ग्रामों का जिनमें उन विस्थापितों को बसाया गया है

तहसील रामगंज मन्डी

क्र० सं०	नाम पुनर्वास खतोनी व ग्राम	(बसाने की योजना) परिवार	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	(बसाया जा चुका है) परिवार	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	कैफियत
1	खड़ा रुदुदा बाल कुअरताई	42	375	×	20	219	16	
2	अलोद बणी	63	811	3	44	594	7	
3	ईसरपुरा	23	280	×	15	225	×	
4	कल्याबेड़ी, मिश्रित चक	163	1995	×	145	2,328	23	
5	कल्याबेड़ी अंतरालिया, पामाबेड़ी	34	520	×	28	589	5	
6	कूकड़ा कल्लां	38	520	×	10	201	3	
7	कोटड़ी	9	80	×	9	96	×	
8	हाथीघोड़ा	4	40	×	3	46	17	
9	गुलाबपुरा	26	320	×	21	286	17	
10	घाटोली	11	181	5	8	154	1	
11	चेवल	1	5	×	—	...	..	
12	चन्द्रपुरा	6	70	×	6	75	12	
13	आमन्या, बरलीबावड़ी, बिन्डापहाड़, थापड़ी	75	945	×	59	985	×	
14	भामरा	3	15	×	3	15	×	
15	डीगसी	1	25	×	...	...	...	
16	डायों मंजारी	1	5	×	—	—	..	
17	देवली	14	215	×	11	196	18	
18	देवीपुरा	1	15	×	—	...	..	
19	भीमोड़ा	2	15	×	...	...	..	
20	बोरीना	1	5	×	..	..	...	
21	भटवाड़ा मीन्याखड़ी	42	480	×	34	459	×	
22	मवासा	1	5	×	—	—	—	

23	मुजरिया मेड़ा, सहरावड़ा, मानपुरा	32	320	×	25	278	12
24	साहुयाबेड़ी	2	10	×	..	—	—
25	फावड़ा	1	25	...	1	27	17
26	मायला	3	30	×	...	..	..
27	मोतीपुरा नया गांव	17	168	17	6	99	18
28	मोड़क	5	45	...	..	..	..
29	राजपुरा	1	5	...	..	..	..
30	राजोड़ा	1	15	—	..	..	..
31	सारंग बेड़ी	1	15	...	..	..	..
32	सालेड़ा खुर्द	3	15	—	1	5	13
33	सलावड़ा	1	5	...	..	..	..
34	मोतीपुरा	1	5	...	..	..	..
		629	7571	5	450	6918	8

परिशिष्ट 8

(अ० ता० प्र० सं० 549 की सूची)

सूची मन्दिरान डायरेक्ट चार्ज, बून्दी

क्रम सं०	नाम मन्दिर
1	श्री रंगनाथजी गढ़
2	श्री गोपाललालजी
3	श्री चारभुजाजी
4	श्री हनुमानजी अखाड़ा
5	श्री रंगनाथजी नेनवा
6	श्री हरिजन मन्दिर
7	श्री केशवरायजी पाटन
8	श्री सतूर माताजी

सूची वार्षिक खर्चा मंदिरान, देवस्थान विभाग, बूंदी

क्रम सं०	वर्ष (सन्)	स्वीकृत शुदा बजट	सालाना खर्च	कमी	पेशी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	1951-52	39237·00	38847·00	390·00	..	
2.	1952-53	40036·00	34066·00	5970·00	..	
3.	1953-54	422773·00	37758·00	5015·00	..	
4.	1954-55	49743·00	42773·00	6970·00	..	
5.	1955-56	37075·00	37075·00	..	..	
6.	1956-57	37075·00	31536·00	5539·00	..	
7.	1957-58	37075·00	40684·00	..	3609·00	भाव में वृद्धि के कारण
8.	1958-59	37075·00	35340·00	1735·00	..	
9.	1959-60	37075·00	39228·00	..	2153·00	,,
10.	1960-61	37075·00	36338·00	737·00	..	
11.	1961-62	37075·00	36950·00	125·00	..	
12.	1962-63	37075·00	36548·00	527·00	..	
13.	1963-64	23075·00	32633·00	..	9558·00	,,
14.	1964-65	22031·00	33313·00	..	11282·00	,,
15.	1965-66	32398·00	34402·00	..	2004·00	,,
16.	1966-67	31737·00	37389·00	..	5652·00	,,
17.	1967-68	842137·00	46149·39	..	4012·39	,,

बून्दी के 3 मन्दिरों का बजट सम्बन्धी विवरण

क्रम सं०	नाम मंदिर	53-54	54-55	55-56	56-57	57-58	58-59	59-60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रंगनाथजी गढ	7080	7312	7312	7312	7312	7312	7312
2	श्री गोपालजी	8600	9350	9350	9350	9350	9350	9350
3	श्री केशवरायजी पाटन	13235	15624	15624	15624	15624	15624	15624

		60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	श्री रंगनाथजी गढ	8570	8938	6900	6900	6900	6928	6454	6454
2	श्री गोपालजी	11061	10442	8800	8890	8842	8892	8853	8673
3	श्री केशवरायजी पाटन	15624	15624	15624	15624	14131	14968	14131	14131

Page No 216

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 552 की सूची)

सम्बन्धित प्रश्न नम्बर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरेन में खुलने की तिथि से जिस जिस स्टाफ की नियुक्ति की गई है, उनके नाम नीचे लिखे प्रकार से हैं:—

1. श्री किशनलाल, कम्पाउन्डर, ग्रेड प्रथम।
2. श्री उदयप्रकाश, कम्पाउन्डर, ग्रेड प्रथम।
3. श्री सेरुमल, कम्पाउन्डर, ग्रेड प्रथम।
4. श्री रामसिंह, कम्पाउन्डर, ग्रेड प्रथम।
5. श्री गजानन्द शुक्ला, कम्पान्डर, द्वितीय श्रेणी।
6. श्री अब्दुल हकीम, कम्पाउन्डर, तृतीय श्रेणी।
7. श्री पूरबचन्द, कम्पान्डर, तृतीय श्रेणी।
8. श्री मोहनलाल आक्जेलेरी हैल्थ वर्कर।
9. श्री सुरेशचन्द्र, आक्जेलेरी हैल्थ वर्कर।
10. श्री रामेश्वर योगी, आक्जेलेरी हैल्थ वर्कर।
11. श्री रमेशचन्द्र, आक्जेलेरी हैल्थ वर्कर।
12. श्री चन्द्रप्रकाश, आक्जलेरी हैल्थ वर्कर।
13. श्री कुन्जबिहारीलाल, सेनेटरी इन्सपेक्टर।
14. श्री गोपीलाल सेनी, सेनेटरी इन्सपेक्टर।
15. श्री जैकिशन शर्मा, सेनेटरी इन्सपेक्टर।
16. श्रीमती मेरी अम्मा, के० ई० ए० एन० एम०।
17. श्रीमती थनकमा, के० जे० ए० एन० एम०।
18. श्रीमती पन्नाम्मा बी० के० एन० एम०।
19. श्रीमती लक्ष्मीदेवी शर्मा, ए० एन० एम०
20. श्रीमती लक्ष्मीदेवी सक्सेना, ए० एन० एम०।
21. श्रीमती मेरी अम्मा, के० एस० ए० एन० एम०।
22. श्रीमती शकुन्तला शुक्ला, ए० एन० एम०।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री लटूर स्वीपर।
2. श्रीमती रामचन्द्री बाई।
3. श्री अमरचन्द।
4. श्रीमती घीसी बाई।
5. श्रीमती सावित्री बाई
6. श्री नन्दलाल वार्ड बाय।
7. श्री गोरधन वार्डबाय
8. श्रीमती जमना देवी।

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 567 की सूची)

SAINIK SCHOOL, CHITTORGARH

Statement of Rajasthan Government Scholarships Awarded to Rajasthan Students For the period 1961 to 1969.

Year	No. of students on the roll	No. of Rajasthani students out of col. No. 2	No. of scholarship holders out of col. No. 3					Remarks
			Full	3/4	Half	Quarter	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1961	124	64	43	..	12	2	57	
1962	210	101	63	..	18	4	85	
1963	270	139	105	..	17	3	125	
1964	299	153	120	..	14	2	136	
1965	309	173	148	7	1	1	157	
1966	357	240	207	18	1	2	228	
1967	405	286	250	24	2	3	277	
1968	430	299	255	30	3	3	298	
1969	442*	305	241	51	3	3	298	

* 9 Rajasthani boys have been offered half scholarships, and they have been asked to join the school on 1st September, 1969.

परिशिष्ट 11

(प्र० सं० ० 569 की सूची)

(1) 19

(2) और (3):—

क्रम सं०	नाम अधिकारी व जाति	वर्तमान पद	नियुक्ति दिनांक	वेतन श्रृंखला	जन सेवा आयोग द्वारा राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम 1960 के अनुसार
1.	डा० सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	निदेशक	10-2-1948	अभी तक वेतन निर्धारित नहीं हुआ	जन सेवा आयोग द्वारा (स्थायी)
2.	श्री रत्नचन्द्र अग्रवाल	अधीक्षक	13-5-1953	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	में गत तीन वर्षों से ऊपर कीपर के पद पर नियुक्त है।
3.	श्री दुर्गालाल माथुर (कायस्थ)	अधीक्षक	23-11-1965	500-30-800-50-1000	पदोन्नति के आधार पर परिवीक्षा पर नियुक्ति।
4.	श्री सुरेश्वरा नन्द सिन्हा (कायस्थ)	अधीक्षक	12-3-1968	,, ,,	जन सेवा आयोग द्वारा अस्थायी नियुक्ति।
5.	श्री मोहनलाल गुप्ता	अधीक्षक	17-7-1968	,, ,,	अस्थायी नियुक्ति पर।
6.	श्री सगतसिंह राठौड़ (राजपूत)	संग्रहाध्यक्ष	25-5-1950	275-20-375-25-650	जन सेवा आयोग द्वारा (स्थायी)
7.	श्री मदनमोहन शास्त्री (ब्राह्मण)	,,	30-8-1957	,, ,,	पदोन्नति के आधार पर।

8. श्री फणीलाल चक्रवर्ती (बंगाली ब्राह्मण)	"	20-7-1958	"	"	जन सेवा आयोग द्वारा (स्थायी)
9. श्री विजय शंकर श्रीवास्तव (कायस्थ)	"	1-8-1960	"	"	" " "
10. श्री ओमप्रकाश शर्मा	"	25-4-1966	"	"	" " "
11. श्री प्रकाश बाफना (जैन)	"	28-5-1968	"	"	पदोन्नति के आधार पर अस्थायी ।
12. श्री कृष्ण कुमार भार्गव	"	2-11-1968	"	"	" "
13. श्री वीरेन्द्र कुमार चौहरी (कायस्थ)	"	29-3-1969	"	"	अस्थायी तौर पर 6 माह के लिये या राजस्थान लोक सेवा आयोग ारा उपयुक्त पात्र के चयन ोने तक जो भी पहिले हो ।
14. श्री प्रकाश चन्द्र भार्गव	"	4-6-1969	"	"	अस्थायी तौर पर 6 माह के लिये या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त पात्र के चयन होने तक जो भी पहिले हो ।
15. श्री ब्रजमोहनसिंह परमार (राजपूत)	मुद्रा विशेषज्ञ	5-8-1964	275-20-375-25-650		जन सेवा आयोग द्वारा (स्थायी)
16. श्री विजयकुमार श्रीवास्तव (कायस्थ)	खोज एवं उत्खनन अधिकारी	5-8-1964	275-20-375-25-650		जन सेवा आयोग ारा (स्थायी)

Page No 220

1	2	3	4	5	6
17	श्री श्याम नन्दन श्रावास्तव (कायस्थ)	प्रावैधिक अधिकारी	28-10 1968	275-20-375-25-650	अस्थायी तौर पर पहिले 6 माह के लिये और फिर 6 माह के लिये या जन सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त पात्र के चयन होने तक जो भी पहिले हो।
18	श्री लक्ष्यकुमार जगधारी (कायस्थ)	प्रकाशन अ[illegible]कारी	26-4-1969	275-20-375-25-650	अस्थायी तौर पर 6 माह के लिये या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त पात्र के चयन होने तक, जो भी पहिले हो।
19	श्री होतचन्द (सिन्धी)	परारसायनवेत्ता	14-4-1969	275-20-375-25-650	अस्थायी तौर पर 6 माह के लिये या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त पात्र के चयन होने तक, जो भी पहिले हो। स्थायी पुरारसायनवेत्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा के पुलिस विभाग से लौटने तक।
20	श्री दौलतराम राजकुमार (कुम्हावत)	सहायक अभियन्ता	9-1-1969	300-800	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति।

परिशिष्ट 12]

(अ० प्र० सं० 573 की सूची)

List of Members of the Rajasthan State Sports Council

Name and address	Designation	Phone No.	
		Office	Residence
1	2	3	4
1. Shri P. C. Bishnoi, 14, Civil Lines, Jaipur.	President	61325	75437
2. Shri V. N. Kak, Vasundhara, Durgapura, Jaipur.	Vice-President (Executive)	76748	75868
3. Miss K. K. Turvey Principal, Kanodia, Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur.	Honorary Treasurer	73660	..
4. Shri J. S. Mehta, Education Secretary, Rajasthan, Opposite Kesargarh, Jaipur.	Member	74651	76784
5. Shri Mohan Mukerji, Financial Commissioner, Rajasthan, Opposite Electric Sub-Division, Gandhinagar, Jaipur.	Member	74656	72284
6. Shri Ram Singh Advocate, Panchsheel Marg,'C' Scheme, Jaipur.	Member	..	72037
7. Shri R. S. Kapoor, Director, Education, Rajasthan, D-18, Tilak Nagar, Jaipur-4.	Member	72547	74810
8. Shri Sultan Singh, Inspector General Police, Sawai Ram Singh Road, Jaipur.	Member	72657	72224
9. Shri S. P. Singh Bhandari, Development Commissioner, Rajasthan, Sardar Patel Marg, Jaipur.	Member	74658	73522

1	2	3	4
10. Smt. Indra Mayaram, Ashok 'Marg, C' Scheme, Jaipur.	Member	..	62505
11. Shri Kishan Rungta, Man House, Patel Marg, Jaipur.	Member	74361 (PBX-3)	74363 61930
12. Shri D. C. Swami, Advocate, Station Road, Jaipur-6.	Member	..	73866
13. Shri B. M. Bansal, Bansal Medical Hall, Udaipur.	Member	185	..
14. Shri N. K. Sanghi, M. P. C/o Sanghi Brothers, Jodhpur.	Member	309	22
15. Major Apji Kalyan Singh, Station Road, Kota.	Member	466	506

EXPENSES INCURRED ON X CENTRAL COACHING CAMP HELD AT MOUNT ABU, 1968.

Heads 1	Expenses 2
1. Lodging & Boarding	51,915·95
2. Honararium to Coaches & Others ..	900·00
3. Wages	31,056·31
4, T. A., D. A.	2,396·48
5. Transportation & Conveyance	8,798·23
6. Games Material	1,563·01
7. Stores	
8. Track & Field	2,650·84

1		2
9. Stationery & Printing	..	756·31
10. Telephone, Telegram and Postage	..	459·75
11. Light & Water	..	1,969·03
12. Medical Expenses	..	1,352.22
13. Entertainment	..	832·65
14. Bank Commission	..	90·87
15. Misc. Expenses	..	6,000·00
	Total ..	91,737·55

Clarifications:—

Item (1) Lodging & Boarding.—	Lodging & Boarding of Trainees, Coaches, Officials and other participants of the Camp.
(4) T. A., D. A.	This includes T. A., D. A. to trainees, Coaches, Officials Directors, Lady Incharge etc.
(5) Transportation & Conveyance.	This includes transportation of the equipment Tentage from Jaipur to Mt. Abu and back as well as transportation charges at Mt. Abu.
(8) Track & Fields.—	This includes levelling, dressing and other allied work although purchases of Rajari, lime and send etc.
(12) Medical expenses.—	This includes Medicines provided to the trainees Directors, Coaches, Officials and Lady Incharges etc,; as prescribed by the Doctor deputed for this purpose by Govt.
(15) Misc. Expenses.—	This includes salary of the temporary staff for the camp, Advertisements inviting Tender, in the newspapers Prices, Souvenirs, Baniyan for participants, news papers etc.

परिशिष्ट—13

(अ० प्र० सं० 574 की सूची)

प्रश्न एक का उत्तर:—

1. श्री के० जी० शर्मा भू०पू०प्र०अ० रा०मा० शा०, मेड़ता सिटी (–रिटायर्ड–)	इनके बारे में धन का दुरूपयोग संबंधी मामला चल चल रहा है। हाल ही में कमिश्नर डिपार्टमेंटल इनक्वारी जयपुर के पत्रांक एच (3) एडीई। 67 दि० 27-7-69 के अनुसार यह मामला शिक्षा उप निदेशक जोधपुर को भेजा गया बतलाया है। आगे की कार्यवाही संबंधित अधिकारियों से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।
2. श्री वी० के० गांगिल भू० पू० प्र० अ०, रा० उ० प्रा० शा०, बोरावड़। (वर्तमान समय निलंबित)	उनके विषय में धन का दुरुपयोग संबंधी मामला चल रहा है ये उप निदेशक शिक्षा विभाग जोधपुर द्वारा 19-1-67 से निलंबित किये जा चुके है ड्यूटी पर से फरार हैं। अतः मामला वास्ते आवश्यक कार्य वाही हेतु पुलिस विभाग को 1-9-67 से दिया जा चुका है। पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होजाने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।
3. श्री ब्रह्मराम रोज, स० अ० रा० उ० मा० शा०, छोटी खाटू।	इनके विरुद्ध धन का दुरुपयोग संबंधी मामला चल रहा है। इनको चार्जशीट दी जा चुकी है। अतः जवाब प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. श्री कानसिंह भू० पू० स०,अ०, रा०उ०प्रा०शा०, लजनेना	इनके विषय में भी धन का का दुरुपयोग संबंधी मामला चल रहा है। मामला जांच अधिकारी को दि० 29-10-68 को दिया जा चुका है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायगी।
5. श्री मदनलाल भू०पू० स० अ०, रा० उ० प्रा० शा०, बोरावड़	इनके विषय में धन का दुरुपयोग संबंधी मामला चल रहा है। मामला जांच अधिकारी को दिनांक 29-10-68 को दिया जा चुका है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

6. श्री मोहनलाल लेखक, भू० पू० रा० मा० शा०, जायल ।	इनके विषय में धन का दुरुपयोग संबंधी मामला चल रहा है । मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।
7. श्री कृष्णवल्लभ, भू० पू० प्र० अ०, रा० उ० प्रा० शा०, कटौती ।	इनके विषय में धन का दरुपयोग संबंधी मामला चल रहा है । मामले पर कार्यवाही जारी है ।
8. श्री रामेश्वरलाल, भू० भू० प्र० अ०, रा० प्रा० शा० खजबाना ।	इनके विषय में धन का दुरुपयोग संबंधी मामला चल रहा है । जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार मामला गंभीर न होने की वजहसे इन्हें चेतावनी दे कर छोड़ जाने की कार्यवाही की जा रही है ।
9. श्री तजीर मोहम्मद, स० अ० अ० रा० मा० शा०, बासनी ।	ये दि० 18-7-66 मे निलंबित है । इनका मामला कोर्ट नागौर मे चल रहा है कोर्ट मे फैसला होने पर ही विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी ।
10. श्री जगदीश पंडित, म० अ० रा० उ० मा० शा०, छोटीखाटू ।	ये दिनांक 4-9-68 से निलंबित है । इन पर उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने के संबंध में अनियमितताएं बरतने के आरोप में निलंबित है । जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । आगे की कार्यवाही की जा रही है ।
11. श्री पूसाराम, स० अ० रा० उ० प्रा० शा०, बागोट ।	ये पुलिस द्वारा ऐरेस्ट हुए तथा पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ये दि0 11-10-68 से निलंबित है । कोर्ट से निर्णय होन पर विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही की जावेगी ।
12. श्री गोपीचन्द, स० अ० रा० उ० प्रा० शा०, हरसोलाव ।	ये पुलिस के द्वारा एरेस्ट हुए और उनकी रिपोर्ट के अनुसार दि० 8-3-69 से निलंबित है । कोर्ट से निर्णय होने पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी ।
13. श्री बहादुरसिंह स० अ० बांगड़ रा० उ० प्रा० शा० डीडवाना ।	ये नागौर जिलाधीश के पत्रांक-जागीर-424 दि0 10-7-69 की रिपोर्ट व आदेशानुसार फर्जी आदमियों को जागीर बोण्ड की धनराशी दिलवाने के आरोप में दि० 21-7-69 से निलंबित किया गया । जिलाधीश नागौर से अभी आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुए ह, प्राप्त होने पर इन्हें चार्जशीट दी जायेगी ।

परिशिष्ट—14

(अ० प्र० सं० 138 की सूची)

क्रम सं०	नाम जिलों	निष्क्रमण हुए पशुओं की संख्या
1	बीकानेर	90,820
2	जैसलमेर	78,387
3	बाड़मेर	1,03,842
4	जालोर	36,899
5	जोधपुर	10,719
6	नागौर	14,500
7	पाली	7,731
8	अजमेर	7,000
9	टोंक	7,000
10	सिरोही	5,802
	योग ...	3,65,700

परिशिष्ट—15

(अ० प्र० सं० 140 की सूची)

सूची संख्या (1)

राजस्व अभीकरण द्वारा चलाये नाडी कार्यों की सूची। **जिला जैसलमेर, तहसील जैसलमेरः—**

क्र०सं०	नाम कार्य	दिनांक आरम्भ	मजदरो की संख्या
1.	दबनाडी	20-6-69	75
2.	काडानाडी	1-8-69	40

सूची संख्या (2)

केयर प्रोग्राम के अन्तर्गत वितरण की पंचायत समितिवार तालिका। **जिला बीकानेरः—**

क्र०सं०	नाम पंचायत समिति	सी० एस० एम० थैलों की संख्या	सलाख तेल काटने की संख्या
1.	बीकानेर	7716	1075
2.	कोलायत	4186	656
3.	नोखा	9885	1523
4.	लूणकरणसर	6405	910

जिला बाड़मेरः—

1.	चौहटन	3376	571
2.	बायतू	4345	738
3.	शिव	4419	713
4,	बालोतरा	4386	947
5.	बाड़मेर	3977	611
6.	सिण्डरी	4410	1027
7.	शिवाना	5571	878
8.	धोरीमन्न	4665	639